राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार,

29 फरवरी, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलाराम गोदारा।

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

21. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत व उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ में राजीव गांधी पाठशाला के कितने भवन बने हुए हैं? क्या यह सही है कि अनेक भवन पूर्ण निर्मित होने के उपरान्त भी उनमें अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में व क्यों?

(4) सरकार द्वारा अब उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कब तक कर दी जाएगी?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 121 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 79 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 38 माध्यमिक विद्यालय एवं 13 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ख में अंकित है। तृतीय श्रेणी के 41,000 अध्यापकों की भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही है। उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। शेष पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर इन पदों को भरा जा सकेगा।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.2006 के द्वारा राज्य में संचालित समस्त राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के कारण वर्तमान में कोई राजीव गांधी पाठशाला अस्तित्व में नहीं है। जिला बीकानेर की पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ में कुल 63 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं स्वीकृत की गयी थीं एवं इन सभी पाठशालाओं हेतु भवन निर्मित किये जा चुके थे लेकिन इनमें से केवल 44 पाठशालाएं ही क्रियाशील होने के कारण उक्त आदेश द्वारा केवल 44 पाठशालाएं ही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत की गईं। शेष 19 पाठशालाओं के लिए तत्समय संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पैरा टीचर्स का चयन नहीं किये जाने के कारण ये पाठशालाएं प्रारम्भ नहीं हो सकी थीं। अत: इन्हें प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया जा सका था। इन 19 पाठशालाओं की सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) जैसा कि प्रश्न के भाग 03 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि 19 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं क्रियाशील ही नहीं हुई थीं, अत: इन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत ही नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में ये विद्यालय अस्तित्व में ही नहीं हैं। अत: शिक्षक लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जैसे राजीव गांधी पाठशाला तिरेसठ स्वीकृत हुईं और तिरेसठ स्वीकृत होने के बाद में 44 में पैरा टीचर लगा दिये गये। तो स्वीकृति तो तिरेसठ की हुई थी। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि तिरेसठ की जब स्वीकृति हुई और तिरेसठ में भवन बन गये, सरकार के पैसे लग गये, भवन बनने के बाद सरकार चेंज हो गयी और सरकार चेंज होने के पांच साल में वे पद रिक्त रहे, उनको भरा नहीं गया। तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता

(श्री मंगलाराम गोदारा)

हूं कि क्या मंत्रीजी इन 19 जो भवन बने हुए विद्यालय हैं, उनमें इस बजट के अन्दर आप टीचर लगाने की इच्छा रखते हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय किसी भी राज्य में तभी स्वीकृत किये जायेंगे जब संबंधित राज्य में स्कूल मैपिंग का कार्य संपादित कर लिया गया है। राज्य में जी पी एस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या है यह?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आप तो विद्वान हो, वैसे ही बहुत जानते हो, विद्वानों को बताने की जरूरत थोड़े ही होती है।...आधारित स्कूल मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। स्कूल मैपिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार किये जाकर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। डूंगरगढ़ उन 52 ब्लाक्स में सम्मिलित है जिनमें प्रथम चरण में स्कूल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही इन 19 में से जितने भी विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के तहत मंजूर होंगे, हम तुरन्त स्कूल खोल देंगे और टीचर भी लगा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान) उनके क्षेत्र से संबंधित है। (व्यवधान) क्षेत्र से बाहर जायेंगे ही नहीं।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में भी कब तक लगा दिये जायेंगे? (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है, कितने पद रिक्त हैं उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के? मंत्रीजी ने जवाब में कहा है कि इकतालीस हजार अध्यापक तृतीय श्रेणी के लिये जायेंगे। तो मेरे यहां उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पद हैं, जैसे प्रिंसिपल का है, लैक्चरर का है, तो ये तो इनमें आयेंगे ही नहीं। ये कब तक भर दोगे आप?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात अभी माननीय सदस्य ने पूछी है, व्याख्याता के और प्रधानाचार्य के जो पद रिक्त हैं उनको हमने आर पी एस सी के प्रधानाध्यापक के पदों के लिए 2003

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

पदों हेतु अर्थना आयोग को, आर पी एस सी को भिजवाई जा चुकी है; व्याख्याता के 988 पदों की भर्ती हेतु 22.7.2011 को आर पी एस सी को भेजी जा चुकी है; वरिष्ठ अध्यापक के 11,865 पदों की परीक्षा 2011 में आयोजित हो चुकी है, परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना शेष है। जैसे ही ये पद आर पी एस सी से मिलेंगे इनको भी भर दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: केवल डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। (व्यवधान) माननीय घनश्यामजी...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, यह सवाल डूंगरगढ़ का तो है लेकिन यह सब पर लागू है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, यह स्थिति पूरे राजस्थान में है।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय तिवाड़ी साहब शिक्षा मंत्री थे, उस समय मैंने खूब क्वेश्चन लगाये और खूब उनसे मिला, तो मैं तिवाड़ी साहब से पूछना चाहता हूं कि मेरे 1900 विद्यालय तो उस टाइम के हैं....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, कई स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, काफी सारे स्कूल ठप्प पड़े हैं। इनसे पूछा जाए, माननीय मंत्रीजी से कि राजस्थान में ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर ऐसी स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो श्री घनश्यामजी तिवाड़ी को अलाउ किया है। केवल डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है। केवल घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान की बात नहीं करोगे तो क्यों बैठे हैं? राजस्थान की बात तो करोगे नहीं, हमें यहां बैठा दिया। ये 200 आदमी बैठे हैं, राजस्थान की बात नहीं करें, डूंगरगढ़ की बात कहोगे। साइंस के सब्जेक्ट खोले पूरे राजस्थान में, आपने एक भी अध्यापक भर्ती नहीं किया। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कहीं नहीं हैं, कहीं पर भी टीचर नहीं हैं। राजस्थान के ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो खुले पड़े हैं लेकिन एक भी टीचर नहीं है वहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। विराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीडूंगरगढ़, आप डूंगरगढ बोल रहे हैं, मैं केवल श्रीडूंगरगढ़ का पूछूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि श्रीडूंगरगढ़ में ये जो पद रिक्त हुए हैं इन रिक्त पदों में 3 साल में कितने पद रिटायरमेंट से खाली हुए हैं?

दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने कहा है कि डी पी सी से इन पदों को भरा जायेगा, क्या राज्य सरकार शिक्षा विभाग में डी पी सी समाप्त करने पर विचार करती है? कल चीफ सेक्रेटरी बनाना था, कोई डी पी सी नहीं हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं, कोई डी पी सी नहीं होती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डूंगरगढ़ की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां-हां, डूंगरगढ़।

श्री अध्यक्ष: एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को छोड़िये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डी पी सी सारे राजस्थान की होती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाते हैं, कोई डी पी सी नहीं होती। फिर चपरासी से लेकर मास्टर तक डी पी सी का प्रावधान क्यों कर रखा है? इस डी पी सी का प्रावधान खतम करते ही प्रमोशन हो जायेगा और आपको सारा लाभ मिल जायेगा।

तीसरा मेरा है, आपने कहा है कि अभी 41,000 की भर्ती होगी। क्या श्रीडूंगरगढ़ में जो बी एड किये हुए लोग हैं, पहले टेट की परीक्षा करायेंगे ताकि वे परीक्षा में बैठने योग्य होंगे और उसके बाद में परीक्षा लेंगे? या पहले परीक्षा करायेंगे? ताकि ये बी एड के जितने सारे के सारे कालेज हैं, वे बन्द हो जायेंगे।

जो जिला परिषद् परीक्षाएं करा रहा है, उनमें हमने जो नियम बनाये थे, उन नियमों में आपने क्या संशोधन किया?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बी जे पी के संगठन की डी पी सी हो जाती तो आप वहां बिराज जाते। वहां भी डी पी सी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान) मंत्रीजी, आप विराजिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा तिवाड़ीजी ने कहा, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र का नाम डूंगरगढ़ है तो मैं

(श्री मंगलाराम गोदारा)

आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीडूंगरगढ़ कर दिया जाए इसका नाम। क्योंकि रेलवे स्टेशन श्रीडूंगरगढ़ नाम से है और विधान सभा क्षेत्र का नाम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके आग्रह के ऊपर किसी विधान सभा क्षेत्र का नाम बदलने का अधिकार मेरे पास नहीं है। आप चाहो तो आपके नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है। मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंटरी मैं भी कर लूं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डूंगरगढ़ के बारे में है।

श्री अध्यक्ष: उनके सवाल के सारे जवाब आ जायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, फिर पहले ठीक है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सांगानेर से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य ने यह कहा, डी पी सी, तो हमारे से 3 वर्ष पहले राज इनका था, उन्होंने डी पी सी खतम कर दी होती तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अब कर दो। आप कर दो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आपसे निवेदन है, क्योंकि यह विद्वता तो आपके पास उस समय भी थी, उस समय ही खतम कर देते। आप शिक्षा मंत्री थे उस समय और आप यह डी पी सी खतम कर देते तो हमको यह रोना, रोना ही नहीं पड़ता। अब डी पी सी पर डी ओ पी ने पाबन्दी लगा रखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रोना-रोना तो बंद करो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अपन लोग तो यहीं रोयेंगे। डी पी सी पर डी ओ पी ने पाबन्दी लगा रखी है, डी ओ पी से जैसे ही पाबंदी खुलेगी, यह पदोन्नति कर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक ही है। (व्यवधान) डी ओ पी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल का जवाब तो आने दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सवाल का जवाब तो दो। डी ओ पी से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब आने दीजिये, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह डी ओ पी...(व्यवधान) जवाबदेह होती है। यह कोई बात होती है।

श्री अध्यक्ष: इनके प्रश्न का जवाब दे दीजिये आप तो। माननीय, जवाब दे दीजिये आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): दे दिया ना मैंने जवाब, डी पी सी होने के बाद भर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या जवाब हुआ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): रिक्त पद हैं...(व्यवधान) स्कूल डूंगरगढ़ की हो, चाहे राजस्थान की हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, सारे राजस्थान का नहीं है। अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल।

जोधपुर जिले के काश्तकारों हेतु फसली ऋण सीमा में वृद्धि

22. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में वर्ष 2011-12 में खरीफ फसल हेतु ऋण/अनुदान सहायता में राशि बढ़ायी गयी है? यदि हां, तो कितनी -कितनी एवं नहीं, तो क्यों? बढ़ाकर दी गयी राशि की विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में बढ़ायी गयी राशि अनुसार पूर्व में ली गयी अनुदान राशि काश्तकारों द्वारा जमा कराने के बाद भी उन काश्तकारों को खरीफ अनुदान ऋण राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकार वंचित रह गये एवं नये कितने काश्तकारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल)

(3) उक्त जिले में खरीफ फसल अनुदान ऋण राशि का कितना-कितना भुगतान कितने-कितने काश्तकारों को कब-कब किया गया एवं शेष कितने काश्तकारों को भुगतान करना शेष रह गया? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जोधपुर द्वारा दिनांक 29.03.2011 को प्रस्ताव पारित कर जोधपुर जिले में अल्पकालीन फसली ऋण की साख सीमा जो 50,000 रुपये थी, को बढ़ाकर 1.00 लाख किया गया। बढ़ायी गयी ऋण साख सीमा अनुसार वितरित ऋण का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नये 12,904 सदस्यों को 4,131.57 लाख रुपये का ऋण अग्रिम किया गया है। वितरित ऋण का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जोधपुर जिले में 1 अप्रैल, 2011 से 31 अगस्त, 2011 तक खरीफ फसल ऋण 97,593 किसानों को 33,399.71 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया। 72,482 किसानों को ऋण अग्रिम नहीं हुआ है। ऋण वितरण एवं शेष रहे कृषकों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जोधपुर जिले में कुल 1,70,000 सदस्यों में से 72,482 सदस्य हैं जिन्होंने समय पर अपने पुराने ऋण का भुगतान कर दिया, समय अवधि के भीतर और आपके विभाग द्वारा उनकी साख सीमा बना दी गयी थी, लिमिट हो गयी थी, उसके बावजूद उनको आपने पुनः भुगतान नहीं किया। इसका क्या कारण रहा? आपने जो 12,904 सदस्य नये बनाये हैं, इन सदस्यों को बनाने में क्या पात्रता रही है? बिलाड़ा और ओसियां दो क्षेत्र हैं जिनमें 12,904 में 30 परसेंट मेम्बर्स आपने एक मात्र ओसियां विधान सभा क्षेत्र से लिये और मात्र 3 परसेंट आपने बिलाड़ा से बनाये हैं। तो इनकी पात्रता में असमानता इतनी कैसे रही?

जो आपने ऋण वितरण किया है जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, बिलाड़ा में आपने दिया 4,207 लाख और ओसियां में आपने दिया है 6,661 लाख, तो इसमें यह डेढ़ गुणा कैसे दे दी? आपने हमारे यहां पर जिंस का 40,000/- और कैश 60,000/- रखा है और ओसियां में बदल दिया वहां

(श्री अर्जुन लाल)

80,000/- कैश रखा, 20,000/- जिंस रखा। तो यह किन कारणों से ऐसा रहा? यह कृपया बताएं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि जिन लोगों ने ऋण का चुकारा कर दिया उनको दुबारा नहीं दिया, पहला सवाल यह किया है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, सदस्य जिन्होंने ऋण का चुकारा किया वे थे 76,450, नये सदस्य 12904, कुल 89,354 किसानों को ऋण दिया। बिना चुकारा करने वाले किसानों को, एक भी किसान का, मेरे खयाल से, जानकारी ली है कि वहां किसी का भी कोई रोका नहीं है और हम नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा, जो सदस्य समय पर चुकारा करेगा अपने ऋण का, उसको दूसरे दिन बिना अंतराल के, पहले 7 दिन बाद देने का प्रावधान था, हमने अब ऐसा प्रावधान कर दिया 21.05.2011 को एक अपेक्स बैंक से आर्डर निकालकर सभी सी. सी. बीज को कि जो किसान यदि आज ब्याज और असल जमा कराता है, कल वह अपनी ब्रांच में जाकर विथड्रा कर ले। इसलिये यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि चुकारा करने वालों को हमने कोई दुबारा लोन नहीं दिया। जो 1,70,000 की आप बात कर रहे हैं, वह 1,70,000 साख सीमा किसान की है। उसमें से कुछ डिफाल्टर किसान हो जाते हैं, समय पर चुकारा नहीं कर पाते हैं इसलिये इनको दुबारा नहीं दिया जाता, पर जो किसान समय पर चुकारा करता है, समय पर ड्यू टाइम पर जो देगा, उसको हम हाथों-हाथ वह ब्रांच में जाकर दूसरे ही दिन, सात दिन का पहले अंतराल था, उसको भी समाप्त कर दिया, दूसरे दिन जाकर उसी ब्रांच यह वह अपनी जो भी साख सीमा है उसको विथड्रा कर सकता है।

दूसरा, ओसियां का सवाल आपने उठाया, अध्यक्ष महोदय, यह निचले स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां साख सीमा बनाकर के भेजती हैं, बैंक किसी की साख सीमा नहीं बनाता है। ग्राम स्तर की जो समितियां हैं, जिन समितियों ने समय पर अपनी साख सीमा बनाकर के भेजी, इसलिए आपको ओसियां में ऋण ज्यादा लग रहा है और आपके बिलाड़ा में कम है। आपकी बिलाड़ा की या आपके निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियां यदि बनाकर के भेजेंगी तो हम उसकी भी बढी हुई एक लाख तक की सीमा में जो भी आयेगा, उनको निश्चित रूप से देंगे। सदस्य संख्या जहां पर है, आपने कहा कि यह कम लोगों को दिया है बिलाड़ा में, ओसियां में ज्यादा लोगों को

(श्री परसादीलाल)

दिया है। ऋण में राशि का फर्क हो सकता है, मेम्बर्स की कहीं साख सीमा बढ़ी, कहीं नहीं बढ़ी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आगामी खरीफ में सभी किसानों को जो लेना चाहेंगे, उन सबको हम बढ़ी हुई साख सीमा से देंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद बहुत उल्लेखनीय वृद्धि इसमें हुई है। जैसा कि पहले 2008-09 में केवल 10 लाख 90 हजार किसानों को हम क्रोप लोन देते थे, 2009-10 में हमने 15 लाख 53 हजार किसानों को दिया, 2010-11 में 22 लाख 52 हजार को दिया और 2011-12 में हम 22.24 लाख और अभी हमारा रबी का चल रहा है, इसलिए किसानों को 2008-09 के मुकाबले ऋण देने में वृद्धि दुगनी हुई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभारी है सहकारिता विभाग, जिन्होंने पहली बार राजस्थान बनने के बाद बैंकों को ज्यादा ऋण देने के लिए, जो नये किसानों को देंगे, 3,000 करोड़ की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये करने का अपने वित्त भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने एलान किया। उसके अगेंस्ट में हमारे विभाग ने 7,000 करोड़ का क्रोप लोन अब तक किसानों को दिया है। पहली बार, दो साल में 102 करोड़ रुपये अनुदान हमारे कापरेटिव...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का यह दायरा नहीं है, आप इतना लम्बा मत करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब पूरा हो जाने दो। (व्यवधान) जवाब पूरा हो जाने दीजिये।...(व्यवधान)... आपको अवसर दे दूंगा पर जवाब तो पूरा हो जाने दो।...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): जवाब मेरे प्रश्न से परे दे रहे हैं ये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो मैं जवाब मांग रहा हूं उससे परे दे रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको अवसर दे दूंगा। (व्यवधान) बीच में इंटरप्ट नहीं करें। (व्यवधान) कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जो विषय थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ जाने दीजिये। (व्यवधान) आप इतने सीनियर विधायक हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना यह कर रहा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अवसर दे दूंगा पर पहले इनकी बात समाप्त हो जाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिये कृपा करके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अवसर दूंगा, मैं आपको अवसर देने को तैयार हूं ...(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा जवाब तो पूरा हो जाये (व्यवधान) एक मिनट। माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर में कम ऋण दिया है, मैं उसी के संबंध में बता रहा हूं। 2008-09 में जोधपुर के बैंक का एवरेज जो किसान को देते थे, वह 10 हजार रुपये था और अभी 2010-11 में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एवरेज आपका 50 हजार रुपये प्रति मेम्बर का बढ़ा है वहां पर। जोधपुर बैंक का एवरेज तीन साल में एकदम इतना इम्प्रूव हुआ है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आपने घोषणा तो लाख की की थी ... (व्यवधान) घोषणा एक लाख की की थी आपने।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): एक लाख रुपये तक का कर्जा हमने दिया है। जिन किसानों की एक लाख तक की सीमा बनेगी, मैं जोधपुर की ही नहीं, सबकी कह रहा हूं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिन किसानों की साख सीमा एक लाख तक की बनाकर भेजेंगी, हमारे बैंक उनको निश्चित रूप से एक लाख तक का कर्जा देंगे। माननीय सदस्य तो जानते हैं उदयपुर से आने वाले कि नीचे के स्तर से साख सीमा बनकर के आती है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों से, कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां समय पर साख सीमा बनाकर के नहीं भेजती हैं, कई बनाकर के भेजती हैं, ओसियां वालों ने समय पर भेजी, दूसरे वालों ने समय पर भेज दी, बिलाड़ा वालों ने समय पर नहीं भेजी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उनके लिए आपने क्या कार्यवाही की? जिस जी एस एस ने समय पर साख सीमा बनाकर के नहीं भेजी, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? दूसरा, आप कह रहे हैं कि हमने सबको लोन दे दिया है वहां पर, क्रोप लोन ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जो ओसियां वालों के खिलाफ किया है, वही इनके साथ करोगे क्या? जो ओसियां वालों के साथ किया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): परिशिष्ट 3 पर आपने बताया है कि बिलाड़ा के लिये लिमिट सैंक्शन हो गयी 11271 लोगों की, फिर भी इनको लोन नहीं दिया है। यह हमारे जो 24 हजार मेम्बर हैं, उनमें से आपने 11 हजार को, 45 प्रतिशत लोगों को आपने लोन नहीं दिया है और आप कह रहे हैं कि हमने इसकी सीमा बढ़ा दी या हमने इतना लोन दे दिया है। ये 45 प्रतिशत लोगों को जो सदस्य हैं, जिन्होंने समय पर चुकारा किया है, उनको आपने क्यों नहीं लोन दिया? यह है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से जानकारी दी कि जिन किसानों ने अपना समय पर चुकारा दिया उनको हमने शत-प्रतिशत दे दिया। फिर भी यदि आपकी जानकारी में कोई हो तो मुझे आप तथ्य दे दें, मैं उसकी जांच करा दूंगा; जिन्होंने नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हां, मैं आपको दे रहा हूं, जी एस एस बिरामी में आपके 89 लोग, 89 सदस्यों ने वहां पर पैसा जमा करवा दिया समय पर, भावी के अन्दर 24 लोगों ने, बाला के अन्दर 109 लोगों ने, इन्होंने समय पर भुगतान दे दिया, उनकी लिमिट बन गयी, लिमिट बनकर के बैंक को चली गयी, बैंक वालों ने आकर के बिलाड़ा कापरेटिव बैंक में उनको पैसे नहीं दिये और उसका कारण यह था कि सीधे उनसे पैसे मांगने लग गये। यह बात थी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह है, यह आया जवाब आपका। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके टाइम में भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है। (व्यवधान) सभी ले रहे हैं पैसे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय मंत्री महोदय, आपकी भावना बहुत अच्छी हो सकती है। माननीय सदस्य का कहना यह है कि जिन लोगों ने अपने ऋण का चुकारा कर दिया, जो अपनी योग्यता रखते थे, उन लोगों को आपके बैंक ने ऋण नहीं दिया। एक तो सवाल इनका यह है। दूसरा, यह है कि जो नये आपने 12 हजार लोगों को ऋण दिया, उसमें आपने ओसियां के 3,500 लोगों से अधिक लोगों को ऋण दिया और वहां 400 समथिंग को दिया। बिलाड़ा में जो नये सदस्य थे, उनका नीचे से रिकमंड होकर के कितने लोगों का आया और उसमें से आपने कितनों को दिया? और ओसियां में नीचे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से रिकमंड होकर के नये सदस्यों की कितनी फाइलें आयी थीं और उसमें से कितनों का हुआ? दोनों बता दो, यह अपने आप स्पष्ट हो जायेगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल तो आपका यह है कि जिन लोगों ने ऋण जमा करा दिया, उनमें से कितनों को वापस नहीं दिया। मैंने जानकारी ली है कि जिन लोगों ने जमा करा दिया, उनको शत-प्रतिशत दे दिया। क्योंकि हमने जो प्रावधान किया था 21.05.2011 में कि किसान सीधा अपनी बैंक की ब्रांच में आये, इंटरेस्ट और अपना असल जमा करा दे और दूसरे दिन वापस वह चैक से ले ले। अगर इसके बाद भी कोई रहा है तो, मान लो हमारे विभाग के अधिकारियों की वजह से कोई रहा है, तो उसकी मैं जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

जो नये सदस्य हैं, नये सदस्य खरीफ के बाद भी बने हैं, पहले भी बने हैं, जिन लोगों की साख सीमा नये सदस्यों की बन गयी और जिनको नहीं दिया, उनके बारे में मैं शीघ्र ही इसकी जांच कराऊंगा, इस पूरे प्रकरण की और आगामी खरीफ में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सारे नये मेम्बर जो भी ऋण लेने के लायक हैं, उनके सबके ऋण की व्यवस्था हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: डा. जसवन्त यादव। अगला प्रश्न, डा. जसवन्त यादव।

प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर व्यय

23. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2012 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो उक्त आयोजन पर कुल कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आयोजन के फलस्वरूप प्रदेश में निवेश हेतु किस-किस उद्योग हेतु कुल कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) जी हां। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन पर व्यय मुख्यत: भारत सरकार द्वारा किया जाता है एवं इससे संबंधित पूर्ण सूचना भारत सरकार में ही उपलब्ध होगी। इस वर्ष राजस्थान इस सम्मेलन का पार्टनर स्टेट था। अब तक खर्च की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(2) प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य सीधे तौर पर निवेश आकर्षित करना नहीं होकर 25 मिलियन प्रवासी भारतीयों को पारस्परिक मेलजोल, आपसी रिश्ते मजबूत करने एवं अपनी मातृभूमि से भावनात्मक संबंध बनाये रखने का अवसर प्रदान करना है। यह आयोजन प्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिये सामूहिक हित के विषयों एवं भारतीय समुदाय से संबंधित मुद्दों पर खुली चर्चा, विचारों के आदान-प्रदान व नेटवर्किंग हेतु यह एक सफलतम मंच है। प्रवासी भारतीय समुदाय व उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने तथा देश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुए उनके द्वारा अर्जित अनुभव, ज्ञान, विशेष योग्यता या पारंगति तथा अन्य संसाधनों का लाभ उनकी मातृभूमि तक पहुंचाने में यह एक सेतु के रूप में काम करता है। इस कार्यक्रम में असाधारण योग्यताधारी प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयों को भारत के विकास में उनकी महती भूमिका की सराहना के प्रतीक में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन राजस्थान में हुआ, यह राजस्थान के सौभाग्य की बात थी और जैसा मंत्रीजी ने बताया...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? बाकी की बात तो सभी जानते हैं, प्रश्न क्या है, वह बताओ आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): प्रश्न तो आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। प्रश्न उसी में से निकलेगा। एक सेकंड तो लेने दो।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि मूल उद्देश्य तो यही होता है कि राजस्थान की छवि को सुधारना, उसके बारे में जानकारी देना; सरकार का उद्देश्य तो यही होता है कि लोग, प्रवासी भारतीय लोग आएं। कोई हनीमून मनाने के लिए तो आएगा नहीं, आएगा इसीलिए कि इन्वेस्टमेंट करें। सरकार को तो इन्वेस्टमेंट से ही लाभ होता है या खाली उनको खिलाने-पिलाने से ही लाभ होता है? तो प्रवासी भारतीयों की सरकार की आवभगत से कोई इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रस्ताव दिए, वे प्रस्ताव क्या ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को दिए जाते हैं? यदि दिए जाते हैं तो क्या यह सरकारी उपक्रम है? और यदि सरकारी उपक्रम है तो इसके अन्दर कौन-कौन पदाधिकारी हैं? और इसकी आडिट रिपोर्ट होती है या नही होती है? 2009 से या 2010-2011 तक की ही बता दें कि कोई भी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)
प्रवासी भारतीय के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं? उन पर सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिए हैं? और यह सरकारी उपक्रम है या नहीं, पहले तो आप यही बताएं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर यह निवेदन किया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य आपसी ज्ञान का आदान-प्रदान करना है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह तो मुझे पता है। प्रस्ताव मिले कि नहीं मिले, इतनी-सी बात है।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): रही बात इन्वेस्टमेंट प्रस्तावों की, इस पर चर्चा करने का कोई अवसर ही नहीं था, फिर भी कुछ लोग आए हमारे पास में। लोग जो यहां आकर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उनको बाकायदा अपनी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है कि वह कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, कितनी उसकी लैंड रिक्वायरमेंट है, कितना उसका वाटर कंजम्प्शन होगा, पूरी समग्र रिपोर्ट वह देता है। उस रिपोर्ट पर हम कोई तत्काल निर्णय वहां बैठकर मीटिंग जो चल रही होती है उसमें तो नहीं ले पाते, जो प्रस्ताव आते हैं वह एक सतत प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्वेस्टमेंट एक रेगूलर प्रोसेस है, जो भी व्यक्ति आकर इन्वेस्टमेंट की बात करता है, निश्चित रूप से ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के थ्रू उसको प्रोसेस करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, जवाब तो आने दीजिए। कृपया बैठिए, जवाब आ जाने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई प्रस्ताव नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए पहले। मैंने अलाउ नहीं किया है आपको। कृपया विराज जाइए। हो गया जवाब?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब हो गया?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अभी तो नहीं मिला।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, जवाब ही तो नहीं मिला। मेरा प्रश्न यह है, मैं यह नहीं कहता कि लाखों प्रस्ताव आए होंगे लेकिन एक भी प्रस्ताव अगर प्रवासी भारतीयों का आया है तो क्या उस प्रस्ताव को ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के पास भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैंने स्पष्ट कहा है कि ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के थ्रू ही प्रोसेस होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल विंडो एक्ट में हमने यह प्रोविजन किया है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आएंगे, वे ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के थ्रू ही प्रोसेस होते हैं, मैंने यह स्पष्ट कहा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप उस उपक्रम को सरकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): निश्चित रूप से राज्य सरकार का उपक्रम है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इसके कौन-कौन पदाधिकारी हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इसमें हमारे कमिश्नर हैं, कमिश्नर बी आई पी हैं, डिप्टी कमिश्नर आफ बी आई पी हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या इसकी आडिट रिपोर्ट साल में होती है या नहीं होती है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य खुद कंफ्यूज्ड हैं। वे क्या पूछना चाहते हैं, वह बात उनकी समझ में नहीं आ रही है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप खुद कंफ्यूज करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कोई एक अप्लीकेशन आई होगी। चलो, नहीं आई होगी।...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आई या नहीं आई पर सरकार ने ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बना रखा है। तो क्या इसकी आडिट रिपोर्ट होती है या नहीं होती है। अगर आडिट रिपोर्ट होती है तो वह बता दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): निश्चित रूप से यह सरकार का उपक्रम है, तो निश्चित रूप से सरकारी उपक्रमों के लिए जो प्रोसेस होता है वह इसके लिए भी है। माननीय सदस्य मुख्य रूप से यह जानना चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट के प्रस्ताव प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान इन्वेस्टमेंट का हमारे पास आया या नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सरकार ने जो प्रजेंटेशन दिया है, उसमें वह असफल रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): प्रपोजल आए ही नहीं। व्यवस्था यह थी कि राजस्थान राज्य के जो मूल...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनिए, जवाब दे रहे हैं प्रश्न का। इनके प्रश्न का जवाब तो आने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सम्मेलन के दौरान यह व्यवस्था की गई थी कि राजस्थान मूल के जो प्रवासी भारतीय या राजस्थान के बाहर के प्रवासी यदि वे चाहें तो अलग से हरेक स्टेट के लोगों के लिए, इंटरएक्शन के लिए अलग से सब व्यवस्था की थी। उसमें कुछ लोग आए थे। उन्होंने जानकारी चाही कि हमारा सिंगल विंडो एक्ट क्या है, हमारे यहां लैंड की क्या व्यवस्था है, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट की कौन-कौनसी सुविधाएं हैं; ये सारी बातें उस समय जो भी व्यक्ति आता है उसको उत्सुकता होती है, वह इसके बारे में जानकारी चाहता है। उसमें हम यह कहें कि प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए ही वह मीटिंग बुलाई गई थी, तो ऐसा नहीं है। हमने किसी तरह का प्रजेंटेशन वहां पर लोगों से इन्वेस्टमेंट इन्वाइट करने के लिए नहीं किया, हमने अपना शोकेस किया कि राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने माननीय तिवाड़ीजी को अलाउ किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार के एज ए पार्टनर वह सारा था, इसलिए जो सारा खर्चा हुआ वह भारत सरकार बताएगी, हमें पता नहीं है। लेकिन क्या यह सही है कि इस आयोजन के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों ने विभिन्न प्रकार के करों में छूट देने की अधिसूचनाएं जारी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कीं? होटलों के लिए भी जारी कीं, ट्यूरिज्म के लिए भी जारी की, ट्रांसपोर्ट के लिए भी जारी कीं। भिन्न-भिन्न प्रकार की अधिसूचनाओं से राज्य सरकार ने अपने करों में छूट दी, वह जो छूट दी उसमें कितना रुपया लगा, इसका विवरण आपने नहीं दिया। कृपया बताएं कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में किस-किस अधिसूचना के अंतर्गत ये छूटें दीं, उनसे राज्य पर कितना भार हुआ? दूसरा, आपने इसमें घोषणा की कि जो भी प्रवासी भारतीय राजस्थान में घूमने के लिए आएगा, उसको 90 प्रतिशत छूट हम देंगे, 90 प्रतिशत हम छूट देंगे हवाई किराये में। वह जो घूमने आएगा वह किस परपज के लिए आएगा, 18 से 28 साल का व्यक्ति, चाहे वह हनीमून मनाने के लिए आए यहां पर, चाहे वह मंदिर में ढोक देने के लिए आए यहां पर या वह अपने बिजनेस ट्रिप करने के लिए आए, उन सबको आप छूट देंगे। इसका क्या कारण था? क्या यह जन मंगल, लोक कल्याण का कार्य है? और उसके लिए कितने रुपये की आपने व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक जवाब दे दें, स्पेसिफिक।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात बिलकुल स्पष्ट थी कि विदेशों में बसे हुए हमारे लोग हैं उनके मन में राजस्थान को जानने की उत्सुकता है। कुछ ऐसी हालत में नहीं हैं कि वे अपने खर्चे पर यहां पर आएं। तो एक सदाशयता थी माननीय मुख्य मंत्रीजी की, उन्होंने आगे बढ़कर अपनी ओर से यह प्रपोजल दिया कि राजस्थान को जानने के लिए आप आइए। उसमें केवल 90 प्रतिशत हवाई किराये की ही नहीं, उनके रहने खाने की व्यवस्था करने के लिए भी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से ही सुन रहा हूं, हनीमून, हनीमून, वैसे तो 60 साल के बाद में आदमी हनीमून की उम्र का रहता नहीं है, फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार हनीमून की चर्चा करते हैं। (व्यवधान) हनीमून मनाना कोई अपराध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप तो हनीमून का छोड़िए, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दें। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): रही बात कुछ छूट देने की, तो निश्चित रूप से पर्यटन विभाग के कुछ होटलों में कुछ छूट उनको देने का प्रोविजन किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कितनी?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वह तो मैं पूछकर आपको बता दूंगा, अब एक-एक ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका प्रयोजन यह था ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जो सामान यहां से परचेज करेंगे ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उसमें दो परसेंट छूट दी गई थी, जिन होटल्स में वे रुकेंगे, उनमें 25 परसेंट का हमने उनको रिबेट दिया था। अब कितने लोग रुके, किस-किस को कितनी रिबेट मिली, यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्काल कोई आदमी खड़ा होकर इस तरीके से बात पूछे, यह तो सम्भव नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कितने लोग रुके, कितने लोग आकर रुके ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने यह कहा खण्ड एक में कि प्रवासी भारतीय दिवस में कुल 6 करोड़ 37 लाख 61 हजार रुपये खर्च हुए हैं, कल ही मुझे यह उत्तर मिला है जिसके अन्दर इसी तरह का सवाल मैंने उनसे किया था, ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे उत्तर मिला, उसमें लिखा है कि 8 करोड़ 7 लाख 54 हजार; यानी विधान सभा के अन्दर दो उत्तर हैं। इसमें कितना हिस्सा है राजस्थान सरकार का?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): दुबारा बोलो आप, मैंने सुना नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): खण्ड एक में आपने मंत्री महोदय यह कहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कुल राज्य सरकार के 6 करोड़ 37

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लाख 61 हजार 554 रुपये खर्च हुए हैं। कल इसी तरह का सवाल मेरा था जिसमें मैंने पूछा था कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कुल कितना समग्र व्यय विभिन्न मदों में कब-कब किया...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दोनों विभागों का फर्क है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं, ...(व्यवधान) मैं दे रहा हूं न। आप विराजिए, मैं दे रहा हूं जवाब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, भाई। (व्यवधान)... वह भी राजस्थान सरकार थी और यह भी राजस्थान सरकार है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कौन सा विभाग है, आप बताइए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ट्यूरिज्म से, पर्यटन विभाग से मुझे जो उत्तर मिला...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या प्रश्न था, प्रश्न क्या था ट्यूरिज्म वाला, बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कुल कितना समग्र व्यय विभिन्न मदों में कब-कब हुआ, विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ट्यूरिज्म विभाग से और यही सवाल इन्होंने पूछा है कि इसमें कुल कितना व्यय हुआ, सदन की मेज पर रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार में नहीं आते हैं, वे अलग प्राधिकरण हैं। नगर निगम वाला अलग है। आप कंफ्यूज कर रहे हो। (व्यवधान)...आप सदन को कंफ्यूज कर रहे हैं। (व्यवधान) नगर निगम के खर्चों को अलग पढ़ियेगा...(व्यवधान) बाकी अलग जोड़ियेगा ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें कहीं जे डी ए का नाम हो तो मैं मेरी बात वापस ले लूंगा। इसमें सारी उन्हीं मदों का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिक्र है, जो आज सवाल में इन्होंने दिये हैं। एक दिन सरकार में 8 करोड़ 7 लाख का आता है, दूसरे दिन कहते हैं 6 करोड़ 37 लाख। यह क्या माजरा है? नम्बर एक बात। नम्बर दो बात, क्या यह सही है कि आपने 72 लाख रुपये के काम खासा कोठी में कराये, और बिना निविदाओं के करवाये? अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे अनुमति दें तो एक ही दिन खासा कोठी में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसी में।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रश्न क्या है, यह पूछिये न आप इनसे। (व्यवधान) काहे को भाषण देते जा रहे हैं? सवाल कोई इन्हीं का थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह कोई तरीका थोड़े ही हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो यह बताएं, आप जो सवाल कर रहे हैं, यह उद्योग विभाग ने कराया है क्या जिनको कि आप सवाल कर रहे हैं? सवाल से संबंधित पर आइए आप। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पर आइए आप। मूल प्रश्न पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अगर आप पढ़ें इस सवाल को जो खण्ड एक में है, आप पढ़ें, अध्यक्ष महोदय, फिर मैं मेरा सवाल पढ़ता हूं, क्या यह सही है कि जनवरी, 2012 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मूल सवाल, मूल प्रश्नकर्ता पूछेंगे, आप सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं। आप सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं, आप मूल प्रश्न पर नहीं जा सकते। (व्यवधान) नहीं जा सकते आप मूल प्रश्न पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक बार सदन में प्रश्न आ जाने के बाद सदन की प्रोपर्टी बन जाता है, कोई भी सदस्य पूछ सकता है। (व्यवधान) केवल जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं दे रहा हूं न जवाब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): प्रापर्टी बन गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आपको। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा सवाल ही कहां हुआ? अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक चीज पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, सवाल दोनों एक हैं, विभाग अलग-अलग थे। (व्यवधान) जो सवाल मैंने पूछा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न ही पूछिये न सीधा। बजाय इसके करने के, आप सीधे प्रश्न पूछिये। (व्यवधान) सवाल आ जाने दीजिए, पूछिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा सवाल यह है कि क्या यह सही है कि आपके विभाग ने जो खण्ड एक में कहा है 6 करोड़ 37 लाख 61 हजार, उसकी जगह 8 करोड़ 7 लाख 54 हजार रुपये खर्च हुए हैं? अगर आप कहो तो वह मैं पढ़कर बता दूं?

श्री अध्यक्ष: पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सवाल पूछ लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो यह दो करोड़ का डिफरेंस क्यों हुआ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। और किसी का अंकित नहीं ... (व्यवधान) और किसी का अंकित नहीं होगा। केवल मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खासा कोठी में काम करवाये गये हैं, बाकायदा पूरे नियमों का पालन करते हुए करवाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने नहीं करवाये, क्योंकि डिपार्टमेंट ने करवाये हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इतना बड़ा इवेंट था, पूरी दुनिया के लोग राजस्थान में आये और पहली बार, जो दसवां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, आज तक का रिकार्ड यह रहा है कि उसमें 12 सौ, 13 सौ से ज्यादा संख्या नहीं बढ़ी लेकिन जयपुर में जो सम्मेलन हुआ, 2 हजार से भी ऊपर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लोग राजस्थान को देखने और जानने के लिए आये। (व्यवधान) हर विभाग की जिम्मेदारी थी, हर नागरिक की जिम्मेदारी थी कि वह आये हुए अतिथियों का सम्मान करे, उनको यथोचित सत्कार दे और राजस्थान को ऐसा सुन्दर बनाये, लोग आकर के राजस्थान के बारे में जानें और समझें। (व्यवधान) इन भावनाओं को देखते हुए हरेक डिपार्टमेंट ने अपनी भागीदारी निभाई, इन्होंने भी निभाई, मैंने भी निभाई। (व्यवधान) पूरी राजस्थान सरकार लगी हुई थी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। कृपया विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। केवल गुलाबजी कटारिया का प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: किसी का अलाउ नहीं होगा, केवल गुलाबजी कटारिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्रता से पूछना चाह रहा हूं कि आज आपने जो खण्ड एक में उत्तर दिया है, उसमें आपने दिया है, "The amount paid to the Municipal Corporation, Jaipur for meeting expenses related to PBD, 2012. Rs. 5 crores." सेम यही है, प्रवासी भारतीय दिवस 2012 संबंधित व्यय हेतु जयपुर नगर निगम भुगतान राशि 5 करोड़ रुपये। यह दो अलग-अलग विभाग के प्रश्न पूछे हैं। एक विभाग कह रहा है यह। फिर दूसरा होटल खासा कोठी की मरम्मत हेतु आपने इसमें भी 72 लाख बताये, इसी में 72 लाख बताये।

श्री अध्यक्ष: वह तो स्वीकार कर ही लिया, उसमें कहां है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सवाल यह है कि सारे के सारे वही मद हैं, जिन मदों में आपने इस कार्यक्रम के लिए 6 करोड़ 37 लाख 61 हजार 954 रुपये बताये। इसी में यह जो एक दूसरा प्रश्न गया, उस दूसरे प्रश्न में आपके जो सारे यही हैड हैं, इस हैड से आपका आता है 8 करोड़ 7 लाख रुपये। तो हम केवल यही जानना चाह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यही जानना चाह रहे हैं कि जब सारा का सारा एक विभाग जब जवाब दे रहा है, इस पर खर्चा वह यह बताता है और आप जो जवाब दे रहे हो, उसमें 6 करोड़ 37 लाख बता रहे हैं। यह दोनों में आपका ही, और प्रश्न भी था, वह सारे कार्यक्रम का था, ऐसा नहीं था कि नगर निगम का कितना हुआ या फलां का, ट्यूरिज्म का कितना हुआ। उसमें सारे वही हैड हैं। तो यह अन्तर क्यों है?

अध्यक्ष महोदय, आप ही रक्षा कर सकते हैं हमारी। अगर एक ही समय में एक ही बारे में दो डिपार्टमेंट दो अलग-अलग उत्तर भेजते हैं तो इससे ज्यादा दुःख का विषय क्या हो सकता है? मैं हैडवाइज चाहो तो आपके सामने रख रहा हूं, एक ट्यूरिज्म वाला कहता है कि 8 करोड़ 7 लाख खर्च हुए और आप कहते हो कि 6 करोड़ 37 लाख रुपये खर्च हुए। यह अन्तर किसलिए है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस इवेंट हेतु बी आई पी को नोडल एजेंसी बनाया और बी आई पी को 10 करोड़ रुपये एडवांस डिपोजिट दिये कि संबंधित विभागों में जो भी खर्चे हों, बार-बार उनसे अप्रूवल नहीं लेनी पड़े, बी आई पी अपने हैड से उनको भी खर्चे दे-दे और जब उनका पूरे भुगतान वगैरह हो जाए तो उनका हिसाब ले-ले। तो नगर निगम को हमने पांच करोड़ रुपये दिये, सड़कें, चौराहे, नये-नये कहीं, कोई यदि खाली जगह हो, वहां पर पेड़ लगायें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिए, उनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जयपुर शहर को एक मॉडल जयपुर के रूप में बनाना है, शो-केस के रूप में राज्य को एक रखने का उद्देश्य था।

साथ ही आपने फरमाया कि खासा कोठी पर कितना खर्चा हुआ, खासा कोठी पर खर्चा करने के लिए ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट को बी आई पी ने 72 लाख रुपये इन-एडवांस दिये। लेकिन उसके बावजूद भी खर्चा और बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना खर्चा हुआ है, अभी लोगों के पूरे बिल नहीं आये हैं,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लोगों के पेमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ चीज छुपा रहे हैं आपसे। जो चीज नगर निगम से हुई है, नगर निगम के माध्यम से हुई हैं, जो चीज जे डी ए की हुई है, जे डी ए के माध्यम से खर्चा हुआ हैं; जो ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से खर्च हुआ है, वह ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से खर्चा हुआ है। इसमें ऐसा क्या है, खुद मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। जो चीज आप जानना चाह रहे हैं, नगर निगम को 5 करोड़ रुपये हमने दिये, ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट को 72 लाख रुपये दिये लेकिन खर्चा उसके बावजूद भी ज्यादा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये ना, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सौन्दर्यीकरण का खर्चा अलग है। ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के जिम्मे लोगों के खाने का भी कार्यक्रम था, ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के जिम्मे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के जिम्मे जवाहर कला केन्द्र में हैंडीक्राफ्ट हाट बाजार लगाने का जिम्मा था। इसमें ऐसा क्या है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं यह जानकारी दे रहा हूं, बी.आई.पी. के माध्यम से हमने इनको अलग से भुगतान किये डिपार्टमेंटवाइज। (व्यवधान) क्या जानना है, इसमें क्या हो गया? 72 लाख रुपये ...(व्यवधान) मैं खुद ही कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं खुद ही कह रहा हूं, 72 लाख रुपये ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट को खासा कोठी के रिनोवेशन के लिए दिये थे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ओपन डिबेट कर लें।

श्री अध्यक्ष: वह मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बार-बार एक बात कहकर...(व्यवधान) माननीय सदस्य, यह आपका रोज का काम है। +++ का सा कृत्य है यह। (व्यवधान) जब भी कोई आदमी को...(व्यवधान) बार-बार यही कहते हो। क्या है यह? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। (व्यवधान) चर्चा समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। चर्चा समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मूल डिपार्टमेंट इनका है, पूरा सब कुछ संग्रह करके इनको हाउस के अन्दर जवाब देने की जरूरत है। इनसे एक सिम्पल प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें यह कहीं नहीं पूछना है, इस डिपार्टमेंट से या उस डिपार्टमेंट से, क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। He is the "*mool* department". उनको तो सिर्फ सिम्पल क्वेश्चन-आंसर करना है, Why is the difference between 6 crore and 8 crore? आपके 6 करोड़ रुपये, 8 करोड़ रुपये ...(व्यवधान) यहां के विधायकगण पूछना चाह रहे हैं। मैं समझती हूं कि वह जवाब देना इनकी जिम्मेदारी बन जाती है, देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछे गये थे, उनका पूरा-पूरा जवाब दिया गया है! क्या जवाब चाहिए? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या मतलब है? आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है। हमें यह बताया कि अभी हमारे बिल पेमेंट नहीं हुए, ये नहीं हुए, तो आप जवाब मत दो। आप कह दो ना कि क्वेश्चन स्थगित है, हम आपको अभी जवाब नहीं दे सकते इसके अन्दर। लेकिन आपने जवाब दिया है और यहां खड़े होकर आप कह रहे हो कि हमारे बिल पेमेंट अभी नहीं हुए हैं, अभी और होने वाले हैं, यह कोई मतलब नहीं है। ऐसा जवाब नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने जवाब यह दिया था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जवाब देना जरूरी है, कैसे नहीं दें? मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया था, आपसे शायद सुनने में रह गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, सुनने में नहीं रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: उसमें कुछ बिल अभी भी बाकी हो सकते हैं, कुछ पेमेंट हो गये हैं, इसलिए कहीं डिफरेंस नजर आ रहा होगा, यही तो कहा आपने।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैंने यह कहा है कि राजस्थान सरकार ...(व्यवधान) स्पेसिफिक जवाब दिया है। जो भी संबंधित विभाग हैं, उनको आवश्यकतानुसार बजट दे दिया जाए। यदि एक जवाब दे दिया तो यह पूछेंगे इस विभाग में कितना खर्च हुआ। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैंने यह बात कही है। (व्यवधान) जिस मद में खर्च किया, उनको हमने फंड्स ट्रांसफर किये हैं, यदि यह नहीं बताऊं तो ये बार-बार हर विभाग का पूछते हैं ...(व्यवधान) इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, खर्च कितना हुआ ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: सारा कुछ हो चुका है। चर्चा हो चुकी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में स्पष्ट अंकित है, खर्च परिशिष्ट 'अ' पर है, आप देख नहीं रहे हैं। जो खर्चे की लिस्ट आपको दी है, नगर निगम में इतना खर्च हुआ ...(व्यवधान) आप देख नहीं रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: सारा कह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अभिषेक मटोरिया।

हनुमानगढ़ जिले में पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्र

24. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत विगत दो वर्षों में हनुमानगढ़ जिले में कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत आवेदन करने वाले बालकों में से तीन से चार प्रतिशत बच्चों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त योजनान्तर्गत कम बालकों को लाभान्वित करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2009-10

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

में 6,532 एवं वर्ष 2010-11 में 6,235 बच्चों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है।

(2) यह सही नहीं है। इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में से सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है।

(3) सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्षजी, प्रवासी सम्मेलन से कितना रोजगार व निवेश होगा यह भविष्य की बात है, लेकिन राजस्थान में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों को किस प्रकार घाटा हो रहा है, उस पर अगर आप हमें दो मिनट दें नये सदस्य को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): समय बड़ा कम रह गया। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, इस योजना के तहत किस प्रक्रिया के अन्तर्गत कैसे-कैसे राशि वितरित की जाती है? क्या यह सही है कि सम्पूर्ण राशि 9 से 12 साल के बच्चों को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जो राशि वितरित की जाती है, वह उनको वितरित नहीं की जा रही? और 2009-10 में 90,619 बच्चे और 2010-11 में 1,10,585 बच्चे, यानी 26 लाख बी पी एल परिवार और 4,684 आस्था कार्डधारक की संख्या जोड़ दी जाए तो आपके प्रश्न के अनुसार उन सभी बच्चों को बाहर निकाला जाए जो नौवीं से नीचे और बारहवीं से ऊपर हैं तो अनुपात में यह राशि आधी भी नहीं है। तो इसका क्या मुख्य कारण है, वह राशि क्यों वितरित नहीं हो रही है? कहीं कमी है। उसका आप जवाब दें।

(12.00 बजे)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : यह सही नहीं है, अध्यक्ष महोदय। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में से सभी पात्र छात्रों को लाभान्वित किया गया है। राज्य में 26 लाख से अधिक बी.पी.एल. परिवार हैं जिनका बीमा इस योजना के तहत कराया जाता है। बीमित सदस्यों के दो बच्चों को जो कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत हैं उनको छात्रवृत्ति देय है। इसमें कुल बी.पी.एल. परिवार हैं उनकी कुल देय छात्रवृत्ति के प्रतिशत के आधार पर उठाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है जबकि

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

जरूरी नहीं है कि सभी बी.पी.एल. परिवारों के बीमित सदस्यों के बच्चे कक्षा 9 से 12 के बीच अध्ययनरत हों। यह भी सम्भव है कि परिवार में दो से अधिक बच्चे हों अथवा बीमित सदस्य के अलावा परिवार के अन्य सदस्य के बच्चे हों। इसके अतिरिक्त, पास नहीं होने वाले, ऐसे बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए भुगतान देय नहीं है। यद्यपि यह सम्भव है कि ऐसे पात्र बच्चों में से कुछ बच्चों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो। शाला प्रधान, विकास अधिकारी, नगर निकाय के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित छात्रवृत्ति दावों में से लगभग सभी दावों का भुगतान सामान्यतया 15 दिवस में कर दिया जाता है। जो हमारे पास आज तक आवेदन आये हैं उनको पूरा पास किया है। हनुमानगढ़ जिले में छात्रवृत्ति के लिए 2009-10 में कुल 12,791 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 12,767 में छात्रवृत्ति प्रदान की गई है जो प्राप्त आवेदन पत्रों का 99.81 प्रतिशत है। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में से सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है। मात्र 24 आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं। आवेदन पत्रों को निरस्त करने के सामान्यतया निम्न कारण रहे हैं – परिवार का बीमित सूची में नाम नहीं होना, परिवार में दो से अधिक बच्चों के आवेदन प्राप्त होना, छात्र का 9वीं से 12वीं कक्षा के मध्य न होना, पुत्र या पुत्री के अलावा अन्य रिश्तेदार का आवेदन प्राप्त होना।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मंत्रीजी, इतने लम्बे-चौड़े जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना ही पूछना था कि इसकी प्रक्रिया क्या है, यह नहीं पूछना है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, जवाब दे रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है, जवाब दे रहे हैं। आपका जवाब आ जाएगा वरना समय समाप्त हो रहा है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): राशि वितरण की प्रक्रिया बता दें, बाकी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उनको सबको हम स्वीकृत करते हैं। 26 लाख टोटल बी.पी.एल. परिवार हैं और जितने भी पात्र छात्र होते हैं, उनको सबको भुगतान किया जाता है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नहीं, नहीं, पैसे वितरण की प्रक्रिया क्या है? 26 लाख 4,684 टोटल बी.पी.एल. परिवार हैं, यह तो मुझे पता है पर मैं पूछ रहा हूं कि राशि वितरण की प्रक्रिया क्या है?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हनुमानगढ़ जिले में कितने आये और आपने कितनों को दिया है? माननीय मंत्रीजी, इतना ही बता दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब के लिए खड़े हुए हैं, इनको बीच में नहीं रोक रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाने दीजिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हनुमानगढ़ जिले में 3,402 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं इस वर्ष और पहले वाले का बता दिया आपको कि 12,791 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 12,767 को छात्रवृत्ति प्रदान की।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आवेदनों की संख्या, कुल राशि, कुल बी.पी.एल. धारक मेरे पास हैं, मैं तो प्रक्रिया पूछ रहा हूं। अध्यक्षजी, मैं प्रक्रिया इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यह बड़ी लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन। श्री अशोक गहलोत।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

रामनारायण मीणा, श्री, सदस्य, विधान सभा का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

''कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

''कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।''

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

''कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।''

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, हम तो सब उनको बनाने पर सहमत हैं ही लेकिन प्रस्ताव तो केवल एक ही आता है। यह क्या है कि एक प्रस्ताव पर दूसरा प्रस्ताव, दूसरे प्रस्ताव पर तीसरा प्रस्ताव, तीसरे प्रस्ताव पर चौथा प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष: श्री कमल बैरवा।

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

''कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।''

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक प्रस्ताव पर दूसरा प्रस्ताव कैसे आ सकता है?

श्री अध्यक्ष: लोकप्रियता है। श्रीमती कान्ता भील।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लोकप्रियता तो आपकी है।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री अशोक गहलोत, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-16) ने प्रस्तुत किया है तथा जिसका अनुमोदन श्री शांती कुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-177) ने किया है, को स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) सर्वसम्मति से राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष घोषित किये गये।

कृपया विराजें। विराजें, विराजें। माननीय मुख्य मंत्रीजी, बधाई के दो शब्द।

बधाई एवं आभार

रामनारायण मीणा, श्री, के उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन पर

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से, सदन के तमाम माननीय सदस्यों की ओर से हमारे साथी रामनारायण जी मीणा का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन होने पर उनको बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सदन की भावना है और जो उपाध्यक्ष के पद का कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करने में वे कोई कमी नहीं रखेंगे। इस विश्वास के साथ उनका निर्वाचन हुआ है। पक्ष, प्रतिपक्ष और जो दूसरे दल हैं, उनके तमाम लोगों ने जिस प्रकार से साथ मिलकर इन्हें इस सम्मानित पद पर सुशोभित किया है, उससे ही एक संदेश गया है कि सब ने मिलकर के इनके निर्वाचन करने में सहयोग किया है और ये भी उसी भावना से काम करेंगे। मैं एक बार पुन: इनको अपनी ओर से और तमाम सदस्यों की ओर से बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अभी-अभी नये बने हमारे उपाध्यक्ष जी को हम सब की ओर से बधाई देना चाहूंगी। आपको हाड़ौती एरिया की वजह से हमने बहुत करीब से देखा भी है और हम जानते हैं कि बड़े प्रेम के साथ अपने क्षेत्र के अन्दर और आस-पास के लोगों के अन्दर उनका कैसा व्यवहार भी रहा है। मैं यह विश्वास करती हूं कि जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण के अन्दर आज उनको यहां उपाध्यक्ष के पद पर बिठाया गया है, उसी सौहार्दपूर्ण वातावरण को इस हाउस के अन्दर मेंटेन करने में उनका पूरा सहयोग रहेगा। यह विश्वास करते हुए हम सब की ओर से फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सर्वसम्मति से जो रामनारायण जी मीणा को इस सदन का उपाध्यक्ष चुना गया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। इनका विधान सभा के अन्दर

(श्री अमराराम)

और बाहर लोगों के बीच में बहुत बड़ा अनुभव है और राजस्थान की उस पीड़ित और शोषित जनता के मुद्दों को यहां रखने में ये हमेशा ही प्रयासरत रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके इस सीट पर आने से निश्चित रूप से उस जनता का हक सुरक्षित रहेगा। जिस सौहार्दपूर्ण माहौल में सब की तरफ से उनको चुना गया है, मैं समझता हूं कि इस सदन की परम्पराओं को आगे बढ़ाने में इनका योगदान होगा। पुनः मैं इनका अभिवादन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ये भी बोलेंगे, आप भी इनको बधाई देंगे लेकिन मैं एक आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से बेटी को भेजते हैं और जिस प्रकार से बहू का संरक्षण किया जाता है, उसी प्रकार से हम इनका संरक्षण करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सम्माननीय अध्यक्षजी, सदन के नेता, प्रतिपक्ष की नेता और सदन के सभी साथीगण, मैं मेरी ओर से और मेरे सभी साथियों की ओर से इस सदन के माननीय सदस्यों को, हमारे आदरणीय नेता को और सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। अध्यक्षजी, समय होता है और समय के साथ सदन चलता है, जनता चलती है लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि हम सब यहां राजस्थान की जनता के लिए बैठते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है, कर्त्तव्य भी बनता है और आम जन का हमारे ऊपर अधिकार है कि वह हमसे वे काम कराये जो उनके हित में हैं, राजस्थान के हित में हैं। इस सदन ने बहुत महत्वपूर्ण परम्पराएं भी कायम की हैं।

मैं अधिक नहीं कहता हुआ, आभार व्यक्त करने के साथ ही यह कहना चाहूंगा कि इस राजस्थान की जनता ने मुझे इस सदन में ही नहीं, संसद में भी पहुंचाया है और जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अभी बताया कि हम पड़ोसी रहे हैं। मुझे पार्टी ने कोटा संभाग से चुनाव लड़ाया है पार्लियामेंट का। सम्माननीय वसुन्धराजी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं हमारी, उन्होंने झालावाड़ से और हमने तीन चुनाव साथ-साथ लड़े हैं और उस क्षेत्र का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। लेकिन मैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी की बात से सहमत

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं हूं, हालांकि मुझे असहमति नहीं देनी चाहिए। हम आदिवासी लोग हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और सत्ता पक्ष के साथियों ने यह सोच करके, जैसा ससुराल वाली बात है, तो आदिवासी तो ससुराल में भी रहते हैं और पीहर में भी जाते हैं, सब तरह की परम्पराएं हैं। मैं वही रामनारायण हूं, वही रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी का आदर करूं।

आपकी भावना का पूरी तरह से आदर करते हुए, राजस्थान की जनता को इस सदन के माध्यम से हम सब मिलकर संदेश देंगे कि हम राजस्थान की जनता के लिए हैं। विशेष रूप से, अध्यक्षजी, आपका आभार कि आपने और नेता ने मिलकर यह जो निर्णय लिया। मेरे जैसे साधारण आदमी को आपने इस पद पर बैठाया, उसके लिए मैं आपका और विपक्ष की सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष का और सभी साथियों का इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सर्वसम्मति से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मैं इस विश्वास को कायम रखने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान की जनता की तरफ से, सारे प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं भी आपको बधाई देता हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक शब्द एक्सपंज करना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++ जैसा एक शब्द आया है, उसको एक्सपंज करना है।

श्री अध्यक्ष: मैं देख लूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर की तहसील लूणी के ग्राम बोरानाड़ा, हीरखेड़ा व सालावास स्थित निजी खातेदारी की 3,151 बीघा 4 बिस्वा 12 बिस्वासी भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के टेल के गांवों को पूरा पानी देने एवं हरियाणा के गांवों द्वारा की जा रही पानी की चोरी को रोकने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

3. श्री शिवजीराम मीणा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला भीलवाड़ा की सड़क एम.डी.आर.-7 के सुदृढ़ीकरण-नवीनीकरण कार्य में डबल 'एस' नुमा ब्लाइंड कर्व को सीधा नहीं करने से ग्रामीणों में व्याप्त आक्रोष के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सरकारी वियालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

5. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से प्रदेश के होमगार्ड कर्मियों की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

6. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में पाला पड़ने से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

7. श्री शंकर सिंह रावत एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से ब्यावर ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में।

8. श्री ओम बिरला एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य की जेलों में बंद कैदियों द्वारा आपराधिक कृत्य कारित करने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री शिवजीराम मीणा आज पर्ची के माध्यम से एक अन्य विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे एवं माननीय सदस्य श्री मटोरिया के स्थगन के विषय पर कल सदन में चर्चा हो चुकी है।

9. श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर के मावली कस्बे में 26 फरवरी, 2012 को एक दुकानदार से मारपीट के बाद पैदा हुए तनाव के सम्बन्ध में।

10. श्री राधेश्याम गंगानगर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर शहर के बीच स्थित ए माइनर नहर के किनारे वर्षों से बसे लोगों को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाये जाने की घोषणा से पाली, उदयपुर व राजसमन्द जिलों की प्रभावित जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

12. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से शेखावाटी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं श्री पेमाराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से लगान की दस गुना राशि जमा कराने वाले काश्तकारों को खातेदारी हक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली में नई सड़कों का निर्माण एवं पुरानी क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने के सम्बन्ध में।

3. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के सम्बन्ध में।

5. कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से बायतू विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

6. श्री अब्दुल सगीर खां, सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में चम्बल नदी के प्रतिबन्धित क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासन की मिलीभगत से रेता दोहन होने के सम्बन्ध में।

7. श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में शीतलहर एवं पाले से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

9. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर को पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित किये बिना, जयपुर को बीसलपुर बांध का पानी उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के मेड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

11. श्री शाले मोहम्मद, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के पर्यटन स्थल सैंड ड्यूंस के आसपास पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि संपरिवर्तन पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से बेरोजगार गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पोपलीन के कपड़े पर लगने वाले चार प्रतिशत वैट को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में पानी की समस्या भयंकर है। सबसे पहले लाठीचार्ज हुआ था पानी के लिए ब्यावर में।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, कृपया आप विराजिये। आप विराजिये। मैंने श्रीमती किरण माहेश्वरी को बोलने की इजाजत दी है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...पानी के लिए आप कम से कम बोलने तो दो...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा और किसी का।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। केवल श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। केवल श्रीमती किरण माहेश्वरी को ही इजाजत दी है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

(12.18 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मावली, उदयपुर में दुकानदार से मारपीट पश्चात् तनाव

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्षजी, सर्वप्रथम आपको बधाई। आप पहली बार ही बैठे हैं वहां पर एज द उपाध्यक्ष। शुरू में ही मैं आपके सामने एक ऐसा विषय रख रही हूं जो बहुत ही गम्भीर है और जिस विषय को लेकर आज उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र के अन्दर बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उदयपुर जिले के मावली कस्बे में वहां पर एक मोबाइल टेलीफोन को रिपेयर कराने को लेकर एक झगड़ा उत्पन्न हुआ। मोबाइल फोन की दुकान पर कुछ युवक उसे रिपेयर कराने के लिए वहां पर आये। मोबाइल फोन रिपेयर भी हो गया और वह रिपेयर कराकर उसको लेकर भी गये। कुछ देर बाद में उनको पता नहीं, क्या खुराफात आई कि फिर से वे मोबाइल टेलीफोन रिपेयर की दुकान पर आये, उन्होंने वहां पर धमाल मचाई। जब उन्होंने धमाल मचाई तो वहां के उस मोबाइल फोन रिपेयर वाले ने जाकर कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और वह जाकर थाने में गया और थाने में जाकर सी आई को कहा कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करिये। रिपोर्ट दर्ज करने में सी आई ने कोताही बरती, सी आई ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, यह बहुत छोटा मामला है और इसको दिखा देंगे। उसने कहा कि उन लोगों ने आकर मेरी दुकान पर तोड़फोड़ की है, मुझे धमकाया है, मुझे पीटा है और आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करिये। सी आई ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसी बीच जिन लोगों ने उसे पीटा था, जिन लोगों ने दुकान पर आकर खुराफात की थी, उन लोगों ने बाहर से धमकियां देना शुरू किया कि अगर रिपोर्ट दर्ज हुई तो तुम्हें देख लेंगे। उसके बाद में कुछ टेलीफोन आये सी आई के पास में और सी आई ने रिपोर्ट दर्ज करने से बिलकुल मना कर दिया। ये जो लोग बाहर के थे, वे सारे लोग जब जाने लगे तो वहां पर काफी भीड़-भड़क्का इकट्ठा हो गया और उन लोगों ने वह रिपेयर करने वाला जो व्यक्ति

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

था, उसके सपोर्ट में मावली की जनता आ गई और मावली की जनता ने कहा कि यह रिपोर्ट दर्ज करिये। सी आई के बार-बार मना करने पर जनता में आक्रोश हुआ, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि वे सारे जो तथाकथित बदमाश लोग थे, उन बदमाश लोगों ने, वहां पर जो भागने लगे तो उनके पीछे ये सारे, जो दूसरे सारे मावली के लोग इकट्ठा हुए थे....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जब कोई बात कही जा रही है, उपाध्यक्षजी, तो उसके बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब न करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्षजी, इस विषय में इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति हो गई कि उसे वहां पर एक गलत मोड़ दे दिया गया और उसमें कहा गया कि यह हिन्दू-मुस्लिम का राइट्स है, जबकि किसी तरीके का कोई हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सी आई की गलती की वजह से, उसने रिपोर्ट अगर समय पर दर्ज कर ली होती तो शायद ये सारे हालात पैदा नहीं होते, लेकिन सी आई ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसकी वजह से जनता में आक्रोश आया। यह सी आई की पहली बार हरकत नहीं हुई है, वहां के सी आई का बार-बार इस तरीके का कथन है। जब कभी भी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है और वहां पर कभी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की वजह से उत्पात होता है, तब जाकर वह रिपोर्ट दर्ज होती है।

मैं आज आप सबके, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और बैठे हुए हमारे गृह मंत्रीजी का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहूंगी कि इस तरीके का जो पुलिस का रवैया है, जो जनता को बार-बार दबाने की कोशिश करते हैं, जनता की अगर कोई जायज मांग है, जायज उनका कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है। रिजल्ट यह होता है कि जो एक्शन करने वाले हैं, उन्होंने जो किया और उन्होंने जो गड़बड़ी की, उन्होंने जो तोड़फोड़ की वहां पर मोबाइल की शाप पर, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ लेकिन जो मुकदमा दर्ज कराने गये थे, उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया और 22 लोगों को जे.सी. कर दिया गया। पुलिस के इस रवैये के अगेंस्ट में वहां की जनता ने बाजार चार दिन से बंद कर रखे हैं। हालात यह है कि वहां के एस पी और कलक्टर से जब फोन पर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बात करते हैं तो वे कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता; दुकानें बंद रहें चार दिन या दस दिन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।

लॉ एंड आर्डर के इस तरीके के हालात जो पैदा हो रहे हैं राजस्थान के हर कोने में, और मावली में ही क्या, प्रतापगढ़ के अन्दर जब छोटी सादड़ी का इश्यू हुआ था, वहां पर क्या; राजसमंद में हुआ था बस स्टैंड का इश्यू, तब क्या; हर बार पुलिस का यही रवैया रहता है। दमनकारी उनकी जो नीति होती है, बार-बार लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं और जो निर्दोष हैं, उनको जेल में दिया जाता है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्षजी, यह कहना चाहूंगी कि यह एक तरफा कार्यवाही बंद करें, इंटेंशनली किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करें और जो पब्लिक को क्रश करने का जो कार्य पुलिस कर रही है, उसको तुरन्त प्रभाव से रोका जाय। चार दिन से जो मार्केट वहां के बंद पड़े हैं, जो लोगों के अन्दर एक असुरक्षा की भावना वहां पर पैदा हुई है, वह पुलिस प्रशासन की वजह से हुई है। यहां बैठे हुए माननीय गृह मंत्रीजी, इस ओर ध्यान दीजिये कि कैसे वहां पर सारा सौहार्दपूर्ण हो जाय। वहां कोई हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, झगड़ा केवल इस बात का है कि पुलिस वहां पर कोताही बरतती है, पुलिस वहां पर एक तरफा कार्यवाही करती है और रिटन में जब वे देते हैं तो वे कहते हैं, पौने बारह बजे मुकदमा दर्ज कर लिया गया, यानी रिपोर्ट इनके पास अगर यह रखेंगे तो कहेंगे, साहब, कि पौने बारह बजे हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली लेकिन फैक्ट यह है कि सवा बजे तक, एक बजकर पन्द्रह मिनट पर वहां लोग आक्रोशित थे और उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज हुई। इनके किताबी उसमें, बुक्स के अन्दर दे दिया कि हमने पौने बारह बजे ही मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी यह झूठी रिपोर्ट देने वाले, नीचे से लेकर ऊपर तक झूठी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। इसमें अगर, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से अगर मंत्री महोदय को और सदन को यह कहा जाय, गृह मंत्रीजी को कि वास्तव में जो सही है बात, उसको उजागर करें।

और तो और, मैं आपको यह भी ध्यान में लाना चाहती हूं कि जब हमने इस बात को कहा कि आप यह सारे चीज ठीक करके बाजार को खुलवायें, तो ऊपर से यह कहा जाता है कि अभी तो और बहुत सारे लोगों को बंद करना बाकी है, अभी सौ लोगों की लिस्ट हमारे पास में है और उन सबको भी और बंद करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सुनेंगे। यानी यह किस तरीके का है कि जो रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसको इस तरीके से दबाया जाता है कि अभी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

तो तू ही आया, अभी तेरे पीछे और लोगों को भी हम लेंगे, ताकि वे जो सपोर्ट करने वाले हैं वे किसी तरीके से रुक जायें। यानी यह जो लोकतांत्रिक हत्या हो रही है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अन्दर व्यक्ति को कहने का अधिकार है, अगर कोई गलती है, कोई है तो उसे गलती मान ली जाय और उसमें सुधार किया जाय, तो समझ में आती है बात, लेकिन गलती पर गलती, गलती पर गलती किये जाते हैं और उनको संरक्षण दिया जाता है। किस बात का संरक्षण? क्या यह वोटों की खातिर किया जाता है कि कुछ अमुक लोगों के हमें वोट मिल जायेंगे, इसलिए उन लोगों को हम लोग सुरक्षा देंगे और जो लोग हमें वोट नहीं देते इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जायेगा? इस तरीके का अगर रवैया सरकार का होता है तो यह सरकार, सरकार कहलाने के लायक नहीं है। यह यहां पर बैठकर निष्पक्ष बात होनी चाहिए। जो गलत हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए और जो निर्दोष हैं, उनको जानबूझ कर धमकाकर बंद कर दिया, यह उचित कार्यवाही नहीं होगी।

इसीलिए, माननीय हमारे उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से यहां बैठे हुए मंत्रीजी को मैं यह निवेदन करूंगी कि इसके अन्दर जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों के ऊपर तो जो न्यायिक होगा वह सारा चलेगा ही, लेकिन और सारे लोगों को धमकाकर और इस तरीके की कार्यवाही करना बंद करें। और तो और, जो बंद है मार्केट, उस मार्केट को खुलवाओ और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाओ। यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं यह जवाब मांगना चाहती हूं गृह मंत्रीजी से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं इसमें प्रस्ताव दिया है। माननीय गृह राज्य मंत्रीजी, आपसे कुछ बिंदु निवेदन कर रहा हूं। केवल पुलिस का पक्ष लेने से कभी भी आपका डिपार्टमेंट नहीं सुधरेगा। जब घटना, साढ़े ग्यारह बजे मोबाइल की दुकान पर मारपीट हो गई और लोगों ने यह कहा कि जिन्होंने मारपीट की उनको आप गिरफ्तार करो क्योंकि दुकान में घुसकर मारपीट की, दस-पन्द्रह लोगों ने की। एफ आई आर लिखाने के लिए गांव के लोग चले गये थाने पर, उसकी एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। लगभग पौने दो बजे तक जनता इस बात की इंतजार करती रही कि अभियुक्त आपके इस स्कूल के कैम्पस में जो कार्यक्रम चल रहा है वहां बैठा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है, आप उसे पकड़ लें, हमारी इससे ज्यादा मांग नहीं। जब इतनी सी मांग, आपका एस एच ओ हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अभियुक्त को पकड़ कर ला सके और जनता के सामने विश्वास दे कि यह तो हमने आपका मुकदमा दर्ज कर दिया और यह लाये हैं। इसके कारण से भीड़ इकट्ठी हुई। और दुर्भाग्य देखो कि आपका जो वहां एस एच ओ है, जो इंचार्ज है जिसको यह काम फर्स्ट प्रायोरिटी पर करना चाहिए था, एक छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन उसकी गलती के कारण से जनता इकट्ठी होती गई और आपके एस पी और कलक्टर उदयपुर से चलकर आ गये, तब तक भी अभियुक्त को न गिरफ्तार कर सके, न एफ आई आर दर्ज कर सके तो जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। यानी इतने बड़े बाजार में दस-पन्द्रह लोग आयें और दुकान में तोड़फोड़ कर लें और जो वहां रिपेयर करने के लिए दिया, वह लेकर चले जायें और दोबारा यह बहाना बनायें कि हम तो यहीं भूल गये और इसके कारण से उसे दोबारा दूसरा मोबाइल तुम नया दे दो, इसके आधार पर तो फिर कोई व्यापार नहीं कर सकेगा, कोई बाजार में बैठ नहीं सकेगा।

जो लोग सज्जन हैं, उनको जब आपकी पुलिस सुने नहीं और उसके बाद जब वातावरण इतना गरम हो जाय, जनता जब हजारों की संख्या में आ जाय तो आपके पास बहुत बहादुरी का तमगा है न, डंडा आपके हाथ में दिया हुआ है, वर्दी आपको पहनाई हुई है, फिर आपकी मरजी है जिसको मारो न। मारो भी आप, मुकदमा भी आप दर्ज करो, अब आपकी गलती के कारण, सज़ा का कोई पहला अभियुक्त है न, तो आपका वह एस एच ओ है जो तुरन्त रिपोर्ट दर्ज करके, अगर साढ़े ग्यारह बजे की घटना है तो एफ आई आर दर्ज करके अपराधी को ढूंढ लाता और उसमें से जनता को विश्वास देता कि मैं अपराधी पकड़ करके आपको दे रहा हूं। बात तो इतनी ही थी। इतनी सी बात पर आज चार दिन से शहर बंद है। उसके बाद भी अगर आप प्रोटेक्शन करोगे न, तो याद रखना, आपका मुकदमा बन सकता है, आप दस दिन तक लोगों को जेल में ठोक सकते हैं, सौ लोगों को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, मुकदमा लड़कर भी बाहर आयेंगे लेकिन इस कारण से आप वातावरण नहीं सुधार सकोगे। आपकी पुलिस का जो रवैया है न, अब इतना लट्ठ आपके पास है, इसलिए आपने सारी फोर्स चारों तरफ से मंगाकर जिस ढंग से आपने बेरहमी से लोगों को पीटा और जब पीटने के बाद पत्थर नहीं फेकेगी जनता तो और फिर क्या करेगी आपका? यह भी तो आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वीडियो रिकार्ड बताता होगा कि पहले आपने लाठी चार्ज करके जनता को बिखरने का काम किया या पहले जनता ने किया। भीड़ खड़ी जरूर थी उस बाउंड्री के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता। मेरी स्वयं की बात हुई, एस.पी. से बात हुई, एडिशनल एस.पी. से बात हुई, मैंने कहा, बहुत सामान्य बात है, पांच-दस लोगों को लाकर बिठा दो और जो अभियुक्त आपका है, उसको अन्दर से पकड़ करके जनता को दिखा दो। इतनी सी बात के लिए आपने 22 लोगों को तो अन्दर ठोक दिया। आपके हाथ में अधिकार है, आपकी मर्जी हो जो मुकदमा बनाओ।

इस मुक़दमे को दर्ज करना था, जो घटना साढ़े 11 बजे की थी, वह मुकदमा दो बजे दर्ज क्यों हुआ? उसके बाद जब आपने ढाई बजे, पुलिस ही तो इसमें शिकायत करने वाली और पुलिस ही अभियुक्त बनाने वाली। वाह, क्या मजाक है! किसी और से करवाते तो समझ में आ सकता है, पुलिस चाहे जिसका नाम लिख दें। जिसकी वह पुरानी रंजिश हो उस थानेदार की, वह सबकी रंजिश निकाल दें। निकालने के बाद सारी पुलिस जो है ना, बेरहमी से लोगों के ऊपर टूट पड़ी, घरों से निकाल-निकाल करके लोगों को मारा। यहां तक कि लूले-लंगड़ों को घर में से पकड़कर मारा। यह कहां का न्याय है? अगर इस तरह से पुलिस गुण्डागर्दी पर उतरेगी ना, इतनी बहादुर है ना, तो पकड़ लाते ना उस अभियुक्त को। अभियुक्त को पकड़ने के लिए तो हिम्मत नहीं और बिना हाथ में, हथियार नहीं, कुछ नहीं, ऐसी खड़ी भीड़ के ऊपर गोलियां बरसा करके आप बहादुरी बताकर के यह बताना चाहते हो कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया। कर लेना, कोई बात नहीं, कोर्ट कचहरी पड़ी है, आज नहीं, तीन दिन बाद जमानत हो जाएगी। आज नहीं खुलेगा शहर, पांच दिन बाद खुल जाएगा, आपसे कोई भीख नहीं मांगते हैं लेकिन जिस प्रकार का बर्ताव कर रही है आपकी पुलिस, दण्ड उस आदमी को मिलना चाहिए जिसकी गलती के कारण से आपने लाखों रुपया बरबाद कर दिया। इतनी फोर्स को बुलाने की जरूरत क्या थी? इतने लोगों को वहां आने की आवश्यकता क्या थी? किस बात की नौकरी करता है वह? किस बात की तनख्वाह ले रहा है वह?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, आप अपनी बात समाप्त करें। कृपा करके समाप्त करें। पन्द्रह मिनट हो गये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने इस डिपार्टमेंट को संभाला है...(व्यवधान) कभी भी अपनी पुलिस की गलती को छिपाने के लिए जनता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर जुल्म मत करो। यह तो जनता के हाथ में है, एक दिन हथियार पकड़ा दोगे तो आमने-सामने मरेंगे और मारेंगे, आपको मजा आएगा जो कर लेना। एक मात्र अभियुक्त कोई है तो आपका एस.एच.ओ. है, वह रिपोर्ट समय पर दर्ज करके कार्रवाई कर लेता तो यह झगड़ा नहीं होता और आज चार दिन से बाजार बंद नहीं होकर के जनता परेशान नहीं होती।

इस बात की कार्रवाई करें आप, बाकी सब बातें तो बाद में हो जाएंगी। मैं आपसे कह रहा हूं, बेगुनाहों को जबरदस्ती, पुरानी रंजिश के आधार पर, नाम लिखने वाले वही, जिन-जिन से उसकी रंजिश थी, उन सबकी लिस्ट और फ़ेहरिस्त बना दी जैसे कोई उसको गांव के सब लोगों के नाम याद होंगे। उसको आज भी खड़ा कर दो किसी मोहल्ले में, तू नाम बता, इसका क्या नाम है, तो नहीं जानता होगा लेकिन पूरी लिस्ट बनाकर के जो-जो भी उसके सामने दिखते थे, उन सब दिखने वालों को मुलजिम बनाकर के 22 लोगों को आपने जेल की हवा खिला दी। अब इनकी जमानत भी नहीं होगी क्योंकि आपने मुकदमा ही इस ढंग का बनाया कि वे जोधपुर तक रोते फिरेंगे। तो आपको यह लगेगा कि बहुत अच्छा काम किया। अगर इससे आपकी कानून-व्यवस्था अच्छी होती है तो और करना; आज यहां कर रहे हो, कल और किसी जगह करना, लेकिन उसका परिणाम भी भुगतने की तैयारी रखना।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी इस पर कुछ बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए। आप बोलिए। मैं अगला नाम पुकारूं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने और पूर्व गृह मंत्री महोदय ने भी जिस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया, मैं उस क्रम में निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना कस्बा मावली में घटित हुई, उस घटना के क्रम में 12 बजकर 20 मिनट पर थाने को इसके संबंध में सूचना दी गई और प्रकरण संख्या 58 धारा 392, 147, 452 में पंजीकृत किया गया। पास ही में सीनियर सेकंडरी स्कूल में एक सम्मान समारोह चल रहा था। घटना के उपरांत दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां अपनी ओर से घुसने का प्रयास किया।...(व्यवधान) मेरा निवेदन सुन लें आप, आपकी बात तो सबसे पहले फरमायी है, मैं कुछ बातें आपको निवेदन कर रहा हूं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में पुलिस द्वारा उनको वहां से खदेड़ दिया गया। समारोह समाप्त होने के पश्चात् प्रार्थी पक्ष के लोग प्रधान मावली के नेतृत्व में थाना मावली पहुंचे जिन्हें उक्त मारपीट के प्रकरण में लिप्त दो मुलजिमान की गिरफ्तारी की सूचना दी गई। मगर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मावली कस्बे के चौराहे पर भीड़ को भड़काकर थाने में पुनः प्रवेश करने का प्रयास किया गया। माननीय कटारिया जी ने स्वयं ने इस बात को फरमाया है, शांति-व्यवस्था बनाए रखने की आपकी ओर से भी जो बात फरमायी गयी है, आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे शरारती तत्व जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, उन्हें रोकने हेतु हल्के बल का प्रयोग किया गया। जिस पर उपद्रवियों द्वारा पथराव करने से उपखण्ड अधिकारी, मावली व छह-सात पुलिसकर्मियों के भी चोटें आईं। जिस पर अभियोग संख्या 59 धारा 147, 149, 186, 332, 353, 295, 435 में दर्ज कर कुल 21 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें दिनांक 27.2.2012 को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना हुई है इसमें जो अभियोग दर्ज है, इसकी जांच की जा रही है। शांति-व्यवस्था बनाए जाने के क्रम में सभी कस्बेवासियों का सहयोग है। आने वाले समय में आपकी ओर से जो वर्णित किया, विजिलेंस कमेटी से भी इसकी जांच किया जाना, मैं आपको यही कह सकता हूं कि जो आपने इसमें थानाधिकारी की भूमिका के ऊपर प्रश्नचिह्न लगाया है, उसकी विजिलेंस कमेटी से भी जांच करवा ली जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):...(व्यवधान) अगर आप नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: बात आ गई ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जो भी होगा निपटेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है और घबराहट भी नहीं है लेकिन अगर शांति-व्यवस्था चाहते हो तो उस एस.एच.ओ. को हटाकर इस जांच को करा लो। आपको विषय समझ में आ जाएगा कि कहां भूल हुई, क्यों भूल हुई। एक आदमी की गलती से इतने लोग जबरदस्ती दण्डित हो गए और उसके कारण से आपकी सारी फोर्स का समय और पैसा बरबाद कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप मेरे परम मित्र हैं, बधाई तो सारे हाउस ने दी है, मैं अलग से बधाई समर्पित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे खुशी है कि आप मुझे नहीं भूल पाये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन बहुत लेट हुआ है। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह बता दें माननीय गृह मंत्रीजी कि एस.एच.ओ. को हटाकर के ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विजिलेंस जांच के लिए कह दिया है उन्होंने।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): विजिलेंस जांच तो होगी लेकिन वह ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना के मुताबिक कह दिया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मुताबिक नहीं है, वह सब लीपापोती है। आप हमको क्लीयर बताओ कि वह क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: बात कर लेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसको हटाकर के जांच करवाएंगे या वह वही थाने में रहेगा और जांच होगी? कुछ तो बतायें, कुछ कहें तो सही गृह मंत्रीजी। थाने से हटाकर के जांच करेंगे, यह तो कह दीजिए यहां पर क्लीयर।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप खुद ही कह रही हैं ना, हमारे कहने की जरूरत कहां रह गई?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम तो कह रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं आपसे, कहने वाले तो आप हैं। आप बतायें, क्या करेंगे आप? नहीं, नहीं, आप बताइए ना, क्लीयर जवाब आना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सच्चाई पता लगाना चाहते हो तो उस आदमी को हटाकर के पुलिस लाइन भेज दें। जांच में अगर वह निर्दोष पायें तो वापस उसको मावली लगा दो, कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन उस आदमी को हटा दो जिसकी गलती से यह हुआ है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन आप क्लीयर बतायें कि आप उसको हटा के करेंगे या नहीं? यह बतायें क्लीयर।

श्री उपाध्यक्ष: अब राधेश्यामजी बोल रहे हैं, बाद में कोई जो बात होगी तो बता देना।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राधेश्यामजी, दो मिनट बात कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप बतायें तो सही, जवाब दीजिए ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चार दिन से वह पूरा कस्बा बंद है और एक एस.एच.ओ. को लाइन में भेज दें, जांच करवा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि विजिलेंस से इसकी जांच करवा ली जाएगी। जो स्थिति आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आपकी भावना के अनुरूप ही बात मैंने निवेदन की है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसको थाने में रखते हुए जांच करवाएंगे तो जांच निष्पक्ष नहीं होगी। यह हमारी मांग है कि उसको हटाएं और फिर जांच करवाई जाए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप शक ना करें, माननीय सदस्या, निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ में जांच होगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): शक का सवाल नहीं है। जो आज तक यह सारा है जिस तरीके का कृत्य हुआ है, उस सी आई की वजह से, उसकी वजह से हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं। इस जांच का क्या अर्थ निकलेगा?

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्यामजी।

श्रीगंगानगर शहर स्थित ए माइनर के किनारे बसे लोगों को उजाड़ना

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपके ध्यान में एक ऐसा सत्य लाना चाहता हूं जिसे सारा हाउस सुनेगा तो शायद इनको कोई गरीब आदमी के ऊपर दया आ जाए। 1927 में महाराजा गंगासिंह ने गंग कैनाल बनाई। उस गंग कैनाल को एक जैड माइनर के नाम से, रामनगर एक साइड में, दूसरी साइड में श्रीगंगानगर, ये दोनों आपस में मिल गये, उसके बीच वह जेड माइनर जा रहा है। उसके किनारे पर बसे हुए चालीस हजार लोगों को उजाड़ने की एक साजिश चल रही है हमारे सिंचाई विभाग की। बड़ी विडम्बना है कि नगर परिषद

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

दुकानों का किराया ले रही है, नगर परिषद ने पट्टे दे रखे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब को आकर लोग मिले तो चीफ मिनिस्टर साहब ने सौ रुपये गज के अन्दर उनका रेट तय करके बचे हुए लोगों को पट्टे देने का काम किया। इसी बीच में कुछ किसान हाई कोर्ट में गये, उन्होंने याचिका लगाई और उस याचिका पर हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप यह बतायें कि किस तरह यह प्रदूषण..., जो गये थे किसान वे यह चाहते थे कि हम जो पानी पी रहे हैं, हमारे खेतों में जो पानी लग रहा है, उसमें प्रदूषण आ रहा है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि तुरन्त इस जगह को या तो ढक दिया जाए या इसको शहर से बाहर निकाल दिया जाए।

1980 में मैं कई बार यह मसला यहां रख चुका हूं। यहां जो हमारे देवीसिंह जी सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने सर्वे करा लिया, पैसे मंजूर करा लिये लेकिन वह कैनाल वहीं की वहीं है आज तक। लेकिन मैं सरकार का आभारी इसलिए हूं कि सरकार ने उसको ढकने के लिए पच्चीस-तीस करोड़ का टेंडर लगा दिया और वह ढकी जा रही है लेकिन इर्रिगेशन वाले यह कहते हैं कि हम पचास-पचास फीट दोनों साइडों में सारे कब्जे तोड़ कर पचास फीट की जगह खाली करायेंगे, जबकि वहां पट्टे मिले हुए हैं, वहां मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, मढ़ी हैं; पांच किलोमीटर तक तीन पुली से लेकर पांच एक गुरुद्वारे तक इस तरह के व्यवसाय कर रहे हैं लोग, बड़े-बड़े होटल बने हुए हैं पांच-पांच मंजिल के और ये तोड़ने की साजिश चल रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर यह कोई हाई कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट का आदर मैं भी करता हूं और अपन सब लोग करते हैं, हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि पचास-पचास फीट हटा दिया जाए। जब आपने पट्टे दिये हैं और जब चीफ मिनिस्टर यह लिख रहे हैं कि सौ रुपये गज लेकर इनको पट्टा दे दो, परसों अभी जब गवर्नर साहब भाषण पढ़ रहे थे तो उसमें तीन सौ गज तक का स्थाई करने का जिक्र आपने किया है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मैं अर्ज करूं। हाई कोर्ट का कोई आर्डर है तो मंत्रीजी क्या करेंगे?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहीं, हाई कोर्ट का जो आर्डर है, उसको मानने के लिए पब्लिक, हम और हाउस तैयार हैं। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ऊपर से इसको बंद करो, कवर कर दो। कवर करने के निर्देश हो गये। गवर्नमेंट का धन्यवाद मैंने इसलिए किया है, बहुत सालों से हम डिमांड

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कर रहे थे लेकिन यह कवर करने के आदेश हो गये क्योंकि लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, गन्दा पानी जा रहा था। यह हाई कोर्ट ने नहीं कहा, पचास फीट इधर और पचास फीट उधर से हटा ली जाए। इंचार्ज मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, ये अभी हफ़्ता भर पहले पधारे थे, इनके सामने तमाम कांग्रेस के लोगों और तमाम अन्य पार्टियों के लोग सी पी एम के, सी पी आई के, भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि सारा शहर एक तरह से उजड़ता है, सारे लोग उनके सामने जन-प्रतिनिधि पेश हुए। आप उनसे पूछिये कि ये वहां क्या कह कर आये थे। उसके बाद इनके आते ही वे मार्का लगाने लग गये लाल लाइन से, ये पचास-पचास फीट हम तोड़ेंगे, आपसे जो कुछ होता है कर लें।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करो। वैसे भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी तो आपका सम्मान करते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं समाप्त कैसे करूं, बात अभी हुई नहीं है। स्वायत्त शासन मंत्री का सवाल ही नहीं है, यह तो हमारे सिंचाई मंत्री का मामला है। स्वायत्त शासन मंत्री तो मिनटों में कर देते हैं क्योंकि यहां तो आर या पार होती है, ये ज्यादा देर नहीं लगाते हैं।

तो इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप मंत्री महोदय को बुलवाइये, आप स्टेटमेंट दिलवाइये। हाई कोर्ट में वे हलफनामा दाखिल करें; हाई कोर्ट में जाकर इस कार्यवाही का स्पष्टीकरण करें। उससे पहले एक भी दुकान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और यह पांच किलोमीटर के चालीस हजार लोगों को उजाड़ने की जो साजिश है, उसको बंद किया जाए। हमने सड़क जाम की, पुलिस वाले आ गये, वीडियो बनती रही, ए डी एम मौके पर आया, ए डी एम ने मुझे आश्वस्त किया कि आप कलेक्ट्रेट में चलो, आपसे वार्ता करके इसका कोई हल निकालेंगे। हम जब कलेक्ट्रेट पहुंचे जुलूस लेकर तो एक महिला ने मिट्टी के तेल की बोतल लेकर अपने ऊपर डाल ली। जबरदस्ती हम लोग उसकी तेल की बोतल छीनकर उस महिला को पकड़कर लाये क्योंकि चालीस साल से उसका घर है वह उजड़ जाएगा। गरीब है, इसलिए यह कोई छोटा सा मामला नहीं है, चालीस हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं। 1927 की कैनाल है और 1980 से पहले के वहां के कब्जे हैं। जब पैसे देने के लिए तैयार हैं...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, पूरे गंगानगर जिले का मामला है और हजारों लोग हैं और चार दशक से लोग रह रहे हैं।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)
बहुत गम्भीर मामला है, इसलिए आप सरकार से वक्तव्य दिलायें, लोगों को प्रोटेक्ट करें। अगर माननीय न्यायालय का भी मामला है तो भी सरकार जनता को बचाने के लिए न्यायालय में जाए, चुनौती दे न्यायालय को। इसलिए आपसे मांग है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सरकार से वक्तव्य दिलवायें, लगभग चालीस हजार लोगों की रिहायश का सवाल है। ये माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि वहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी बने हुए हैं, साम्प्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। इसलिए समय रहते सरकार को इस बात को समझ कर जनता को प्रोटेक्ट करना चाहिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह मामूली बात नहीं है, साहब। आप यहां बैठे मंत्रीजी से पूछो। जो इंचार्ज मंत्री वहां गये हैं, किस तरह लोग गले पड़ने को तैयार थे और कोई पार्टी ऐसी नहीं बची थी, सब पार्टियों के थे वहां पर। मैं खुद श्रेय नहीं लेना चाहता लेकिन हम उजड़ने भी नहीं देंगे। हमें चाहे खुद वहां बैठकर अपनी कुर्बानी देनी पड़े, उनको उजड़ने नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहीं-नहीं, समाप्त कैसे करूं? मैंने तो आपकी तारीफ की है, धन्य हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह काम चल गया तब तो बात बन गयी। आपका पहला दिन है, मंत्री को बुलाइये, स्टेटमेंट दिलवाइये, वे यह एश्योर करें। हालांकि हाई कोर्ट के आर्डर में वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह हम भी जानते हैं लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि उनको वहां से उजाड़ा जाए। मंत्री महोदय यहां आकर कृपा करके स्टेटमेंट देकर हलफनामा दाखिल करें हाई कोर्ट में और इन गरीबों को बचायें। जब तक आप उनको नहीं बुलाओगे, मैं समझूंगा, इस इंसाफ की कुर्सी पर पहले दिन बैठकर आप ऐसा कोई फैसला न करें जिससे लोग बहुत परेशान हों।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ, उनको जवाब देना होगा तो देंगे।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आप प्रोटेक्ट करिये न। आप संरक्षण करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मंत्रीजी जवाब दें, यह आप कह दीजिये। आप कह दीजिये, हाउस में नहीं हैं, वे आकर जवाब दे देंगे। मैं एक मिनट लगाऊंगा, आपके आदेश की पालना करूंगा, नहीं तो मैं यहां धरना दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके आसन पर विराजते ही दर्शक दीर्घा में भी कई नये चेहरे आ गये।

श्री उपाध्यक्ष: मेरे यहां बैठते ही आपने भी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर भी कि उनको बुला लिया। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य ने जो विषय उठाया है, ए माइनर नहर के किनारे करीब सौ-डेढ़ सौ पक्के मकान अतिक्रमण के रूप में निर्मित हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हजारों मकान हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): वहां पर निवासरत अतिक्रमणकारी सौ-डेढ़ सौ व्यक्तियों और उनके परिवारों द्वारा विरोध स्वरूप धरना एवं प्रदर्शन किया गया। अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के विरोध में अतिक्रमणकारियों द्वारा 24 तारीख को चौक गंगानगर पर धरना दिया जाकर ज्ञापन ए डी एम, गंगानगर को दिया गया है। हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना में इस हेतु कार्यवाही प्रस्तावित है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ये हाई कोर्ट का आर्डर है, अगर आपको नहीं मिला है तो इसकी स्टडी करवा लें। मैं आपके सामने टेबल पर रख देता हूं। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि उनको उजाड़ा जाए। हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिये हैं कि पानी आगे जो रहा है उस चीज की व्यवस्था करें। वह व्यवस्था आपने कर दी, उसके टेंडर आपने कर दिये। हाई कोर्ट ने कहां कहा, उजाड़ा जाए?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोलिये, पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और आपका मन है कि खून-खराबा हो और हमारी व्यवस्था बिलकुल चौपट हो तो मेरे को तो कोई एतराज नहीं, आप ही भुगतोगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, पहले हाउस को तो आर्डर में लायें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट का फैसला है, माननीय गृह राज्य मंत्रीजी स्टडी कर लें। अगर ऐसा है तो जनता को बचाने के लिये हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटायें। दिक्कत क्या है? आप जनता की पैरवी करो ना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी को बुलाइए। इस बहाने उनका परिचय भी हो जायेगा कि सिंचाई मंत्री कौन है। 5-6 सिंचाई मंत्री बना दिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह हाई कोर्ट के फैसले की कापी सदन के पटल पर रख रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 6 मंत्री बन गये सिंचाई के। कौन से हैं?

श्री उपाध्यक्ष: पुष्पेन्द्र सिंह जी, आप बोलें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: हां, आप बोलिए।

सूचना

भरतपुर व धौलपुर के जाट समाज को केन्द्र में ओ बी सी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भरतपुर और धौलपुर के बीच एक गांव है धाना खेड़ली, पिछले तीन-चार दिनों से हजारों जाट समाज के लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं और धरना देने के पीछे जो उनका कारण है, भरतपुर और धौलपुर जिले को केन्द्र में ओ बी सी में आरक्षण आज तक नहीं मिला है। राजस्थान सरकार ने आरक्षण दे रखा है परन्तु मात्र दो जिले, भरतपुर और धौलपुर, इनको केन्द्र में आरक्षण नहीं है। हजारों की संख्या में वहां बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती लेकिन राजस्थान सरकार कम से कम रिकमंड करें, मुख्य मंत्रीजी केन्द्र सरकार को लिखें कि भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है। केन्द्र सरकार में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उनमें हमारे बच्चों का आज भी काफी परेशानी के बाद भी सलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी निश्चित रूप से इसको केन्द्र सरकार

(डा. दिगम्बर सिंह)

को रिकमंड करें और भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज को केन्द्र में आरक्षण दिलवावें।

श्री उपाध्यक्ष: कृष्णा जी भी कुछ कहना चाहती हैं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप मुख्य मंत्रीजी से कहें कि इसका प्रस्ताव बना कर केन्द्र को भेजें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सारी ट्रेनें बंद हैं, भूख हड़ताल चल रही है और सरकार सोई हुई है। मुख्य मंत्रीजी को मात्र एक पत्र लिखना है प्रधान मंत्रीजी को कि इनको उसमें लिया जाये। क्योंकि पूरे जाट समाज में केवल धौलपुर व भरतपुर के साथ भेदभाव किया गया है। मेरा निवेदन है कि सारे लोगों को असुविधा हो रही है, ट्रेनें डाइवर्ट हो रही हैं और वहां पर हजारों लोग धरना दे रहे हैं। कृपया यह सोई हुई सरकार जागे और उनके हक को दिलाने का काम करे।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, तीन-चार हजार आदमी 24 तारीख से अनवरत रूप से धरने पर बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सरकार को पता है। वहां मुख्य मंत्रीजी इंटरफीयर करें, केन्द्र सरकार को पत्र लिखें और उनकी जायज मांग का समर्थन करें, ऐसा आपसे निवेदन है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाये जाने की घोषणा से पाली, उदयपुर व राजसमन्द की प्रभावित जनता

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 7 दिसम्बर, 2012 को राज्यपाल द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें पाली, राजसमंद और उदयपुर जिले के बाली, मारवाड़, भीम, देवगढ़, गोगुन्दा, कोटड़ा, कुम्भलगढ़, इन सभी विधान सभा क्षेत्रों को मिलाकर वहां के वन क्षेत्र को कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान करने की एक अधिसूचना जारी की गई। मैं सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले न तो वहां के लोगों की जन भावना ली, न ही पंचायत में कोई प्रस्ताव भेजा; न

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ही पंचायत समिति में इसके बारे में जानकारी मिली, न ही जिला परिषद में इसके बारे में कोई जानकारी, न ही नगरपालिका में इसके बारे में कोई जानकारी। यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने की वजह से वहां के आसपास के रहने वाले लोग काफी भयभीत हो गये हैं और उनमें काफी रोष है।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस अरावली के पूरे क्षेत्र में प्रत्येक गांव में सैकड़ों की संख्या में पशुपालक रहते हैं। उनके पास भेड़ चराना, बकरी चराना और गाय-भैंस चराने के अलावा कोई व्यवसाय नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में आपको ये पशुपालक मिलेंगे जो अपना जीवनयापन केवल खेती और मवेशियों को चराकर करते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के कारण उनमें सरकार के खिलाफ एक वातावरण बना है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि वे भूमिहीन पशु-पालक हैं, उनके पास किसी तरह की जमीन नहीं है, उनके पास आज शिक्षा नहीं है, आज उनके बच्चे नौकरियों में नहीं हैं। आज वे सभी व्यक्ति डर गये हैं कि अगर यह राष्ट्रीय उद्यान हो जायेगा तो हमारे यहां के जो मवेशी हैं, वे इस उद्यान में जा नहीं पायेंगे और उनको चरा नहीं पायेंगे।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस पूरे क्षेत्र में, मैं यह कह सकता हूं कि मेरे बाली विधान सभा क्षेत्र में इस उद्यान क्षेत्र में ऐसे कई मंदिर हैं जैसे परसराम महादेव जी का मंदिर, रणकपुर मंदिर, भुचाला महावीर जी, हनुमान जी का मंदिर, ऐसे विश्वविख्यात मंदिर हैं जिनमें हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आकर दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, एक मोन्यूमेंट्स हैं; ये सब उस क्षेत्र में आयेंगे। इसका मतलब हम विकास नहीं कर पायेंगे, उन मंदिरों की देखभाल नहीं कर पायेंगे।

इसके साथ-साथ हमारे पूरे बाली विधान सभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों बांध हैं, मैं बता सकता हूं, रणकपुर बांध, लाटाड़ा बांध, जूणा बांध, मीचडी बांध, राजपुरा बांध, सैली बांध, हनुमान सागर बांध, मांड़ीगढ़ बांध, सोनवा बांध, ये सब इस फोरेस्ट क्षेत्र में आयेंगे। इस वजह से इन बांधों की कभी मरम्मत नहीं हो पायेगी जिससे हजारों की संख्या में जो लघु सीमांत काश्तकार हैं और ज्यादातर अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो यहां खेती करते हैं, सिंचाई विभाग के जो ये बांध हैं अगर ये भी इस उद्यान में आ गये तो मैं समझता हूं कि इनकी मरम्मत करने में भी बड़ी मुश्किल होगी।

इसके साथ-साथ कई गांव जुड़े हुए हैं, इस अभयारण्य में कई गांव आ गये, मारवाड़ जंक्शन के अधिकांश गांव इस अभयारण्य में आ गये। हमारे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)
गरासिया, भील जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, वे भी इस अभयारण्य में आ गये। वहां वे अपने मकान नहीं बना पायेंगे, लाइट नहीं ले पायेंगे, उनको पानी-बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पायेंगे।

मैं समझता हूं कि सरकार ने जो राष्ट्रीय उद्यान बनाने की अधिसूचना निकाली है ...(व्यवधान) इसके खिलाफ आप बोलने तो दो। आप दे सकते हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी जीरो आवर है, जीरो आवर के बाद।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इस नोटिफिकेशन को सरकार अभी समाप्त करे और मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय उद्यान आम भावनाओं के खिलाफ है। वहां हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। हमारे भीम क्षेत्र में एकत्रित हो रहे हैं, देसूरी में एकत्रित हो रहे हैं, सादड़ी में हो रहे हैं, बाली में हो रहे हैं, मारवाड़ जंक्शन के रावत गांव हैं, उनमें हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग उसमें बसे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): केन्द्र सरकार एक बिल लाई कि 2005 से किसी भी आदिवासी भाई का अगर जंगल में उसका अतिक्रमण है तो उसको सरकार ने खेती करने के लिये पट्टा दिया है और यहां पीढ़ियों से जो व्यक्ति पशुपालक हैं, आज उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार जो बिना सोचे-समझे इस उद्यान का नोटिफिकेशन लाई है, इस नोटिफिकेशन को वापस ले ताकि सरकार के खिलाफ वातावरण न बने, वहां की कानून-व्यवस्था न बिगड़े। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुम्भलगढ़ गया था। वहां हजारों लोग हैं, उन आदिवासियों और गैर-आदिवासियों को उस राष्ट्रीय उद्यान से उजाड़ने का काम जो सरकार कर रही है, उसके खिलाफ भारी रोष है। तीन लाख लोग जो पीढ़ियों से बसे हुए हैं, उनमें मेजोरिटी आदिवासियों की है। जो आदिवासी 65 साल की आजादी के बाद भी मुख्य धारा में नहीं आये हैं उनको बसाने के लिये, उनको पट्टा देने के लिये 2005 का आदिवासी वन अधिकार कानून बना है। एक तरफ वह कानून है और दूसरी तरफ उनको उजाड़ा जा रहा है। 25 फरवरी को हजारों

(श्री अमराराम)

(13.00 बजे)

लोगों ने मेरे सामने प्रदर्शन करके वहां के एस डी एम को ज्ञापन दिया है कि जान दे देंगे लेकिन किसी भी सूरत में हमारी जगह नहीं छोड़ेगे। इसलिए समय रहते...(व्यवधान) पाली के लोगों को उजाड़ने के लिए....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माहौल बिगड़ेगा, इसलिए समय रहते...(व्यवधान) गांवों के आदिवासियों के साथ ऐसा मत करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पेमराम जी, बोलिये आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इस पर...(व्यवधान) जिस तरीके से वन्य जीव अधिनियम की धारा 20, 21, 22 (बी) के तहत इन गांवों को लिया गया है...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): वर्षों से गांव बसे हुए हैं...(व्यवधान) गांव वहां बसे हुए हैं, एक भी गांव को खाली नहीं कराने देंगे। सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान सरकार की परिधि का मामला नहीं है। बूंदी के अन्दर...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): यह बहुत गम्भीर मामला है। बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने गम्भीर विषय रखा है, उस बात पर फैसला लिया जाए। (व्यवधान) बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, वह बहुत गम्भीर विषय है, सरकार को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, 11 गांव बसे हुए हैं। (व्यवधान) आज आकर बसे नहीं हैं वे गांव खाली नहीं होंगे, वे गांव वहीं रहेंगे। (व्यवधान) इसलिए सरकार को निश्चित इस फैसले पर संशोधन करना पड़ेगा, आप विचार करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, पेमाराम जी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, वहां का किसान रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा, कुए में कनेक्शन नहीं ले पाएगा, कुआ नहीं खोद पाएगा, खेती नहीं कर पाएगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अलग से प्रस्ताव लेकर आएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सरकार कह रही है, पशुपालकों के लिए योजना ला रही है। एक तरफ....(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं यह पूछना चाहता हूं, वहां...(व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): पशुपालकों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: पेमाराम जी, बोलिए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कौनसा कानून है ...(व्यवधान) जैसलमेर में डूबा हुआ है ...(व्यवधान) हर योजना में उसका कोई लाभ मिल नहीं सकता। हमारा निवेदन है कि पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट आपकी बात सुन ली, स्थगन प्रस्ताव दे दिया (व्यवधान) आप बोलिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सुन कहां ली? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट का टाइम पुष्पेन्द्र सिंह जी को दिया था, कृपा करके, आप ही का हाउस...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अभी से पहले दो स्थगनों पर जब जवाब दिलाया है तो पुष्पेन्द्र सिंह जी के पर क्यों नहीं जवाब दिलवाते? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सांसद बैठे हैं, कृपा करके इनको सुनने दें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, नहीं, सुनो, यह गलत बात है। यह बिल्कुल गम्भीर इश्यू है, शंकर सिंह जी बार-बार इसको उठा रहे हैं, दो मिनट का जवाब दिला दीजिए ताकि अख़बार में खबर भी छप जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पेमाराम जी, आप बोलिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, खबर से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम खबर से खुश नहीं हैं। मंत्रीजी से जवाब दिलाओ कि समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा। मंत्री जी से जवाब दिलाओ, इतना हमारा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, तभी बोलेंगे। (व्यवधान)

शेखावाटी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार के सामने एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो शेखावाटी इलाके के, वहां के विद्यार्थी चाहे सीकर में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, चाहे झुन्झुनूं में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, चाहे चूरू में पढ़ने वाला विद्यार्थी है...(व्यवधान) आज पूरे के पूरे विद्यार्थी एकत्रित होकर राजस्थान की सरकार के सामने फरियाद लेकर राजस्थान की विधान सभा के बाहर आए हैं।

(श्री पेमाराम)

उपाध्यक्ष महोदय, वह इलाका, शेखावाटी क्षेत्र, हिन्दुस्तान में 1947 में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, यह इलाका वह इलाका है जिसने हिन्दुस्तान की आजादी के दौरान वहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेज की जेल भुगत-भुगतकर भारत देश की आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियां दी हैं। भारत में शेखावाटी क्षेत्र वह इलाका है, सरकार कहती है इजराइल में देखो, शेखावाटी क्षेत्र वह इलाका है जहां 400 से लेकर 700 फीट गहराई से वहां के किसानों ने जमीन में से पानी निकालकर उस इलाके को सरसब्ज कर दिया। शेखावाटी वह इलाका है जहां पर राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय तरह-तरह के खिलाड़ी, बजरंग लाल ताखर आया, कृष्णा पूनिया आई, बास्केटबाल के आए, तरह-तरह के खिलाड़ी जिन्होंने न केवल अपने मां-बाप का नाम रोशन किया, न केवल शेखावाटी का नाम रोशन किया, स्वर्ण पदक जीतकर पूरे भारत देश का नाम रोशन करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इस इलाके में पूरे भारत देश में जब हमारे देश की सीमाओं की रक्षा का सवाल आता है, शेखावाटी इलाका पढ़ाई-लिखाई में कमजोर है, उसके बावजूद भी वहां का बेटा सेना में भर्ती होता है। (व्यवधान) पढ़ाई-लिखाई में और इलाकों की तुलना में कम है। वह आप दे नहीं रहे हो, मंत्रीजी, दे देना आप जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मंत्री थे, उस दौरान जवाब नहीं दे पा रहे थे, अभी टोका-टोकी कर रहे हो, तो बता दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, वह इलाका जहां हिन्दुस्तान की सेना में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कोई भी युद्ध आया, भारत ने जो भी युद्ध लड़े, तमाम युद्धों में यह इलाका, मैं सदन में फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत देश में जितनी डैड बोडियां आईं, कारगिल युद्ध था, कारगिल के युद्ध में भी भारत देश में सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाला कोई इलाका था तो वह शेखावाटी इलाका था। वहां के बेटों ने अपनी जान की परवाह किये बिना दुश्मनों से लोहा लेते हुए कुर्बानियां दीं और सबसे ज्यादा डैड बाड़ियां उस इलाके में आईं। मुझे आज यह कहते हुए कि शेखावाटी इलाका राजनीति में भी कम नहीं है, हमारे विधान सभा अध्यक्ष, अमराराम जी, घनश्याम जी बैठे हैं। यही नहीं, हिन्दुस्तान के उच्च पदों तक हमारे शेखावाटी के गये।

लेकिन राजस्थान सरकार शेखावाटी इलाके में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना न करके, यह कोई आंदोलन, पार्टियों का सवाल नहीं है, कोई पेमाराम कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी का होकर यहां बात रखता है, कोई पेमाराम का सवाल नहीं है। आम विद्यार्थी की मांग है, आम पार्टी की मांग है।

(श्री पेमाराम)
पढ़ने वाला बेटा चाहे एस एफ आई का हो, चाहे एन एस यू आई का हो, चाहे ए बी वी पी का हो...

श्री उपाध्यक्ष: आगे चलें?

श्री पेमाराम (धोद): तमाम विद्यार्थी शेखावाटी विश्वविद्यालय की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। वहां के व्यापारियों ने बाजार बंद किए हैं, वहां के किसानों ने सभाएं करके समर्थन किया है और आज वहां के विद्यार्थी राजस्थान की सरकार के पास फरियाद लेकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पेमाराज जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री पेमाराम (धोद): शेखावाटी क्षेत्र के विद्यार्थी के साथ न्याय किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बड़ा काम नहीं है। पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना कराने की मांग को लेकर वे लोग आए हैं और सरकार जवाब देती है, शेखावाटी विश्वविद्यालय प्रक्रियाधीन है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि किस तारीख तक, क्या इस बजट सत्र में शेखावाटी की जनता के साथ न्याय करेंगे? क्यों नहीं करेगी? जब जोधपुर में हो सकता है, एक नहीं, अनेकों खुल सकते हैं तो फिर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्दर प्राप्त सूचनाएं। माननीय वासुदेव देवनानी जी। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): शेखावाटी के लोगों ने क्या गुनाह किया है? खुलना ही चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देवनानी जी।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है, शेखावाटी के मान-सम्मान का सवाल है। शेखावाटी का बेटा पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वासुदेव देवनानी जी, आप तो पढ़िये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर शहर को पर्याप्त पेयजल की उपलब्ध सुनिश्चित किये बिना जयपुर को बीसलपुर बांध से पानी की आपूर्ति

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अजमेर शहर सहित सम्पूर्ण जिले की पेयजल आपूर्ति बीसलपुर बांध योजना पर निर्भर है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान की सरकार पिछले तीन साल में (व्यवधान) आठ निजी विश्वविद्यालय....

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर जिले में गहराते भूजल स्तर एवं पेयजल हेतु अन्य स्थानीय विकल्पों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही इस योजना की नींव रखी गयी थी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): निजी विश्वविद्यालय खोल सकती है... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आज भी जिले के कई गांव, कस्बों को इस योजना से नहीं जोड़ा जा सका है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल वासुदेव जी का रिकार्ड होगा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यहां तक कि शहर की पेराफेरी में स्थित गांवों को भी नहीं जोड़ा जा सका है तथा इस योजना से जुड़े जिले के शहरों, गांवों, कस्बों को भी नियमित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर शहर के अधिकांश क्षेत्र में 48 घण्टे से आपूर्ति की जा रही है जिसमें भी कई स्थानों पर प्रेशर आदि की कमी से जनता को आवश्यक मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद):×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अत्यन्त खेदजनक विषय है कि अजमेर की जनता को रोजाना, नियमित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना ही यहीं के जन प्रतिनिधियों व आमजन के भारी विरोध के उपरान्त भी बीसलपुर बांध से जयपुर को की जा रही आपूर्ति बार-बार बढ़ायी जा रही है। इससे भी ज्यादा दु:खद स्थिति यह है कि अजमेर की जनता को तो उसके हक का पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जयपुर स्थित मावठा बांध को गत दिनों बीसलपुर बांध के पानी से भरा गया है। (व्यवधान)

(श्री वासुदेव देवनानी)

गत वर्षों में भी गर्मियों के दिनों में बीसलपुर बांध का जल स्तर घटने पर अजमेर को की जाने वाली पेयजल आपूर्ति पर संकट के बादल गहराते रहे हैं। वर्तमान में जयपुर को बार-बार बढ़ाई जा रही आपूर्ति के कारण बांध के घटते जल स्तर से अजमेर का आम नागरिक आगामी दिनों में उत्पन्न होने वाले पेयजल संकट से आशंकित एवं घबराया हुआ है।

अजमेर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं आगामी गर्मियों के दिनों में उत्पन्न होने वाले पेयजल संकट की समस्या के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों एवं अजमेर के आम नागरिकों द्वारा जयपुर को बढ़ायी जा रही आपूर्ति के विरोध की राज्य सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि जिस उद्देश्य/लक्ष्य से बीसलपुर बांध का निर्माण कराया गया था, उसके अनुसार अजमेर की जनता के हक का पानी जयपुर को दिये जाने पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा अजमेर शहर सहित सम्पूर्ण जिले में इस योजना से पर्याप्त व नियमित 24 घण्टे के अन्तराल से रोजाना पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: थैंक यू। श्री पवन दुग्गल। (व्यवधान) श्री पवन दुग्गल। (व्यवधान) केवल श्री पवन दुग्गलजी का ही रिकार्ड होगा। पवन दुग्गलजी नहीं बोलेंगे तो अगला नाम पुकारूंगा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं। आवाज ही नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आ रही है, मेरे को आ रही है। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्री पवन दुग्गलजी का रिकार्ड होगा।

लगान की 10 गुणा राशि जमा कराने वाले काश्तकारों को खातेदारी हक

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि राजस्थान लैंड रिफार्म्स एवं रिजम्प्शन आफ जागीरदारी अधिनियम, 1952 की धारा 12 के अन्तर्गत यह प्रावधान था कि कोई भी कृषक यदि नियमानुसार प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश कर लगान की 10 गुणा राशि जमा करवा देवे तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जायेंगे। (व्यवधान) इसमें तहसीलदार स्तर पर नियम विरुद्ध कई किसानों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया और उसी समय यह प्रकरण काफी सुर्खियों में आ गया। फलस्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा इसमें सी.बी.आई. से जांच करवाने के आदेश दिये गये। राज्य सरकार द्वारा बेरी आयोग का गठन किया गया। बेरी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक काफी अनियमिततायें पायी गयीं व विशेष परिवारों को लाभ दिया गया धारा। 12, जिसके द्वारा 10 गुणा राशि जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, उक्त धारा 12 को ही दिनांक 15.06.1954 को राजस्थान सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के द्वारा विलोपित कर दिया गया। तत्पश्चात् से उक्त भूमि के प्रकरण विचाराधीन ही रहे हैं।

10 गुणा लगान की अनूपगढ़ व घड़साना के अन्तर्गत हजारों हेक्टेयर भूमि प्रभावित है। राज्य सरकार के द्वारा उक्त भूमि का नियमन करने के लिये दिनांक 30.10.2008 को अधिसूचना जारी की गयी। उक्त अधिसूचना के अनुसार आबंटन अधिकार सलाहकार समिति की राय अनुसार विधिक सीमाओं के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति जिनके पास ऐसी भूमि पूर्व से है, रिजर्व मूल्य की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर एवं उनके अलावा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के द्वारा 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर नियमन करने का प्रावधान किया गया। चूंकि उक्त भूमि के धारक लगभग 1957 से भूमि पर लगातार काबिज हैं, अधिकांश व्यक्तियों के पास आय की यही भूमि है।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)
उपरोक्त किसानों को बिना खातेदारी के किसी प्रकार भी सरकारी लाभ नहीं मिलता एवं न ही जमीन का मालिकाना हक मिलता है। आजादी के 54-55 साल बाद भी काश्तकारों को खातेदारी हक न मिलना एक बेहद शर्मनाक बात है। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उपरोक्त किसानों को खातेदारी हक दिये जायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: यह जीरो-आवर है, इसके बाद। अब 295 निकलने दो, आपको मौका मिलेगा। अलवर वाले तो वैसे भी सज्जन पुरुष होते हैं।

पाली विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व मरम्मत

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से पाली विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों एवं पुरानी क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु निवेदन करता हूं कि पाली की सीमा के गांव गेलावास एवं जालोर जिले की सीमा पर स्थित गांव घाना की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। दोनों गांव अलग-अलग जिलों में होने के कारण गेलावास एवं घाना के मध्य पक्की सड़क नहीं बन पाई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैजरी बेंचेज देखिये, जीरो-आवर नहीं कराना चाहिए। ट्रैजरी बेंचेज पर मंत्रीगण को तो आना चाहिए। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, वे किसको सुनाएं अब?

श्री उपाध्यक्ष: वह परिपाटी के बारे में आपको जानकारी है। पढ़िए, ज्ञानचन्दजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जबकि दोनों जिलों के कई गांवों के निवासियों का इस मार्ग पर काफी आना-जाना है। गेलावास से पाली तक एवं घाना से जालोर तक पक्की डामर सड़क है। गेलावास से घाना तक डामर सड़क बन जाये तो दोनों जिलों के पचासों गांव पक्की सड़क से जुड़ जाएंगे। इसी तरह पाली जिले के लाम्बड़ा एवं बाड़मेर जिले के सामुजा, जिनके बीच की दूरी मात्र 3.5 किलोमीटर है, यहां भी यदि कच्ची सड़क को डामर सड़क बना दिया जावे तो पाली एवं बाड़मेर के कई गांवों में जाने तक पक्की सड़क मिल जाएगी।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इसी प्रकार पाली विधान सभा क्षेत्र के गांव धर्मधारी से चाटेलाव 4 किलोमीटर, चाटेलाव से सुकरलाई 3 किलोमीटर एवं सुकरलाई से खुंडावास 2 किलोमीटर तक कच्ची सड़क को डामर में बदल दिया जाता है तो पाली-मोरिया, पाली-गड़वाड़ा, पाली-जैतपुर एवं पाली-कुलथाना रोड से जुड़े सभी गांव आपस में सड़क से जुड़ जाएंगे।

साथ ही कुछ प्रमुख सड़कें जो काफी क्षतिग्रस्त हैं, उनके नवीनीकरण हेतु भी निवेदन है, जिनमें रेलवे घुमटी पाली से मोरिया के मध्य का क्षतिग्रस्त भाग, पाली से बांगड़िया ढुढ़िया होते हुए मंडली दर्जियान तक की सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा, हाउसिंग बोर्ड, पाली से गुर्जरों का ढाणा, मानावास होते हुए ढाबर तक, मोरिया से सोनाई लाखा, ढाबर से अरटिया होते हुए भाकरी वाला तक, मंडली दर्जियान से भाकरी वाला तक एवं मांडावास से चैंडा होते हुए वायद तक सड़कों की मरम्मत करवाई जाए।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से उक्त नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल। (व्यवधान) 295 के बाद आपको मौका मिलेगा। श्री अर्जुनलाल।

पश्चिमी राजस्थान में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की समस्याओं का समाधान

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान का भू-भाग पूर्ण रूप से भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर रहा है। इस क्षेत्र में अकाल पड़ना सामान्य बात है तथा पूरा क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है तथा कृषि एवं पशुपालन यहां के रहवासियों के मुख्य कार्य हैं। इस क्षेत्र में वर्षा की स्थिति अच्छी रहना नियमित नहीं है, इस कारण काश्तकार अपने पशुपालन एवं कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य कार्य हेतु क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। इस सम्भाग से बहुत से क्षेत्र, जहां पर पानी की बहुतायत थी, वे अब डार्क जोन में आ गये हैं। पशुपालन एवं खेती को पर्याप्त सुविधा अगर राज्य सरकार देती है तो पशुधन एवं दुग्ध का दूसरे राज्यों से इस क्षेत्र में दुग्ध संकलन एवं इसके बेचान को रोका जा सकता है। क्योंकि पड़ोसी राज्य अधिक दर देकर बगैर गुणवत्ता पर ध्यान दिये दुग्ध खरीद रहे हैं

(श्री अर्जुन लाल)

तथा अपने दुग्ध उत्पाद कम दर पर इस क्षेत्र में बेच रहे हैं जिससे हमें अपने दुग्ध उत्पाद को खरीदने एवं बेचने में रुकावट आ रही है जिस कारण दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध उत्पाद का पूर्ण भुगतान नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: भाटीजी का स्वागत है। देवीसिंहजी भाटी का स्वागत है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हम भी आपके साथ स्वागत कर रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बधाइयां-बधाइयां।

श्री उपाध्यक्ष: आप हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं दे रहा हूं न, साहब, आपकी तरफ मैं ध्यान दे रहा हूं। बधाई भी दे रहा हूं, साथ में आपको भी दे रहा हूं।

अतः राज्य सरकार के डेयरी राज्य मंत्री से अनुरोध है कि यदि इस वर्ष के बजट में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देते हैं तो हमारे दुग्ध उत्पादक/काश्तकार/किसान पलायनवादिता छोड़कर वापस अपने पुश्तैनी धंधे पशुपालन एवं कृषि को सम्भालकर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं बेरोजगारी को कम करने में सहायक हो सकते हैं:-

(1) प्रतिस्पर्धा को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा डेयरी फेडरेशन/संघ के माध्यम से दुग्ध खरीद/यातायात दर में 2.00 रुपये प्रति लीटर से अनुदान किया जाए।

(2) डेयरी फेडरेशन/संघ को कृत्रिम गर्भाधान एवं सांड/पाड़े राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दिये जाएं जिससे पशु नस्ल सुधार का कार्य किया जा सके।

(3) राज्य सरकार द्वारा राजकीय पशु चिकित्सालय में प्राथमिक चिकित्सा दवाइयां निःशुल्क वितरण की जा रही हैं। इसी के अनुरूप दुग्ध संघ/फेडरेशन के माध्यम से अनुदान के रूप में प्राथमिक चिकित्सा दवाइयां दी जाएं तो सीधा दुग्ध उत्पादकों/किसानों को फायदा होगा।

(4) दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को निःशुल्क डेयरी उपकरण स्वचालित मिल्को स्टेशन की सुविधा पर अनुदान दिया जाए।

(5) निरन्तर अकाल की स्थिति में गर्म वातावरण एवं कम हरे चारे की उपलब्धता के कारण पशुओं को पशु आहार पर 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाना उचित रहेगा जिससे दुधारू पशुओं को संतुलित आहार मिल सके।

(श्री अर्जुन लाल)

(6) राज्य सरकार द्वारा पशुधन विकास के लिए मिनरल मिक्सर डेयरी फेडरेशन/संघ के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुदान सहायता पर दुग्ध उत्पादकों को दिया जाए।

(7) अन्य राज्यों में पंजीकृत संस्थाएं तथा प्राइवेट संस्थाएं दुग्ध वितरण कार्य में लिप्त हैं। उन पर प्रति-लीटर दुग्ध संकलन जो दुग्ध राज्य बाहर जाता है एवं अन्य राज्य से हमारे राज्य में बिक्री हेतु आता है, उस पर प्रति-लीटर 3.00 रुपये का चार्ज वसूल किया जाए ताकि इस राशि से सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके।

(8) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को भवन निर्माण एवं स्वचालित मिल्को स्टेशन (दुग्ध जांच) हेतु एम एल ए लेड से गाइड लाइन में राशि दिलाने हेतु प्रावधान किया जाए ताकि ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

चौपासनी (सूरसागर) हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। सन् 1970 में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड योजना को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आरम्भ किया गया था। उस समय के अनुमान के अनुरूप ही क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाई गई और सड़क निर्माण भी करवाया गया। यह योजना सफल रही और आज इसमें करीब 75 हजार की आबादी निवास कर रही है जो कि उस समय के अनुमान से दसों गुणा अधिक है। यही कारण है कि उस समय की बिछाई गई सीवरेज लाइन अत्यन्त छोटी साबित हुई और अब प्रायः चॉक ही रहती हैं। रही सही कसर नगर-निगम की लचर सफाई व्यवस्था ने पूरी कर दी है। ऐसे में सीवरेज का पानी सड़कों पर आ जाता है जिससे लम्बे समय पूर्व बिछाई डामर की सड़क के केवल मात्र अवशेष ही कुछ जगह शेष बचे हैं। रोड लाइट

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

के अभाव में यह सीवरेज का जमा पानी, उधड़ी हुई सड़कें और उन पर अनगिनत खड्डे दुर्घटनाओं के सबब बन रहे हैं।

अतः मेरी मांग है कि:-

(1) चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के हस्तांतरण के साथ ही समस्त लेनदारियों और देनदारियां भी नगर निगम को हस्तांतरित की जाएं। आवासन मंडल क्षेत्र की समस्त पत्रावलियां नगर निगम को हस्तांतरित करें।

(2) नगर निगम पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं होने के बहाने से जन समस्याओं के निराकरण से विमुख है। अतः क्षेत्र में सेक्टर सड़क एवं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड को पाल रोड से जोड़ने वाली गुरुनानक स्कूल वाली मुख्य सड़क का निर्माण, सीवरेज, क्रमोन्नयन, सार्वजनिक पार्कों के विकास हेतु विशेष बजट राशि स्वीकृत कर कार्य कराएं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: कर्नन सोनाराम चौधरी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं भी आपको बधाई देता हूं। आप मेरे साथ सांसद भी रहे हैं। आप बहुत सटीक और सही बात कहने वाले हो, खासकर पार्टी फोरम में। उम्मीद है ... (व्यवधान) आप साइकोमैन नहीं हैं, साइकोमैन तो चमचागिरी करता है। आप वह नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जो आलरैडी करेक्टर है, चरित्र है, उसमें बदलाव नहीं आएगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: कर्नल सोनारामजी मेरे भाई हैं, मैं उनको आदर करता हूं, करता रहूंगा व्यक्तिगत, नियमों में नियम से और व्यक्तिगत तौर पर। (व्यवधान)

बायतू विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत बायतू विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के बारे में चर्चा करना चाहता हूं।

प्रदेश की सरकार द्वारा बाड़मेर जिले हेतु मुख्य रूप से मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट परियोजना, नाचना-पोकरण-फलसूण्ड-हीरे की ढाणी-सिणधरी पेयजल योजना, उम्मेदसागर-कल्याणपुर-समदड़ी-खण्डप पेयजल योजना एवं

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

नर्मदा कैनाल पेयजल योजना से पानी पहुंचाने की योजना स्वीकृत की गई है। गत वित्तीय वर्ष में उम्मेदसागर परियोजना एवं बाड़मेर लिफ्ट कैनाल में बजट स्वीकृत किया गया था परन्तु जिले की सबसे महत्वपूर्ण एवं लम्बित पोकरण लिफ्ट परियोजना में बहुत ही कम बजट का आबंटन होने एवं विभाग की उदासीनता के कारण यह योजना बहुत पिछड़ गई है। बायतू के 191 गांव इस योजना से ही लाभान्वित होने हैं। योजनाएं बड़ी एवं लम्बी होने एवं पर्याप्त बजट के अभाव के कारण लम्बित हैं।

मेरा आग्रह यह है कि इन वृहत योजनाओं के क्रियान्वयन होने तक प्रदेश के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर के सबसे विकट भौगोलिक परिस्थिति के बायतू विधान सभा क्षेत्र के लगभग 60 ग्राम पंचायतों के सभी राजस्व ग्रामों एवं ढाणियों को उण्डू के जल स्रोतों से विभागीय जल प्रदाय योजनाओं का जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। चूंकि इस क्षेत्र के अलावा बायतू के समूचे क्षेत्र में जमीन में पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि इस क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जो योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत ही लम्बी एवं कीमती होती हैं जो लागत राशि अधिक होने के कारण मंजूर नहीं हो पा रही हैं। परन्तु प्रकृति को चुनौती देना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में विभाग द्वारा जो जलप्रदाय योजनाएं संचालित हैं, वे बहुत पुरानी होने के कारण जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हैं और कहीं-कहीं तो समाप्त हो गई हैं। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पाइप लाइन के लम्बे एवं पुराने होने, मरम्मत एवं रख-रखाव के अभाव एवं पानी की कमी होने के कारण इन योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित ग्रामों एवं बस्तियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसी समस्या के तत्काल समाधान हेतु उक्त योजना उंडू-हीरे की ढाणी योजना के मेंटिनेंस एवं रिपेयरिंग हेतु प्रस्तावित योजना (अनुमानित लागत 11.22 करोड़), जोगसरिया-सोमेसरा जलप्रदाय योजना (लागत राशि 10.72 करोड़) एवं उंडू-पनावड़ा-सांइयों की ढाणी जलप्रदाय योजना (लागत राशि 6.50 करोड़) स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन हैं। दिनांक 17.2.2012 को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण उंडू-हीरे की ढाणी योजना के मेंटिनेंस एवं रिपेयरिंग हेतु प्रस्तावित परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 11.22 करोड़ है, को विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में 191 गांवों में पेयजल का भयंकर अभाव झेल रही जनता का क्या हाल होगा? यदि उक्त तीनों योजनाओं का बजट प्रावधान कर स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में हो जाती है तो

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

क्षेत्र की जनता को बड़ी योजनाओं के लागू होने तक राहत मिलेगी। गौरतलब है कि ये योजनाएं इन बड़ी योजनाओं की सहायक होने के कारण दुबारा पैसा खर्च नहीं होगा।

(13.29 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

वर्तमान में पेयजल समस्या के समाधान हेतु यदि कंटिंजेंसी मद के तहत बायतू क्षेत्र में जहां सफल हैं, वहां हैंडपम्प एवं परम्परागत जलस्रोतों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विद्युतीकरण हेतु जो विभाग में प्रस्तावित हैं, के लिए राशि का आबंटन किया जाए तो जनता को राहत मिल सकती है। इस विषय पर राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार कर शीघ्रतिशीघ्र स्वीकृति जारी करने का निर्णय लेना चाहिए।

सूचना

दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों के विधान सभा प्रवेश पर रोक

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। आपकी इजाजत हो तो बोलूं?

सभापति महोदय, पहली बार होगा जब दो माननीय सदस्य जो भूतपूर्व हैं, कामरेड हेतराम बेनीवाल, जो संगरिया से विधायक रहे हैं, और मेघराज तावड़, जो गोगुन्दा से विधायक रहे हैं, पहली बार होगा शायद कि सुरक्षा के नाम से उन पूर्व माननीय सदस्यों को राजस्थान की विधान सभा में आने पर रोक लगा रखी है। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। वे जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिये संघर्ष लड़ते हैं। उनको चुनकर के राजस्थान की विधान सभा में, 1980-1985 तक मेघराज तावड़ इस सदन के सदस्य रहे हैं, 1990-1993 तक हेतराम बेनीवाल रहे हैं। हो सकता है, आन्दोलनों में कोई भी सरकार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये, लेकिन कोई भी माननीय सदस्य, आज हम 200 माननीय सदस्य हैं, कल हो सकता है, उनमें से बहुत से पूर्व सदस्य हो जायेंगे लेकिन राजस्थान की पुलिस ऐसे लोगों को सुरक्षा के नाम से राजस्थान की विधान सभा में नहीं आने दे, मैं समझता हूं, इस सदन के लिये इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। इस विधान सभा में पुलिस कुछ भी लिखकर भेज दे लेकिन, मैं समझता हूं, इस सदन का संरक्षण माननीय अध्यक्षजी, माननीय उपाध्यक्षजी और माननीय सभापतियों के हाथ में

(श्री अमराराम)

है। हम चुनकर के आते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि दो पूर्व माननीय सदस्यों को इस विधान परिसर में नहीं आने का, क्योंकि वे बहुत से काम देखने के लिये आते हैं, विधान सभा की कार्यवाही भी देखने आते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: ठीक है, माननीय सदस्य, अभी जानकारी ले लेता हूं मैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं समझता हूं, बिलकुल जानकारी लें और आइन्दा भी ऐसे निर्देश दें। किसी भी पूर्व माननीय सदस्य को इस विधान सभा में आने से रोकने के लिये ऐसे जिन अधिकारियों ने यह भेजा है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये और ऐसे आदेश को निरस्त किया जाना चाहिये, जिन्होंने यह रिपोर्ट भेजी है।

श्री सभापति: ठीक है, माननीय सदस्य, आपने इन्फोर्मेशन दे दी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उदयपुर और गंगानगर के जिन एस.पीज. ने ये रिपोर्ट भेजी हैं, उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये वरना आज तो उनका अपमान कर रहे हैं, कल हमारा अपमान करेंगे। यह मैं समझता हूं, सदन में बैठा हुआ कोई भी माननीय सदस्य इस बात को बरदाश्त नहीं करेगा। मेरा निवेदन है, यह उन माननीय सदस्यों का भी, इस सदन का भी अपमान है। उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये और फिर भी अगर संवेदनहीन सरकार है तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के नाम पर मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, इसमें मुझे कुछ कहना है।

श्री सभापति: आप एक मिनट विराजें। इनका पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्रीगंगानगर में सिपाही द्वारा पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भूख-हड़ताल

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): श्रीगंगानगर में एक सिपाही, अनिल गोदारा तीन दिन से वहां के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा है। उस पुलिस अधीक्षक की बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरे पाइंट आफ

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इन्फोर्मेशन के लिये मैंने उपाध्यक्ष महोदय को भी कहा था, आप मेरा निवेदन सुनें। उस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कई सारी घटनाएं, कई सारी गड़बड़ियां करने के आरोप हैं और उस सिपाही को प्रताड़ित किया गया है। (व्यवधान) एक पुलिस का सिपाही अपने ही पुलिस अधीक्षक के खिलाफ, अनिल गोदारा भूख हड़ताल पर बैठा है, उसको न्याय दिलायें। मैं सदन, जो सर्वोच्च सदन है, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके माध्यम से, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि उस संबंध में कार्यवाही करें और उनको न्याय दिलायें, उनकी भूख हड़ताल तुड़वायें। वह अपने न्याय के लिये प्रताड़ित किया जाये, उसके लिये और जो भूख हड़ताल पर बैठा है, उसकी भूख हड़ताल को तुड़वायें और उनको किसी भी हालत में राहत दिलायें।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही करें। मैं बैठ जाता हूं, साहब। आप एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। जय हिन्द।

दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों के विधान सभा प्रवेश पर रोक

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, माननीय अमरारामजी ने जो विषय उठाया है, वह विषय इतना ही नहीं है कि आप देख लें। राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्यों को राजस्थान की पुलिस का कोई अधिकारी लिखकर भेज दे कि इनको राजस्थान की विधान सभा में प्रवेश नहीं दिया जाये और उसके बाद उनको प्रवेश अपन नहीं दें, यह बहुत शर्मनाक बात है। और शर्मनाक ही नहीं है, यह बहुत गलत बात है। इसलिये आसन को जो सभी माननीय सदस्यों का प्रोटेक्शन करता है, आप भी एक बार भूतपूर्व रहे हैं, मैं भी भूतपूर्व रहा हूं, कोई भी आदमी भूतपूर्व हो सकता है, कोई विधायक के खिलाफ किसी आन्दोलन में मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं, आन्दोलन में मुकदमे दर्ज होना और विधान सभा में न आने देने वाले मुकदमे में बड़ा फर्क है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, इसमें क्लीयर कट प्रिविलेज का मोशन बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आसन पर विराजमान हैं, इसको आप गम्भीरता से लें, सरकार को भी आप निर्देश दें और उन दोनों अधिकारियों ने, जिन्होंने यह लिखकर भेजा है उनसे स्पष्टीकरण लिया जाये और दोनों माननीय सदस्यों को सदन में प्रवेश की बिना जांच के अनुमति प्रदान की जाये। वे यहां हाउस में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हथियार लेकर नहीं आयेंगे अन्दर, वे हमको उड़ाने के लिये अन्दर नहीं आयेंगे। माननीय सदस्यों के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार बिलकुल अनुचित है और मैं समझता हूं, आप स्वयं एक बार भूतपूर्व रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूं, इसलिये तुरन्त आप इस पर कोग्निजेंस लेंगे और तुरन्त कोई इस प्रकार का निर्णय देंगे जिससे माननीय सदस्यों की व्यवस्थाएं और मर्यादा बनी रहे।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, इसी बात को दोहरा रहा हूं कि ...(व्यवधान) एक एस.पी. जो खुद भ्रष्ट है, जिसके खिलाफ आपके सत्ता पक्ष के सारे माननीय सदस्यों ने कल चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन दिया कि इसको हटाया जाये, उस एस पी के खिलाफ एक कांस्टेबल हिम्मत करके धरने पर बैठा हुआ है। उस एस पी की रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह श्रीगंगानगर का मैटर है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व विधायकों के बारे में मैं भी कहना चाहता हूं, मैं भी लेबर लीडर रहा हूं, मैं 20 वर्ष ट्रेड लीडर रहा हूं, मेरे खिलाफ 300 केस लगे और 58 चालान पेश हुए। इसका मतलब कल आप मुझे भी यहां आने से रोक लेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजो। उसी बात को बार-बार क्यों बोल रहे हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ऐसी कार्यवाही पर, जो विषय माननीय अमराराम जी ने यहां पर रखा है, माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने रखा है, उस पर आप उचित कार्यवाही करें। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम लोगों के वे मुकदमे बने हैं जन हित के लिये, जनता के लिये, मजदूरों के लिये। किसानों के लिये हम लोग लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं जन हित के लिये। जन हित के लिये लड़ने वाले दोनों विधायक हैं। आप उचित कार्यवाही करें, यह मेरा भी निवेदन है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार डकैती डालने वालों के तो मुकदमे वापस लेती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब किसी का अंकित मत करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: यह ऐसे नहीं चलेगा। आपके उप नेता महोदय बोल गये, बात खतम करियेगा अब। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से कितने लोग बोलेंगे? कितने माननीय सदस्य बोलेंगे? उप नेता महोदय बोल लिये। विराजिये आप।

(श्री सभापति)

सभी माननीय सदस्य सुरक्षा व्यवस्था से वाकिफ हैं कि आम आदमी भी जो विधान सभा में यहां आना चाहता है, वह आता है यहां पर और वह अपना सुरक्षा पत्र लेकर आता है, बैठता है, लेकिन चूंकि वे इस सदन के सदस्य रहे हुए हैं और भूतपूर्व तो कभी भी किसी के साथ समय के अनुसार होता रहता है, उसका बदलाव तो चलता रहता है। वह क्यों रोका, नहीं रोका, मैं इसकी शीघ्र ही जानकारी करके जो सदन की भावना है, उसके अनुसार उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी, आप यह विश्वास मानकर चलिये।

श्री अब्दुल सगीर खां।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

धौलपुर के चम्बल नदी के प्रतिबन्धित क्षेत्र में अवैध रेता-दोहन

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत धौलपुर जिले में चम्बल नदी से रेता दोहन के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, धौलपुर जिला आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। यह जिला बेकारी, बेरोजगारी, गुरबत की मार झेल रहा है। इस जिले का मुख्य आर्थिक स्रोत यहां का चम्बल नदी से निकला हुआ रेता है। एक अमुक समाज के लोग जिनकी पूरी जिंदगी इस रेते के कारोबार पर मुअस्सर है। माननीय न्यायालय द्वारा घड़ियाल संरक्षण के कानून के तहत प्रतिबंध के कारण उनके नशेमन पर ये घड़ियाल संरक्षण कानून का आदेश बिजली की तरह से गिरा है, जिसने उनके घरौंदों को जला कर राख कर दिया है। चम्बल नदी से निकला हुआ रेता जिससे निर्माण कार्यों को पूर्णता मिलती है, वहीं इस रेते से यहां के लोगों को रोजगार मिलता है। नदी की मुख्य धारा से 1 किमी क्षेत्र में से माननीय न्यायालय द्वारा घड़ियाल संरक्षण अधिनियम के तहत रेता निकालने को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा इसकी देखरेख के लिये कमेटी भी बनाई गई है। इस कमेटी द्वारा उस स्थान को चयनित कर जहां घड़ियाल प्रजनन होता है, शेष स्थान को रेता दोहन के लिये शुरू किया जाये जिससे यह कदम इस जिले की फलावहबुदी में मील का पत्थर साबित हो। तारीख गवाह है इस जिले में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो इस जिले की गुरबत को मिटाने में सहायक सिद्ध हो।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

चम्बल रेते के प्रतिबंध से निर्माण कार्य तो प्रभावित हुए ही हैं, साथ ही मजदूर भी हाथ पर हाथ रखे उस लम्हे का बेकरारी और बेताबी से मुन्तजिर है जब हुकुमते राजस्थान की नजरें इनायत इल बदनसीब और रोजगार से महरूम या बेरोजगार बेवश और बेकश अवाम को अपनी रहमतो करम से नवाजेगी। धौलपुर जिले में जहां रेता दोहन पर प्रतिबंध है, वहीं चम्बल नदी के पुल से उस ओर मध्य प्रदेश की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। वहां पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से रेता दोहन हो रहा है जिससे सिर्फ धौलपुर की जनता पीड़ित है जिसका सीधा प्रभाव धौलपुर की गरीब जनता पर पड़ रहा है और सरकारी तन्त्र इसका पूर्ण फायदा उठा रहा है। मेरा मुतालबा है वजीरे आला से जो इसमें कारगर कदम उठायें और धौलपुर के मुफलिस जदा अवाम की तकलीफ और परेशानी से राहत देने का नेक काम कर अवाम को अपनी दरियादिली का मुगायरा करें। धौलपुर की जमहर और अवाम तहेदिल से आपके रहीन और मम्नून रहेंगे।

श्री सभापति: श्री पदमाराम मेघवाल।

चौहटन में पाले से खराब हुई फसल का मुआवजा

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, आपके मार्फत विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चौहटन के 60 से 65 प्रतिशत क्षेत्र में रबी फसल की खेती होती है। इस वर्ष जीरा व अरण्डी की अच्छी फसल हुई थी, मगर इस माह की तारीख 6 व 7 फरवरी, 2012 को चली शीतलहर में पाले ने किसानों को रबी की ईसबगोल, जीरा व अरण्डी की फसलों को जला दिया। फसलें पूरी तरह से जल गईं। किसानों के द्वारा कर्ज लेकर बुआई की गई थी। चौहटन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग निवास करता है, जो अशिक्षित व गरीब तबका है, जिसके द्वारा कर्ज लेकर रबी फसलों की बुआई की गई थी, मगर इस पाले ने उनकी कमर ही तोड़ दी। एक तरफ कर्ज की अदायगी एवं बिजली के अधिक बिलों की मार व किसानों को अपने परिवार की भरण-पोषण की समस्या अलग से मार रही है। किसान बेबस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत किसानों के हितैषी मुख्य मंत्री महोदय जो हमेशा किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिये प्रयासरत रहते हैं, का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की रबी की इस

(श्री पदमाराम)

फसल के हुए नुकसान का वास्तविक आकलन कराया जावे और नष्ट हुई फसलों का मुआवजा एवं बिजली के बिलों की माफी कराने हेतु निवेदन करना चाहूंगा। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि तिहरी मार से मर रहे किसानों की ओर रहम फरमाते हुये खराबे से नष्ट फसलों का मुआवजा एवं बिजली के बिलों में छूट का पैकेज जारी करावें ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री सभापति: श्री मानसिंह।

परबतसर की पेयजल समस्या का समाधान

श्री मानसिंह (परबतसर): सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। जनता जल योजना के अन्तर्गत पेयजल उपकरणों का रखरखाव जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता था, अब यह कार्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया किन्तु ग्राम पंचायतों के पास मोटर व अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए कोई बजट राशि व विशेषज्ञ व्यक्तियों का प्रबन्ध नहीं होने के कारण मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा इस योजना के लागू करने से स्थिति सुधारने के बजाय बिगाड़ और दी है। लोगों को टैंकरों के माध्यम से व अपने अन्य निजी साधनों से पीने का पानी लाने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। पंचायतों के पास पैसा नहीं होने के कारण बिजली के बिल भी जमा नहीं करवाये जा रहे हैं जिससे विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं और पेयजल समस्या और भी विकट होती जा रही है। इस क्षेत्र में ग्राम बडू, ग्राम पीलवा, ग्राम जालमपुरा और ग्राम रोहिंडी में कुम्हारों की ढाणी, रूणीजा में राइकों की ढाणी, ग्राम ललाणा आदि में पीने के पानी की अत्यन्त समस्या है। अतः, अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर परबतसर विधान सभा क्षेत्र में लोगों की पीने के पानी की समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान कराने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिण्डा।

विराट नगर के मेड क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

खोलने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के मेड क्षेत्र में 10 ग्राम पंचायतें अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई हैं तथा विराट नगर मुख्यालय से 25-35 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। क्षेत्र में देवनारायण महाराज के वंशज एवं विशेष पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। इस क्षेत्र में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के अभाव में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा के लिये दूसरे विधान सभा क्षेत्र एवं उप-खण्ड शाहपुरा में चिकित्सा के लिये मनोहरपुर, शाहपुरा या प्रतापगढ़ (अलवर) जाना पड़ता है। सम्पूर्ण क्षेत्र टिण्डा-मटर का उत्पादक क्षेत्र भी है। जनता की वर्षों से मांग है कि विधान सभा क्षेत्र के मेड में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खोला जावे परन्तु आजादी के 65 वर्ष बाद भी सामुदायिक केन्द्र नहीं खोला गया है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि मेड में अविलम्ब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले व वित्तीय दिक्कत हो तो देवनारायण बोर्ड योजना में खोला जा सकता है।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

जैसलमेर के सम सैंड ड्यूंस के आसपास पर्यटन हेतु भूमि संपरिवर्तन पर रोक

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जैसलमेर जिले के पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यूंस के आसपास 2 किलोमीटर में पर्यटन इकाइयों के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भूमि संपरिवर्तन पर रोक लगा दी गई है जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों में भयंकर रोष व्याप्त है, जबकि पूर्व में जिले के बाहर के व्यक्तियों द्वारा भूमि संपरिवर्तन कराके पर्यटन इकाइयां व बड़े रिसोर्टस बना लिए गये हैं। स्थानीय व्यक्ति गरीब व शिक्षा की कमी होने की वजह से व सही समय पर जानकारी नहीं होने की वजह से समय पर आवेदन नहीं कर पाए और कुछ लोगों द्वारा जो आवेदन किये गये थे, उनके आवेदनों का पर्यटन व राजस्व विभाग द्वारा जानबूझकर निस्तारण नहीं किया गया। जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को इस योजना का फायदा नहीं हुआ। अब राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के नियम बनाकर स्थानीय लोगों को राजनैतिक कारणों से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार के नियमों से सम सैंड ड्यूंस पर्यटन क्षेत्र में आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार एक तरफ पर्यटन के बढ़ावे के लिये पहल कर रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार के उच्च अधिकारी जानबूझकर इस पर्यटन क्षेत्र को लुप्त करने जा रहे हैं।

(श्री शाले मोहम्मद)

इसलिये मेरा पर्यटन एवं राजस्व मंत्रीजी से आग्रह है कि स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों के हित को ध्यान में रखते हुये निर्णय लें जिससे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। इस प्रकार निर्णय लें। पूर्व में भी मुख्य मंत्रीजी को इस क्षेत्र के लिए उनकी समस्याओं के बारे में निवेदन किया गया है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

पोपलीन पर लगने वाले वैट की समाप्ति

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत बेरोजगार गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु पेटीकोट को वैट से मुक्त करने के क्रम में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बालोतरा एक औद्योगिक नगर है और यहां निर्मित पोपलीन (कपड़ा) की राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मांग रहती है। यह कपड़ा अधिकांश रूप से महिलाओं के पेटीकोट व गाउन बनाने हेतु काम आता है जिस पर राज्य सरकार द्वारा 4 परसेंट वैट लिया जाता है। जिस तरह से राज्य सरकार ने जूती व साड़ी फाल पर वैट माफ किया है, उसी तरह पोपलीन से बने 90 से 100 रुपये तक के पेटीकोट व गाउन पर वैट माफ कर दिया जाता है तो शहरी क्षेत्र में रहने वाली हजारों महिलाओं को अपने घर पर ही पेटीकोट व गाउन की सिलाई करके 100 से 125 रुपये प्रति दिन कमाने का अवसर मिल सकता है जिससे शहर में रहने वाले गरीब परिवारों को भरण पोषण के लिए रोजगार मिल सकेगा। राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति के साथ घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा है। इसी तरह अगर 90 से 100 रुपये तक के पेटीकोट व गाउन पर 4 प्रतिशत वैट माफ कर दिया जाता है तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी घर में बैठकर रोजगार का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। शहरी निर्धन महिलाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से वैट माफ करने की कार्यवाही अमल में लायी जाए।

श्री सभापति: जो आपका लिखा हुआ है वो ही बोलें आप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): हां, लिखा हुआ ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, लिखा हुआ नहीं बोल रहे, मैं देख रहा हूं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री सभापति: बस, हो गया। विराजिये। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, सरकार से मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

आज दिनांक 29 फरवरी, 2012 को शून्य काल में बोलने हेतु 25 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं, इन माननीय सदस्यों को अपनी दी हुई पर्चियों पर बोलने का है:-

1-श्री राजेन्द्र राठौड़,

2-श्री रामहेत सिंहजी,

3-श्री केसारामजी चौधरी, एवं

4-श्री शिवजीरामजी मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य में खनन माफिया को संरक्षण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सरकार के मुखिया प्रति दिन संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन की बात करते हैं पर वस्तुस्थिति में इस सरकार के रहते माफिया जितने संरक्षित हुए हैं, राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुए। शराब माफिया की बात करूं या खनन माफिया की बात करूं, मैं मेरी बात खनन माफिया तक सीमित रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मकराना के अन्दर जयपुर-जोधपुर रेलवे लाइन है। जयपुर-जोधपुर रेलवे लाइन के पास 11 प्रभावशाली लोगों की खानें हैं। इन खानों के कारण रेलवे ट्रैक को नीचे से जब खोदा गया और नुकसान होने लगा तो रेलवे मंत्रालय ने कई बार चिट्ठियां लिखीं, कई बार सम्बन्धित थाने में मुकदमे भी दर्ज किये और आखिर में राजस्थान के उच्च न्यायालय ने अभी 14 फरवरी को यह कहा कि अगर यह खनन माफियाओं का बस चले तो हाई कोर्ट को भी खोद दें और उन्होंने कहा कि इस पर सरकार निश्चित तौर पर इस प्रकार के खनन को जो आम व्यक्ति के जन-जीवन को संकट पैदा कर सकते हैं, इसको बंद करें। माननीय सभापति महोदय, इन खानों को बंद करने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की बात तो दूर रही, इसी सरकार के चलते इन प्रभावशाली लोगों ने उनका रिन्युअल भी करवा लिया। और तो और, एक मकराना-परबतसर के बीच में पुरानी मीटर गेज लाइन है, उसको तो खनन माफियाओं ने उखाड़ कर ही फेंक दिया। मैं समझता हूं कि रेलवे ट्रैक के 45 मीटर के अन्दर किसी भी प्रकार का खनन अवैध है परन्तु लोगों को संरक्षण है, खनन माफियाओं को संरक्षण है, इसलिए इस पर कोई कार्यवाही सरकार कर नहीं रही।

सभापति महोदय, यही नहीं, जैसलमेर के अन्दर हमारे सामरिक महत्व का एयर फोर्स का एक हवाई अड्डा है। एयर फोर्स के जो भी हवाई अड्डे हैं, इनके 900 मीटर के अन्दर किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जा सकता। वायु सेना के अधिकारियों ने बार-बार लिखा, बार-बार कहा और, सभापति महोदय, वायु सेना के दो लड़ाकू विमान जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वे तो इस खनन के कारण से, इनके धमाकों के कारण से जो वातावरण के अन्दर धुंधलापन आ जाता है, इसके कारण से दुर्घटनाग्रस्त भी हो गये परन्तु आज भी वहां किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। इसी 17 फरवरी को उच्च न्यायालय ने यह फटकार लगायी और जिला कलक्टर को कहा कि आप खुद मौके पर जाओ लेकिन उसके बाद भी बदस्तूर खनन कार्य जारी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे राजस्थान की चर्चा करूं तो बहुत समय लग जायेगा पर कुछ ऐसी जनरल बातें हैं और इन्हीं बातों में झुन्झुनूं के अन्दर मोड़ा पहाड़ है, उस मोड़ा पहाड़ के अन्दर खनन की शिकायतें, लोग मुख्य मंत्री कार्यालय तक गये और मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश पर सितम्बर, 2010 के अन्दर एक जांच हुई और जांच के अन्दर यह पाया गया कि 18 खानें हैं जो अवैध रूप से खनन कर रही हैं। इन 18 खानों के खनन को बंद करने के साथ 23 करोड़ की डिमांड राशि भी निकाली, 23 करोड़ का जुर्माना भी किया परन्तु, माननीय सभापति महोदय, इन लोगों के हाथ कितने लम्बे हैं, इनको संरक्षण किसका प्राप्त है, कौन ताकतें इनके पीछे हैं, एक एडिशनल डाइरेक्टर, माइन्स ने न केवल जो 23 करोड़ रुपये इनसे वसूले जाने थे, उस पर स्थगन दे दिया बल्कि उसके साथ ही सारी खानें पुनः प्रारम्भ करने का आर्डर दे दिया।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं भीलवाड़ा की बात करूं। भीलवाड़ा में नगरीय परिधि के अन्दर दरीबा पासोल और समदड़ी 2,053 हैक्टेयर के अन्दर जिंदल शाह को जहां पहले पर्यावरण की छूट नहीं थी, नगरीय सीमा में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खनन का पट्टा नहीं दिया जा सकता था, खनन नीति के अनुसार भी नहीं दिया जा सकता था, उनको खनन पट्टा दिया गया और खनन पट्टे के बाद 13 अक्टूबर, 2011 को राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला कि यह अपने कच्चे माल को, जो भी इन माइन्स से निकलेगा, ढाई लाख टन प्रति दिन, इस कच्चे माल को राजस्थान की सीमा से बाहर ले जाकर और इसका प्रसंस्करण कर सकते हैं, यानी कितने करोड़ रुपये का वैट का नुकसान राजस्थान को होगा। उसके साथ ही जो अवैध खनन वालों के ऊपर पेनल्टी माफ करने की थी तो सरकार ने मापदण्ड बदले। पूर्व में 1.4 घन मीटर के आधार पर पेनल्टी ली जाती थी, पेनल्टी को माफ करने के लिए उसको 2.4 घन मीटर किया और जब वापस उन कुछ लोगों को लाभ दे दिया तो अब वापस 1.4 घन मीटर कर रहे हैं।

यह इस सरकार का असली चेहरा है, ये जिस तरह का खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, कि इसके बारे में सरकार को नीति स्पष्ट करनी चाहिए वरना सरकार के दामन पर यह दाग है एक तरह से क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, जिस खनन के लिए हाई कोर्ट टिप्पणी कर दे, जिस खनन से रेलवे ट्रैक नीचे से खुद जाए और रेलवे अधिकारी कहें कि हमें रेलवे का संचालन बंद करना पड़ेगा; जिस जैसलमेर में खनन के कारण हमारे वायु सेना के लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं और वायु सेना के लोग लगातार लिखें कि 900 मीटर की परिधि में आप खनन नहीं कर सकते; जिस खनन के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के अलावा भीलवाड़ा में जिस तरह से हो रहा है, पहले तो अवैध रूप से आपने, जिंदल शाह को कांग्रेस के युवराज को राज़ी करने के लिए आपने यह खनन पट्टा जारी कर दिया, चलो, खनन पट्टा जारी किया, उसके बाद में ढाई लाख टन कच्चा लोहा 13 अक्टूबर, 2011 को आदेश जारी करके बिना वैट लिये, बिना सेल्स टैक्स लिये, बिना रायल्टी लिये राजस्थान की सीमा से बाहर जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह एक तरह से खान विभाग का आरोप पत्र है। मैं चाहूंगा कि सरकार का दामन साफ है तो सरकार को आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि हम इनकी जांच करायेंगे या इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मैं गलत तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं वरना यह सब जो रिकार्ड विधान सभा में लिखा जा रहा है, यह सरकार के माथे पर कलंक बनेगा।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं करना न यह? (व्यवधान) आप पक्ष में बोल रहे हो या खिलाफ?

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): नहीं, मकराना की जो आप कह रहे हो न, परबतसर-मकराना के बीच अवैध खनन हो रहा है, वह लाइन 18 साल से बंद पड़ी है, उसको हटाने के लिए कार्य भी चालू हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपसे तो पूछा ही नहीं है न उन्होंने, काहे को आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, जवाब दे रहे हैं।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): जवाब नहीं दे रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दाढ़ी में तिनका अपने आप निकल कर आ जाता है। बस की बात नहीं है। (व्यवधान) अब बस की बात नहीं रहती।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): नहीं, नहीं, तिनके की बात नहीं है।

श्री सभापति: अब विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): वह ट्रैक 18 साल से बंद पड़ा है, उसको हटाने के लिए कार्य चालू हो चुका है, वहां कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, मैं आपको यह कह रहा हूं।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह।

राज्य के सीमावर्ती जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): आदरणीय सभापति महोदय, कांग्रेस के 3 साल के शासन में आम आदमी सुरक्षित नहीं है और विशेषकर जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें जो हालात हैं, जिसमें अलवर जिला भी आता है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की बात करता हूं, किशनगढ़बास में इसी फरवरी के महीने में तीन मर्डर हुए, एक थाने से 150 मीटर पर, एक डैड बाडी मिली थाने से 500 मीटर पर और एक थाने से एक किलोमीटर दूरी पर बम्बोरा गांव के एक व्यक्ति की लाश मिली। ऐसे हालात हैं। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती।

(14.00 बजे)

सोनी नरेन्द्र की हत्या थाने के बिलकुल पास में हुई, रात को 7 से 8 के बीच में। मुलजिम बाकायदा हत्या करके बाहर निकल गये। दो दिन तक

(श्री रामहेत सिंह)

बाजार बंद रहा। सारे व्यापारियों और जिले के व्यापारियों ने भी समर्थन किया, उसके बावजूद पांच दिन का समय लिया। आज दिन तक भी मुलजिम पकड़े नहीं गये बल्कि परिवार के लोगों को ही पुलिस टार्चर कर रही है। हालत यह है कि कोई भी व्यापारी थाने में जाता है तो उससे बदसलूकी की जाती है और उससे पैसे मांगे जाते हैं। थाना क्या कर रहा है? थाना दलाल, प्रोपर्टी डीलर या दारू माफिया, खान माफिया, इनसे मिलकर सौदा करता है।

एक व्यापारी जो व्यापार मण्डल का वहां का अध्यक्ष है, उसने थाने में जाकर सबके बीच में जिस दिन धरना था, कहा कि मेरे भाई को पुलिस उठा ले गयी, हम व्यापारी जब मिलने गये कि इसका दोष क्या, बोले, इसने फलां व्यक्ति से एग्रीमेंट कर रखा है, यह एग्रीमेंट रजिस्टर ही नहीं करा रहा। जब बात हुई तो सारे व्यापारियों ने बीच में कहा कि हमसे पांच हजार रुपये लेकर पांच दिन से मिलने की मोहलत दी है कि आप राजीनामा करके आइये। जब राजीनामा करने लगे उस एग्रीमेंट वाले से तो उसने कहा कि मैं डेढ़ लाख रुपये कम दूंगा क्योंकि मैंने पुलिस के एस एच ओ को डेढ़ लाख रुपया दिया है, वह आपसे काटूंगा। यह थाने का काम है। एक प्रतिष्ठित व्यापारी और जब सभा में उसने अपना भाषण दिया तो उसके बाद पुलिस ने उसके पैसे लौटाए। यही हालत रही।

108 वहां नहीं थी, हास्पिटल में डाक्टर नहीं थे, पूरे बाजार ने उसको घेर कर रखा और ए डी एम ने अलवर से आकर घोषणा की कि तीन डाक्टरों को हम तत्काल प्रभाव से हटाते हैं, आज तक वे उसी हास्पिटल में काम कर रहे हैं। ऐसी ही हालत सब जगह है। तो पुलिस कर क्या रही है?

अभी दो दिन पहले 26 तारीख की बात है, उसी किशनगढ़बास में चार दुकानों के ताले टूटे। एक दुकानदार व्यापारी है शंकर भगत, उसकी दो दुकानें थीं, एक तो खाद बीज की थी और एक मेडिकल की थी, दोनों के ताले टूटे; एक रामा मेडिकल है उसके ताले टूटे; और एक किशन पंजाबी है उसके भी ताले टूटे लेकिन लोग थाने में जाकर एफ आई आर दर्ज कराना नहीं चाहते। यह किशनलाल पंजाबी है जिसकी छह महीने पहले एक दुकान पर चोरी हुई, उसने एफ आई आर दर्ज कराई, दुबारा उसको खैरथल जाते समय रात को लूट लिया, एक लाख रुपये उससे खोस लिए। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई और कोई अर्थ नहीं निकला और उसी को टार्चर किया गया। अबकी बार व्यापारियों ने कहा कि आपके यहां चोरी हुई है, बीस-तीस हजार का माल गया, आप एफ

(श्री रामहेत सिंह)

आई आर दर्ज कराइये, बोले, मेरे को ही ये फंसा देंगे उल्टा। इन्होंने तय कर रखा है, कोई चोरी का माल बरामद नहीं करते। थाने के पास ही वहीं दोनों तरफ चैक पोस्ट बना रखी हैं अलवर और तिजारा रोड़ पर लेकिन वे करते क्या हैं, अभी ट्रक भरा हुआ किशनगढ़बास से, बजरी का ट्रक था, नीली बत्ती लगाकर बोलेरो में आए और उसको चोरी करके ले गये लेकिन थाने में कोई एफ आई आर दर्ज नहीं होती है।

यही हालत है बिजली के ट्रांसफार्मर की। अलवर जिले में लगभग तीन साल में पचास करोड़ के बिजली के सामान चोरी हो गये लेकिन पांच एफ आई आर में भी मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया। यह कानून व्यवस्था है हमारे जिले की।

हालत यह है, सदर थाना भिवाड़ी पड़ता है, वह तो खनन माफियाओं का अड्डा बना हुआ है। उसने तो तय कर रखा है, दो हजार ट्रक रोज निकलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा हुआ है तो उल्टा रास्ता बता रहे हैं। उससे पूछे कौन, वे मिलते ही नहीं और हालात यह है कि भिवाड़ी एडिशनल एस पी और डी वाई एस पी, जनता में ही भय नहीं है, पुलिस के अधिकारियों में भी भय है। वे अपने घरों पर नहीं रहते, बिल्डर्स के यहां मकान ले रखे हैं, फ्लैट में रहते हैं। आप रात को फोन करके पूछना, गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, आप पूछना, जो बंगले उनको अलाट हैं, वहां रहते हैं क्या वे। वहां नहीं रहते। उनके बच्चों को भी डर लगता है। यह सदर थाने की बात कर रहा हूं, भिवाड़ी की। उसमें तो यह हालत है, सरेआम चेन खोस ली जाती है, सरेआम लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, व्यापारियों को लूट लिया जाता है लेकिन जो अपराधी हैं उनसे पुलिस बैठकर थाने में राजीनामा करा देती है। उद्योगपति को लूटा।

ऐसे ही खुशकेड़ा की बात बताना चाहता हूं, खुशकेड़ा में दो व्यापारियों के यहां लूट हुई, व्यापारियों ने पीछा करके उस माल को पकड़ा, मुलजिमों को पकड़ा और थाने ने बैठाकर उसका राजीनामा करा दिया। थाना कौन चला रहा है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से, टपूकड़ा थाने में छह महीने से थानेदार नहीं है। एक ए एस आई जिसको उसी थाने से सस्पेंड करके हटाया था, उसी को इन्चार्ज बना दिया। एक थानेदार को भेजा, ट्रेप के केस में उसने अपने आपको गोली मार दी। पुलिस के लोग भी भयभीत हैं। जनता ही नहीं, पुलिस के अधिकारी भी वहां नहीं लगना चाहते क्योंकि गुण्डाराज बना हुआ है।

(श्री रामहेत सिंह)

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में कोटकासिम थाना पड़ता है, पिछले चार महीने में लगभग सौ ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं लेकिन एफ आई आर दर्ज नहीं करते। पांच-छह गांवों में जब चोरी हो जाते हैं ट्रांसफार्मर, तो एक एफ आई आर में ही पांच-छह चोरियों का हवाला दे देते हैं। यह हालत है हमारे यहां की।

पुलिस के लोग सिर्फ दारू बिकवाने का काम करते हैं कि हरियाणा से दारू आएगी, पुलिस तैनात रहती है कि दारू ठिकाने पर पहुंच जाए। एक ठेकेदार के पास एक दुकान है, पचास उसने ब्रांच दे रखी हैं। इसी तरह से अवैध खनन के ट्रक कहां से निकलेंगे, इस व्यवस्था में लग रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक ही बात को आप बार-बार रिपीट करते जा रहे हो। ट्रांसफार्मर की बात आपने दो बार कह दी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): मैंने एक भी बात रिपीट नहीं की है।

श्री सभापति: पर्ची के माध्यम से थोड़ा संक्षिप्त करो आप।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): संक्षिप्त ही कह रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं...

श्री सभापति: हो गया आपका।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, अलवर जिले में मर्डर बढ़ गये, आम जन में भय का माहौल है। पुलिस के अधिकारी थानों में नहीं लगते हैं, अपने बंगलों पर रहते नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: ठीक है। श्री केसाराम चौधरी।

कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा से जन मानस में व्याप्त असंतोष

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हेतु वन्य जीवों एवं वन्य सम्पदा के संरक्षण हेतु 508 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है जिसके आधार पर जिला कलक्टर पाली ने पत्र क्रमांक राजस्व 212-464 दिनांक 2 फरवरी, 2012 को पाली जिले के 41 गांवों की उद्घोषणा जारी कर दी है।

(श्री केसाराम चौधरी)

(14.07 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो इस राजस्थान सरकार ने वहां के किसी जन प्रतिनिधि से, न किसी वार्ड पंच या सरपंच से, वहां के प्रधान या किसी एम एल ए या किसी तरह की कोई चर्चा किये बिना उन्होंने यह घोषणा कर दी और यह घोषणा करने से वहां के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। वहां के लोग इस चिन्ता में हैं कि हमको इस क्षेत्र से हटा दिया जाएगा। वे लोग जहां रह रहे हैं, उनकी खेती की खातेदारी जमीन है, हजारों वर्षों से वहां रहने वाले, उनके कुएं, बावड़ियां, उनके तालाब, एनिकट्स उस जमीन में आए हुए हैं और वे इस चिन्ता में डूब गये हैं कि हमको यहां से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, ये वे लोग हैं जो मुगल बादशाहों के साथ संघर्ष के समय, महाराणा प्रताप का सहयोग करने वाले लोग जो इन अरावली घाटी के पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, बहादुर लोग, उन बहादुरों के जीवन का खतरा बन गया है। वे इकतालीस गांव पाली जिले के इस चिन्ता में डूबे हुए हैं कि हमको न मालूम यहां से कब हटा देंगे।

यह राष्ट्रीय उद्यान कुम्भलगढ़ कितने क्षेत्र में बनेगा और कैसे बनेगा; वहां पर तीन-तीन, चार-चार सड़क मार्ग निकलते हैं जो मारवाड़ को मेवाड़ की धरा से मिलाते हैं, स्टेट हाई-वे है, हाई-वे को भी किस तरह से सरकार निकालेगी; इसकी किसी तरह की कोई चर्चा किये बिना उन लोगों को वहां से विस्थापित कर यह राष्ट्रीय उद्यान बनायेंगे, उनको वहां से हटायेंगे या उनके साथ सरकार क्या करना चाह रही है? उनको पहले स्थापित करने की कोई योजना बनाई होती या इनके लिए क्या इनको हटायेंगे?

जहां मैदानी क्षेत्र है वहां पर बहुत अच्छी खेती पैदा होती है मगर यह सरकार उन वन्य जीवों और वन्य सम्पदा के लिए चिन्ता करती है। राजीव गांधी के नाम को खुश करने के लिए, केवल सोनिया गांधीजी को खुश करने के लिए राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से 508 वर्ग किलोमीटर की जमीन, उन काश्तकारों की जमीन जो हजारों वर्षों से वहां रह रहे हैं, उनको हटाकर आप क्या करना चाह रहे हैं? केवल मनुष्य ही वहां नहीं रहे और वन्य प्राणियों की चिन्ता करें, आज इन्सान के खाने और रहने के लिए जगह नहीं है और आप वन्य प्राणियों की चिन्ता करते हैं।

आपकी इच्छा है, वह अच्छी बात है मगर ऐसे मैदानी क्षेत्र जो खेती योग्य हैं, मेरे क्षेत्र के 23 गांव भी कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आयेंगे।

(श्री केसाराम चौधरी)

उन क्षेत्र के लोगों को इस कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र से बाहर निकाला जाए ताकि वे लोग वहां रह सकें या उनको यह सांत्वना दी जाए कि आप चिन्ता नहीं करें। उनके जीवन की चिन्ता भी सरकार को करने के लिए, पहले उनको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, नहीं तो वे लोग उस जमीन से सैकड़ों वर्षों पहले जो राणा प्रताप के साथ युद्ध में लड़े थे, उनको शस्त्र उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा और आने वाले समय में वह डाकुओं का और दूसरा रोल करना पड़ेगा क्योंकि उनकी जमीन, खेती की जमीन आप सब छीन लेंगे। इससे उस क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिये मेरे क्षेत्र के 23 गांव आते हैं, उनको इस क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। इसकी पुरजोर मांग करता हूं। जनता उद्वेलित है, हर गांव में जनता सड़कों पर बैठी है, गांव-गांव पंचायतें कर रहे हैं और जिले पर धरना देने के लिये जा रहे हैं। ऐसी सूरत में सरकार को इस पर पुनर्विचार करके मेरे क्षेत्र के 23 गांवों को कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बाहर निकालना चाहिये। यह मेरी मांग है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री शिवजीराम मीणा।

ऊंचा ग्राम पंचायत, जहाजपुर को पेयजल योजना से लाभान्वित नहीं करना

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत ऊंचा की शिव कालोनी, हनुमान नगर, अम्बेडकर नगर, ज्योति कालोनी, देवलीनगर पालिका के चारों तरफ बसे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से जानकारी है, उन सभी कालोनीज में भूतपूर्व सैनिक, सैनिकों के परिवार और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहां पेयजल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पिछली सरकार के समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं धन्यवाद देता हूं उनको, दिनांक 11.10.2007 को एक महती योजना हनुमान नगर पेयजल स्कीम के नाम से स्वीकृत कर 209.71 लाख रुपये की व्यवस्था की। योजना स्वीकृत होने के बाद में उसका काफी काम पूर्ण हो गया है। उच्च जलाशय बन गये हैं, उसकी पाइप लाइन डल गयी है, सोर्स बन गये हैं और आपने 31 मार्च, 2010 को मेरे विधान सभा क्वेश्चन के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि इस योजना के अन्तर्गत स्वच्छ जलाशय एवं उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण

(श्री शिवजीराम मीणा)

कर लिया गया है, राइजिंग मेन पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा पम्प सेट की आपूर्ति कर ली गयी है, वितरण पाइप लाइन का कार्य शेष है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है, उसे दो साल गुजर जाने के बाद भी इस योजना को प्रारम्भ नहीं किया गया। वहां के लोगों को पेयजल का भयंकर संकट है। वे लोग इस आशा से वहां बसे थे कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलायेंगे। अच्छी तालीम दिलायेंगे, सारे के सारे भूतपूर्व सैनिक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग आपसे भी कई बार मिल चुके हैं।

इस महती योजना को आपकी गम्भीर, संवेदनशील, जनता के प्रति जवाबदेह का दम भरने वाली सरकार ने पुनः नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये आदेश किये हैं। बीच में राइडर डाल दिया पाइप लाइन चेंज करने के लिये। विभाग ने नयी पाइप लाइन डालने के लिये स्कीम बनाकर भेजी, उसमें राइडर डाल दिया कि इसमें 30 परसेंट पैसा जमा कराओ। वहां के लोगों ने पैसा भी जमा कराया। वहां के लोगों ने आन्दोलन किया तो उस राशि को कम किया, 10 परसेंट कर दिया। वैसे तो ग्रामीण स्कीम है यह, 30 परसेंट पैसा लेना नहीं चाहिये, फिर भी उन्होंने पैसा जमा करा दिया। आपने मुझे अभी सूचित किया है, 10.2.2012 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कि हनुमान नगर, तहसील देवली, जिला टौंक की इस जल योजना के प्रस्ताव को विभाग की प्रस्तावित नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाकर योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2007 में स्कीम स्वीकृत हुई, आपने 2010 में कहा कि जल्दी ही पानी दे दिया जायेगा और अब आप यह बता रहे हैं कि नीति निर्धारण समिति के समक्ष रिवाइज स्कीम भेजी गयी है। वहां के लोगों को पेयजल की भयंकर समस्या है। आपसे भी कई बार वे लोग मिल चुके हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि उस स्कीम को जल्दी ही चालू किया जाए। वहां सारे के सारे लोग या तो भूतपूर्व सैनिक हैं या सैनिकों के परिवार रहते हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिये देवली के समीप वे आकर बसे हैं। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना है कि उस स्कीम को जल्दी चालू कराया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार टीकड़ ग्राम जो आप ही की कांस्टीट्यूएंसी के बिलकुल नजदीक बसा हुआ है, वहां पर भी 2007 में एक

(श्री शिवजीराम मीणा)

टीकड़ पाइप स्कीम के नाम से, संवर्द्धन स्कीम के नाम से राशि स्वीकृत की गयी थी। उसका भी करीब-करीब सारा कार्य पूर्ण हो गया है। आपने मुझे 2.4.2010 को विधान सभा क्वेश्चन के माध्यम से यह जवाब दिया है, ''ग्रामीण जल योजना ऊंचा टीकड़ के ग्राम टीकड़ में उच्च जलाशय निर्माण एवं पाइप लाइन कार्य की योजना पूर्व में कार्यरत जल योजना के विद्यमान स्रोत पर्याप्त होने के कारण इस योजना में नये जल स्रोत के निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया है। स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप उच्च जलाशय निर्माण एवं पाइप लाइन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।'' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी दो साल व्यतीत होने के बाद आज तक उस गांव को पानी नहीं मिल रहा है। यह कैसी गम्भीर, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार है? 2010 में सारा कार्य पूर्ण हो गया लेकिन आज तक उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बहुत ही गम्भीर संकट उनके सामने है।

देवली के समीप बसी हुई कालोनीज में और टीकड़ में लोगों को पेयजल के लिये भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन स्कीम्स को जल्दी से जल्दी चालू करवाकर उन्हें पेयजल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय, विराज रहे हैं, जब आपने यह स्वीकार कर लिया, 2010 में सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, फिर इसमें विलम्ब किसलिये हो रहा है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इन योजनाओं को कब तक चालू कर देंगे? उन्हें कब शुद्ध और मीठा पेयजल उपलब्ध करायेंगे? जय हिन्द। जय भारत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त तथा प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, वित्त मंत्री हैं नहीं लेकिन इनको रखने का अधिकार है। जो माननीय मंत्री रखते हैं, अधिसूचनाओं के बारे में उनसे हम जानकारी प्राप्त करना चाहें, वह जानकारी अगर आपके पास है, तब तो आप रखें और वह जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को बुला लें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)प्र.सु. एवं स./ग्रुप-1/2008 दिनांक 20.10.2011 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम, 2011 विरचित किये गये हैं;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5.10.2011 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रावधान लागू किये गये हैं एवं सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये हैं;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 16.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5.10.2011 में कतिपय संशोधन किये गये हैं;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)प्र.सु. एवं स./ग्रुप-1/2008 दिनांक 20.10.2011 जिसके द्वारा विभागों के समस्त प्रभारी सचिवों को उनके अपने-अपने विभागों के लिये पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हैं; एवं

5- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)प्र.सु. एवं स./ग्रुप-1/2008 दिनांक 20.10.2011 जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रथम अपील को निपटाने के लिये समय सीमा नियत की गई है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, यातायात राज्यमंत्री, यातायात विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक और है। एक और है।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा।

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 44 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.2(25)वित्त/कर/2011-38 दिनांक 12.8.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-155 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.2(25)वित्त/कर/2011-39 दिनांक 12.8.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/2011-40 दिनांक 1.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/2011-41 दिनांक 1.9.2011 जिसके द्वारा कतिपय अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित पावरलूम सेक्टर में रजिस्ट्रीकृत नये उद्यमों द्वारा सूत के क्रय पर संदेय कर से 80 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.2(40)वित्त/कर/11-42 दिनांक 12.9.2011 जिसके द्वारा राजकीय कम्पनियों द्वारा अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाये जाने के संशोधित आर्टिकल आफ एसोसिएशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.2(36)वित्त/कर/2011-43 दिनांक 12.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के तहत विलम्ब से किये गये अभ्यावेदनों में देय लेट फीस की छूट प्रदान की गई है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(101)वित्त/कर/2011-45 दिनांक 12.9.2011 जिसके द्वारा रजिस्टर्ड डीलर्स वर्क्स कान्ट्रेक्ट को वस्तुओं के हस्तान्तरण पर देय कर में छूट प्रदान की गई है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.12(92)वित्त्त/कर/2011-46 दिनांक 15.9.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-169 दिनांक 30.3.2011 को अतिष्ठित कर ऐसे व्यवहारियों, जिन्होंने

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

30.9.2011 तक वर्ष 2009-10 से संबंधित समस्त विवरणियां फाइल कर दी हैं और समस्त शोध्य कर निक्षिप्त करा दिये हैं, द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये संदेय शास्ति की रकम और ब्याज का इसके द्वारा अधित्यजन किया गया है;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(92)वित्त/कर/2011-47 दिनांक 15.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(91)वित्त/कर/2011-48 दिनांक 20.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त्त/कर/2011-49 दिनांक 20.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-20(1) के अन्तर्गत व्यवहारियों द्वारा कर संदत्त किये जाने के अंतराल विनिर्दिष्ट किये गये हैं;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/2010-53 दिनांक 30.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 30.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के भीतर औषधियों/चिकित्सा उपस्करों के क्रय या विक्रय पर वैट में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/2010-55 दिनांक 30.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड़ द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में लाई गई औषधियों/चिकित्सा उपस्करों को प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(124)वित्त/कर/2011-57 दिनांक 3.10.2011 जिसके द्वारा प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जयपुर में आयोजित किये जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, 2010 के प्रतिनिधियों को 6 से 10 जनवरी, 2012 तक की कालावधि के लिये वास सुविधा उपलब्ध कराने पर होटलों द्वारा संदेय कर से विलासिता कर में छूट दी गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(40)वित्त/कर/2010-59 दिनांक 11.10.2011 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बसों की बॉडी क्रय करने पर वैट से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.2(45)वित्त/कर/09-60 दिनांक 21.10.2011 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड़ को 74 करोड़ रुपये के शेयर प्रमाण पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति प्रदान की गई है;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(138)वित्त/कर/2009-61 दिनांक 25.10.2011 जिसके द्वारा सोलर फोटोवोलटेक पावर पॉइन्ट के लगाये जाने पर कैपिटल गुड्स पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)वित्त/कर/09-62 दिनांक 25.10.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)वित्त/कर/09-58 दिनांक 3.11.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.4(25)वित्त/कर/2003-63 दिनांक 2.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(167)वित्त/कर/2009-64 दिनांक 2.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(49)वित्त/कर/2011-65 दिनांक 4.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(49)वित्त/कर/2011-66 दिनांक 4.11.2011 जिसके द्वारा राज्य में औद्योगिक गैसों का विनिर्माण करने वाले व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर विनिर्मित माल के विक्रयों पर संदेय कर में 75 प्रतिशत सशर्त छूट प्रदान की गई है;

24- अधिसूचना संख्या : एफ.5(31)वित्त/कर/2011-67 दिनांक 15.11.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-68 दिनांक 17.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2011-12 में रुपये 400 करोड़ के अपरिवर्तनीय बाण्ड जारी करने पर प्रभार्य शुल्क कम किया जावेगा और 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

26- अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त्त/कर/10-69 दिनांक 17.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ के 15 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट्स को स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)वित्त/कर/2010-70 दिनांक 23.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

28- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)वित्त/कर/2010-71 दिनांक 23.11.2011 जिसके द्वारा मैसर्स होण्डा मोटर साइकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को कच्ची सामग्री, घटकों और पुर्जों के क्रय पर 5 प्रतिशत से अधिक संदेय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.12(70)वित्त/कर/2011-72 दिनांक 30.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

30- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/2010-78 दिनांक 6.10.2010 में संशोधन किया गया है;

31 अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/2010-79 दिनांक 6.10.2010 में संशोधन किया गया है;

32- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/2010-75 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 में संशोधन किया गया है;

33- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/2010-76 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त्त/कर/2010-81 दिनांक 6.10.2010 में संशोधन किया गया है;

34- अधिसूचना संख्या : एफ.12(20)वित्त/कर/2011-77 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा राज्य के मोटरयानों के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों द्वारा संदेय कर (प्रवेश कर) में 50 प्रतिशत के संदाय का सशर्त आस्थगन किया गया है;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/2009-78 दिनांक 9.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/2010-86 दिनांक 9.3.2010 में संशोधन किया गया है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

36- अधिसूचना संख्या : एफ.12(125)वित्त/कर/2009-79 दिनांक 14.12.2011 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

37- अधिसूचना संख्या : एफ.12(39)वित्त/कर/11-80 दिनांक 15.12.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

38- अधिसूचना संख्या : एफ.3(20)वित्त/कर/11-81 दिनांक 23.12.2011 जिसके द्वारा डालीबाई सेवा संस्थान, जोधपुर को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

39- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2009-पार्ट-82 दिनांक 6.1.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/09-48 दिनांक 3.8.2009 में संशोधन किया गया है;

40- अधिसूचना संख्या : एफ.2(45)वित्त/कर/09-83 दिनांक 12.1.2012 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के शेयर सर्टिफिकेट पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

41- अधिसूचना संख्या : एफ.12(106)वित्त/कर/2011-84 दिनांक 17.1.2012 जिसके द्वारा राज्य में जन वितरण प्रणाली के द्वारा बेचे जाने वाले केरोसीन को दिनांक 9.3.2011 से प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

42- अधिसूचना संख्या : एफ.12(106)वित्त/कर/2011-85 दिनांक 17.1.2012 जिसके द्वारा राज्य में जन वितरण प्रणाली के द्वारा बेचे जाने वाले केरोसीन को दिनांक 19.6.2011 से प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

43- अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2011-86 दिनांक 27.1.2012 जिसके द्वारा राज्य में सोलर थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है; एवं

44- अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)वित्त/कर/10-87 दिनांक 2.2.2012 जिसके द्वारा जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा बसों के क्रय पर वैट से छूट प्रदान की गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह आपने रखवा दी; उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पूछा था कि आपको इनकी जानकारी है ? तो मैं पूछ रहा हूं ना। जैसे अपने 9 नम्बर पर अधिसूचना संख्या एफ. (42)वित्त/दिनांक 15.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन, क्या संशोधन किया गया है जिसकी अधिसूचना आप रख रहे हैं?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के भीतर औषधियों/चिकित्सा उपस्करों के क्रय या विक्रय पर वैट में सशर्त छूट प्रदान की गई है; वह शर्त क्या है जिसके आधार पर छूट दी गयी थी?

तीसरा, 6 से 10 जनवरी, 2012 तक की कालावधि के लिये वास सुविधा उपलब्ध कराने पर होटलों द्वारा संदेय कर से विलासिता कर में छूट दी गई; यह क्या छूट है, कितना इसका राजकोष पर हुआ है? ये तीन बातें अगर आप बता देंगे, तीन जगह और मूल्य परिवर्धित कर 29, 34, 37, 22, 21 और 20 नम्बर, इनमें भी मूल्य और वैट पर छूट दी गयी है, इन सबका राजकोष पर क्या असर पड़ा है? जरा ये बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, यातायात राज्यमंत्री, यातायात विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या हुआ, उपाध्यक्षजी? कल से आप माननीय मुख्य मंत्रीजी को ही भेज दिया करो। समझ गये ना आप? आप जोरामर्दी का ठेका क्यों ले रहे हो।

यातायात विभाग

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार यातायात विभाग की निम्नांकित 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(62)परि/कर/मु/08 दिनांक 26.4.2011, जिसके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनेलिसिस (आई इण्डिया) संस्थान, जयपुर के कतिपय वाहनों को सशर्त कर से मुक्त किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(64)परि/कर/मु/08 दिनांक 24.5.2011, जिसके द्वारा प्रयास संस्थान, जेड-ए, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर के वाहन चैसिस संख्या : एमएटी-357251-ए-8-डी-15-941 को क्रय तिथि से 3 वर्ष की अवधि हेतु सशर्त कर मुक्त किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(96)परि/कर/मु/10/ दिनांक 27.5.2011, जिसके द्वारा दिनांक 1.6.2011 से 14.6.2011 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने वाले यात्री वाहनों के लिये देय करों का परिहार किया गया है;

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 25.8.2011, जिसके द्वारा क्यूआरजी फाउंडेशन, अलवर द्वारा क्रय किये गये कतिपय वाहनों को सशर्त कर मुक्त किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(75)परि/कर/मु/08 दिनांक 26.8.2011, जिसके द्वारा दिनांक 28.8.2011 से 10.9.2011 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जैसलमेर) आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये देय करों का परिहार किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(77)परि/कर/मु/04/12344 दिनांक 27.9.2011, जिसके द्वारा नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट, उदयपुर के वाहन संख्या-आरजे-27-पीए-3201 को सशर्त कर मुक्त किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.6(214)परि/कर/मु/11 दिनांक 21.11.2011, जिसके द्वारा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जयपुर के वाहन 14 सीटर टैम्पो ट्रेवलर को सशर्त कर मुक्त किया गया है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.6(229)परि/कर/मु/11 दिनांक 15.12.2011, जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर के वाहन टाटा मैजिक को सशर्त कर मुक्त किया गया है; एवं

9- अधिसूचना संख्या : एफ.6(260)परि/कर/मु/11/17894 दिनांक 16.12.2011, जिसके द्वारा नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की तिथि के पश्चात् की अवधि के देय कर, अधिभार ,शास्ति एवं ब्याज की छूट प्रदान करने बाबत् एवं नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त वाहनों पर दिनांक 31.3.2008 तक बकाया कर, दिनांक 15.3.2012 तक जमा करवाने की शर्त पर शास्ति एवं ब्याज पर छूट प्रदान की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जन लेखा समिति, 2011-2012 समिति के 25 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (वर्ष 2011-12) के प्रतिवेदन (सं. 118 से 142)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2011-12 के निम्नांकित 25 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. जन लेखा समिति, 2007-08 के 213वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सहायता विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 118वां प्रतिवेदन।

2. जन लेखा समिति, 2009-10 के 37वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 119वां प्रतिवेदन।

3. जन लेखा समिति, 2010-11 के 40वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 120वां प्रतिवेदन।

4. जन लेखा समिति, 2007-08 के 203वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 121वां प्रतिवेदन।

5. जन लेखा समिति, 2010-11 के 56वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट वित्त विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 122वां प्रतिवेदन।

6. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 4.4.1 तथा वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 3.4.6 में समाविष्ट कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 123वां प्रतिवेदन।

7. जन लेखा समिति, 2010-11के 43वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 124वां प्रतिवेदन।

8. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 3.1.6 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 125वां प्रतिवेदन।

9. जन लेखा समिति, 2010-11के 47वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 126वां प्रतिवेदन।

10. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 3.4 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 127वां प्रतिवेदन।

11. जन लेखा समिति, 2010-11के 41वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 128वां प्रतिवेदन।

12. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 4.2.2 सार्वजनिक निर्माण एवं तकनीकी शिक्षा तथा वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद 3.2.3 सार्वजनिक निर्माण उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 129वां प्रतिवेदन।

13. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 4.5.2 सहकारिता विभाग, वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 4.1.3 व 4.4.10 तथा वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 3.4.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 130वां प्रतिवेदन।

14. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा.प्रा.) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 131वां प्रतिवेदन।

15. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा.प्रा.) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 132वां प्रतिवेदन।

16. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा.प्रा.) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 133वां प्रतिवेदन।

17. जन लेखा समिति 2008-09 के 270वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 134वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

18. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा.प्रा.) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 135वां प्रतिवेदन।

19. जन लेखा समिति, 2009-10के 36वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 136वां प्रतिवेदन।

20. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 3.4 में समाविष्ट सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 137वां प्रतिवेदन।

21. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 1.6.4 व 3.4 वन, जेल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं राजकीय उपक्रम तथा वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 3.1.7 व 3.3.3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 138वां प्रतिवेदन।

22. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा.प्रा.) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट भू राजस्व एवं विद्युत कर विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 139वां प्रतिवेदन।

23. जन लेखा समिति,2010-11के 59वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर विभाग की सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 140वां प्रतिवेदन।

24. विनियोग लेखे वर्ष 2008-09 में बताये गये दत्तमत्त, अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेकों से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 141वां प्रतिवेदन।

25. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2003-04 में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर एवं अल्पबचत निदेशालय (विभाग समाप्त) स्थानान्तरित स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 142वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2011-2012 समिति के 2 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2011-12) के प्रतिवेदन (सं. 2 व 3)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति 2011-12 के दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- सैनिक कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, गृह, सार्वजनिक निर्माण, संसदीय कार्य, मत्स्य, खादी एवं ग्रामोद्योग, सहकारिता, देवस्थान, वित्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा, कृषि, कारागार, श्रम, इंदिरा गांधी नहर, पर्यटन, पर्यावरण, यातायात, सामान्य प्रशासन, आयोजना, प्रशासनिक सुधार, ऊर्जा, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, सम्पदा, कला एवं संस्कृति, सहायता, तकनीकी शिक्षा, विधि एवं डेयरी विभाग के वर्ष 2007 के आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2011-12 का द्वितीय प्रतिवेदन; एवं

2- पर्यावरण, कृषि विपणन, सहायता, श्रम एवं नियोजन, खादी एवं ग्रामोद्योग, देवस्थान, सिंचित क्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त, स्वायत्त शासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, उच्च शिक्षा, पशुपालन, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, कृषि, विधि, मत्स्य, डेयरी, संसदीय कार्य, पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, युवा एवं खेलकूद, सामान्य प्रशासन, वक्फ, उपनिवेशन, ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 2008 के आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2011-12 का तृतीय प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, विशेषाधिकार समिति, 2011-12 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

विशेषाधिकार समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (सं. 1)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विशेषाधिकार समिति, 2011-12 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री महेन्द्र चौधरी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में सम्माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। विपक्ष के कई सम्मानीय सदस्यों को मैंने कल बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद मैं भी इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बोलने का नम्बर आयेगा ताकि जो उन्होंने बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में कही हैं, उनके बारे में मैं भी अपनी बात को कह सकूं। जब से जनता ने इनको नकारा है, तब से इनका काम खाली इस अभिभाषण को पढ़ना, इसमें अशुद्धियों को ढूंढना, प्रूफ रीडर की तरह व्यवहार करना और इस सदन के अन्दर, सदन को और पूरी जनता को गुमराह करने का रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सांगानेर से आने वाले सदस्य जो कि बहुत सीनियर सदस्य हैं, जब कल वे बोल रहे थे तो मैंने उनको बहुत ही गौर से सुना था। उन्होंने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की कई कार्यों में प्रशंसा भी की और सदन में कई इस प्रकार के असत्य आंकड़े भी पेश किये। मुझे समझ में यह आता है कि जब ये बोल रहे थे तो माननीय प्रतिपक्ष की नेता यहां सीट पर बैठी थीं और उनकी मौजूदगी में आपने एक प्रश्न किया चिकित्सा के बारे में। जब उस सब्जेक्ट पर बोलने लगे तो मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, मुख्य मंत्री सहायता कोष और शिशु जननी सुरक्षा योजना का पाइंट जब आपने बोला तो उस पर आपने यह कहा कि इसको भी मुख्य मंत्रीजी के नाम पर क्यों नहीं रख दिया गया। आपने महिलाओं के लिए विधान सभा में इस प्रकार की अपमानजनक बात कही। महिला मुख्य मंत्री रहते हुए पिछले कार्यकाल के अन्दर जो कार्य हुए, वे भी आपको अच्छी तरह ध्यान हैं। मैं चाहूंगा, तिवाड़ी साहब, दो मिनट आप थोड़ा बैठते तो मुझे भी आपको मेरी बात ढंग से कहने का मौका मिलता, क्योंकि मैंने भी आपको सुना था और उसी सब्जेक्ट पर मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिशु जननी सुरक्षा योजना, यह राजस्थान सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, उसको शहर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान सकता। शहर से जीतकर आने वाला कोई भी निर्वाचित जन-प्रतिनिधि नहीं जान सकता, जितना गांव से और ढाणी से आने वाला व्यक्ति जान सकता है। आज गांव और ढाणियों में रहने वाली हमारी महिलाएं, जो मां भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, उनका जब प्रसव का समय

(श्री महेन्द्र चौधरी)

आता है, जब उनको साधन नहीं मिलता है, जेब में किराया नहीं होता है, वह या तो खुद दम तोड़ देती है या उनका बच्चा दम तोड़ देता है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने और सोनिया गांधीजी ने उस तकलीफ को समझा, जो योजना दिल्ली के अन्दर लागू की थी उसको राजस्थान के अन्दर लागू किया। उसके लागू होने के बाद में सबसे ज्यादा फायदा गांव की महिलाओं को मिला। आज अगर ऐसी स्थिति आती है तो 108 पर फोन किया जाता है, एम्बुलेंस आ जाती है और अगर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है तो दूसरी किराये की गाड़ी भेज दी जाती है। वह उस औरत को हास्पिटल लेकर के आती है, हास्पिटल में उसका इलाज कराते हैं, मुफ्त जांचें कराते हैं, उसको भोजन देते हैं, दवा देते हैं। अगर उसका इलाज वहां नहीं होता है तो दूसरी जगह ले जाते हैं और वापस छोड़ने भी आते हैं। पूरा आने-जाने का किराया गवर्नमेंट देती है। उस निर्धन परिवार की, बी पी एल परिवार की औरत को जब वापस छोड़ते हैं तो पांच किलो देशी घी की पीपी भी उसको साथ में देते हैं। इस प्रकार की योजना का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सहायता कोष के अन्दर हजारों, लाखों लोगों को करोड़ों रुपया मिल चुका है। जिस गरीब आदमी को डाक्टर बता देता था कि 2 लाख रुपया लगेगा, 3 लाख रुपया लगेगा, जो मजदूर 100 रुपये कमाकर लाता था नरेगा के अन्दर, उससे जब 3 लाख रुपये की बात की जाती थी तो वह इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन मुख्य मंत्री सहायता कोष के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध करवायी गयी, उसके तहत आज उस मरीज का आसानी से इलाज हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने दर्द समझा कमजोर का। मरीज डाक्टर के पास जाता है, डाक्टर लिख देता है, 300 रुपये की दवा लगेगी, 300 रुपये उसकी जेब में नहीं होते। वह घर चला जाता है और दवा नहीं ले पाता है, इलाज नहीं करा पाता है। महीने, दो महीने, तीन महीने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार का आकलन कराया गया पूरे प्रदेश में, 100 में से 23 आदमी इस प्रकार के मिले जो बिना दवा के खतम हो रहे थे। एक झटके में प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश में दवाओं को मुफ्त कर दिया। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस की सरकार का रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में किसान के हित की बात कही गयी है। जब सामने विपक्ष के लोग किसान की बात करते हैं तो हमें हंसी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

आती है इस बात पर, किसान का अर्थ वे समझते हैं कि किसान का बजट आने वाला है, कृषि पर बोलना है। नकली धोती और नकली साफा पहनने से व्यक्ति किसान नहीं हो सकता है। किसान धरती का सीना चीरकर उसमें बीज डालता है, सर्दी और गर्मी में भगवान से अरदास करता है कि भगवान, मैं इसमें बीज डाल रहा हूं, मुझे अच्छी पैदावार देना। कभी अकाल पड़ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, किसान के ऊपर मार पड़ जाती है, वह चुपचाप घर बैठ जाता है। इस प्रकार की प्रदेश के अन्दर जो स्थिति हुई है, उसके लिए मैं भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शीतलहर के अन्दर जो पाला पड़ा है, जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा, उसकी गिरदावरी कराकर, उसकी रिपोर्ट कराकर किसान को उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जब भी कोई बजट पेश किया है, जब भी अभिभाषण के अन्दर किसी प्रकार की बात आयी है तो किसान का पूरा ध्यान रखा है। अब से पहले पूर्ववर्ती सरकार ने भले ही आंकड़ों के अन्दर किसान का नाम ले लिया हो। लेकिन किसान के हित में कार्य नहीं किया है। उनका पुराना रिकार्ड उठाकर के देख लीजिये, उनका मेनिफेस्टो देख लीजिये, उनका घोषणा-पत्र देख लीजिये, घोषणा-पत्र में इन्होंने कहा था कि 250 करोड़ का किसान सहायता कोष हम बनायेंगे, जो पांच साल में सिर्फ कागजों के अन्दर रह गया। घोषणा-पत्र में इन्होंने 175 करोड़ का किसान के हित का दूसरा कार्य बताया था, वह भी किसान के लिए मात्र घोषणा रह गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने किसान के हित के लिए उल्लेखनीय कार्य किये हैं। आज भी 80 प्रतिशत किसान खेती के लिए बिजली पर आश्रित हैं। आज हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि चाहे कोई भी स्थिति हो प्रदेश के अन्दर, लेकिन पांच साल तक किसान का बिजली का बिल किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जायेगा। यह कांग्रेस की सरकार का अहम फैसला रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज 6 घंटे गांवों में किसान को बिजली मिल रही है। बच्चों की परीक्षा का समय है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंहजी को, अभी हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी गये थे, इन्होंने कई 33 के वी ए के जी एस एस सैंक्शन किये, कई 132 के किये, 220 के किये।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

हमने मांग की कि बच्चों की पढ़ाई का समय देखते हुए आप शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक बिजली दें और सुबह 4 बजे से 7 बजे तक बिजली दें। आपने एक फैसला कर दिया कि बिजली नहीं कटेगी और शाम को 6 बजे से लेकर हमारे यहां पर सुबह 7 बजे तक बिजली आ रही है। यह मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की जब बात आती है, मैं कहना चाहता हूं कि 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन पिछली कांग्रेस की सरकार के अन्दर हुआ था। बिजली का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी हुआ था लेकिन 1750 के मुकाबले 950 मेगावाट। इस वर्ष भी और तीन साल के अन्दर इस कांग्रेस सरकार ने 3106 मेगावाट उत्पादन करके राजस्थान की जनता को दिया है, मैं यह भी कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की बातें इस सदन में अलग-अलग सब्जेक्ट्स पर आती हैं। शिक्षा की बात आती है, शिक्षा के अन्दर पहले भी कांग्रेस सरकार ने 1998 के अन्दर राजीव गांधीजी के नाम से स्कूलें खोली थीं। राजीव गांधीजी के नाम से आज आई टी केन्द्र दस-दस लाख रुपए के हर पंचायत पर खोले गए हैं। इन लोगों को जब भी इस सब्जेक्ट पर बोलने का मौका आता है, ये तारीफ ही करते हैं उनकी, उनके भवनों की तारीफ करते हैं लेकिन इनको तकलीफ है तो राजीव गांधीजी के नाम से है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी इस देश के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 18 साल के नौजवान को वोट डालने का अधिकार दिया। स्वर्गीय इन्दिरा गांधीजी, जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनके लड़के राजीव गांधीजी जिन्होंने 18 साल के नौजवान को वोट डालने का अधिकार दिया, उनके नाम से पहले राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गईं, अब राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोले गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के माध्यम से, राजीव गांधीजी का यह सपना था कि जिस प्रकार से शहर के लोगों को सचिवालय का फायदा मिल रहा है उसी प्रकार से गांव और ढाणी में रहने वाले आदमी को भी उसका फायदा मिले, उसका बिजली के बिल, पानी के बिल, टेलीफोन के बिल जमा कराने के लिए शहर में नहीं जाना पड़े, अपने गांव के गांव में ही बिजली का बिल जमा करा सके। इसलिए आई टी केन्द्रों का सबसे ज्यादा महत्व रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यहां से माननीय सदस्य तिवाड़ी जी चले गए, मैं उनकी मौजूदगी के अन्दर कहना

(श्री महेन्द्र चौधरी)

चाहता था, महिलाओं की बात इन्होंने कही, प्रदेश के अन्दर महिलाएं मजदूरी में सेकंड नम्बर पर आ गई हैं। इनकी महिला मुख्य मंत्री थीं, उस वक्त क्या हालात हुए थे? ये रोज अखबारों में देखते हैं, अखबार खोलते ही सबसे पहले यह देखते हैं कि कहां पर एक्सीडेंट हुआ, कहां पर दुर्घटना हुई है, काउंटिंग करते हैं, इसके अलावा इनके पास किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं रहा है। इन्होंने कहा 14 हजार हत्याएं, मौतें हुई हैं एक्सीडेंट के अन्दर; पता नहीं, कहां से किस प्रकार के असत्य आंकड़े इस विधान सभा के अन्दर कल उन्होंने बोले। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले इनकी महिला मुख्य मंत्री होते हुए भी हर 8 घण्टे में 1 बलात्कार होता था प्रदेश के अंदर, हर 3 घण्टे में 1 यौन शोषण होता था, प्रतिदिन एक दहेज हत्या होती थी, 15 दहेज उत्पीड़न होते थे और प्रतिदिन 6 अपहरण होते थे। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह समाचार पत्र, अखबारों की कटिंगें बोल रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान) इनको तकलीफ होती है इस बात की। महिलाओं के लिए बोलने की बात आती है तो इस प्रकार की बात मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) सुनने का माद्दा रखो। किस प्रकार से क्या-क्या बातें यहां पर कही गईं। (व्यवधान)

इस प्रदेश के अन्दर गांव-गांव में कैम्प लगाए गए प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में। जब कैम्प लगे तो उसमें पारदर्शी सरकार, हक त्याग, नाम दुरुस्तीकरण हुए, जाति प्रमाण पत्र मिले, मूल निवास प्रमाण पत्र बनें, विधवा पेंशन बनीं, विकलांग पेंशन बनीं और कोआपरेटिव पास-बुक्स बनीं, बी पी एल के लोगों को काफी फायदा मिला और 1 लाख बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क पट्टे प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के अन्दर लोगों को मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इनको बड़ी तकलीफ होती है, मैं इनके कई पुराने सीनियर-सीनियर लोग जो यहां पर जीत कर आए हैं, जब हम जैसे लोग पहली बार इस विधान सभा में जीतकर आए थे, 108 आदमी, तो हम गर्व करते थे कि यह प्रदेश की जनता के लिए, इस विधान सभा के लिए, जिस विधान सभा में विधान बनाए जाते हैं, उनमें अपना योगदान करेंगे लेकिन पहले दिन से ही इन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की, विधान सभा के अन्दर इन्होंने जिस प्रकार के शब्द काम में लेने की कोशिश की, उसके बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इनके मुख्य सचेतक ने यह कहा मुख्य

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मंत्रीजी के लिए कि कमजोर मुख्य मंत्री हैं, टेढ़ी आंख का शिकार है, दुबारा बजट पेश करने का इनको मौका मिले या नहीं मिले, पूत के पग पालने में ही दिख रहे हैं; कल माननीय सदस्य घनश्याम तिवाड़ीजी ने कहा था कि प्रदेश की जनता इन्तजार कर रही है, कुर्सी खाली कर दीजिए; मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा के आने वाले, 2013 के विधान सभा चुनावों में, आप लोग कान खोलकर सुन लेना, इस अशोकजी गहलोत की सरकार में जितने काम हुए हैं उन कामों को देखते हुए एक बार प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, यह मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं। आप इस प्रकार की बातों से जनता को गुमराह नहीं कर सकते।

पहले सत्र में आपने क्या-क्या शब्द काम में लिए। (व्यवधान) बैठो, सुखारामजी; माताजी, बैठो आप। आपने क्या शब्द काम में लिए।(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज रुकेगा नहीं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आप लोगों के आंकड़े रिकार्ड पर हैं; आप लोगों के सीनियर-सीनियर लोगों ने कई मंत्रियों को, कई लोगों को क्या-क्या नाम लिए। आपने 'बापड़ा' शब्द काम में लिया, आपने 'जोकर' शब्द काम में लिया, आपने 'फन्नेखां' शब्द काम में लिया, आपने 'मूढ' शब्द काम में लिया, आपने 'गरुड़ पुराण' का नाम लिया, 'बाइबल' का नाम लिया, 'गुण्डागर्दी' की मांग करी, 'गुण्डागर्दी' का नाम लिया। द्वितीय सत्र में फिर आप लोगों ने 'डोकरी' शब्द का नाम लिया, आपने 'छोरे' का नाम लिया, आपने 'भाण्ड' का नाम लिया। तृतीय सत्र में आपने आसन को धमकाया 'बपौती' कहकर। उसके बाद में क्या हुआ, 'कुत्ते को गोली क्यों मारी', इस प्रकार के सब्जेक्ट चलने लगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के अन्दर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राज्यपाल का पद एक सम्माननीय पद होता है, उस पद को भी धमकाते हुए आपको हमने देखा। आपके मुख्य सचेतक जो यहां बैठे हैं, जब गवर्नर साहब जा रहे थे, पीछे की सीट पर जा रहे थे तो आप लोगों ने कहा धमकाकर, यह कहा गुस्से से कि पीछे किस प्रकार से साइन कर रहे हो। मैं यह मानता हूं कि सरकारें आती रहती हैं, चलती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं लेकिन गवर्नर जैसे पद पर आसीन व्यक्ति के लिए आपने जिस प्रकार की भाषा काम में ली है वैसी आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। आपकी सरकार भी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

थी, उस वक्त भी आपने इस प्रकार धर्म स्वातंत्र्य कानून लाने का अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था। धर्म स्वातंत्र्य कानून के अन्दर आप लोगों ने कह दिया कि मुसलमान तो हिन्दू धर्म स्वीकार कर सकता है...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): महेन्द्रजी, आज बहुत जोश में हो। क्या बात है? आप आज बहुत जोश में बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): धर्म स्वातंत्र्य कानून के अन्दर, यहां बैठे हुए कुछ सदस्य हो सकता है कि नए हों, राठौड़ साहब, आपकी सरकार थी, कल जब यह बात आई थी, अयोध्या की बात आई, गोपालगढ़ की बात आई, चुनाव में बाहर हम लोग कुछ भी बोलें लेकिन सदन में इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यहां पर कोई जनता नहीं है जिससे आप वोट मांग रहे हों लेकिन आपकी कोशिश रही है हमेशा, आपकी सरकार थी, आप लोगों ने धर्म स्वातंत्र्य कानून लाने का प्रयास किया था। (व्यवधान) एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कानून के अन्दर लिया उस बात को आप लोगों ने। आपने गवर्नर को ...(व्यवधान) आप लोगों को सुनता नहीं है क्या? बैठो आप। जब धर्म स्वातंत्र्य कानून गवर्नर साहब ने लौटा दिया था, आपने उस कानून में लिखा कि मुसलमान तो हिन्दू धर्म धारण कर सकता है लेकिन हिन्दू मुसलमान धर्म धारण नहीं कर सकता। गवर्नर साहब ने जब बिल को लौटा दिया तो आपने दुबारा उसको लाने का प्रयास किया।

आप लोगों को पता है, सीनियर लोग जानते हैं, मैं इसको कहना नहीं चाहता, कल जब यह बात चली थी, आप लोग राम का नाम लेते हैं, गंगा का नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको जोड़ते हैं? आज हम 200 सदस्य यहां बैठे हैं, हमारी फ्रंट लाइन को ले लीजिए और आपकी फ्रंट लाइन को ले लीजिए, कितने लोगों के नाम में राम का नाम आता है? हमारी फ्रंट लाइन में हमारे हेमाराम, हरजीराम, रामलाल जाट, मंगलाराम, नाथूराम, रूपाराम, आदराम, टीकाराम, दयाराम, पदमाराम, मेवाराम, रामलाल मेघवाल, सोनाराम, श्रवणराम, और कितने राम का नाम लेंगे। और आपके नाम में ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है, आपके यहां भी राम का नाम है, लेकिन आपके फ्रंट लाइन में कोई राम नहीं है, उसके पीछे रामलाल गूर्जर, शिवजीराम, सुखराम, फिर सुखाराम, पूराराम, जगसीराम, ग्यासाराम, केसाराम, ओटाराम हैं लेकिन वे लोग एस सी, एस टी और आदिवासी लोग हैं जिनको आपने पीछे की लाइन

(श्री महेन्द्र चौधरी)

में बैठा रखा है। यह है आप लोगों का व्यवहार। आप लोग गंगा के नाम पर राजनीति करते हो, गंगा नाम का कोई भी माननीय सदस्य आपका खड़ा होकर कह दे कि उसका नाम 'गंगा' से शुरू होता है। हमारे यहां गंगाबेन गरासिया कांग्रेस में, गंगा देवी कांग्रेस में, गंगाजल मील कांग्रेस में और गंगा सहाय शर्मा कांग्रेस में और कोई भी किसी प्रकार का आदमी आपके पास में नहीं है। भगवान का नाम ले लो, भगवान सहाय सैनी, कांग्रेस के पास। पार्लियामेंट में ले लो, पार्लियामेंट में शीशराम ओला, बद्री राम, भरत राम। कांग्रेस के पास पहले भी, नाथूराम मिर्धा कह दो, चाहे रामनिवास मिर्धा कह दो, चाहे राम रघुनाथ चौधरी कह दो, पहले भी कांग्रेस के अन्दर रहे हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने को इस बात के अन्दर ज्यादा न जाकर आप लोगों को भी मानना चाहिए। (व्यवधान) आप लोगों को यह मानना चाहिए कि आज का यह समय, यह कांग्रेस का समय है, अशोक जी गहलोत का समय है, इस समय को कोई भी नहीं नकार सकता है, इसमें इस प्रकार का काम हुआ है। आप लोगों के टाइम में शराब की दुकानें खुली हुई रहती थीं 8 बजे के बाद के अन्दर, अब शराब की दुकानें राजस्थान के अन्दर, कहीं भी खुली हुई नहीं रहती हैं। एक हजार दुकानों को बंद कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, गरीब लोगों का ध्यान रखा गया है, मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना के अन्दर दो रुपये किलो गेहूं, आप लोगों ने बी पी एल की संख्या कम कर दी थी, इन्हीं मुख्य मंत्रीजी ने उनको स्टेट बी पी एल का दर्जा देते हुए उनको भी 25 किलो गेहूं का प्रावधान किया है। यह कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता है, यह आप लोगों को कहना चाहता हूं।

राजस्थान के लोक सेवाओं की गारंटी की योजना हो, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, कांग्रेस की प्रथम बात तो यह है कि आज सारे मंत्रियों की और सब लोगों की सम्पत्ति को उजागर कर दिया गया है, सारे आई ए एस और आर ए एस अधिकारियों की सम्पत्ति को उजागर कर दिया गया है। यह कदम आप लोग नहीं उठा पाये थे। यह राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने अपनी इस सरकार के अन्दर उठाया, यह एक स्वागत योग्य फैसला है, यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, और भी किसी प्रकार का कार्य होता है तो कांग्रेस की सरकार के अन्दर हुआ है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

इसलिए मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को तालीम के माध्यम से काफी फायदा मिला है। कन्या छात्रावास के लिए हो, रोजगार के लिए, अल्पसंख्यक मामलात के हों, चाहे मदरसा बोर्ड हो, हर जगह सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए काम किया है।

एक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा के बारे में। शिक्षा की बात अगर नहीं कहूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। शिक्षा के लिए, आज गवर्नमेंट ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिलें वितरित की हैं। आपने भी की थीं साइकिलें वितरित लेकिन सुनो, भाटी साहब, बात तो सुनो। (व्यवधान) हां, मैं कहूंगा, आऊंगा आपकी बात पर। (व्यवधान) साइकिलें वितरित कीं, नाइंथ और टेंथ की उन बच्चियों को जो दो किलोमीटर से लेकर पांच किलोमीटर की दूरी से, गांव से आती हैं, ढाणियों से आती हैं। वे बच्चियां आज स्कूलों के अन्दर बढ़ गई हैं, संख्या उनकी बढ़ गई है। तीन हजार रुपये की साइकिलें उनको मुफ्त में दी गई हैं। आपने भी साइकिलें दी थीं लेकिन आपने उन साइकिलों के अन्दर राजनीति की थी। आप लोगों ने जो साइकिलें दी थीं, वे साइकिलें आप लोगों ने भगवा रंग करके दी थीं। यह आप लोगों का कृत्य रहा है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कालीचरणजी नहीं हैं, ये शिक्षा मंत्री थे, जब ये शिक्षा मंत्री थे तो स्कूल के बच्चों के बैग के ऊपर एक तरफ खुद की फोटो छपवा दी, दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी की फोटो छपवा कर स्कूल के बच्चों के साथ में इस प्रकार का काम भी किया गया था इनकी सरकार के अन्दर। यह भी निवेदन करना चाहता हूं।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिजली के मामले में पिछली जब हमारी सरकार थी और जब चुनाव आये थे तो चुनाव में आपने लोगों को गुमराह किया था, लोगों को बातें कही थीं कि कांग्रेस की सरकार ने मीटर लगा दिये, आप लोगों के झपाझप मीटर जल रहे हैं और बिल आ रहे हैं, आप हमारी सरकार बना दो, हम इन मीटरों को हटा देंगे। सरकार आपकी बन गई, कांग्रेस की सरकार ने एक बत्ती वाले मीटर लगाये, आपने दो बत्ती वाले मीटर लगा दिये; किसानों के बिल आने लग गये, बिना मीटर चले ही। लोगों ने आपको समय आते ही बत्ती लगा दी। इसलिए यह कहना चाहता हूं, असत्य बोलने वालों को जनता बख्शती नहीं है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मैं, माननीय, अपने जो पानी के मंत्री हैं, डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी, उनसे इस नागौर जिले के मामले के लिए बात करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हमारा जिला पानी के लिए बहुत त्रस्त है और मेरा विधान सभा क्षेत्र नावां जो नमक की नगरी के नाम से जाना जाता है, पूरे देश के अन्दर नमक अगर सबसे ज्यादा कहीं पैदा होता है तो गुजरात में पैदा होता है और उसके बाद में नावां के अन्दर नमक पैदा होता है। वहां खारा पानी हो गया, फ्लोराइड हो गया। मैं आपको ले गया था, आपको एक ऐसे गांव में ले गया था जो श्रीलंका के नक्शे में जिस प्रकार से लंका होती है, उस प्रकार से मेरी कांस्टीट्यूएंसी में खाकड़की गांव जिसके चारों तरफ समुद्र है, झील है नमक की, अगर बरसात आ जाती है तो वह गांव पूरा डूब जाता है, मैं आपको वहां ले गया। लोग बड़े प्रसन्न हो गये, लोगों ने कहा, हमने तो यहां पर आज तक एस डी एम को ही नहीं देखा, आज मंत्री हमारे पहली बार आये हैं। मैंने आपसे मांग की कि मंत्रीजी, इन गांव वालों की सुनकर इनके एक 33 के वी ए का जी एस एस बना दो; आपने कहा, तीन पंचायतों के बीच में एक जी एस एस बनता है लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक झटके अन्दर 33 के वी ए का जी एस एस सैंक्शन कर दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना का पानी जिसके लिए आपने सैंक्शन कर दिये तीन हजार करोड़ रुपये, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पानी के बारे में बात उठाई थी, हमारी कांस्टीट्यूएंसी के बिलकुल नजदीक है। मैं यह मांग करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि बीसलपुर बांध से हमारे 72 गांव जो सेकंड चरण के अन्दर अगर वह आप यहां दे देंगे, सैंक्शन, आप उसकी इजाजत दे देंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा और हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मैं तिवाड़ीजी से निवेदन करना चाहता हूं, कल आपको अपने भाषण के अन्दर आनलाइन के ऊपर बड़ी तकलीफ हुई, मुझे यह पता नहीं है कि आनलाइन से क्यों तकलीफ हुई। तकलीफ होनी ही है। राजीव गांधी जी जब जिन्दा थे, 21वीं सदी में जब देश को ले जाने की बात कहते थे, उस वक्त भी आपको तकलीफ होती थी, उस वक्त भी आप कहते थे, ऐसा हो सकता है क्या। आज राजीव गांधी जी इस दुनिया के अन्दर नहीं हैं लेकिन आज देश की

(श्री महेन्द्र चौधरी)

जनता उनको याद करती है, उनके नाम के भवन बनाती है, उनके नाम के स्कूल खोले जाते हैं। आप लोगों के भी कई नेताओं के कोई बहुत भवन या बहुत नाम खुले हुए हैं तो आप बता दो, किसी प्रकार का? राजीव गांधीजी और राहुल गांधीजी का नाम आता है सदन के अन्दर, आप खड़े होकर चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि हमें किस प्रकार से इसका कटाक्ष करना है।

इसलिए मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने जो यह समय दिया, इस समय के अन्दर मैं अपनी बात को कह पाया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं तहेदिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इस अभिभाषण के अन्दर किसी भी प्रकार की कमी इस प्रदेश की जनता के हित के अन्दर नहीं हुई, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। जब यह अभिभाषण पढ़ा गया, उसके बाद जब यह सब सदस्यों को बोलने का मौका मिल रहा है और मुझे भी आपने जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और पुन: एक बार आप सब का कि आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ हुई हो, आज मैं कोई गांव में नहीं बोल रहा हूं, विधान सभा में बोल रहा हूं, मीटिंग में बोल रहा हूं, मिनिट्स में आ रहा है और वही बात बोलता हूं, भले ही आप पहले जीतकर आये हों लेकिन हमने शुरुआत से राजनीति की है, कालेज की लाइफ से राजनीति की है। जब हम आज देखते हैं, इस विधान सभा के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय के 8-8 छात्र संघ अध्यक्ष आज विधायक के रूप में हैं, चाहे राजेन्द्र जी राठौड़ हों, चाहे कालीचरण जी सराफ हों, चाहे राजपाल सिंहजी शेखावत हों, ये तीन ही रह गये अब बी जे पी में, भाई हनुमान तो बाहर हैं, नहीं तो पहले हम चार मानते थे; कांग्रेस के अन्दर मैं हूं, प्रतापसिंहजी खाचरियावास, राजकुमारजी शर्मा और रघु शर्माजी। आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद भी रहे हो, हमारे स्पीकर साहब भी रहे हैं, इधर बाबूसिंहजी जोधपुर यूनिवर्सिटी के रहे हैं, अनीता सिंहजी भी भरतपुर की रही हैं, और भी कइयों का मैं भूल रहा हूं, वीरेन्द्र बेनीवाल जी भी रहे हैं, अलग-अलग कालेजों के और भी रहे होंगे, लेकिन छात्र जीवन से जो व्यक्ति आता है, उसको किसी प्रकार का अनुभव होता है और उस अनुभव को देखते हुए मुझे खुशी है कि आप, उपाध्यक्ष महोदय के पद पर आज बैठे हैं और आज अनुमोदन करने का इस विधायक को मौका मिला है, सदन के अन्दर मैं आपके इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर चुका। आपने जो

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जबरदस्ती बोलोगे क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नावां से आने वाले माननीय सदस्य एक नाम भूल गये थे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक नाम भूल गये थे। (व्यवधान) खेमाराम का नाम नहीं लिया उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष: ये मेरे क्षेत्र के मतदाता हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक खेमाराम का और ले लेते नाम ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपने ले लिया। तो क्या बात है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तिवाड़ी साहब चौंक रहे हैं कि इनको चुनकर भेजा है, आपको। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर वादविवाद चल रहा है और इसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। इससे पूर्व मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा आपको कि आज आप पहली बार इस सदन में उपाध्यक्ष चुने गये और यह मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष मुझे किसानों के बारे में, राजस्थान के बारे में कुछ कहने का मौका मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे सदन में बात कर रहा हूं, उस प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां एक करोड़ 31 लाख किसान रहते हैं, ...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बात नहीं करें, प्रभुलालजी की बात सुनें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ...25.24 लाख जहां कृषि श्रमिक रहते हैं और कुल मिलाकर 1 करोड़ 56 लाख किसानों से जुड़े परिवार इस प्रदेश में रहते हैं। ऐसी विधान सभा के प्रतिनिधियों के बीच मैं अपनी बात को रख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल सदन में चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा, राजस्थान में ओलावृष्टि हुई है, शीतलहर हुई

(श्री प्रभुलाल सैनी)

है, पाला हुआ है, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। प्रतिपक्ष का दायित्व बनता है कि हम किसानों की बात को सदन में आपके माध्यम से उठाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन सदन का दुर्भाग्य है कि यहां आप लोगों ने इसमें विचार-विमर्श करने का मौका तक नहीं दिया और यह कहा कि समय हम बता देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अभी इन परिस्थितियों में जैसे शीतलहर और पाले की बात चली हुई है, यदि हम देखें तो उससे पहले मैं कांग्रेस का घोषणा-पत्र, जिसे आप लोगों ने चुनाव के वक्त में आम जनता को समर्पित करके किसानों से वोट लिये थे, आज 77 से 80 प्रतिशत तक राजस्थान में किसान हैं और चुनाव के वक्त हम लोग उनको लुभावने नारे देकर, लुभावनी बातें करके उनसे वोट लेते हैं, आप लोगों ने आपके घोषणा पत्र में सबसे पहले यह कहा था शीतलहर, पाला, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को जूझने में हम समर्थ बनाएंगे और उचित मुआवजा उनको दिलाएंगे। आपके घोषणा-पत्र को, आपकी बाइबिल को हम लोग तो आपको याद दिला रहे थे, लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आयी कि आखिर किसान कांग्रेस के भी हैं और भाजपा के भी हैं और किसानों से जुड़ा मुद्दा न किसी राजनैतिक पार्टी का है और न इसमें राजनीति होनी चाहिए।

मैं नावां से आने वाले माननीय सदस्य चौधरीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, किसान की उन्होंने व्याख्या की, यदि वास्तव में उन्होंने मन से किसान की व्याख्या की है तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन किसान की बात कोई करे, ''जिसके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई'', यानी किसान वह है जिसने खेती खुद की है, खुद खेती को समझता है। इसी घोषणा-पत्र में किसान आयोग के गठन की बात हुई, प्रमाणित खाद-बीज देने की बात हुई, किसान भवनों के निर्माण की बात आप लोगों ने अपने घोषणा-पत्र में की, एन.एच.एम. को पूरे प्रदेश में ले जाने की बात आपने की, कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन की बात आपने की, फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापना की बात की; एक तो काम करते तीन साल में। आप लोगों ने जो चुनाव का आधार बिन्दु बनाया, एक भी कार्य मौके पर नहीं हुआ। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, यह राजनैतिक विषय नहीं है, हम सबको इस पर चिन्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा पाला और शीतलहर के बारे में। पूरे राजस्थान में लगभग 90 लाख हैक्टेयर से ज्यादा इस साल लोगों ने फसलें

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बोयी हैं जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, चना और सरसों की फसलें राजस्थान के कई हिस्सों में पूरी की पूरी चौपट हुई हैं लेकिन इस सदन में आपदा मंत्रीजी ने यह कह दिया कि हम गश्त गिरदावरी करा रहे हैं, माननीय शांति धारीवालजी ने कहा कि हमने गश्त गिरदावरी के निर्देश दे दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा पहले हमको इस बात की समीक्षा करनी चाहिए, पहले हमको इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 क्या बोलता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल गलत है, यदि इस प्रकार की बात कही जाती है कि पाला और शीतलहर उसमें नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के 5 बिन्दुओं पर इसको निर्धारित किया जाता है। पहला वाटर एंड क्लाइमेट, यानी पानी और मौसम के वातावरण से जो नुकसान होता है जिसमें फ्लड होता है, साइक्लोन होता है, हेलस्टोन होता है। मैं तो कहना चाहूंगा, स्नो एवेलांच इसमें आता है, स्नो एवेलांच का मतलब यह हुआ कि जहां बर्फ गिरती हो। राजस्थान की और पूरे देश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, यह जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 बना है यह पूरे देश को समाहित करते हुए बना है। कहीं पर लेह और लद्दाख की हम बात करते हैं तो वहां पर बर्फ गिरती है; यदि हम दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां पर नदी-नालों में तूफान आते हैं और बाढ़ आती है; हम दूसरी तरफ राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पर ठण्डी शीतलहर चलती है और पाला पड़ता है। पाले के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्नो एवेलांच की बात एक्ट में कही गयी है, उसका यह अर्थ होता है तूफानी बर्फ या बर्फ सी हवाएं गिरती हैं, उसको कहते हैं। स्नो का जो पर्यायवाची मैंने देखा है, बर्फ का जो पर्यायवाची मैंने डिक्शनरी में देखा है, उसमें पाया है, स्नो का मतलब है हिम, हिम का दूसरा अर्थ है तुषार और तीसरा है पाला। यदि तीनों चीजें उस परिभाषा में आती हैं तो मैं समझता हूं, इसमें किन्तु-परन्तु करने की आवश्यकता नहीं है, सी आर एफ नोर्म्स में यह आता है।

मैं वसुन्धरा राजेजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 2008 में इसकी समीक्षा करके, इस पर ध्यान करके हम लोगों ने राजस्थान के किसानों को 126 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है सदन में इस प्रकार की बात आयी। माननीय वसुन्धराजी के वक्त में जब पाला पड़ा, जब वहां ओलावृष्टि हुई, जब शीतलहर में फसलों के नुकसान हुआ तो मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया था कि सब मंत्री और विधायक जाइए,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

अपने-अपने क्षेत्र में देखिए, किस-किस क्षेत्र में नुकसान हुआ, कहां कितना नुकसान हुआ और हमारे मंत्री व विधायक गये। मैं अशोक गहलोतजी को कहना चाहता हूं, जरा मंत्रियों को और प्रभारी मंत्रियों को यह तो कह दें कि पाले का आकलन करें, कितना शीतलहर से नुकसान हुआ। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से ईमानदारी की बात कही जा सकती थी।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हम यह देखें कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत 2007 में राजस्थान में सेक्शन 14 की अनुपालना में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धारा 20 में राज्य कार्यकारी संस्था का गठन हुआ और धारा 25 में आपदा प्रबंधन कमेटी का जिला स्तर पर तय हुआ। इन कमेटियों का अर्थ यह है कि आपदा के प्रकरणों की व्याख्या करें, आपदा की परिस्थितियों को देखें, किन-किन चीजों में प्राकृतिक आपदा हुई है। मैं उसकी धारा 2 को आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा, उसमें कहा है कि आपदा क्या है। आपदा का अर्थ यह हुआ कि अचानक आयी आपदा, घटना; प्रकृति का नुकसान; किसी क्षेत्र में एक सामूहिक घटना; प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से निर्मित अथवा किसी दुर्घटना या लापरवाही जिसकी वजह से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मानव जीवन को हानि होना, जिसकी वजह से सम्पत्ति को नुकसान होना, उसका मूल्य कम हो जाना; और उसका उतार-चढाव, यानी मौसम के उतार-चढाव के कारण। आप देखिए, यदि शीतलहर चलती है, जीरो टेम्परेचर से नीचे सर्दी पड़ती है और जीरो टेम्परेचर के बाद माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार पहुंचता है, यह प्राकृतिक आपदा का भाग है। वह इसलिए है क्योंकि यह अब्नार्मल है। यह कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, यह प्रकृति की वजह से है। प्रकृति ने अपना रूप बदला है, प्रकृति ने आपदा के रूप में उसको बढ़ाया है। यदि माइनस के नीचे डिग्री से पाला पड़ता है, शीत पड़ती है, बर्फ जमती है तो यह स्नोफाल की परिभाषा में आना चाहिए।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने कहा कि हम लोग गश्त गिरदावरी करा रहे हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट, माननीय उपाध्यम महोदय, आप तो वकील हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट के रूल 58 में यह कहा गया है कि आप गश्त गिरदावरी कराएंगे। गश्त गिरदावरी पटवारी करेगा, किस खसरे में क्या जिंस किस काश्तकार ने बोया है, यह गश्त गिरदावरी कराएगा। पटवारी की एक्सपर्टीज नहीं है, पटवारी एक ले-मैन है और पटवारी कभी भी किसी भी फसल के खराबे के बारे में नहीं बता सकता है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं

(श्री प्रभुलाल सैनी)

होता। इसलिए इसके पैथोलोजिस्ट्स बने हुए हैं, इसके साइंटिस्ट्स बने हुए हैं और इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि साइंटिस्टों के साथ-साथ में एग्रोनोमिस्टस बने हुए हैं। एग्रोनोमिस्टस जो होता है, सच्चा वैज्ञानिक होता है और वह सच्चा वैज्ञानिक यह जानता है कि कौनसी फसल में कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितने ताप के बढ़ने से उसमें नुकसान हुआ है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हम इस विषय को एक राजनैतिक विषय न मानें, हमें इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो प्रोविजंस दिये हुए हैं, जो क्लाइमेटिक डैमेजेज दिये गये हैं, इन सारे विषयों को हम सबको आकलन करके राजस्थान के सभी किसानों को मुआवजा दिलाने का कार्यक्रम करना चाहिए और मैं तो मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, बजट में इसकी घोषणा उनको करनी चाहिए कि प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान का मुआवजा उनको देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का अध्ययन किया। एक बार पढ़ा, मैंने सोचा, कहीं किसान मिलेगा; दूसरी बार पढ़ा, मैंने सोचा, कहीं किसी पाले में किसान मिलेगा; तीन बार मैंने इसको पढ़ा। यह जो घोषणा-पत्र है, मात्र एक डिक्शनरी है, इसमें आप पता लगा सकते हो, कौन-कौनसी नीति, नियम आपने बनाये हैं। क्या करना चाहते हो, आपने क्या किया, कहीं उल्लेख नहीं है। मैं उद्धृत करना चाहूंगा पैरा संख्या 7, पैरा 7 में इन्होंने कहा है, राज्य सरकार ने कई विकास नीतियां बनायी हैं; यह पैरा नम्बर 7 में है, इसमें कहा, कृषि प्रसंस्करण और व्यवसाय को प्रोत्साहन

(15.00 बजे)

देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह नीति कृषि प्रसंस्करण एवं व्यावसायिक प्रोत्साहन नीति 2010 में बन गई थी, आज 2012 चल रहा है और आज घोषणा पत्र में हम इस बात को कह रहे हैं। दो साल बीत गये हैं, आज दिन तक इन्होंने जो काम करना चाहिए, वह नहीं किया। हम लोगों ने एक विजन दिया था कि ऐसी जिंसों की प्रोसेसिंग, ऐसी जिंसों की वैल्यू एडिशन, ऐसी जिंसों का मूल्य संवर्द्धन जो करेगा, उन फार्मर्स को इंसेंटिव के रूप में अनुदान दिया जाएगा। ईसबगोल, संतरा और आंवले के बारे में हम लोगों ने एक करोड़ रुपये की घोषणा की थी कि हम अनुदान देंगे या लागत का 50 प्रतिशत पैसा उनको देंगे। आज दिन तक राजस्थान में वसुंधरा राजेजी की सरकार के जाने के बाद एक भी प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने लगाई हो तो बता

(श्री प्रभुलाल सैनी)

दीजिये। इन्होंने मात्र एक काम किया है, 11 मण्डियों में 34 प्रकरण ऐसे थे जिनमें मात्र जमीन का आबंटन करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम था और वह काम इन्होंने किया है, जबकि एक भी प्रोसेसिंग यूनिट आज दिन तक राजस्थान में नहीं लगाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने पैक हाउस बनवाये थे। हम लोगों ने बस्सी, चौमूं, जयपुर और टोंक में चार पैक हाउस बनाकर के लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च किये थे। हमारी यह कल्पना थी कि राजस्थान के किसान की फसल का जब भाव गिरता है तो वह इन पैक हाउसेज के माध्यम से, कोल्ड चैन्स के माध्यम से अपनी फसल को इनमें रखेगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि तीन साल में उन पैक हाउसों में से एक के भी ताले नहीं खुले, आज एक भी पैक हाउस का प्रयोग नहीं किया गया।

मेरा आपसे इतना निवेदन था, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसमें पशुधन विकास का भी जिक्र किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि एक काम तो इन्होंने निश्चित रूप से ठीक करने का प्रयास किया, जिसमें पशुधन केन्द्र खोलने की बात कही। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने राजस्थान में एक योजना चालू की थी, जो थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कामधेनु बीमा योजना और इसमें 28 करोड़ रुपये की स्वीकृति की और यूनिवर्सिटीज को पैसे जारी किये थे। इसमें ब्रीड कन्फर्मेशन, स्पर्म सलेक्शन, मल्टीपल ओव्यूलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर के काम, उन गायों का, राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज जो हमारे देश की इंडीजीनस ब्रीड हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पैसे सैंक्शन किये थे। आज 5 साल पूरे हो गये लेकिन आज ये वहीं के वहीं पर हैं। न तो यह आगे बढ़ पाये, न इस योजना को आगे बढ़ा पाये। इससे ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान की बात करती है, गरीबों की बात करती है लेकिन यह इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पैरा संख्या 36 में दो लाइन किसान के लिए आई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने पढ़ा कि इसमें तो बहुत कुछ है, एक चमत्कार हो गया होगा, इसमें लिखा है कि राज्य में प्रमाणित बीज उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के प्रयास किये जा रहे

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि कृषि का मूल आधार बीज होता है और राजस्थान के किसान को यदि उन्नत बीज, अच्छा बीज दिया जाता है तो उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने बीज के हवाले से कम्पनियों से सांठ-गांठ कर ली। तीन सालों में सारी कम्पनियों को मिलाकर एक्सप्रेशन आफ इंटेंशन जारी करके राजस्थान के किसान को लूटने का पूरा खुला चांस दे दिया। यहां तक कि कई जगह ऐसी परिस्थितियां आईं कि मांगे तो थे तरबूज के बीज और मिल गये टिंडे के बीज। यानी सरकार को कोई पता नहीं कि बीज क्या होता है, बीज की प्रमाणिकता क्या होती है, यह कौनसा बीज है, ब्रीडर सीड है या फिर यह सर्टिफाइड सीड है या फिर यह न्यूक्लीयर सीड है या फिर यह रिसर्च सीड है। इनको कोई पता नहीं है। इनको सिर्फ एक पता है कि राजस्थान में जो राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन बना है, उसको एक एजेंट के रूप में काम करने के लिए इन्होंने छोड़ दिया और मात्र कम्पनियों के माध्यम से खुली छूट उन एजेंटों को और उन लोगों को दे रखी है जिन्होंने राजस्थान के किसान को लूटने का प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, चारा घोटाले का आपने सुना होगा, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 2009-10 में चारे के बीज के लिए इन्होंने टेंडर आमंत्रित किये। इस टेंडर में रजके के बीज में टी-9 रजका था। उसका बीज इन्होंने 11,200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा। दूसरे वर्ष फिर इनको चारा बांटना था, तो 2010-11 में जो इन्होंने बीज खरीदा, वह 11,200 रुपये के बजाय 26,900 रुपये में खरीदा। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी राशि इन्होंने दी। कोई भी सरकार, कहीं भी जी.एफ. एंड ए.आर. यह नहीं कहता कि आप 300 प्रतिशत वृद्धि करके उन कम्पनियों से मिलीभगत करके करें। इसमें आश्चर्य की बात यह हो गई कि जिन कम्पनियों को काम दिया गया, उन चारों कम्पनियों ने मिलीभगत करके राजस्थान के पूरे सीड को एक बार खरीद लिया और उस बीज माफिया ने सरकार से मिलीभगत करके, चारों कम्पनियों ने मिलकर के टेंडर दिये और चारों कम्पनियों को इन्होंने बराबर बांट दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जिसका लोएस्ट होता है, जिसका सबसे कम होता है, उस व्यक्ति को टेंडर छोड़ने की प्रक्रिया जी.एफ. एंड ए.आर. में है लेकिन नियमों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने कंचन ज्योति, बालाजी इंडस्ट्रीज, गणेश इंडस्ट्रीज और शाह भूपेन्द्र कुमार, इन चार फर्मों को 24,600 की दर से एक ही रेट पर दे दिया। एक भी पैसा आगे-पीछे नहीं। आखिर यह षड्यंत्र नहीं है

(श्री प्रभुलाल सैनी)

तो और क्या है? यह साजिश नहीं है तो और क्या है? 14 करोड़ रुपये से ज्यादा इसमें अनियमितता हुई है। मैं खुले रूप से इस सदन में कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ऐसे प्रकरणों को दिखायें, ऐसे प्रकरणों की जांच करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ट्राइबल बेल्ट की बात निवेदन करना चाहूंगा। आप भी ट्राइबल बेल्ट से जुड़े हुए हैं। सब सरकार की यह मंशा होती है कि ट्राइबल बेल्ट में उन किसानों को अच्छा, उन्नत बीज, खाद, सारे आदान उनको उपलब्ध कराये जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय कृषि विकास का पैसा जो दिल्ली से आता है, उस पैसे के बारे में, फ्री बीज बांटने के बारे में मोन्सेंटो कम्पनी से 39 हजार क्विंटल बीज 30 करोड़ रुपये की लागत के बिना टेंडर प्रक्रिया के खरीद कर कम्पनी को लाभ पहुंचाने का भी काम किया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे विषय को माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं अपने स्तर पर देखें और इसमें आवश्यक कार्यवाही कराने का मेरा अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कृषि अनुसंधान केन्द्र बना हुआ है और दिल्ली में आई.सी.ए.आर. बना हुआ है, इंडियन कौंसिल फार एग्रीकल्चर रिसर्च बना हुआ है। दोनों का एक ही मतलब है कि रिसर्च की एक्टिविटी में काम करना। 75 हैक्टेयर में दुर्गापुरा में स्थित है। उस समय भी कई बड़े माफियाओं की उस जमीन पर नजर थी, हर कोई चाहता था कि उस जमीन के बीच में रोड निकल जाए, उसका हम लोग अधिग्रहण कर लें, जे.डी.ए. ले ले, कहीं भी ले ले। दुर्भाग्य यह हुआ कि अभी कैबिनेट में एक निर्णय हुआ, 2010 में कैबिनेट मीमो 132/2010 दिनांक 27.7.2010 को हुआ जिसमें 2 लाख 80 हजार वर्ग मीटर इस जमीन को मेट्रो के नाम पर उसको आबंटन कर दिया; मेट्रो के नाम पर उन्होंने कहा कि यहां पर सब-स्टेशन बनेगा जबकि उसके रिकार्ड को देखा तो वह सब-स्टेशन भी दुर्गापुरा की जगह सीतापुरा में बनने वाला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधीजी थीं तब भी वहां आई.सी.ए.आर. की जो जमीन थी, उसको एक्वायर करने की बात चली थी। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देते हुए रिसर्च सेंटर को बढ़ावा देने के लिए अपनी नोट-शीट में लिखा था Land Acquisition of the IARI, no and never. जब उन्होंने यह कहा है तो माननीय अशोक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

गहलोतजी क्यों नहीं ऐसे विषय पर गम्भीरता से आगे बढ़ते? जब कृषि अनुसंधान केन्द्र है, यदि यहां पर इस प्रकार की आपकी दूसरी एक्टिविटीज चलेंगी, यहां पर आपका मेट्रो का डिपो बनेगा, वहां पर इस प्रकार का वातावरण प्रदूषित होगा तो निश्चित रूप से वहां की जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं वे राजस्थान की 10 साल पीछे हो जायेंगी जिसे राजस्थान के किसान को भुगतना पड़ेगा। यह है जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार का नतीजा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पैरा संख्या 59 को मैंने देखा, उसमें लिखा है कि कस्टोडियन कृषि भूमि के पूर्व आबंटियों को खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रोविजन 2008 में बना। 2008 में कस्टोडियन लैंड के सारे जितने एक्ट थे, सब का निरसन किया गया, उसके बाद सब जिला कलक्टरों को 2009 में आदेश दिये गये और उनको यह कह दिया गया कि गैर खातेदारी, खातेदारी और कस्टोडियन से सम्बन्धित जितनी भी भूमि है, उसके नामान्तकरण खोलकर के उन काश्तकारों को स्थायी काश्तकार बना दो। आज फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब ये अभियान चलते हैं, आपके गांव में अभियान चलते हैं, राजस्व अभियान चलते हैं, शहरों के अभियान चलते हैं, तो सुओमोटो क्यों नहीं राजस्व अधिकारी गैर खातेदारी के अधिकार दे देते? क्यों इसमें इंतजार करते हैं ये? आज भी उन किसानों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और उनको गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नहीं मिले। आपने लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 बना दिया, उसमें प्रोविजन कर दिया कि कस्टोडियन लैंड हो या कोई भी गैर खातेदारी लैंड हो, 15 दिन में यदि किसी भी अधिकारी ने उसमें कार्यवाही नहीं की है तो उसके खिलाफ इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ हो गई? माननीय मंत्री महोदय से लेकर, मुख्य मंत्री से लेकर के सारे लोगों तक 6-6 महीनों से वे घूम रहे हैं। भरतपुर का एक मामला मेरे पास आया था, उसमें मैंने देखा था, कोई किसी को खातेदारी नहीं दे रहा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम राजस्थान में कृषि के हितैषी हैं, राजस्थान की कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं, आज के इस ग्लोबेलाइजेशन में आज हम पूरे देश में अन्य स्टेटों से कम्पीटिशन करना चाहते हैं, हमारे स्टेट को अन्यों से आगे करना चाहते हैं तो वसुंधराजी के राज में हम लोगों ने राजस्थान एग्रीकल्चर कम्पीटिटिवनेस

(श्री प्रभुलाल सैनी)

प्रोजेक्ट, 2008 बनाया था और उस एक्ट को बनाकर हम लोगों ने महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान, इन पांच राज्यों को मिलाकर काम्पीटिशन था। उसमें राजस्थान का प्रोजेक्ट था, 536 करोड़ रुपये की लागत का था। उसको अनुमति वर्ल्ड बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा दी गई थी। तीन साल का समय बीत गया, मैं पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से कृषि मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि आखिर इसका क्या हुआ? जिसमें इम्प्रूवमेंट आफ द एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड मार्केट हमको करना थे, इम्प्रूवमेंट आफ द रूरल हट्स हमको करना थे, डवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, अदर मार्केट्स बनाने थे। इसके अलावा लाइव-स्टाक मार्केट डवलप करना था, डेयरी डवलपमेंट करना था, मार्केट इन्फोर्मेशन सेन्टर हमको बनाने थे, एग्रो बिजनेस डवलपमेंट का काम करना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान अब कांग्रेस का इलेक्शन एजेंडा और इनके करनी और कथनी में, यह सारी बातों को समझने लग गया है, आपके माध्यम से मैं यह बात कहना चाहता हूं।

एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में, अच्छा होता, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस तरह की कृषि सम्बन्धी बातें भी करने का प्रयास करते। हम लोगों ने पूरे देश में एक चुनौती मानकर राजस्थान में इजरायल की तकनीक को अपनाते हुए, जैतून की खेती आठ जगह एक लाख पौधे मंगाकर वसुन्धराजी ने अपने हाथों से पौधों का रोपण किया। आज राजस्थान में वह खेती फल-फूल रही है। उसका भी जिस प्रकार से आयल कंटेंट की बात है, पूरे स्पेन, ब्राजील, मोरक्को में जो 12 प्रतिशत उसका आयल कंटेंट जैतून का होता था, राजस्थान में भी 9-10 प्रतिशत आ गया है और अगले साल हम 10-12 प्रतिशत तक पहुंचेंगे। क्यों नहीं राजस्थान के किसान तक इस खेती को लेकर गये? क्यों नहीं अनुदान देने की योजना बनाई? पिंड खजूर की खेती के बारे में क्यों नहीं कहा? और जिस प्रकार की बात चलती है एग्रीकल्चर के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रीन हाउस, पोली हाउस, नेट हाउस, ड्रिप इर्रिगेशन, कृषि इक्विपमेंट्स, ये सारी बातें, कथनी और करनी में फर्क है। आज भी एक-एक साल से जिलों में आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। न नेट-सैट लग रही है, न दूसरी व्यवस्था लग रही है। इसलिए मैं आपको इसके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों को, सारे विषयों को हम लोगों ने गम्भीरता से आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाने का प्रयास किया है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सबसे पहले मैं उपाध्यक्ष महोदय को मेरी तरफ से बधाई देता हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, जो उन्होंने 27 फरवरी को इस सदन में दिया था, उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को जिन्होंने आज से तीन साल पहले राजस्थान की जनता से जो समर्थन मांगा था, जिन्होंने अपने घोषणा-पत्र के अन्दर राजस्थान की जनता से वादे किये थे, जिन्होंने यह वादा किया था कि मैं राजस्थान की जनता को जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार दूंगा और उसके साथ-साथ जो भी उन्होंने घोषणा-पत्र के अन्दर वादे किये, उन वादों पर हमारे मुख्य मंत्रीजी खरे उतरे।

आज पूरे राजस्थान में जो पिछले तीन सालों के अन्दर राजस्थान का विकास हुआ है, जो चहुंमुखी विकास हुआ, उसको देखकर राजस्थान की जनता आज हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार का गुणगान कर रही है। चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे गरीब हों, चाहे एस.सी. हों, चाहे एस.टी. हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, सभी वर्गों के लिए, सभी को समान मानकर उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए काम किया है। आज राजस्थान में कोई भी किसी भी प्रकार की योजना देख लें, आज राजस्थान के गरीब लोगों को उस योजना का फायदा मिल रहा है।

मैं कल से और आज, मेरे सामने जो विपक्ष के साथी बैठे हैं, उनकी बात भी गौर से सुन रहा था। अभी-अभी आदरणीय सैनी साहब भी किसानों के हित के लिए बात कर रहे थे कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, हमने किसानों के लिए अच्छे काम किये हैं और कुछ इस प्रकार के इस सरकार पर आरोप भी लगा रहे थे। आरोप लगाना कठिन नहीं है पर पूरा राजस्थान जानता है कि पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में किस प्रकार का बीज का घोटाला था, किस प्रकार से अधिकारी आपस में झगड़ते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वह जवाब हमें दें कि वे झगड़े किस बात के थे, वे आरोप आप लोगों पर किस प्रकार के लगे थे। उनका जवाब आज तक क्यों नहीं मिला? आप बताइये, नहीं लगा तो...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तीन साल हो गये आपके। तीन साल हो गये आपके।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं वह बता रहा हूं। वह भी मैं आ रहा हूं, वह भी मैं आ रहा हूं पर मैं यह कह रहा हूं कि जो तीन साल पहले बीज घोटाले हुए थे, झगड़े किस बात के थे?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन अच्छी तरह से चल रहा है। यह इंटरवीन का काम तो अभी चालू ही नहीं हुआ, काहे को अभी शुरू कर रहे हो?

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): अभी-अभी यह भी बात कह रहे थे कि हमने हमारे टाइम में किसानों को 176 करोड़ रुपये का फायदा दे दिया, जबकि परसों आपने खुद ने सुना था कि वह पैसा किसका था, कहां से आया और आपने कैसे दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए 2011 के अन्दर 426 करोड़ रुपये जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी, उसका किसानों को फायदा दिया। अभी कहते हैं कि हमने तो 176 करोड़ रुपये का दे दिया था, पर हमारी सरकार ने 426 करोड़ रुपये का दिया है। (व्यवधान) वह अलग है, वह तो 1,773 करोड़ रुपये अलग है। वह जो आपके लघु और सीमान्त किसान थे, उन किसानों को फायदा दिया है और वह 1,773 करोड़ रुपये थे, वह रुपया राष्ट्रीय बीमा योजना का था। तो आप बताओ, किसानों के हितैषी कौन हुए? आपकी सरकार हुई या यह सरकार हुई? और आपकी सरकार में क्या-क्या नहीं हुआ। आपकी सरकार में किसानों पर गोलियां चलती थीं, किसान पानी मांगता था...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आप बोलते हो तो कोई टोकता है क्या? बिना बात टोकते हो आप। कोई मतलब नहीं है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): किसान पानी मांगता था तो उस पर गोलियां चलती थीं, लाठियां चलती थीं। आज आप देख लो, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का किसान को टेल तक पानी जा रहा है। आज तीन साल के अन्दर एक भी झगड़ा नहीं हुआ, किसी भी जगह नहीं हुआ, चाहे कोई माइनर ले लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरी ले लो, पूरी नहर देख सकते हो आप। तो आप ही के समय में क्यों झगड़े होते थे? ये क्या कारण थे? आप लोग किसानों में झगड़ा कराते थे आपस में क्योंकि आपकी सरकार में हमेशा यह आप लोगों ने सोच रखा है कि हमें तो किसानों को लड़ाना है। इसलिए आपकी कथनी और करनी में फर्क है। हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारी पूरी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो उन्होंने जनता से वादे किये, उन्होंने वे वादे पूरे किये हैं। आज राजस्थान की जनता क्यों खुश है, कि हमारे मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार

(श्री शाले मोहम्मद)

की योजनाएं लाये हैं, इस प्रकार के तीन साल के अन्दर काम किये हैं, इसलिए आज हर आदमी चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, उन सभी को उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है।

कल विपक्ष के और भी साथियों को मैं सुन रहा था, कल पहलवान साहब बात कह रहे थे कि आप लोगों ने राजीव गांधी सेवा केन्द्र बना लिये। राजीव गांधी सेवा केन्द्र के नाम से यह योजना बनाई, तब आप नाम ले रहे हो। आपकी सरकार ने कौनसी ऐसी योजना बनाई, एक ऐसी योजना का नाम भी आप बताओ जिसमें आपने अच्छा काम किया हो। उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधीजी के नाम से बना लो, सड़क का काम करा लो। तो राजीव गांधी सेवा केन्द्र जो बनाये हैं, जो हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच है, वह सोच यह है कि जो गांव का व्यक्ति है, गरीब है, जो शहर तक नहीं जा सकता है, उस व्यक्ति को घर बैठे पंचायती राज संस्थाओं में हर चीज की सुविधा मिले; चाहे बिजली का बिल हो, चाहे उसको मूल निवास एप्लाई करना पड़े, चाहे उनको जमाबन्दी की नकल लेनी पड़े, चाहे कोई अन्य काम हो या कोई योजना की जानकारी लेनी पड़े, वे सब सुविधाएं उस राजीव गांधी सेवा केन्द्र के अन्दर मिलें ताकि गरीब आदमी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, उनको हर सुविधा अपने गांव के अन्दर, अपनी पंचायत के अन्दर मिले। क्या यह काम सही नहीं किया है मुख्य मंत्रीजी ने? जो हमेशा अच्छा काम करते हैं, जो सही काम जनता के लिए करते हैं, वे सब चीजें आप लोगों को बुरी लगती हैं। आज देखो, जो मुख्य मंत्री आवास योजना है, आज कितने गरीबों को फायदा मिला। राजस्थान के अन्दर दस लाख परिवारों के लिए आवास बनेंगे, जिनका कोई आसरा नहीं था, जिनके पास कोई मकान नहीं था, जो गरीब लोग थे। हर पंचायती राज में जो पांच साल में सरपंच बनता था, पांच साल के अन्दर मुश्किल से पूरे जिले के अन्दर पांच सौ या सात सौ लोग ही लाभान्वित होते थे। आज आप किसी भी जिले में चले जाओ, पांच हजार या सात हजार लोगों के मकान बन रहे हैं एक -एक साल में।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बिल्डर खा गये, बिल्डर।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): देखो आप, कोई बिल्डर नहीं है, खुद मालिक बना रहे हैं। क्या देखा है? इसका मतलब आपने देखा नहीं है, आप यहां बैठे ही बात कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में देखते तो आप यह बात नहीं कहते। आज गरीब को फायदा, मुख्य मंत्रीजी खुद देखकर आये हैं, उन्होंने खुद ने दौरा किया है और वास्तविक स्थिति देखी है।

(श्री शाले मोहम्मद)

तो वास्तव में जो कोई भी आदमी, हम जाते हैं गांवों के अन्दर तो लोग यह दुआएं देते हैं कि मुख्य मंत्रीजी यह बहुत अच्छी योजना लेकर आये हैं, इसमें गरीब को फायदा मिला है। तो यह पहली बार हुआ है कि सात-सात हजार मकान एक-एक जिले के अन्दर बन रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय आपकी सरकार ने लिया हो तो बताओ? इस प्रकार के जो निर्णय हैं इन निर्णय से मेरे सामने जो साथी बैठे हैं, वे होच-पोच हो गये हैं कि यह जो सरकार काम कर रही है, जो जनता के सामने योजनाएं ला रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारा क्या हाल होगा। उससे मुझे चेहरों से लग रहा है कि वास्तव में होच-पोच हैं।

और भी देखो, हमारे मुख्य मंत्रीजी जनता के लिए, जो बी पी एल और गरीब परिवार हैं, उनको दो रुपये किलो गेहूं दे रहे हैं। तो आज कितना फायदा गरीब आदमी को मिल रहा है। आज महंगाई की बात करते थे कि गरीब के घर में आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, तो आज उनको दो रुपये किलो गेहूं घर बैठे मिल रहा है। आज वह गरीब आदमी, जो बी पी एल है, वह कितना खुश है, आज उनको कितना फायदा मिल रहा है।

इसी तरह देखो आप, राजस्थान के अन्दर, आज पूरे राजस्थान का जो भी, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, राजस्थान के किसी भी हास्पिटल में चले जाओ, उसको आज मुफ्त दवाई मिल रही है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): दवा है ही नहीं। नहीं है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): दवा मिल रही है। आप जाओ, आप मांगने तो जाओ। यहां दुकान नहीं है, आप जाओ। आप मांगने जाओ, पता चले। आप जाते ही नहीं हो, आप यहां बैठे-बैठे गलत बात करते हो। वहां जाओ और सत्य बात कहो। इस पवित्र सदन में बैठे हैं, कम से कम जो सही चीज है, उसको तो मानना चाहिए कि वास्तविक चीज क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम नये-नये आये हैं, आपका संरक्षण चाहते हैं, हमें पहली बार मौका मिला है।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये, बोलिये लेकिन थोड़ा...

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): जी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जो भी अच्छी योजनाएं लाये हैं, उनसे गरीब लोगों को अच्छा फायदा मिला है। आज जितने भी गरीब हैं, जो अपने इलाज के लिए तरसते थे, जिनको इलाज के लिए दवा नहीं मिलती थी, आज उनको सरकारी

(श्री शाले मोहम्मद)

हास्पिटल के अन्दर मुफ्त दवाई मिल रही है। इससे बड़ा फैसला और क्या हो सकता है? आज जननी सुरक्षा योजना है, उस योजना के अन्दर चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे दूर-दराज ढाणी में बैठा हो, चाहे किसी गांव में बैठा हो, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए भी, जब वहां से आयेंगे, गाड़ी लायेंगे। उस गाड़ी का किराया भी मुफ्त और हास्पिटल में जापा कराने पर हर चीज, सेवाएं मुफ्त दी जा रही हैं, भोजन भी मिल रहा है। उसके साथ-साथ पन्द्रह सौ रुपये उनको अलग से दिये जा रहे हैं। तो यह क्या योजना अपने आप में कम है?

तो ऐसी योजनाएं जो हैं, वही मुख्य मंत्री, वही सरकार ला सकती है जो गरीब की हितैषी हो, जो गरीब का दर्द समझती है, तो हमारी जो सरकार है, हमारे जो मुख्य मंत्रीजी हैं, गरीब के हिमायती हैं और गरीब का दर्द समझते हैं, इसी कारण इस प्रकार की योजनाएं लाये हैं।

आज शहरों के अन्दर चले जायें, आज कच्ची बस्तियों की हालत जो पहले हम देखते थे कि उनके अन्दर हम चलने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे, आज मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, मनमोहन सिंहजी और सोनिया गांधीजी ने कि जो भी कच्ची बस्तियां हैं उन सभी कच्ची बस्तियों को भी जो शहर के अन्दर मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों का रूप देना है। आज किसी भी कच्ची बस्ती में चले जाओ, उसके अन्दर आज सड़क बन रही है, सीवरेज लाइन बन रही है, पाइप लाइन बन रही है। उसके साथ-साथ गरीबों को स्टेट ग्रांट से पट्टे मिल रहे हैं और उसके साथ में उनको सहायता राशि दी जा रही है 75 हजार से एक लाख के बीच में। तो यह अपने आप में कुछ छोटा काम नहीं है। इस प्रकार की योजना वही ला सकता है जो गरीब आदमी के प्रति अपनी सोच रखता है।

मैं कहना चाहूंगा कि अन्य भी जो हमारे किसान, जो जैसलमेर के गरीब किसान हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने... पूर्ववर्ती सरकार ने उनसे वादा किया था, पूर्व मुख्य मंत्रीजी आई थीं, मैंने उनको वहां देखा था, उन्होंने कहा था कि जो किसान यहां बैठे हैं, जो रेगिस्तान के किसान हैं, इन किसानों के लिए मैं यहां पर जो कच्चे खालें हैं उनको पक्का करूंगी। तो हमारा पूरा जिला खुश हो गया, सब लोग खुश हुए कि कोई हमें अच्छी चीज मिली है, यह तोहफा मिला है। उसका रिजल्ट क्या रहा, आपके यहां से आदेश निकलते हैं, उस आदेश में यह आता है कि इसको आप नरेगा के तहत बना दो। नरेगा के

(श्री शाले मोहम्मद)

तहत तो पहले ही बना सकते थे, सरकार की तरफ से क्या दे रहे हैं? उन किसानों के साथ ठगी की इन्होंने। फिर इन्होंने क्या कहा कि हम किसानों का आबियाना माफ कर रहे हैं। उन किसानों को भी बहुत खुशी हुई कि सरकार ने घोषणा की है तो हमारा आबियाना माफ हो जायेगा। जब उन्होंने तीन साल बाद देखा, वह पैसा भरने के लिए जब उनके पास नोटिस आया कि आप पैसा भरो, वे जब वहां उस दफ्तर के अन्दर गये तब वहां किसानों को क्या मिलता है, कि आपके तो आबियाने का ब्याज माफ नहीं था, आपका आबियाना हमने सिर्फ स्थगित किया था। वे किसान डूब गये, उन किसानों की हालत खराब हो गई। जब हमने हमारी सरकार में निवेदन किया कि उस किसान के जितने पैसे नहीं हैं, उससे तीन गुना उनका ब्याज है, तो हमारी बात को इन्होंने सुना और इंदिरा गांधी नहर के जितने भी किसान थे, उन सभी किसानों का आबियाना माफ किया। वह किसने किया, अशोक गहलोत की सरकार ने किया। आज ब्याज माफी देख लो, नहरी क्षेत्र के जितने भी किसान थे, आज तीन सालों के अन्दर तीन बार उन किसानों की जो किश्त थी, मूल किश्त का ब्याज माफ कर दिया। तो किसानों के हिमायती और किसानों के लिए काम करने वाली सरकार तो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की है जिन्होंने अच्छे निर्णय लिये हैं और जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया।

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान जो चला, उस अभियान में भी आप लोगों ने सुना होगा, विपक्ष ने काफी बार यह कहा कि यहां पर किसान, यहां पर गरीब लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, यहां पर तो बरबादी हो रही है। आज मैं बताना चाहूंगा कि वहां प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में इतना काम हुआ था, बी पी एल परिवारों को वहां पर पट्टे मिले, उनकी जमाबंदी की नकलें मिलीं, उनके खातेदारी अधिकार मिले और उनके साथ-साथ साढ़े चार सौ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से लिये बी पी एल परिवारों के फायदे के लिए। तो आज जितना प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में काम हुआ है, मैं समझता हूं, कहीं भी नहीं हुआ।

आज मैं शिक्षा की बात कहूं तो शिक्षा के हालात इतने खराब हो गये थे कि आपकी सरकार ने अपने काल में एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं की।

एक माननीय सदस्य: गलत।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): गलत कहां, आंकड़े देख लो। भर्ती का बता दो। आप बताओ न, आंकड़े बताओ न। हालत क्या थी, आपने विद्यालय

(श्री शाले मोहम्मद)

खोल दिये, विद्यालय खोले लेकिन उनमें अध्यापक एक भी नहीं लगाया और जो अध्यापक जिस विद्यालय में पहले लगा हुआ था, उन विद्यालयों के अध्यापक कम करके आपने विद्यालय खोल दिये। हालत यह हुई कि जो पहले के विद्यालय थे जिनमें दो-दो सौ बच्चे पढ़ते थे, उन सब विद्यालयों में अध्यापक कम हो गये और शिक्षा के इतने हालात खराब हो गये कि वे आज देखने के काबिल भी नहीं हैं। हमारी सरकार ने वादा किया है तो आज सेकंड ग्रेड की भर्ती हो गयी है और थर्ड ग्रेड की प्रक्रिया चल रही है, मैं समझता हूं कि तीन-चार महीने के अन्दर भर्ती का काम पूरा हो जायेगा। आज भर्ती की बात करते हैं, कल आदरणीय तिवाड़ी साहब कह रहे थे कि अशोक जी गहलोत साहब नौकरी लगाना चाहते नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आपने हमारी सरकार में देखा होगा, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती हुई, उसके बाद चिकित्सकों की भर्ती हुई, सेकंड ग्रेड अध्यापकों की भर्ती हुई; भर्ती कौन सी नहीं हुई, भर्ती सभी हुई है और अब चार महीने के अन्दर थर्ड ग्रेड टीचरों की भर्ती हो जायेगी। जो मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया, वह वादा उन्होंने पूरा किया है। आपकी सरकार ने भर्ती नहीं की, यह बात आप मानने को तैयार नहीं हैं और उसका कोई इलाज नहीं है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं तो पूर्व सरकार कहती थी कि हम अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने राज्य में अल्पसंख्यक विभाग एक अलग विभाग बनाया। अल्पसंख्यकों की सुध लेने के लिए वहां जो लोग चक्कर काटते थे, वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं था; कोई छात्रवृत्ति हो, चाहे मदरसे का पंजीकरण हो, चाहे अन्य कोई सुविधा हो, उन लोगों के लिए कोई सुनने वाला नहीं था। मुख्य मंत्रीजी ने उनका भी दर्द समझा, उनके दर्द को सुना और आज जो अल्पसंख्यक विभाग बना है और हर जिले के अन्दर अल्पसंख्यक अधिकारी की जो नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति से, मैं समझता हूं कि जो भी वहां के अल्पसंख्यक, गरीब को भटकना पड़ता था, वह भटकना नहीं पड़कर आज एक जगह उनको सब प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी सुध ली गई है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ-साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी अभी बैठे थे, उन्होंने ऊर्जा में बहुत बड़ा काम किया है। आज जैसलमेर के

(श्री शाले मोहम्मद)

अन्दर पूरे देश का सबसे बड़ा सोलर हब बन रहा है हमारे पोकरण के अन्दर। आज काफी मेगावाट बिजली के उत्पादन का काम वहां शुरू हो गया है और काफी काम हो चुका है। जितना सोलर ऊर्जा का काम जैसलमेर जिले में हो रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान को उसका अच्छा फायदा मिलेगा। उस सोलर हब से जो बिजली मिलेगी, वह राजस्थान के किसान के काम आएगी। आज पवन ऊर्जा में देख लें, विण्ड मिल में जो ऊर्जा पैदा हो रही है, चाहे रामगढ़ के अन्दर आप देख लें, गैसीय तापीय योजना, उसमें भी डेढ़ सौ से दो सौ मेगावाट बिजली पैदा हो रही है।

आज ऊर्जा के क्षेत्र में विपक्ष यह आरोप लगाता है कि राजस्थान की सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, पर मैं कहना चाहूंगा कि जितना काम राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहा है उतना आज तक कभी नहीं हुआ है। किसानों को जो हमेशा वोल्टेज की समस्या रहती थी, उनको वोल्टेज कम मिलता था जिसकी वजह से वे हमेशा परेशान रहते थे, आज पूरे राजस्थान में हर दो ग्राम पंचायत के बीच में 33 के.वी. का जी.एस.एस. बन रहा है। 33 के.वी. का जी.एस.एस. बनने से किसानों को उसका फायदा मिल रहा है। जो गांव का आदमी था, उस गांव के आदमी को जब वोल्टेज गांव/ढाणी तक पहुंचता था तो वह वोल्टेज मिलता भी नहीं था। आज जितने भी जी.एस.एस. 33 के.वी. के बने हैं, उनसे वहां के गांव के लोगों को फायदा मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो गरीब आदमी के लिए और किसानों के लिए काम किए हैं, वे वास्तव में बहुत ही लोक कल्याणकारी हैं। मैं इसी के साथ में एक बार पुन: महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओमजी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य का दर्पण दिखाते हुए अपना अभिभाषण पढ़ा। उपाध्यक्ष महोदय, उस सम्पूर्ण दस्तावेज के अन्दर न तो कोई कार्यक्रम है, न कोई नीतियां हैं, न कोई भविष्य के कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है और न महामहिम राज्यपाल जी ने, जो दो महामहिम राज्यपालों ने अभिभाषण यहां पर दिया था, उन कार्य योजनाओं के आधार पर सरकार ने

(श्री ओम बिरला)

कितना एग्जीक्यूट किया, वह सारा का सारा इस दस्तावेज में कहीं नजर नहीं आता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से राज्य की जनता को कहा था, उस गरीब को बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ कि हम सरकार में आएंगे तो गरीब का, किसान का, मजदूर का कल्याण करके उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के दस्तावेज में, सबसे बड़ा दस्तावेज कि हमने प्रवासी भारतीय सम्मेलन राजस्थान की धरती पर किया और उस प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से राज्य की दशा, दिशा और औद्योगिक निवेश में परिवर्तन किया; उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पास तर्क नहीं है, कभी कहती है, हम इस देश की भूमि को दिखाने यहां पर लाये, कभी कहती है, आपस में मेलजोल करने आये हैं, जैसे पहले कभी मेलजोल नहीं हुआ हो, आपस में मिले-जुले नहीं हों। सरकार की नाकामी रही कि उस प्रवासी सम्मेलन के अन्दर जो निवेश के प्रस्ताव आने थे, वे निवेश के प्रस्ताव नहीं आये। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस प्रवासी सम्मेलन के अन्दर सरकार की तरफ से क्या योजना है, क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर है, राजस्थान के अन्दर खनन से लेकर, पानी से लेकर किन इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम यहां पर कल-कारखाने उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई विजन नहीं, कोई डाक्युमेंट नहीं। इसी सम्मेलन में, इसी धरती पर गुजरात के मुख्य मंत्रीजी यहां पर आये और दिशा दे गए, राजस्थान की धरती में, गुजरात की दिशा सुधारो। गुजरात वायब्रेंट हुआ, एक दिन के अन्दर डेढ़ लाख करोड़ के प्रस्ताव, एम.ओ.यू. साइन हुए, एग्जीक्यूशन हुआ। आज हमारा पड़ोसी प्रदेश गुजरात उद्योग, व्यापार की दृष्टि से हमसे कम इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी आज प्रगति के आयामों पर बढ़ता जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय के पास जवाब नहीं था, कि हमने निवेश के लिए यह सम्मेलन नहीं बुलाया था। अच्छा होता, हम संदेश देकर के भेजते उन प्रवासियों को। हमने क्या संदेश भेजा, हमारे मंत्रियों की बदजुबानी, उनके वक्तव्य, उनकी भाषा, यह संदेश हमने जरूर देकर भेजा है। एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, पहले भी प्रवासी सम्मेलन इस धरती पर हुए हैं।

हम भी पांच साल राज में रहे, आपने कई अंगुलियां उठाई होंगी, कई सवाल भी पैदा किए होंगे, कई आरोप-प्रत्यारोप किए होंगे लेकिन तीन साल सरकार में हो गए आपको, अगर आरोप-प्रत्यारोप में सत्यता होती तो हमें जेल भेजते, जांच करते लेकिन अगर आप कोई तथ्य विधान सभा में कहें, विधान

(श्री ओम बिरला)

सभा के बाहर कहें लेकिन उन तथ्यों की जांच नहीं करें। हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने विजन दिया था, स्टेट को एक दिशा दी थी। पूरे देश के अन्दर राजस्थान उस विजन के आधार पर, त्वरित निर्णयों के आधार पर पूरे देश को आकर्षित करने लगा था, दशा और दिशा परिवर्तन हुई थी लेकिन आज क्या हालत है, आज जिन मुद्दों पर आप बात करते हो, क्या दिया राजस्थान में सरकार ने तीन साल में किसानों को? एक उपलब्धि बता दें। वह किसान जो तपती धूप के अन्दर, जाड़े के अन्दर, पैर में पानी, सिर में जाड़ा, उस किसान के साथ क्या किया आपने?

अगर आपको मुद्दा बताना है तो मैं बता दूं। राजस्थान के अन्दर अगर सरकार चाहती तो जिस तरीके से बड़े उद्योगपतियों को व बड़ी कंपनियों को इन्पुट टैक्स के अन्दर, डीजल के अन्दर 12 परसेंट छूट दी, अच्छा होता, जिस किसान की जितनी बीघा जमीन है, वह भी उत्पादन करता है, खेती करता है, एक इंडस्ट्री का मालिक भी उत्पादन करता है, उस उत्पादन से, खाद्यान्न से हम पेट भरते हैं। यह बात सही है कि वह अपना लाभ लगाकर अपनी कीमत खुद तय नहीं करता है, जबकि एक उद्योगपति अपनी कीमत खुद तय करता है, उसको बाद में बाजार में बेचता है। लेकिन 12 परसेंट टैक्स करके डीजल के आधार पर पंजाब और अन्य प्रदेशों की तरह वहां पर सब्सिडाइज्ड डीजल देने की आवश्यकता हुई।

आपकी तो इतनी नाकारा सरकार है कि केन्द्र समर्थन मूल्य के कांटे लगाता है और समर्थन मूल्य के कांटों के लिए राजस्थान सरकार एजेंसी के रूप में एग्जीक्यूट करती है, उन कांटों को आप नहीं लगा पाये, उनको समर्थन मूल्य पर समय पर खरीद नहीं पाये। समर्थन मूल्य की कीमत में हमारे से कमजोर प्रदेश, आर्थिक रूप से, मध्य प्रदेश गेहूं में 100 रुपए अपने स्टेट से बोनस देता है, आप वह बोनस नहीं दो। धान की कीमत घटी तो उन्होंने पचास रुपये धान में दिये। आपने किसानों के साथ कौनसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं? किसानों का खून चूसने का काम किया। सहकारिता क्षेत्र में कर्नाटक में चले जाओ वहां दो प्रतिशत पर किसानों को एक लाख रुपये ऋण दिया जाता है। आप कितने प्रतिशत पर देते हो? मैं उन प्रदेशों की चर्चा कर रहा हूं जो आर्थिक रूप से आपसे सक्षम हैं, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर आपके समकक्ष खड़े हैं, मैं उन प्रदेशों की चर्चा कर रहा हूं। मैं कोई केरल, गोवा की चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन सरकार समर्थन मूल्य के

(श्री ओम बिरला)

कांटे नहीं लगाये; किसानों को बोनस नहीं दे; समर्थन मूल्य पर समय पर उसकी उपज नहीं खरीदे; जब किसान अपनी उपज बाजार में बेच दे तब सरकार की फाइलें घूमती-घूमती उस समर्थन मूल्य के कांटे लगें; किस संवदेनशील सरकार की बात कर रहे हो आप? किसान के साथ इतना बड़ा इन्जस्टिस राजस्थान की धरती पर हुआ है।

आपको पता था कि हम आठ घंटे बिजली नहीं दे सकते। हमें तो आपने बहुत नाकारा कहा था, हमें तो कहा था कि यह सरकार बिजली देगी, धोखा दिया। हमारे घनश्याम तिवाड़ी जी ने घोषणा की थी कि आठ घंटे बिजली दूंगा, उस पर प्रश्न पैदा किये थे। हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने चाहे बिजली खरीदी हो, स्टेट के पैसे से खरीदी हो लेकिन किसान को छह से सात घंटे बिजली दी। क्या हालात हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आप तो नैनवां की धरती पर रहते हो सरकार बनते ही ढाई घंटे-तीन घंटे बिजली मिल पायी। माननीय भरत सिंह जी बैठे हैं, सांगोद की धरती को, नॉन-एग्रीकल्चर, जहां पर लिफ्ट और पानी नहीं है, क्या आठ घंटे बिजली दे दी? आज भी दे दी क्या? 3 हजार मेगावाट उत्पादन कर दिया तो यह पता नहीं था कि बिजली का उत्पादन करेंगे तो बिजली की खपत भी बढ़ेगी? यह अनुपात आपको पता नहीं था, अनुमान नहीं था। क्यों घोषणा-पत्र में ऐसी बातें कहते हो? किसान बिजली के लिए तड़पता रहा। किसान का बेटा जो उजाले में पढ़ने लगा था, हमने चौबीस घंटे बूंदी के हर गांव-गांव में जा-जाकर सिंगल फेस बिजली देने का काम किया था, सरकार ने आते ही दस हजार गांवों के अन्दर उस सिंगल फेस बिजली को अंधेरे में डाल दिया। वह किसान का बेटा जो उजाले में पढ़ता था, वह लालटेन में पढ़ने लग गया।

यही हालत मजदूर की है। मैंने कल ही जिक्र किया था कि राजस्थान के मजदूर, हरियाणा में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों ने अपने भत्ते बढ़ा लिये, सांसदों ने अपने भत्ते बढ़ा लिये, हम भत्ते बढ़ाने में सक्षम हैं, लेकिन उस गरीब के भत्ते को कौन बढ़ायेगा जिसको 2300 कैलोरी का भोजन नहीं मिलता? पैर में चप्पल नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, उस गरीब को 135 रुपये में, जहां छठा वेतन आयोग लग गया, विधायकों का वेतन बढ़ गया, लेकिन उस गरीब का न्यूनतम वेतन 135 रुपये पर बैठा है। नरेगा के मजदूर की तो स्थिति और खराब है। दिल्ली में इनकी सरकार, पास की स्टेट ने 234 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, अगर आपके श्रम मंत्री जी जाकर देखें स्टेट की स्थिति, दिल्ली

(श्री ओम बिरला)

में जहां पूरे देश के मजदूर काम करने आते हैं वहां 234 रुपये मजदूरी और राजस्थान के मजदूरों के साथ इन्जस्टिस।

यह ही हालत उस नौजवान की की है। आज क्या हालत है, आपने दस लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, कौन से दस लाख की की थी? क्या सरकारी नौकरी में दस हजार देने की बात की थी? या सेठ धन्नाशाह या इंडस्ट्रीज में दस हजार लोगों की की थी। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं, रोजगार के साधन सृजित नहीं। सरकारी नियुक्तियों पर लगातार पदों की कटौती। पूरे तीन वर्ष में पचपन हजार लोगों को नियुक्ति दी आपने, 54,332 लोगों को रिकार्डेड नियुक्ति दी है। क्या हालत है। थर्ड ग्रेड का टीचर हड़ताल कर रहा है, आंगनबाड़ी लड़ रही है, विद्यार्थी मित्र लड़ रहा है। राजस्थान की विधान सभा के बाहर जाकर देख लो, उपाध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं जब राजस्थान के पीड़ित व्यक्ति यहां पर धरना-प्रदर्शन कर न्याय की मांग नहीं कर रहे हों, लेकिन न्याय यहां पर मिलता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दें। क्या हालत है, शिक्षा के आंकड़े देखो। आंकड़े नहीं देखो तो आइने को देखो। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने इस विधान सभा में कहा था कि राजस्थान की साक्षरता पर अभिशाप था, हमने कर्ज लिया, परिवर्तन कर रहा हूं। आज साक्षरता में कहां खड़े हैं, सारे देश में 74.3, यहां पर 63; 33वें स्थान पर। उपाध्यक्ष महोदय, और स्थिति खराब महिला शिक्षा के अन्दर। नये जनगणना के आंकड़े देख लें, सबसे नीचे पायदान पर हैं, पैंतीसवें नंबर पर राजस्थान है। महिलाओं के साथ शायद मुख्य मंत्रीजी न्याय नहीं करना चाहते होंगे।

चिकित्सा की दुर्दशा की हालत क्या है, आपने कहा था बच्चों की मृत्यु दर को हम कम करेंगे, एक हजार पर 34 कर देंगे, इस लक्ष्य के आधार पर चल रहे हैं। आज क्या हालत है, 54 है, पूरे देश की 43। कहां जाना चाहते हैं? ये तो आंकड़े हैं। सत्यता में चले जाओ तो कोटा का जे.के. लोन अस्पताल, वहां की हालत आप देखेंगे तो चरमरा जाती है व्यवस्था। कोटा संभाग का केन्द्र है जहां पर जितने बच्चे पैदा होते हैं एक महीने के अन्दर, उनमें से पन्द्रह प्रतिशत बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम जननी को सुरक्षित नहीं रख सकते, उसके बच्चे को सुरक्षित नहीं रख सकते। आप बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो देश के भविष्य को कैसे बनाओगे? कौनसी कल्याणकारी सरकार है? आपका पैसा इन लाल बत्ती की गाड़ियों में,

(श्री ओम बिरला)

एयर कंडिशन्ड में, अहंकार और अय्याशियों के लिए नहीं है, यह जनता का धन है जिसके एक-एक पैसे के लिए ट्रस्टी के रूप में हमने आपको बैठाया है, ट्रस्टी के रूप में आपको सत्ता संभलवायी है।

ये आंकड़े क्या कह रहे हैं जनवरी से लेकर, जनवरी में 143 पैदा हुए, 27 मर गये। क्यों मर गये? वहां पर क्या-क्या नहीं है। इस संभाग के अस्पतालों की हालत देखो, वहां पर इन बच्चों को बचाने के जो भी यंत्र हैं, वे सारे के सारे खराब पड़े हैं। एक लिस्ट, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यहां पर मैं लेना चाहता हूं, वहां पर बच्चों को बचाने का कोई यंत्र नहीं है। यह संभाग की हालत है, गांव की हालत क्या होगी! अंधेरे में बैठा हुआ है। गांवों में क्या हालत होगी जिन सी एच सी, पी एच सी में आप सुरक्षित प्रसव की बात करते हो! 32 सी एच सी, पी एच सी के अन्दर आप आपरेशन कर पा रहे हो, वे भी आधे-अधूरे। सारे रेफर कर रहे हो, और कहते हैं कि जननी सुरक्षा की योजना लाएंगे। आपने देखा कभी लेबर रूम जाकर? मंत्रीजी, आपके परिवार की, कोई एम एल ए के परिवार की मां-बहन को जाकर भेजें उस लेबर रूम की दुर्दशा में। क्या दशा है उनकी! जिन्दा महिला मौत के कगार पर हो जाती है; बच्चा जिन्दा होता है, सरकार बचा नहीं पाती है। कौन सी सरकार चलाना चाहते हो?

यह एस एम एस का हास्पिटल जहां पर पांच किलो का बच्चा अगर आ जाए तो उसकी कार्डियक सर्जरी नहीं, लीवर सर्जरी नहीं। जयपुर की राजधानी के अन्दर बच्चा जाएगा, मां लेकर आएगी, कोटा से एक बच्चे को लेकर आयी, बच्चे की कार्डियक सर्जरी करनी थी, जयपुर में भेजा, एस एम एस कहता है कि एम्स में चले जाओ। एम्स की हालत हमने देखी है। सरकार में बैठे लोगों, क्या इस एस एम एस हास्पिटल में हम एम्स के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते? आप खुद जवाब दे रहे हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी के अन्दर आपके छह महीने लगते हैं। माननीय मंत्री जी, ओपन हार्ट सर्जरी में कोई मरीज को कह दे कि आपके 90 प्रतिशत ब्लॉकेज हैं तो आप घंटे भर में आपरेशन कराओगे। आप 6 महीने में आपरेशन की बात कर रहे हो! वह बी पी एल का मरीज, गरीब मरीज निजी चिकित्सालय में जाता है। जब जाकर देखता हूं, कैसा है, कहता है कि इलाज कराने आया हूं, एस एम एस गया था, 6 महीने का समय दिया था; मेरा बाप जिंदा नहीं रहता; मां कहती, मेरा बेटा जिंदा नहीं रहता। क्या करते हो, मजदूरी, वह भी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। उस दुर्दशा को नहीं देखा आपने, उस पीड़ा को नहीं देखा जो कर्ज लेकर सारी जिंदगी कर्ज में डूब जाती है लेकिन अपने बेटे

(श्री ओम बिरला)

को बचाने की आस लगाये रखती है। कौनसी सरकार चलाना चाहते हो आप? किस सरकार के दावों की बात कर रहे हो आप?

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी हालत कितनी गम्भीर है, अगर कानून-व्यवस्था को देखें, पिछली सरकार में शराब की बात कर रहे थे, मुख्य सचेतक जी कहते थे '8 पीएम नो सीएम', अब '8 पीएम नो सीएम' कौन कहता है? यहां के मंत्री, यहां के विधायक कहते हैं, मुख्य मंत्रीजी मिलते नहीं। शराब की नीतियों की हालत क्या है, आपने तो 8 बजे शराब की दुकानें बंद कर दीं, फिर 24 परसेंट ज्यादा शराब कौन पी गया? आसमान पी गया या धरती पी गई? 24 परसेंट शराब ज्यादा बिकी। शराब बेचकर उस पैसे से आप किसी गरीब का इलाज नहीं करा सको, किसी बेटे को नहीं बचा सको, ऐसी शराब बेचकर मजदूर के जीवन को बर्बाद करने में लगे हो। अगर ताकत थी, मुख्य मंत्रीजी, तो सादगी रखते और गुजरात की तरह शराबबंदी लगाते और फिर कहते, हम स्टेट को चलायेंगे। उस शराब के पैसे से आप किसी गरीब का इलाज नहीं कर सको, मजदूर को मजदूरी नहीं दे सको, किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं दे सको और कह रहे हो, लोक कल्याणकारी सरकार है, पारदर्शी सरकार है। कौनसी पारदर्शी सरकार की बात कर रहे हो?

लोकायुक्त रिपोर्ट दे दे, रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दे दे, नरेगा में 7-7 आई ए एस के खिलाफ रिपोर्ट, यहां पर लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी, एक कलेक्टर साहब ने एक ग्राम सेवक से एक लाख रुपये की रिश्वत की रिपोर्ट को प्रमाणित करके सरकार के पास भेजा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिस पर सरकार ने कहा कि गलत तरीके से टैक्स इवेजन के माध्यम से लोकायुक्त ने रिपोर्ट भेज दी, सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी। कौन से भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रहे हो? हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, हमारे मंत्रियों और मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार की बात करते थे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको आधा घंटा हो गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, वह दिल्ली की सरकार ही बढ़िया है भ्रष्टाचार करने पर कम से कम जेल तो भेजती है। आप यहां न जेल भेजते हो, बल्कि भ्रष्टाचार करने वालों की पीठ थपथपाते हो। आपकी मजबूरी हो सकती है, सरकार की मजबूरी हो सकती है लेकिन जनता की मजबूरी नहीं रहेगी। आप अहंकार में मत डूबो, अहंकार ठीक नहीं है। जिस अहंकार में राज चला रहे हो, उसमें भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। आपके

(श्री ओम बिरला)

विधायक गलियारों में कहते हैं कि यह राज जाने वाला है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कानून-व्यवस्था की स्थिति की क्या बात करोगे? कौनसे ला एंड आर्डर की बात करोगे?

श्री उपाध्यक्ष: बिरला जी, आपको आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, बस पांच मिनट में अपनी बात खतम करता हूं। लॉ एंड आर्डर की बात करें, तब गोपालगढ़ की घटना की बात की। इस राजस्थान के अन्दर कोई जिला ऐसा नहीं जहां पानी को लेकर, खाद को लेकर, बिजली को लेकर सरकार ने लाठी चार्ज नहीं किया हो। आप बिजली दे ना सको, पानी दे नहीं सको, वह खाद पैसों से लेता है जिसकी रेट आपने ढाई गुणा बढ़ा दी। आपकी सरकार है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो सब याद है, उस पर लाठी चार्ज करना चाहते हो, मुकदमा चलाना चाहते हो। सरकार के नारों के आधार पर अगर किसान 8 घंटे बिजली मांग रहा है तो वह न्याय की बात नहीं कर रहा है क्या? उस पर लाठी चार्ज, गोली काण्ड।

आपके मुख्य मंत्री पर केन्द्र के नेताओं को भरोसा नहीं है। चुपचाप आते हैं, दौरा करते हैं। यह आपकी विश्वसनीयता है। जिस राज के मुख्य मंत्री जी की अविश्वसनीयता हो, उनके निर्णयकार, उनके ओहदेदार स्टेट में आये और उनको जानकारी ही नहीं हो, उनके गृह मंत्री को जानकारी नहीं हो, क्या बात है!

उपाध्यक्ष महोदय, हालात बदतर होते जा रहे हैं। मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, फुर्सत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह होती जा रही है कि एक-एक मंत्री अपने विधान सभा क्षेत्र का मंत्री और मुख्य मंत्री बन चुका है और यह हालत हो चुकी है, राजस्थान के मुख्य मंत्री जोधपुर के मुख्य मंत्री, सरदारपुरा के मुख्य मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां आई आई टी देने की घोषणा की थी, मुख्य मंत्रीजी आये और आई आई टी जोधपुर ले गये। आई आई टी देंगे; क्या है आई आई टी? एक साल हो गया बजट घोषणा में, आपने आई आई आई टी दे दी?

हालत यह है, सी ए डी की एल एम सी, आर एम सी की नहरों पर 980 करोड़ के प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारी लाइफलाइन, इलाहाबाद से कांडला जोड़ने वाली लाइफलाइन दो साल से बंद पड़ी है। राजस्थान के मंत्री

(श्री ओम बिरला)

दिल्ली में हैं, जो केवल भीलवाड़ा के मंत्री हैं। पानी ले जाये तो भीलवाड़ा में ले जाये, नेशनल हाइवे ले जाये तो भीलवाड़ा से ले जाये, कोटा के मंत्री तालियां बजाते रहे। कोटा का पानी भीलवाड़ा जा रहा है, कोटा के लोग प्यासे हैं, फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं, मंत्रीजी तालियां बजा रहे हैं। जब जाओगे तब जनता पूछेगी कि आपको इसलिए चुनकर नहीं भेजा था कि हमारे को प्यासा रखकर दूसरे की प्यास को बुझाओ। अच्छा होता, यहां के मंत्री कहते कि जो 2700 करोड़ की योजना बना रहे हो, उस योजना में पहले जिस क्षेत्र के लिये बांध बना था, जिस क्षेत्र के लिये पानी है, उसको पानी मिलना चाहिये, उन लोगों की प्यास बुझानी चाहिये, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात नहीं।

हमारी परवन की लिफ्ट योजना हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की, 108 बीघा का मसाला पार्क जो हमने अलाट किया, चारदीवारी बन गई, उसको झालावाड़ ले जा रहे हो। हम पर आरोप लगाते थे कि झालावाड़ का विकास हो रहा है। झालावाड़ उस क्षेत्र का अंतिम इलाका है जहां विकास की दरकार थी। इस राजस्थान के मुख्य मंत्री बरकततुल्लाह रहे, और मुख्य मंत्री भी रहे, वहां पर तो कई विकास की धाराएं हुई हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री को न्यायपूर्ण होना चाहिये, राजा ऐसा होना चाहिये जो मुख से खाये, मुख जैसा राजा होना चाहिये जो अंतिम सीमा तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन हालत क्या है, मुख जैसे राजा और मुख्य मंत्री की, मुख में रहकर मुख में निकलने की स्थिति हो रही है। तबादला नीति बना रहे थे। तीन साल हो गये तबादला नीति बनाने में, तीन साल बाद आपका तबादला हो जायेगा, नीतियां नहीं बननीं। 37 करोड़ रुपया आपने इन तबादलों में खर्च कर दिया।

(15.57 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इस कोटा की, हाड़ौती की धरती के साथ अन्याय हुआ है, कोटा के मेडिकल कालेज के साथ अन्याय हुआ है, हमारे चम्बल के पानी की सी ए डी की एल एम सी, आर एम सी नहरों की दरकिनारी हुई है। हमारे कई सिंचाई प्रोजेक्ट हैं, माननीय भरत सिंह जी यहां बैठे हैं, यहां बोलते थे कि इस हाड़ौती में पानी है, हाड़ौती में रपटें बननी चाहिये, पुलियाएं बननी चाहिये, आप खुद विभाग के मंत्री हैं, सरकार के सिंचाई मंत्री हैं, रपटें बनाओ, उन परियोजनाओं को बनाओ जिससे किसान के खेत में पानी हो सके।

(श्री ओम बिरला)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने जातियों के आधार पर बांटने का काम किया है। यह सरकार सिर्फ एक काम नहीं करती, जेल में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, अपराधियों से हत्याएं करवा रहे हैं और सरकार निर्णय नहीं कर सके, हाई कोर्ट को प्रसंज्ञान लेना पड़े, हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार के मंत्रियों को घेरा जाये। कैसी हालत बन गई! हाई कोर्ट के निर्देशों से सरकार चलती है। सरकार अगर संवेदनशील होती, सरकार पारदर्शी होती, न्यायपूर्ण होती तो शायद हाई कोर्ट को निर्देश नहीं देने पड़ते लेकिन आज हाई कोर्ट के निर्देश पर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही हो रही है, चीफ सेक्रेटरी जेल जाने के कगार पर हैं। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिये, न्याय में देरी होती है तो असंतोष होता है और असंतोष होता है तो राज विद्रोह होता है। राज विद्रोह की स्थिति मत बनाओ। जिसको न्याय मिलना है उसको समय पर न्याय मिले, न्यायसंगत कार्यवाही हो, यह शासन की व्यवस्था होनी चाहिये। सभापति महोदय, आज हालत यह हो चुकी है, सब लोग अहंकार में डूब चुके हैं, न्याय करना नहीं चाहते, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। अगर आप न्याय करने लग जाओ तो चाहे गोपालगढ़ की घटना हो, जोधपुर की घटना हो, न्यायसंगत कार्य करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री यहां पर नहीं हैं, उन्होंने 3 जनवरी को विश्वास मत के समय बहुत बातें कही थीं। अच्छा होता, उन विश्वास मत की बातों को आप करते। आप राज के संवेदनशील मुख्य मंत्री हो, पारदर्शी बनना चाहते हो, आपकी पारदर्शिता आपके लोग खोल देते हैं। कौनसी पारदर्शिता की बात कर रहे हो? आपके मंत्रियों में से अधिकांश पर करप्शन के

(16.00 बजे)

आरोप हैं, उन करप्शन के आरोपों की जांच नहीं करना चाहो; अधिकारियों की आय से अधिक सम्पत्ति के मुकदमे आप वापस लेना चाहो; राजकार्य में बाधा, राजकीय सम्पत्ति को नुकसान, नकली दवा बेचने वाले, हत्याओं के अपराध करने वाले लोगों के आज मुकदमे वापस लेना चाहते हो; उनको न्याय में जाने दो। मुकदमा वापस लेकर न्याय करना चाहते हो? 137 मुकदमे इस सरकार ने उन लोगों के वापस लिये जिन्होंने राजकार्य में बाधा डाली है, जिन्होंने अधिकारियों को पीटा है, जिन्होंने हत्याएं, बलात्कार, नकली दवा, उन काण्डों में शामिल लोगों के मुकदमे वापस लेकर राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे।

(श्री ओम बिरला)

मानुनीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग यहां बैठे हैं, हमारी सबकी भावना एक है, हम सरकार को चेताते हैं, सजग करते हैं, प्रहरी के रूप में काम करते हैं। हमारा काम प्रहरी का है, सजग करना है। सुधरो, नहीं सुधरोगे तो जनता सुधार देगी। फिर एक मौका दे रहे हैं राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से कि सरकार में बैठे लोगों, अहंकार में मत डूबो। अहंकार, अबोध आचरण, न्यायपूर्ण सरकार अगर नहीं होती है तो जनता सिंहासन चेंज कर देती है। यह तो पांच साल में चुनाव होते हैं, दलीय आधार पर लोग बंटते हैं, नहीं तो यहां बैठे लोग जब विधायक दल में बैठते हैं, जब कार्यकताओं में इनके मुख्य मंत्रीजी जाते हैं, मंत्रीजी जाते हैं और जिन बातों का इस्तेमाल होता है, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन 6 करोड़ जनता के साथ आपको न्याय करने की आवश्यकता है। 6 करोड़ जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी, नीचे से नीचे के तबके का व्यक्ति जो जमीन और फुटपाथ पर सोता है, जिसको 500 रुपये पेंशन वृद्धावस्था की देकर आप कहते हो कि चेहरे पर खुशी ला दो, उसके चेहरे पर खुशी लाना चाहते हो, 500 रुपये में आपका परिवार चल जाता है? 500 रुपये से चेहरे पर खुशी लाना चाहते हो। हरियाणा में चले जाओ, आपके घोषणा पत्र में था कि बिना शर्त के उस वृद्ध को पेंशन देंगे, वेंडर पालिसी लाएंगे, तीन साल हो गए, वेंडर पालिसी ले आए? वह मजदूर, गरीब, फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति जो ठिठुरती ठण्ड में सोता है, जो तपती धूप में तपता है, उसके साथ इस सरकार ने इन्जस्टिस किया है, सभापति महोदय।

हम यही कहना चाहते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में बड़ी-बड़ी बड़ाइयां मत करो, अपने आइने में झांको, जनता के साथ न्याय करो। अच्छा काम करो, हम शाबाशी देंगे, हम आपको कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया है लेकिन आप कह दो कि हमने सस्ती दवाइयां दे दीं, हमने बी पी एल आवास बना दिये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सस्ती दवाइयों की कौनसी बात कर रहे हो? इस राजस्थान का एक मंत्री और विधायक जाकर उन सस्ती दवाइयों से इलाज करा ले। उन जेनेरिक दवाइयों के नाम पर जो 100 संख्या में हैं, अगर जाएगा तो सी एच सी का डाक्टर भी वही दवा लिखेगा और एस एम एस का डाक्टर भी दवा लिखेगा, उससे इलाज कराना चाहते हो? सस्ती

(श्री ओम बिरला)

दवाइयां देना चाहते हो, निःशुल्क दवा देना चाहते हो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करते, अपनी खुद की लेबोरेटरी चैक करते, अपनी खुद की दवाओं की फैक्टरी बनाते...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तो शायद न्यायपूर्ण होता। मैं, सभापति महोदय, इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। यह सरकार केवल कोर्ट के डायरेक्शंस पर चलती है, यह सरकार जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर रही है, इसलिए मैं राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल और आज मैं चर्चा सुन रहा था, हमारे प्रतिपक्ष के साथी इस अभिभाषण के बारे में काफी लंबा-चौड़ा बता रहे थे, असत्य का पुलिंदा, दुनिया भर की बातें, राजस्थान को कहां ले गये, पहले हमारे समय में कहां था, इतनी लम्बी-चौड़ी आप यहां कर रहे थे। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के अन्दर और राजस्थान की लोकप्रिय सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में तीन साल के अन्दर जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों की लिस्ट ले लें, उनको देखें और हकीकत में यह जानें कि किनको लाभ हो रहा है; क्या योजनाएं आपके पांच साल के कार्यकाल में शुरू की गईं, वे बंद हुईं या उनको चालू नहीं किया गया और पांच साल में कितनी योजनाएं नई शुरू कीं, लोगों को कितना लाभ मिला। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि जो पांच साल के अन्दर आपके कार्यकाल में खूब लम्बी-चौड़ी बाते कर रहे थे, मैं बाड़मेर जिले से बात शुरू करूंगा, बाड़मेर जिले के अन्दर आपके पांच साल के कार्यकाल में मुझे एक ऐसा कार्य बता दें, एक ऐसी योजना बता दें कि बाड़मेर में हमने यह काम किया है। हां, इतना जरूर हुआ कि मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जिसका हमारे पिछले साल में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में उसका शिलान्यास किया था और उसका जाते समय आपने, उसी लिफ्ट कैनाल का दुबारा शिलान्यास जरूर किया; एक पाइप नहीं लगा और वह स्कीम ज्यों की त्यों रही। बाड़मेर की जनता को किस तरह से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने आते ही उस

(श्री मेवाराम जैन)

योजना को, जहां धन की कमी थी, 700 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर आज 95 प्रतिशत काम हो चुका है और आने वाले तीन-चार महीनों में बाड़मेर में जो वर्षों से हम इस स्कीम के लिए तरस रहे थे, वह मीठा पानी बाड़मेर की जनता को, आस-पास के गांवों को मिलेगा। आपके कार्यकाल में, पाँच साल में वापस उद्‌घाटन ही किया, एक टके का काम उसमें नहीं हुआ।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आपके कार्यकाल में, हम यहां किसानों के लिए खूब बातें कर रहे हैं, किसानों की हितैषी सरकार आपकी थी, आप लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे थे, हमारे बाड़मेर में पावर प्लांट लगा जे एस डब्ल्यू का, उसके लिए भूमि अवाप्ति की गई; आपके समय में केवल 23 हजार रुपये प्रति बीघा का किसानों को मुआवजा दिया गया और हमारी सरकार ने आते ही 3 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा देकर सबसे ज्यादा भूमि अवाप्त करके वह प्लांट वहां लगाया, किसानों को करोड़ों रुपये देकर लाभ दिया। कहां 23 हजार कहां 3 लाख।

इसी तरह बाड़मेर के अन्दर, मैं बात करना चाहूंगा, पांच साल के कार्यकाल के रहते बाड़मेर दो भागों में बंटा हुआ था। बीच में रेलवे लाइन चलने की वजह से बार-बार फाटक बंद हो जाता था। आर ओ बी रेलवे ओवरब्रिज की मांग थी, खूब चर्चा हुई, घोषणा हुई और इनके कार्यकाल में कहा, बस कल शुरू हो रहा है, परसों शुरू हो रहा है और एक पत्थर नहीं लगा। हमारे कार्यकाल में मुख्य मंत्रीजी ने बाड़मेर में एक नहीं, दो ओवरब्रिज, 25-25 लाख के दो ओवरब्रिज, आज 90 प्रतिशत काम हो चुका, एक ही जगह दो ओवरब्रिज का काम चल रहा है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

आज गांव में पानी की किस तरह से समस्या थी, उसके निराकरण के लिए आप गांवों में, हमारे यहां, हमारे यहां सर्वे करा दो, एस सी, एस टी की ढाणियां देखो, गांव देखो, जहां हर गांव, हर पंचायत के अन्दर एक-एक, दो-दो ट्यूबवेल खुदे होंगे, 50-60 ट्यूबवेल खुदे होंगे, 500 हैंडपम्प लगे होंगे; कितनी ही ढाणियां और मजरे, जिनको पाइप लाइन से जोड़ा गया होगा। अभी इस तीन साल के कार्यकाल में जितने विद्यालय थे, उनमें पानी के कनेक्शन हुए। यह कार्य हमारी इस सरकार ने किए।

इसके साथ-साथ हर क्षेत्र में देखें, आज मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा, अभी चर्चा कर रहे थे कि इन दवाइयों से क्या फायदा, मैं मेरे मित्रों से कहना चाहूंगा कि गरीब जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इलाज कराने के

(श्री मेवाराम जैन)

लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और उस घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज कराने के लिए कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, अपने जेवर बेचने पड़ते और उस इलाज के लिये कितने तड़पते थे। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, उनके दिल में दया है, गरीब और असहाय किसान, उनके प्रति प्रेम है, उन्होंने नि:शुल्क दवा पूरे राजस्थान के अन्दर करके एक ऐसा तोहफा दिया है, ऐसी बड़ी योजना आज दिन तक न कभी पहले आई थी, न ऐसी कोई आने वाली है। इसी प्रकार, अभी कह रहे थे, एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर बी.पी.एल. के जहां कोई हार्ट का पेशेंट हो, चाहे कोई अन्य कोई बीमारी हो, उसके लिये लाखों रुपये खर्च इस सरकार ने किये। नहीं तो उनकी क्या हालत होती। सिर्फ बातें और भाषण देने से नहीं होगा, आप आंकड़े देखें। आप इसको देखें कि किस तरह से लोगों को फायदा हुआ, किस तरह से जनता को यह फायदा मिल रहा है।

ऐसे ही दो रुपये किलो गेहूं की बात हो, गरीब को क्या चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए, मकान चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। उनको और क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आज 10 लाख करीब मकान गरीबों को दिये। आज उस गरीब की आत्मा जानती है, उस गरीब के पास एक झोंपड़ी नहीं थी और उसके लिये एक मकान अगर बन जाता है तो उनके दिमाग, उनके दिल में क्या महसूस होता है, हमारे इन भाइयों को यह पता नहीं है। आप गांवों में जाइये, गांवों में देखें कि वास्तव में इन स्कीमों का लाभ किसको हो रहा है।

ऐसे ही आप जननी शिशु सुरक्षा योजना का मखौल उड़ा रहे हैं, आप गांवों में देखिये, हमारी माताएं और बहनें, जहां सौ-सौ किलोमीटर पी.एच.सी. नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, उनको जापे के लिये कहां हैड-क्वार्टर जाना पड़ता। उनके लिये आज आने का, जाने का, खाने का, पीने का, दवाइयां सारी फ्री और घर पहुंचो और 1400 रुपये का चैक और दें, यह कोई कम बात है? ऐसी योजना, पालनहार, जिसके माता-पिता कोई नहीं हैं, इस बच्चे के लिये पालनहार योजना की शुरुआत की।

आज राजीव गांधी विद्युतीकरण, मैं मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आप गांवों में जाइए, ढाणियों में जाइये, 50 साल के अन्दर जितनी लाइनें नहीं लगीं, इतनी इन ढाई साल के अन्दर गांवों और ढाणियों में विद्युतीकरण हुआ, विद्युत पोल लगे, लाइनें लगीं और गरीबों को इसमें लाभ मिल रहा है। आप जाकर मौके पर देखें, इसका पता करें कि वास्तव में यह हकीकत है या नहीं

(श्री मेवाराम जैन)

है, तब आपको पता पड़ेगा। इसी तरह आज विद्युत उत्पादन की बात करें तो 3,380 मेगावाट का उत्पादन, आज सवा लाख कनेक्शन, विद्युत कृषि कनेक्शन, और कितनी ये बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं, जिनका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। आज लोक सेवा गारण्टी कानून की बात करें; आज गरीब आदमी, जिसको नामान्तरण भरना है, जिसको जन्म, मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना है, उसके लिये कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितने चक्कर लगाने पड़ते। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पाबन्द कर दिया कि आपको समय पर घर बैठे ये मिलेंगे, आप तो सिर्फ आवेदन करो और आपको यह लाभ मिलेगा।

उसी तरह पूरे शहरों के अन्दर, राजस्थान में 32 ओवरब्रिज के निर्माण की बात करें, शहर के अन्दर पाइप लाइनें जो 20-20 साल पुरानी थीं, उनको आर.यू.आई.डी.पी. के तहत बदलने का कार्य हो, सीमेंट की सड़कों की बात हो, कच्ची बस्ती के नियमन की बात हो और प्रशासन-गांवों-की-ओर में जो कैम्प लगे, उसमें हमारे भाई, उनसे पूछना चाहूंगा कि आप भी उन कैम्पों में गये होंगे, जितने पेंशनर, जितने विकलांगों को फायदा उन कैम्पों में मिला है, शायद राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप उसके आंकड़े देख लें, कितनी विधवा और विकलांगों को पेंशन उनमें स्वीकृत हुई है। यह आप देखें तो आपको वास्तव में पता पड़ेगा कि हकीकत क्या है। बातें हम यहां कुछ भी करें, वह अलग बात है।

आप सड़कों की बात करें, मैं तो बाड़मेर जिले की बात करूंगा और मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं चैलेंज के साथ कहूंगा कि आप जाकर देख लें, आपको टूटी हुई सड़क कहीं नहीं मिलेगी। जोधपुर से बाड़मेर आप जाओ, नेशनल हाइ-वे, आपको बिलकुल नई मिलेगी। इसके साथ-साथ चाहे मिसिंग लिंक की बात हो, चाहे धार्मिक सड़कें हों, यह आने वाले दिनों में और कार्य हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

बाड़मेर में आज पूरे भारत का 20 प्रतिशत तेल का उत्पादन, रायल्टी बाड़मेर दे रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह तेल और लिग्नाइट, इन दोनों का ही बाड़मेर में हो रहा है और उसमें प्रति दिन करीबन 9 करोड़ रुपये की रायल्टी बाड़मेर से मिल रही है। मुझे खुशी है कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी रिफाइनरी बाड़मेर में लगेगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है और आने वाले दिनों में यह विकास होगा।

आज चिकित्सा क्षेत्र में बात करें, कितने सब-सेंटर्स खुले। आज उनमें नर्स, ए.एन.एम. लगीं, डाक्टरों की भर्ती हुई। मैं तो कहना चाहूंगा, बाड़मेर जैसे

(श्री मेवाराम जैन)

सीमान्त क्षेत्र में सिटी-स्केन मशीन लगाई, यह अपने आप में कोई कम बात नहीं है। सरकारी भर्तियों के लिये भी खूब चर्चा हुई, भर्तियां नहीं हो रही हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आज ग्राम सेवकों की भर्ती कितनी हुई। बाड़मेर में मेरे खयाल से कोई ऐसी पंचायत नहीं होगी, जिसमें ग्राम-सेवक नहीं हैं। पटवारियों की बात करें, पटवारियों की भर्ती हुई, पुलिस में भर्ती हुई, मेडिकल में भर्ती हुई और आप विज्ञापन भी देख रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती हुई। थर्ड ग्रेड के अन्दर अभी आवश्यकता है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जितनी भी अध्यापकों की कमी होगी, उनकी भर्ती के प्रयास चल रहे हैं, विज्ञापन निकल रहे हैं, बहुत ही जल्दी होगी।

इसके साथ-साथ नरेगा के अन्दर जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, पूरे राजस्थान के अन्दर हर पंचायत में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बन रहा है जहां सारी सुविधाएं, इंटरनेट से जोड़ना, यह कोई अपने-आप में कम नहीं है, यह भी अपने आपको विकास की ओर दर्शाया जा रहा है। आज सेकंडरी स्कूलें क्रमोन्नत हुईं, आपकी सरकार में अध्यापक नहीं लगे। स्कूलें तो क्रमोन्नत कर दीं, परन्तु उसकी वजह से, अध्यापकों की कमी की वजह से, शिक्षा जो हम चाह रहे थे, उस तरह से नहीं हो पाई। अभी आते ही शिक्षा में अध्यापकों की सेकंड ग्रेड में भर्ती की। इस मौके पर मैं चाहूंगा कि आपके समय में, पिछली सरकार में जो स्कूलें खोलीं, किसी ढाणी में खोल दीं, पंचायत हैड-क्वार्टर छोड़ दिया और एक ढाणी जहां सौ-डेढ़ सौ की आबादी है, वहां खोल दी, मैं चाहूंगा कि पंचायत हैड-क्वार्टर जो भी वंचित हैं, उनमें सेकंडरी स्कूल खोली जाएं।

जनता जल योजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पंचायती राज को पांच महत्वपूर्ण विभाग दिये और उनको सशक्त करने के लिये प्रयास किये। उसमें एक समस्या जरूर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि यह जो जनता जल योजना और हैंड-पम्प रिपेयर का कार्य पंचायतों को दिया गया है, इसमें बाड़मेर जिले में मैं कहना चाहूंगा, जिला परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके यहां भेजा कि हम यह कार्य करने में असमर्थ हैं। सारी स्कीम, जनता जल योजना की ठप हैं, बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं। तो मैं यह चाहूंगा, वापस पी.एच.ई.डी. इनको सम्भाले ताकि इस योजना का आने वाली इस गर्मी में लोगों को लाभ मिल सके।

इसी के साथ-साथ हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कई वर्षों से हेल्पर्स की, टेक्नीशियंस की और

(श्री मेवाराम जैन)

इंजीनियरों की भर्ती नहीं हुई हैं, इन 10-15 साल में किसी प्रकार की भर्ती नहीं हुई है। घोषणाएं तो खूब लम्बी-चौड़ी हुई, 15 साल के अन्दर किसी प्रकार की भर्ती नहीं हुई जिसकी वजह से स्कीमें प्रभावित हो रही हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें जल्दी से जल्दी इनकी भर्ती करें ताकि ये स्कीम्स सुचारु रूप से चल सकें।

मैं इस मौके पर हमारे मुख्य मंत्रीजी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3 साल में जो महत्वपूर्ण योजनाएं बनीं, हर वर्ग में कितना लाभ मिल रहा है। मैं मेरे साथियों से कहना चाहूंगा, इसमें खाली आलोचना नहीं करें। जनता को इन योजनाओं का लाभ हम किस प्रकार से दे सकें, इसके लिए हम सबको मिलकर इन योजनाओं को आगे बढ़ाकर और गरीब तक किस तरह से पहुंचा सकें, इसके लिए प्रयास करने चाहिए।

मैं पुनः हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को, हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो अभिभाषण में जो इस तरह की योजनाएं जो आम आदमी, आम गरीब और किसान को खुशहाल बनाने के लिए चालू कीं, ये इसमें अभिभाषण में जो दर्शायी गयी हैं, मैं तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय सभापति महोदय को दूंगा कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपसे यह निवेदन कर दूं, मेरे को टोका-टाकी मत करना। मेरे को बैठने का मत कहना, मैं अपने आप बैठ जाऊंगी। आप मेरे को बैठने का कहोगे तो मैं अनुशासन की पालना करना चाहती हूं, फिर मेरे को बहुत बुरा लगता है कि आपके कहने के बावजूद भी मैं बोल रही हूं। तो मेरे को जितना बोलना है, वही मैं बोलूंगी।

श्री सभापति: आप टाइम फिक्स कर लो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जो बात कहनी है, वह ही कहूंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप बता दो कि 15 मिनट बोलोगी, 20 मिनट बोलोगी, कितना बोलोगी?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं मेरा भाषण खतम करके बैठ जाऊंगी, भले ही 15 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे।

श्री सभापति: नहीं, आप भी ओम बिरलाजी की तरह तो नहीं करोगी? दो घंटे ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, मेरे को दो घंटे नहीं बोलना है। कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। जो समस्या है और जो मेरी बात है, वह कहूंगी और जो सामने बैठे लोगों की बात सुनी है, उसका छोटा-मोटा कोई उत्तर दे सकती हूं।

श्री सभापति: अच्छा, बोलिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर चर्चा हो रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण ऋग् वेद की ऋचा के भावों से पूर्ण किया है परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि प्रदेश की सरकार द्वारा तैयार किया गया राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कथनी और प्रदेश की जमीनी हकीकत में काफी अन्तर है। महामहिम राज्यपाल ने जो बातें कही हैं, वे हकीकत से ऊपर उठकर कही है, जमीन से जुड़ी हुई नहीं हैं। उनको पूरी जानकारी जैसे सरकार ने दी है, वैसे ही उन्होंने कहा है। प्रदेश में गोपालपुरा कांड, भंवरी देवी हत्याकांड, जेल में कैदियों द्वारा जेलर की हत्या सहित अनेकों प्रकरण, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय टिप्पणी कर चुका है कि प्रदेश में सरकार है भी या नहीं, इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है? ये सामने बैठे हुए इतनी बड़ी-बड़ी बातें और बड़ी-बड़ी डींगें ठोकते हैं और कोर्ट कह चुका है कि सरकार है या नहीं, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है?

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा संख्या-75 में प्रदेश की कानून-व्यवस्था सामान्य बताई गई है, इससे यह सिद्ध होता है कि पूरा अभिभाषण जमीनी सच्चाई से ठीक विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सूरसागर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, पश्चिमी पाल रोड योजना क्षेत्र में घर पर ताला लगाना भी मुश्किल है। जो कोई भी व्यक्ति अगर घर का ताला लगाकर गया और सुबह आया और शाम को आया तो घर उनको साफ मिला। यह तो है इनकी कानून-व्यवस्था, जो कि महामहिम ने बताया था। घर ताला लगाना ही चोरी की गारंटी बन गया है। घर के बाहर खड़ी महिलाओं की चेन लूटी जा रही हैं, घरों में सोती महिलाओं के पहने हुए गहने काटे जा रहे हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था की प्रदेश की स्थिति का आकलन सहज किया जा सकता है। अभिभाषण के पैरा संख्या-74 में कानून-व्यवस्था में सुधार की बात कही है परन्तु सुधार केवल घोषणाओं तक ही हो रहे हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर में एक अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय खोलने की घोषणा हुए दो वर्ष बीत चुके हैं परन्तु आज तक क्रियान्विति नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा संख्या-70 में पर्यावरण सुधार की बात की है कि पर्यावरण बहुत बढ़िया, सुधरा हुआ है मगर मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि सत्य यह है, मुख्य मंत्रीजी, हमारा नगर, गृह नगर जोधपुर प्रदूषण के मामले में देश में टाप शहरों में से एक बन गया है। नालों का आउट-फ्लो, निकासी प्लान, मानवाधिकार आयोग में, सरकारी आवासों में एक वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी ठीक नहीं हो रहा है। जोधपुर में जल और वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी भयानक है कि घर-घर बीमारियां फैल रही हैं। शहर की सड़कों पर जाना फेफड़ों की बीमारी लेकर आना है, आज यह स्थिति है।

अभिभाषण के पैरा नम्बर-65 में राजस्थान की क्रिकेट टीम के दो बार लगातार रणजी ट्राफी जीतने पर खुशी जताई गई है परन्तु यहां छुपा लिया गया है कि पहली बार ट्राफी जीतने पर की गई पुरस्कारों की घोषणा का क्रियान्वयन दूसरी बार ट्राफी जीतने के बाद किया गया है। राज्यपाल महोदय को सब बातें बता दीं और सारी बातें सरकार ने गलत-गलत उनसे पढ़वा लीं।

इसी प्रकार पैरा नम्बर-63 में खेल विकास की बात कही है। माननीय सभापति महोदय, खेल विकास की बात करती है यह सरकार। यह छुपा लिया गया है कि प्रदेश की 90 परसेंट से ज्यादा स्कूलों में खेल सुविधा का नाम-निशान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज आप बच्चों की स्कूल में जाकर देखेंगे तो स्कूल में खेल की बात तो दूर रही, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। वे जमीनों के ऊपर ही बच्चे बैठ रहे हैं। अभी-अभी मुख्य मंत्रीजी, स्वायत्त शासन मंत्रीजी हमारे जोधपुर आये थे और काली बेरी का, गांधीनगर के नाम से उन्होंने आवास योजना का शिलान्यास किया था। मैंने उनको यह बताया तो उन्होंने क्या कहा, कि मैंने कालेज बना दी है। कालेज में कौन जाएगा? जब नींव ही मजबूत नहीं है तो कालेज में जाकर क्या करेगा? कच्ची से पांचवीं तक, आठवीं तक पढ़ने वालों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए स्कूलें नहीं हैं, बैठने को जगह नहीं है, जमीन नहीं दे रहे हैं। मंदिरों में, बग़ीचों में, वहां स्कूलें चल रही हैं। पहली से पांचवीं तक के बच्चे कितने हैं स्कूल के अन्दर, 9 बच्चे हैं। पहली से पांचवीं तक के 9 बच्चे और वे भी जमीन के ऊपर बैठे हैं और एक टीचर पढ़ा रही है और एक टीचर कहीं गई हुई है। यह

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तो स्कूल की हालत है, आप तो खेल की बात कर रहे हो, बच्चों के खेल की बात कर रहे हो। आज तक तो आपकी यह स्थिति है।

अभिभाषण के पैरा नम्बर-55 में विज्ञान क्लब योजना का बखान है परन्तु हकीकत यह है कि पहले के विज्ञान क्लब की सामग्री कागजों में ही दफन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में ढाई लाख की आबादी पर एक विद्यालय में ही विज्ञान संकाय ...(व्यवधान) इस हेतु मेरे तीन दर्जन पत्रों के बावजूद भी आज तक किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को पत्र हर समय लिखती हूं, सबको लिखती हूं मगर मुख्य मंत्रीजी का पत्र जरूर आता है, वे कहते हैं कि मैंने सचिव को भेज दिया। अब कौन से सचिव हैं? और कोई सचिव परवाह करते नहीं, न कोई उस पत्र का जवाब देते हैं। आप यहां इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो। आज एक एम.एल.ए. के पत्र का सचिव जवाब नहीं देता है तो फिर ले-मैन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। मुख्य मंत्री जवाब देता है मगर सचिव कौन है और कौन जवाब देगा, कोई जवाब देने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बालिका शिक्षा को बढ़ावे की बात अभिभाषण के पैरा नम्बर-51 में की गई परन्तु वास्तविक हालत यह है कि मेरे सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में आधी से ज्यादा बालिका विद्यालयों के पास भूमि नहीं है। भूमि नाम की नहीं है और अभी मैंने पहले भी बताया कि बच्चों की यह स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर-46, 49 में चिकित्सा सुविधाओं के लिए, अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि दवाइयां फ्री कर दीं, जननी योजना, 108 बस और फलानां-फलानां, दुनिया भर की बातें करते हैं, आप हृदय में झांककर देखो कि कहां दवाइयां मिल रही हैं। मेरे साथ चलो, आप जोधपुर के अन्दर आ जाओ, मैं आपको उम्मेद हास्पिटल ले जाऊं, मैं आपको गांधी हास्पिटल ले जाऊं, मैं आपको एम.डी.एम. हास्पिटल ले जाऊं, देखो, वहां गरीब लोगों की क्या हालत है। कितने लोगों के लिए की वहां जाकर दवाइयों की व्यवस्था? आप दवाइयां क्या दे रहे हैं? दवाइयां कौनसी देंगे? बहुत घटिया किस्म की दवाइयां देंगे।

अगर सही मायने में देखा जाए तो यह क्योंकि वाह-वाह करने से नहीं होती है, आप खाली मुख्य मंत्री की वाह-वाह करके मुख्य मंत्री को ऐसे मत

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

चढ़ाओ। आप मुख्य मंत्री को सही बात से अवगत कराओ कि वहां पर यह हो रहा है। आप सही बात नहीं कह रहे हो। आप खाली अपनी वाहवाही लेने के लिए मुख्य मंत्रीजी की तारीफ कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही बात बतानी चाहिए। हम भी राज में रहे हैं, भैरोंसिंहजी के राज में रहे हैं, कोई भी बात हम भैरोंसिंहजी को हर समय सही बात बताते थे। जब वसुन्धराजी थीं, हम सही बात बताते थे। आपको भी सही बात के लिये जरूर कहना चाहिये और वास्तविकता में अगर मुख्य मंत्रीजी ने काम किया है तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिये। यह भी नहीं है कि वह बात नहीं करें। मगर जो दवाइयां मिल रही हैं, वे सब दवाइयां घटिया किस्म की मिल रही हैं, हल्की क्वालिटी की मिल रही हैं। क्या मालूम, कौनसी फैक्टरी से आती हैं।

पैरा नम्बर-46 चिकित्सा सुविधाओं के लिये मैंने आपको सारी बात से अवगत कराया। आप चाहें तो मैं हर बात की जानकारी भी दे सकती हूं।

पैरा नम्बर-45 में धरोहर की बात की गयी है। माननीय सभापति महोदय, आज हेरिटेज की क्या स्थिति है, आज अपनी-अपनी धरोहर को अपन सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? आप जाकर के देखिये, क्या स्थिति है। आज सूरसागर महल है, मैं आपसे कहूंगी, अगर आज आप जाकर सूरसागर महल को देखें तो आंखों के अन्दर आंसू आ जायेंगे। सूरसागर महल को आप हाथ लगाकर देखें तो मुंह दिखना शुरू हो जाये, इतने बढ़िया-बढ़िया पिलर्स स्टेट के टाइम के लगे हुए हैं। मगर आज उसकी यह दुर्दशा है कि वहां कुत्ता-बिल्ली लैट्रिन करते हैं और वहां कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मेरे सवाल उठाने के उपरान्त इन्होंने यह जरूर कहा था कि हम कर देंगे मगर कुछ भी काम नहीं हुआ। यह बात भी सही है, इन्होंने मेरे कहने से कुछ राशि सैंक्शन की है मगर काम कुछ भी नहीं हुआ है, एक कौड़ी का भी काम नहीं हुआ है और जैसी स्थिति थी वैसी ही है। उसके पास ही एक बहुत बड़ा खेत है, उसके अन्दर बावड़ी बनी हुई है, स्टेट के टाइम का पत्थर लगा हुआ है, तारीख लिखी हुई है, कोई छिपी हुई नहीं है, कोई गोदरेज की आलमारी में बंद नहीं है, उसकी भी यही स्थिति है।

आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस तरीके से जो हाल हो रहा है, तो इसकी भी सही बात को मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहिये। मैं हर समय मुख्य मंत्रीजी को हर बात से अवगत कराती हूं। उनके पत्र हैं, मैं सारा पुलिन्दा आपको लाकर दे दूंगी और टेबिल पर रख दूंगी, उन्होंने हर पत्र का जवाब दिया है और यह कहा कि मैंने उस सेक्रेटरी को भेज दिया, मैंने उस सचिव को

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भेज दिया मगर उस सचिव ने आज तक कुछ नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी खुद मोनिटरिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब आप देखो ना, यहां हाउस में, खाली पड़ा है, हम किसको सुनावें? हम भी सरकार में रहे हैं, भैरोंसिंहजी ने कभी भी अपनी सीट को नहीं छोड़ा; वसुन्धरा जी थीं, उन्होंने भी कभी सीट को नहीं छोड़ा। जब कोई बैठने वाला ही नहीं है तो फिर कौन सुनने वाला है? यहां पूरे मंत्री नहीं, कोई बात नहीं, कौन सुनें बात को? (व्यवधान) दो-चार मंत्रियों से क्या होता है? दो-चार ही मंत्री हैं क्या? यह तय तो कर दो कि दो-चार ही मंत्री हैं, हम मान जायेंगे आपकी बात।

माननीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर-29 में मास्टर प्लान बनाने के कार्य की सूचना है। एक वर्ष से इसी कारण अटकी है कि फर्म को निविदा ठेका दिया जा रहा है। अब मास्टर प्लान बनाने के लिये ठेका दिया जा रहा है। अब वह अटका इसलिये है कि वह ठेका इनकी मर्जी आवे उसको मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है, इसलिये मास्टर प्लान नहीं बन रहा है, रूका हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर-22 में सड़क निर्माण की बात कही है, बड़ी-बड़ी बातें की गयी हैं परन्तु प्रदेश में सड़क निर्माण भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साधन बन गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे दूं और वहां जाकर देख लें। सड़कें कोई आलमारी में नहीं हैं, सड़कें सड़कें हैं, लोगों के चलने के लिये हैं। पहली बात तो यह सड़क बनायी नहीं और यदि बनाई है तो ऐसी घटिया किस्म की बनाई है, सीमेंटेड सड़क अगर एक महीने में टूट जाती है तो फिर क्या सरकार है और क्या वहां के एक्स.ईएन. हैं। मारवाड़ी के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, कहते हैं कि इस राज के अन्दर 'कागले माखन खा रहे हैं', यह स्थिति है इस राज के अन्दर। कोई देखने वाला नहीं है। जो काम चल रहा है, वह 'आंधी रांदै न कुत्ता खावै' एक कहावत है, वही बात इस राज के अन्दर हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मिसिंग लिंक की योजना से नगरीय विधान सभा क्षेत्रों का अलग किया जाना बहुत बड़ी खामी है। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की खुद की घोषणा थी, मेरे पास पत्र है कि डेढ़ करोड़ रुपये देंगे मिसिंग लिंक की सड़कों के लिये और अब कह दिया कि उस सड़क को नहीं बनायेंगे, शहरी क्षेत्र में नहीं बनायेंगे, जबकि मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने अखबारों में डेढ़ करोड़ रुपये के प्रत्येक विधायक के मिसिंग लिंक के लिये लिखा था।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर-17 से 19 में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की बहुत ही अच्छी स्थिति होने के दावे किये हैं, जबकि पूरे प्रदेश में नियमित कटौती हो रही है। अब तो आम जनता निर्धारित विद्युत कटौती बंद करने के स्थान पर विद्युत कटौती का टाइम बदलवाने की बात करने लगा है। यह सरकार बधाई की पात्र है कि इस प्रदेश के आम आदमी को विद्युत कटौती की आदत डाल दी है। मुझे प्रसन्नता होती है कि सरकार आगामी समय में विद्युत दरों में वृद्धि को भी अस्वीकार करती है।

माननीय सभापति महोदय, अभी इन्होंने मुख्य मंत्रीजी की बड़ी प्रशंसा की है। मैं सही कह रही हूं हार-जीत तो होती रहती है, हम इधर बैठ गये, आप उधर बैठ गये मगर फिर भी हमने सोचा कि कांग्रेस का राज है तो चलो, मुख्य मंत्री तो हमारे जोधपुर का बना है, तो मुझे अपने आप में बड़ा गर्व था कि चलो, जोधपुर के अन्दर तो इतना विकास होगा, उसे मैं बयान नहीं कर सकती हूं। मगर विकास जीरो हुआ है। यह मैं नहीं कह रही हूं सभापति महोदय, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कह रहा है कि जो काम हो रहा है, वह मंडोर की तरफ हो रहा है, अशोक गहलोत जी के क्षेत्र में हो रहा है, मगर शहर में काम नहीं हो रहा है। यह मैं नहीं बोल रही हूं, अख़बार बोल रहा है, जोधपुर का जिला अध्यक्ष बोल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार थी, मैं जैसे ही जाकर के तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी से मिली और मैंने जोधपुर की स्थिति से अवगत कराया। मैंने सबसे पहले यह कहा कि राजस्थान की आप मुख्य मंत्री हैं और आप महारानी कहलाती हैं, राजघराने से हैं, तो हम चाहेंगे कि राजा-महाराजाओं के टाइम, स्टेट के टाइम के जो जल संसाधन बने हुए हैं, उन सबको सुधारा जाये। यह बात सही है कि हमने चाहा जितना काम नहीं हुआ, फिर भी मैंने जैसे ही अपनी दो-तीन बातें रखीं, उनको उन्होंने तुरन्त पूर्ण किया जिससे गुलाब सागर, फतेह सागर और किरिया का झालरा, मैं आपको सही बता दूं, उसी वक्त उन्होंने खटखट बटन दबाया, मुझे मालूम नहीं, कम्प्यूटर में क्या-क्या करके आकलन करके दो करोड़ सैंक्शन किये। गुलाब सागर, फतेह सागर इतने सुन्दर भरे थे और यह झालरा, झालरा देखने लायक है, गुलाब सागर, फतेह सागर देखने के लायक थे। तो उन्होंने इस तरीके से उसकी व्यवस्था की और जाकर फिर उनके हाथ से उद्‌घाटन करवाया। कुछ लोगों ने कह दिया कि वह तो गली के अन्दर है, आप मत जाओ, मैं जबरदस्ती उनको ले गयी, यह बात सही है मगर उन्होंने जिस तरीके से उसको

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

देखा और देखकर वे प्रसन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर नहीं आती यह देखने तो बहुत धोखा हो जाता और अच्छा नहीं रहता। वह दूसरे दिन जहां कहीं भी जोधपुर के अन्दर गयी हैं, उस गुलाब सागर, फतेह सागर और झालरा की बात की है।

मैं यह चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री, जिनका खुद का गृह जिला है, मैं चाहूंगी, कम से कम बाईजी का तालाब, गंगलाव तालाब, इनको तो लेवें और इनको ठीक करवायें। आज गंगलाव तालाब की क्या स्थिति है? यह महाराजा गंग सिंहजी ने बनवाया। बाईजी का तालाब महाराजा उम्मेद सिंहजी की लड़की ने बनवाया। आज उनकी क्या दुर्दशा है, गंदगी से भरे पड़े हैं। अगर कोई मेरी बात न माने तो आप स्वयं जाकर देख लो। मैं तो प्रैक्टिकल बात करती हूं और मैं खुद रोज 30-40 किलोमीटर घूमती हूं, इसलिये मैं चप्पे-चप्पे की जानकारी दे सकती हूं। वैसे हर पल की

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जानकारी मुख्य मंत्रीजी को है। राजस्थान के मुख्य मंत्री, हमारे गृह जिले के मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत को कहना चाहूंगी कि आप देखिये कि यह हाल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, वहां के अधिकारी भी कोई कम नहीं हैं, वहां के अधिकारी काम करना ही नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं उनसे यह कहूंगी, जैसे आप मंडोर के अन्दर काम करवा रहे हैं, इसी तरीके से शहर के अंदर, सूरसागर के अन्दर भी आप काम करावें। आप खाली अपने क्षेत्र के मुख्य मंत्री नहीं हैं, आप पूरे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, आप उसके बारे में कहें।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से वसुन्धरा जी के राज में जो काम हुए थे, मैं यह कहना चाहूंगी, जोधपुर में कितना पुराना स्टेडियम था, उसका नाम था पुराना स्टेडियम, जैसे ही मैंने उनको प्रस्ताव भेजा कि महाराजा उम्मेद सिंहजी के नाम होना चाहिये, उन्होंने तुरन्त मेरी बात को स्वीकार करके महाराजा उम्मेद सिंहजी के नाम स्टेडियम किया। मैंने कहा, एक

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत बड़ा खिलाड़ी था झबरू शिवदत्त बोड़ा, तो उसके नाम से पैवेलियन बनवाई। आप लोग राजस्थान के मुख्य मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री थे, तो हम हमारे मुख्य मंत्री को गुमराह नहीं करते थे, हम उनको सही स्थिति से अवगत कराते थे। आप खाली तारीफ का पुलिन्दा बांध देते हैं, मगर वह भी मन में सब समझते हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, गौरव पथ है। गौरव पथ के लिये कहा तो गौरव पथ बना। जे डी ए के लिये मेरा ही प्रस्ताव था कि नगर सुधार न्यास को आप जे डी ए करो। आप राजस्थान के पिछली बार मुख्य मंत्री थे...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज समाप्त करें अब आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, साहब, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरे को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। मैं मेरी बात कहे बिना तो मैं किसी सूरत में नहीं बैठने वाली।

श्री सभापति: आपके द्वारा ही व्यवस्था दी गयी है, आपके यहां से ही यह लिस्ट आयी है, आपके सचेतक साहब से।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मैं जब तक मेरी बात पूरी नहीं करूंगी तब तक मैं नहीं बैठूंगी। मैं यह बात पहले ही कह चुकी हूं।

श्री सभापति: आपके दूसरे साथी माननीय सदस्यों को टाइम नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बहुत अनुशासन वाली हूं और आप मेरी उम्र का भी ख्याल रखो। आप मेरे को इस तरीके से नहीं...

श्री सभापति: देखिए, माननीय सदस्या, यहां पर उम्र की कोई बात नहीं है। इसका कोई औचित्य नहीं है। बात यह है कि आपके बाकी सदस्य नहीं बोल पायेंगे। यह तय हुआ था। मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने सचेतकजी से बात कर लें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आपने ये पांच मिनट मेरे क्यों खराब किये? नहीं बोल पायेंगे। मैं मेरी बात कहे बिना बैठूंगी नहीं। मैं सत्य ही कह रही हूं, मैं कोई असत्य बात थोड़े ही कह रही हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूं।

जे डी ए बनवाया, गौरव पथ बनवाया। सभापति महोदय, हर मुख्य मंत्री को सही बात कहने वाला होना चाहिए, सलाहकार अच्छे होने चाहिए। हर व्यक्ति काम अच्छा करना चाहता है लेकिन वह तब करेगा जब उसको कोई सलाह देने वाला होगा। अभी प्रभारी मंत्रीजी जोधपुर पधारे थे। आप प्रभारी मंत्रीजी को पूछ लो, मैं कितने अनुशासन में रहती हूं। मैंने लाइन में लगकर इनको 21 पृष्ठ का ज्ञापन दिया था, उसमें मैंने सारी जानकारी उपलब्ध करवायी थी। उसी वक्त रात को, नौ-दस बजे तक शराब की दुकानें खुली थीं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

और औरतों के साथ मारपीट हुई, वे भी उनसे मिलने आयी थीं। पुलिस वालों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। वह भी इनको सारी जानकारी दी। सभापति महोदय, मैं अनुशासन में रहने वाली हूं, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि जब मैंने इनको 21 पृष्ठ का ज्ञापन दिया, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को मैंने आग्रह किया कि फिदूसर चौपड़ डिस्पेंसरी और हाउसिंग बोर्ड के अन्दर डिस्पेंसरी है, इनको आप क्रमोन्नत करो। मेरी बात को उन्होंने स्वीकार किया, मेरी बात पर उन्होंने हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल घोषित कर दिया। उसकी घोषणा किये हुए दस-ग्यारह महीने हो गये मगर वहां पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कागजों के अन्दर सिर्फ घोषित हुआ। मैं यह नहीं चाहती हूं, मैं हमेशा यह चाहती हूं कि कोई काम होना चाहिए और काम ही नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। मारवाड़ी में एक कहावत है 'जेठजी री बेटी पूठरीऊ, ऊंको कांई करयां; म्हारे घर में बींदणी चोखी आवणी चाहजे जो कि काम करे'। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का काम है कि काम कर दिया, उसके बाद मंत्री और अधिकारी का काम है, वे तो ध्यान देवें। वहां कोई व्यवस्था नहीं है। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पड़ी है हास्पिटल को देने के लिए, सभापति महोदय, अभी तक जमीन अलाट नहीं हुई। फिदूसर चौपड़ के अन्दर की घोषणा की लेकिन धनराशि दे रहे हैं सूरसागर में। यह क्या बात है? अधिकारी लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? हम हमारे फंड का पैसा दे रहे हैं डिस्पेंसरियों के अन्दर। सात-सात महीने हो गये, उसकी कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई अमल भी नहीं कर रहा है।

सभापति महोदय, ये ऐसी बातें हैं जिनको हम यहां पर कह सकते हैं। अब आप ऐसी बातों को कहने के लिए हमारे ऊपर रोक लगायेंगे और आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम हमारी किसको और कहां कहेंगे?

सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी जब कालीबेरी गये थे तो उनसे मैंने पांच बातें कही थीं कि मेरी पांच बात हैं, वे आप मान लो। मैंने कहा कि एक तो प्रताप नगर हास्पिटल है, उसको सैटेलाइट करो ताकि उम्मेद हास्पिटल पर भार कम पड़े। दूसरा मैंने कहा कि स्कूलों को क्रमोन्नत करो। बच्चियां कहां पढ़ेंगी, कैसे जाएंगी? जहां कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, वहां आप सब्जेक्ट खोलो। मैंने कहा था कि सूरसागर के अन्दर जो कि माइन्स एरिया है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है सूरसागर,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आप उसको उद्योग का क्षेत्र दो। तो तपाक से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी बोले कि मांगना है जितना मांग लो इनसे, फिर रानीजी कुछ देने वाली नहीं हैं। अब आप समझ लो कि इनको मुंह से ही बात निकल रही है कि अब हमारा राज आने वाला है। मैं आपसे यही निवेदन करती हूं कि जो कोई भी हो, वह काम होना चाहिए; यदि काम नहीं होता है तो फिर हमारा तो कहना व्यर्थ ही जाता है।

सभापति महोदय, मैं बी पी एल के बारे में कहना चाहूंगी कि पैरा नम्बर 12 में बी पी एल आवास के दामों में यह तथ्य छिपा लिया गया कि सरकार बी पी एल सर्वे की निर्धारित अवधि गुजर जाने के बावजूद भी नये बी पी एल सर्वे के लिए तैयारी नहीं कर पा रही है। नमक जितना लाभ गरीबों को दिलवाने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा आटे के ऊपर भी कहना चाहूंगी। बार-बार कहा जा रहा है कि दो रुपये किलो आटा दिया जा रहा है, आप खुद तो घर में लाकर वह आटा खा लो, मैं मान जाऊंगी आपको। दो रुपये किलो वाले आटे को देखो आप, वह दलिये की तरह का आटा है। कौन रोटी खाता है उसकी? और स्कूलों के अन्दर बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है, वह भी खाने लायक नहीं। गाय-कुत्तों को डालते हैं। उसको गाय-कुत्ते भी नहीं खाते हैं। यह स्थिति है।

सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करती हूं। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरे को काफी अच्छा समय दिया और मैंने मेरी सारी बात कही।

श्री सभापति: देखिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बी जे पी के माननीय सदस्य तकरीबन 14 हैं और कल भी उस टाइम मैं ही आसन पर था, मुझे दुःख हुआ, ज्यादातर बी जे पी के माननीय सदस्य बोलने से वंचित रह गये थे। मैं समझता हूं कि आप खुद ही अनुशासन में रहकर दस मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लें तो सबको मौका मिल जाएगा। यही मेरा आपको सुझाव है। धन्यवाद।

श्री हेमसिंह भड़ाना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने उसके पक्ष में तारीफ के पुल बांधें और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो वाजिब

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

बात थी, सही बात थी और सही माइने में राजस्थान के विकास के लिए जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना चाहिए, उस बात पर अपने तार्किक विचार रखे।

सभी माननीय सदस्यों ने एक बात का ढिढोरा पीटा कि नरेगा के अन्दर राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोले गये और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर दस लाख की लागत से राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोलने से आम जन को, गरीब लोगों को सहायता मिलेगी और उसकी समस्याओं का निदान होगा लेकिन नरेगा का जो 40 और 60 प्रतिशत का रेश्यो है, 40 प्रतिशत सामग्री और 60 प्रतिशत लेबर का जो रेश्यो था जो कि गांव के किसी जोहड़ की मेड़बन्दी के लिए काम आना चाहिए था, किसी बांध की सुरक्षा दीवार निर्माण के काम आना चाहिए था, किसी ढाणी को, गांव को सड़क से जोड़ने के काम आना चाहिए था, उसकी जगह इन्होंने नरेगा के अन्दर राजीव गांधीजी का नाम लेकर इनके मंत्रियों के शिलालेख पर नाम लिखकर उनका उद्घाटन हो जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के नाम रखने के लिए सिर्फ काम किया है। उन राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की आने वाले समय में जो दुर्दशा होगी, जो हालात होंगे, उससे पूरा राज्य अच्छी तरह वाकिफ है।

सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में मैं पूरे राजस्थान की तो नहीं कह सकता लेकिन अलवर जिले में 108 विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के बन्द कर दिये गये और माध्यमिक का राजस्थान में रेश्यो देखा जाए तो हजारों की तादाद में राजस्थान को खुशहाल बनाने के नाम पर, कांग्रेस सरकार द्वारा शिक्षा देने के नाम पर, सर्वांगीण विकास के नाम पर दावा भरने वाली सरकार ने राजस्थान के अन्दर प्राथमिक विद्यालयों को बन्द करने का काम किया है। पिछले तीन साल के अन्दर एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की। सेकंडरी विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में, वसुन्धराजी के समय में अलवर जिले में मत्स्य विश्वविद्यालय खोलने का काम जो किया था, उसको कांग्रेस की सरकार ने, माननीय गहलोतजी की सरकार ने बन्द करने का काम किया।

सभापति महोदय, एक नयी चीज मेरे को देखने को मिली। मैं पिछले दो दिन से लगातार सुन रहा हूं, मुझे संकोच नहीं बात कहने में, मैं सत्ता पक्ष को आगाह करना चाहता हूं कि इनके दिल में दिल नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है और शर्म आनी चाहिए कि पिछले तीन साल में सिर्फ वसुन्धरा जी की

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

सरकार यह कर गयी, वसुन्धरा जी यह कर गयीं और हमने क्या किया, इसका कोई इन्होंने नहीं किया। 70 गूजरों के मरने की बात प्रत्येक विधायक ने बढ़-चढ़कर कही। आप सत्ता में हो, आप अपने गिरेबान में झांककर देखो, दस लोग, आपने इसी गोपालगढ़ काण्ड के अन्दर बेगुनाह लोगों पर गोली चलाने का काम किया तो इस गांधीवादी कांग्रेस सरकार के गहलोत जी ने काम किया है। आज आप सोचते हैं कि जिस गोपालगढ़ काण्ड के अन्दर शांति की बहाली की बात कर रहे हैं, आज भी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को, राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूं कि गोपालगढ़ काण्ड के अन्दर दो समुदायों का, दो सम्प्रदायों का जो झगड़ा फैलाने का काम, जो उसमें आग लगाने का काम और जिस तरह से गोली चलाने का काम और जिस तरह सी.बी.आई. निर्दोष लोगों को अन्दर जेल में डालने का काम कर रही है वह माननीय मुख्य मंत्री गहलोत जी की शह पर कर रही है। इस बात का सीधा सा नमूना है, आपके तत्कालीन गृह मंत्री शांती धारीवाल जी घटना के दूसरे दिन गये थे और मदरसे में, इनके मदरसे के अन्दर यह बयान देते हैं, प्रेस के सामने उन्होंने यह कहा है कि जो पुलिस ने किया, जायज था, सही था। दूसरे दिन पी.सी.सी. के अध्यक्ष, किसानों के नेता जी बनने वाले माननीय चन्द्रभान जी जाते हैं और यह बयान देते हैं कि पुलिस की लापरवाही हुई है, पुलिस की चूक हुई है। जब ऊपर से काका जी का दबाव आया तो माननीय गहलोत जी गये और मुख्य मंत्री की हैसियत से वहां पर जो साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, तो वह आपकी सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत ने किया है। उन्होंने यह जवाब दिया कि प्रशासनिक गलतियां हुई हैं, प्रशासन को गोली नहीं चलानी चाहिए थी।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस भू-खण्ड पर, जिस प्लाट पर और जो विवादित जगह थी, सरकार आपकी है, मोनिटर आप हो, मुखिया आप हो, एस.डी.एम. जैसे अदने से अधिकारी, तहसीलदार जैसे व्यक्ति को आपने इन्तकाल खोलने के लिए, उसको सुलह कराने का काम नहीं किया और जो भीड़ की बात कर रहे हैं, मेरे साथी मौजूद नहीं हैं, कल भी उन्होंने एक बात रखी थी, इसी मुद्दे गोपालगढ़ की अयोध्या से तुलना की थी, अयोध्या हमारी राम जन्म भूमि है जिसके अन्दर हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए लेकिन गोपालगढ़ हादसा हुआ है। यह दो समुदायों के बीच टकराने का काम किया है, जो प्रशासन की नाकारा स्थिति, माननीय मुख्य मंत्रीजी की नाकारा स्थिति, माननीय मुख्य मंत्री गहलोत जी की उदासीनता की वजह से

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

हुआ है। सुबह आठ बजे थाने परिसर के अन्दर दोनों समुदायों के प्रतिनिधि, दोनों समुदायों के व्यक्ति उपस्थित थे और वहां पर बैठे थे, उसके बावजूद शाम को पांच बजे वहां पर गोलियां चली हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी से कि आपने भारतीय जनता पार्टी, वसुन्धरा जी पर हमेशा आरोप लगाये, आप अपने गिरेबान में झांककर देखिये कि सुबह आठ बजे से और शाम के पांच बजे तक, आठ घंटे के बावजूद प्रशासन पर जब गोलियां बरसने लगीं, पुलिस और आपका एस.पी. सुरक्षित नहीं रहा, आमजन सुरक्षित नहीं रहा, तब पुलिस प्रशासन ने उन लोगों पर गोलियां चलायीं।

आज सी.बी.आई. द्वारा, अपने बचाव के लिए, इस सरकार के इशारे पर 15 लोगों को बेवजह नामजद मुलजिम बनाया जा रहा है और वे मुलजिम कौन व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति घटना के समय थाने के अन्दर शांति वार्ता में मौजूद थे। उन लोगों को, यह कांग्रेस सरकार बेगुनाह लोगों को अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए, अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए उनको मुलजिम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं, यह कांग्रेस सरकार कर रही है।

दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं कि जब इस तरह की घटना हुई, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के महासचिव, इनके कहने पर, सारे सोचेंगे कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जिनको एस.पी.जी. की सुविधाएं मिलती हैं, चाहे माननीय लालकृष्ण जी आडवाणी हों, चाहे सम्माननीय सोनिया जी हों, चाहे अटल बिहारी जी वाजपेयी हों, चाहे नरेन्द्र मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, वे एक हिस्ट्रीशीटर, लुटेरे, डकैत, वाहियात व्यक्ति की मोटर साइकल पर गये; और मारे जाते, कौन मारे जाते, इस राजस्थान के एस.पी. और कलक्टर मारे जाते, कोई दुर्घटना और घटना हो जाती तो। और वह भी वहां जाकर के पांच-पांच लाख रुपये, दो-दो लाख रुपये सोनिया जी ने घोषणा की। बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को, यह गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी को कि जब गूजर आन्दोलन हुआ, गूजर आन्दोलन में जो 70 शहीद हुए, आपके न गृह मंत्री, न आप तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, सोनिया जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं, ये राजकुमार राहुल गांधी भी इसी दुनिया के अन्दर पदाधिकारी थे, किसी ने जाकर सुध लेने का काम नहीं किया। एक ही रट लगायी, 70 गुर्जर मार दिये, निहत्थों पर गोली चला दी। आपने क्या खाक किया?

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

पांच परसेंट आरक्षण में ओ.बी.सी. में गुर्जर, गाड़िया लुहार, बन्जारा और रेबारी को देने का काम हुआ, भाई देवासी नहीं हैं, वे भी इसी श्रेणी में हैं, उनको देने का जब काम हुआ, हम मुख्य मंत्री गहलोत जी से मिले कि हमारी सरकार ने, वसुन्धरा जी की सरकार ने पांच परसेंट का कोटा, स्पेशल ओ.बी.सी. का कोटा जो लागू किया है उसको तुरन्त प्रभाव से मुख्य मंत्री गहलोत जी लागू करें। तो गहलोत जी ने पता है, क्या कहा, इसी सदन के अन्दर हम उनके चैम्बर में गये थे, उन्होंने कहा, वर्ग संघर्ष हो जायेगा। अन्याय का पेड़। आप तो यह बताओ, गुर्जर को पांच परसेंट में वर्ग संघर्ष हो जायेगा और 4.5 परसेंट इस हिन्दुस्तान के अन्दर से ओ.बी.सी. को निकाल कर और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने घोषणा की, तब किसी कांग्रेसी ने वर्ग संघर्ष की बात नहीं की। क्या हम वहां से, इराक से, ईरान से आये हैं? क्या पाकिस्तान से आये हैं? क्या बांग्लादेश से आये हैं? हमको तो देने पर वर्ग संघर्ष हो जायेगा और तब एक कांग्रेसी ने नहीं कहा। आपका बस चले ना, यह कांग्रेस तो मूकदर्शक पार्टी है, यस मैन, हां मैन। पिछले दिनों जो घटना हुई, माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी खुद सुबह यह कहते थे कि मैं हूं कि नहीं हूं; तो बोले, साहब, आप हो तो सही; बोले, अख़बार में सी.एम. हूं कि नहीं हूं। आपकी यह स्थिति कर दी और जब पांच परसेंट देने की बात आती है तब वर्ग संघर्ष की बात करते हो। यह गुर्जर, यह लुहार, यह देवासी, यह बन्जारा, इस देश के, इस प्रांत के हकदार हैं, उनको भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में हक होना चाहिए।

एक मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की बात कर रहे हो, 4.5 परसेंट जो देने की बात कर रहे हो, यह संवैधानिक नहीं है। यह भी इनकी भी गलतफहमी है कि 4.5 परसेंट देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा लड़ाने का, गुमराह करने का परम्परागत जो काम किया है, वह काम करने का ये कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (सरकारी मुख्य सचेतक): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की समय सीमा जो है वह आज एक घंटा बढ़ा दी जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का वक्त एक घंटा आगे बढ़ाया जाए, आपकी अनुमति हो तो?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, मैं तो पूरे प्रदेश के जो हालात हुए, उन पर आपके माध्यम से सरकार को यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके खुद के मकान शीशे के हों, उसको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। एक भी कांग्रेसी ने, इस सदन में दो दिन से देख रहा हूं, किसी ने 70 मरने की बात नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि अब आग घर के अन्दर लगी है। हमारी नेता सम्माननीय वसुन्धरा जी, जिन्होंने प्रदेश को एक नम्बर पर लाने का काम किया, जिन्होंने किसान को बिजली दी, किसान को खाद दिया, बेरोजगार को रोजगार दिया और हर व्यक्ति को काम दिया, इस कांग्रेस सरकार में पहली बार ऐसा क्या हुआ, किसान चिंतित है, किसान आज इस पीड़ा से है, जिसके ना तो सिर पर कोई झोंपडी होती है और ना कोई ताज होता है। आज पाले की जो स्थिति है, आपके मुख्य मंत्रीजी ने, जो कि माननीय वसुन्धरा जी की सरकार के समय में पाले पर मुआवजा देने का काम हुआ था, वह आपने नहीं किया। आपकी सरकार में एक किसान का बेटा, मैं लज्जा मानता हूं इस बात को कहते हुए कह रहा है, दस तारीख को पाला पड़ा है, एक तारीख से गिरदावरी चालू होगी। जिनकी गिरदावरी एक तारीख से पांच मार्च तक हमेशा होती है कि फलां रकबे के अन्दर सरसों, गेहूं, चना, मक्का जो भी बोया है, उसकी गिरदावरी की रिपोर्ट दें। और खाद का, ऐसी कौनसी आफत आ गयी, किसान को सब्सिडी देने का काम होना चाहिए था। आपने उस समय जब किसान को बहुत अच्छी आवश्यकता थी खाद की, उस समय आपने 450 से लेकर 1100 रुपये, और जिस भी जी.एस.एस. में हम जाते थे तो हमको यह समाचार मिलते थे कि जी.एस.एस. का सेक्रेटरी बाहर गया हुआ है, 1100 रुपये के अन्दर भी हमको जब खाद उपलब्ध नहीं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सुनो, साहब। सभापति महोदय, एक मिनट, मेरी सुनिये आप थोड़ी सी। खाद उपलब्ध नहीं हो रहा। तो किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, अस्पताल में जाओ डाक्टर नहीं, स्कूलों में जाओ मास्टर नहीं, गांवों में जाओ पटवारी नहीं,

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

क्या खाक का राज कर रहे हो आप। यह तो पशुधन मरता है उससे पहले ही छीछड़ा छोड़ता चला जाए। मैं दो दिन से अच्छी तरह रीडिंग कर रहा हूं, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मेरे साथी हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनका ऐसा चेहरा हो गया है, इनको खुद लग रहा है, आपका आखिरी बजट तो अगला है लेकिन इनको खुद को लग रहा है कि यह गहलोत जी तो गये लेकिन आपको भी गंगा जी साथ में ले जायेंगे।

(17.00 बजे)

आज मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति, अभी भी गोपालगढ़ के अन्दर जो हिन्दू वर्ग के लोग हैं, वे माइनोरिटी के अन्दर हैं, वे पलायन कर रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए। एक भी मेडिकल की रिपोर्ट सही नहीं आयी है। सब लोगों ने कहा है कि आपसी झगड़े से मरे हैं, जबकि हमारा दावा है आपके पास एजेन्सी है, आपकी सरकार है, जांच करवाइये, जितने भी मृतक हुए हैं, सारे पुलिस की गोलियों से मरे हैं, उनकी मेडिकल जांच कराइये। पन्द्रह लोग आपने हिरासत में लिये, एक भी व्यक्ति के पास अगर छुरा भी आपने बरामद किया हो तो इस बात का मैं आपसे दावा करता हूं। किसी व्यक्ति के पास तलवार नहीं, छुर्रा नहीं, बंदूक नहीं, उसके बाद वे मुलजिम मारेंगे कहां से? चाहे किसी भी सम्प्रदाय का है, चाहे हिन्दू है चाहे मुस्लिम है, मुस्लिम भी मुलजिम बनाये गये, हिन्दू भी बनाये गये।

सरकार ने बड़ी साजिश रची थी, हिन्दू-मुसलमान को लड़ाने का यही मौका है लेकिन इस देश का आम नागरिक जानता है। आने वाले समय में मैं, सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, जो आता है निश्चित रूप से जाता है, इसको ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते लेकिन जाते-जाते एक सही काम कर जाओ, जाते-जाते माननीय गहलोत जी को सद् बुद्धि देकर जाओ, यज्ञ करो कि गोपालगढ़ की घटना की दुबारा पुनरावृत्ति न हो। सद्भावना कमेटी आपने कोई गठित नहीं की। बढ़-चढ़कर आपके मंत्री आए, अध्यक्ष आए, मुख्य मंत्रीजी गये, आपके केन्द्र से राष्ट्रीय महासचिव आए, दौरों के अलावा आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि क्षेत्र की जनता को बैठाकर के उनके बीच में भाईचारा, अमन-चैन कायम किया जाए। जब तक यह कायम नहीं होगा तब तक इस मेवात क्षेत्र के अन्दर जो आग लगी हुई है, मेवात क्षेत्र के अन्दर हर व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित मान रहा

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

है। वहां पर बाजार के अन्दर एक कम्युनिटी के लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम यह सामान ....

श्री सभापति: समय समाप्त।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): कोई भी सामान, कोई भी वस्तु दूसरे मजहब के लोगों से नहीं खरीदेंगे। आज इस पवित्र सदन के अन्दर कम से कम जन हित को देखते हुए, आप लोगों ने दस को मरवा दिया लेकिन आगे नहीं मरें, आम जन की सुरक्षा रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं जो आपने महामहिम जी, जो कि हमेशा कार्यवाहक हैं, उनसे असत्य बात और बिना बात की बातों का, वह तो दर्पण आपको चुनाव में जाओगे तब पता पड़ेगा कि कितने लोग जमानत बचाकर आते हैं, इसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज जो महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पर वादविवाद हो रहा है, निश्चित रूप से यह बी जे पी के विरोध पक्ष के हैं और ये सरकार पक्ष में, पक्ष हमने भी रखा है लेकिन अच्छे कामों की प्रशंसा करेंगे, जहां कमी नजर आएगी तो हम इनको अवगत भी करायेंगे, समीक्षात्मक।

सबसे पहले स्वास्थ्य, तो जो जननी सुरक्षा योजना चलाई है, वाकई काबिले तारीफ है। हम भी देखते थे, ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं तो इसमें कोई पैसों के अभाव में और प्रसव पीड़ा से तड़प-तड़प कर जान दे देती थीं, आज वह योजना लाकर उन लोगों को भी उस मुख्य धारा से जोड़ा गया है, उनको पैसा भी मिलता है और इलाज भी मिलता है। हास्पिटल में पहुंच जाती हैं तो उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होता। मुफ्त दवा योजना, हर गरीब-अमीर सभी को इस योजना में जोड़कर बहुत पुण्य कार्य किया है। गरीब तिल-तिलकर इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, बहुत प्रशंसा और पुण्य का काम किया है।

मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका खुद का मकान हो, उसके छत हो तो मुख्य मंत्रीजी जो पहले बी पी एल योजना में बी पी एल मकान बनते थे, धीरे-धीरे लेकिन इन्होंने 3,400 करोड़ रुपये का लोन लेकर दस लाख मकान बनाने का पुनीत कार्य किया जिससे सभी गरीबों को मकान उपलब्ध होंगे।

(श्री सूरजभान धानका)

लोक सेवा गारण्टी योजना, इससे काफी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। समय सीमा तय कर दी गयी है। उस समय में अगर अधिकारी, कर्मचारी काम नहीं करता तो उस पर पनिशमेंट किया गया है।

शिक्षा के बारे में जो शिक्षा विश्वविद्यालय अलवर को मिलनी थी उस पर रोक लगाकर अलवर के साथ अनाचार हुआ।

शिक्षा मित्र, नरेगा में जो अनपढ़ मजदूर काम करते हैं, उससे भी उनका कम मानदेय है। वे अस्थाई हैं, पता नहीं, कब उनको हटा दें। शिक्षकों की कमी है। शिक्षक भर्ती तो कर रहे हैं।

अभी जो स्कूलों के बारे में बता रहे हैं, मेरे सीनियर सेकंडरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल है रेणी में। उसके पास खेल का मैदान तो अलग, बैठने के लिए भी जगह नहीं है। मैंने देखा है, अबके वार्षिक उत्सव पर मुझे बुलाया, तो एक-एक कमरे में सौ-सौ लड़कियां बैठती हैं। मात्र दो कमरे नये बने हुए हैं। छह ऐसे हैं जो चौमासे में टपकते हैं और दो की हालत यह है कि वे पता नहीं, कब गिर जाएं। तो मिडल स्कूल है लड़कियों की, वहां से 18-19 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर उसको सेकंडरी, सीनियर सेकंडरी कर दिया जाता है तो हमारी बेटियों को नजदीक पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।

राजगढ़ आदिवासी क्षेत्र है, वहां गर्ल्स कालेज नहीं है। बच्चियों को बड़ी दिक्कत आती है। तो वहां अगर एक गर्ल्स कालेज की स्थापना कर दी जाए तो बहुत शुभ रहेगा।

कानून-व्यवस्था, यह छोटी-मोटी कानून-व्यवस्था को देखते हुए जैसे गोपालगढ़ का हुआ तो उस छोटे ही फोड़े का आपरेशन कर दिया जाए। इसी प्रकार मेरे लक्ष्मणगढ़ में कनवाड़ा गांव है जिसमें तीन बीघा कब्रिस्तान की भूमि है और उसमें काफी वाद-विवाद चल रहा है। कोर्ट तक जीत गये लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो कहीं ऐसा न हो, वह बड़ा नासूर बन जाए और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हमारे धानका समाज को 1976 में अनुसूचित जनजाति में सर्टिफिकेट बनना चालू हुआ था, 34-35 साल से सर्टिफिकेट बनते आ रहे हैं। एक अनधिकृत चिट्ठी जो गजट नोटिफिकेशन बनता है, पार्लियामेंटरी प्रक्रिया से गुजर कर, राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं, उसको एक सामान्य अधिकारी से जो पेंशन जाने वाला था, रिटायर होने वाला था, उससे गुड फेथ पर दस्तखत करवा लिए। तो आज हमारे गले की घंटी

(श्री सूरजभान धानका)

बना हुआ है और सारा समाज, आज 18 महीने हो गये, सर्टिफिकेट बनने बंद हो गये। मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमें न्याय दिलाएं और सर्टिफिकेट अविलम्ब चालू करवाएं।

दूसरा है कृषि। कृषि राजस्थान व भारत का अर्थ चक्र है, उस पर पूरा अर्थ टिका हुआ है लेकिन खाद एकदम 450 से 1100 रुपये कर दिया गया। पाला, सर्दी से जो नुकसान हुआ उसका किसान को भुगतान हो, उसका सर्वे करवाया जाए। सर्दी में यहां स्कूलों में तो कर दिया कि 10.00 बजे से चालू होंगे लेकिन वह किसान जो रात को 12.00 बजे बिजली के लिए पानी के आगे खड़ा होता था, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा।

मैं माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस पर धन्यवाद प्रकट करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं, जो मुझे पूरा समय बोलने के लिये दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, तेरहवीं विधान सभा का अष्टम सत्र 27 फरवरी को स्टार्ट हुआ। उसी दिन महामहिम राज्यपाल द्वारा अपने श्रीमुख से अभिभाषण पढ़ा गया। मैं अभिभाषण के पक्ष में मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज 3 दिन हो गये हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के भाइयों, पक्ष के भाइयों ने इनके ऊपर अपने-अपने विचार, प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। विपक्ष के लोगों की जो भावना है, वे यह जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिये सब कुछ करना चाहते हैं पर हमारे पास कुछ सामान नहीं है। जब इनके पास सब कुछ था, जब इनका राज था, उस समय ये कुछ कर नहीं सके और अभी भी वे तैयार हो गये कि हमारा राज आने वाला है, हम तैयार हो जायेंगे। गोपालगढ़ की घटना कर दी, भंवरी की घटना हो गयी, और कोई घटना दिखा रहे हैं। आपके समय में जो हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं करना। आप तो राजा हरिश्चन्द्र के जमाने के एकदम ईमानदार, नेक आदमी हो, जिसने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। हमारे राज में 3 साल के अन्दर कुछ काम किया नहीं, अशोक गहलोत जी सो रहे हैं, सोते-सोते सबको मरवा दिया। महारानी जी ने सब कुछ कर दिया था, राजस्थान ऊंचाइयों पर स्वर्ग लोक में पहुंचने वाला था, हमने उसकी रस्सी पकड़ ली और रोक दिया।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, मेरा इनसे निवेदन है, ये सब विद्वान, वरिष्ठ सदस्य हैं, हम नये चुनकर आये थे, हमारे दिल में एक भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय सदस्य जीतकर आये हैं वे सब वरिष्ठ हैं, कोई तीन बार जीतकर आया, कोई चार बार जीतकर आया है, कोई पांच बार जीतकर आया है, तो हम उनसे कुछ सीखेंगे कि उनकी भावना के अनुरूप हमारे क्षेत्र के अन्दर हम किस प्रकार विकास कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें जो अपना अमूल्य वोट देकर इस गौरवमयी संसद के अन्दर भेजा है, यह हमारे...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): संसद है?

श्री पदमाराम (चौहटन): हां, इनको तो जो कहें, वह कर सकते हैं। इस विधान सभा में हमें भेजा है। हम वहां का किस हिसाब से विकास करेंगे, हमारी समस्या को किस आधार पर इस विधान सभा में रखेंगे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय व माननीय मंत्री महोदय हमारी सोच को किस आधार पर करेंगे, परन्तु हम 3 साल से यह सुन रहे हैं, इनकी भावना एक ही है, राज का जो लोभ था, अभी तक इनकी भावना से दूर नहीं हुआ है। एक दिन यह चला रहे हैं, कल हमारा राज आ जायेगा। जनता ने आपको देख लिया है, अब डेढ़ साल का समय है।

हमारे भाई अभी फरमा रहे थे, अशोक गहलोत जी जाते-जाते आपको ले डूबेंगे। हमारे 3 साल के समय के अन्दर लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता के लिये जो कार्य योजना, जो नीतियां लागू की हैं, उनसे यह विदित होता है कि 3 साल के अन्दर किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई आन्दोलन नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। गोपालगढ़ की एक घटना हो गयी तो सब लोगों के दिल के अन्दर यह हो गया कि कुछ न कुछ तो कहो।

पहले किसानों की बात करें। किसानों के लिये कल माननीय सदस्य पूरे ही वेल के अन्दर आ गये, नारा लगाना स्टार्ट कर दिया किसानों को सहायता दो, किसानों का नुकसान हो गया। आपमें से नाइंटी परसेंट लोगों को मालूम नहीं, किसान क्या है, गरीबी क्या है; उनकी कौनसी फसल का नुकसान हुआ है और उसके अन्दर क्या मुआवजा मिलना चाहिये। हमारे राज में हमने 126 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दे दिये थे। कौन से फंड से दिये थे, वह आपसे छिपी हुई बात नहीं है। एक्चुअल में किसानों के साथ भयंकर अन्याय

(श्री पदमाराम)

हुआ। भगवान की मार इतनी बड़ी होती है कि उन्होंने 6 महीने तक खून-पसीने से कड़ी मेहनत की, सर्दी के अन्दर खड़े रहे, अपनी फसल को पैदा करने की कंडिशन में आये, पकने की पोजिशन में और ऊपर वाले की मार पड़ी, पाले, शीतलहर के अन्दर उनकी फसल का सत्यानाश हो गया। इस चीज का हम सबको गम है, हम सब दुःखी हैं, कोई विधायक ऐसा नहीं चाहता कि किसान को सहयोग नहीं मिले परन्तु सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, सरकार कानून-कायदों में बंधी हुई है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी दिल्ली के अन्दर गये। उन्होंने यह मांग की कि पाला और शीतलहर को आपदा के अन्दर शामिल किया जाए। अभी मैं मिला था उनकी तहेदिल से हृदय के अन्दर यह भावना है कि किसानों को कुछ न कुछ इसके लिये दिया जाए।

अभी माननीय बिरला साहब फरमा रहे थे, राजस्थान के अन्दर प्रवासी सम्मेलन हुआ, उसके अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान के उद्योग मंत्रीजी की भावना नहीं थी, उनकी यहां कोई निवेश करने की भावना नहीं थी, दिखावे के रूप में उनको यहां एकत्रित किया था। सुबह एक प्रश्न पर भी बहस हो रही थी। मेरा इनसे निवेदन है कि आपके राज के अन्दर आपने भी सम्मेलन बुलाया होगा, उसके अन्दर आप कौनसा निवेश ले आये? कौनसा तीर मार लिया? गुजरात के मुख्य मंत्री माननीय मोदी जी की बात कर रहे हो, वहां तो सोने की ईंटें होंगी। अपने यहां क्या किया? माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि राजस्थान के अन्दर निवेश आये, राजस्थान का विकास किस प्रकार हो, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान को आमदनी हो और राजस्थान की जनता खुशहाल किस प्रकार बने। उस सोच के रूप में इन्होंने प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन किया, जो अपने अकूत धन को विदेशों में लगाकर बैठे हैं, और कोई क्षेत्र में लगाकर बैठे हैं, वह पैसा यदि राजस्थान के अन्दर लगाएं तो राजस्थान का चहुंमुखी विकास हो सकेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना, यह मामूली सी योजना नहीं है, लेकिन जिस आदमी के घर गरीबी है ही नहीं, जिन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं है, बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर सकते हैं, गरीब आदमी हैं हम, दलितों का सहयोग कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, यह वोट लेने के लिए सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में गरीबी क्या है? जिस आदमी को मालूम है कि मैं गरीब हूं, उसका बच्चा भूखा है, यदि 20 रुपये मजदूरी करके ले आता है तो 10 रुपये का एक किलो अनाज लायेगा, वह अपने बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर सकता है। उसको यदि 2

(श्री पदमाराम)

रुपये किलो में 25 किलो गेहूं मिलता है और 15 से लगाकर के 21 तारीख तक का समय पहले था, अब 21 से लगाकर 29 तारीख तक उचित मूल्य की दुकानों पर एक सरकारी कर्मचारी की देखरेख में यदि गेहूं वितरित किया जाये, शक्कर वितरित की जाये, केरोसीन वितरित किया जाये तो उसके लिए कितना लाभदायक होगा।

सभापति महोदय, वह जमाना था जब हम जन-प्रतिनिधि नहीं थे, हमने देखा कि पिछले राज में गेहूं की गाड़ियां किस प्रकार बोर्डर से पार हो रही थीं तीन महीने में एक बार बी पी एल परिवार को गेहूं मिल रहा था। केरोसीन जिंदगी में मिला ही नहीं। वे आदमी कह रहे हैं कि योजना खराब है, यह आटा खराब है। आपने आटा देखा ही नहीं, खराब क्या है। आपका यह धर्म है कि आप विरोध करो, अगर आप विरोध नहीं करोगे तो यहां बैठकर क्या करोगे? आपकी इच्छा तो यहां बैठने की है, विरोध नहीं करोगे तो आप वहां से यहां कैसे आओगे?

सभापति महोदय, आज की जनता बहुत होशियार है, आज का अनपढ़ आदमी भी होशियार है, आज का दलित होशियार है, आज झुग्गी-झोंपड़ी वाला होशियार है। कौन आदमी किसान का हितैषी है, कौन गरीब का हितैषी है, यह सबकी जानकारी है। वोटों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री बीपीएल रक्षा कोष, जो बी पी एल परिवार हैं या बी पी एल नहीं हैं और बड़ी बीमारी वाला है, एड्स है, कैंसर है, कुष्ठ रोगी है, वाल्व की बीमारी है, उस आदमी को एक आपरेशन कराने के लिए 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये का खर्चा वहन करना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष करके जो लोगों को सुविधा दी है, उनके जीवन की रक्षा की है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। उसके उपरांत मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यदि बड़ी बीमारी है और कम आय वर्ग का आदमी है या बड़ी आय वर्ग का है, यदि वह अपना इलाज कराना चाहता है तो 40 परसेंट या 60 हजार, इनमें से जो भी कम होगा, वह देने के लिए तैयार हैं। यह क्या कोई कम योजना है?

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना, अभी हमारी दीदी फरमा रही थीं कि दवाइयां बहुत घटिया हैं, उम्मेद हास्पिटल के अन्दर नहीं मिल रही हैं। मथुरादास माथुर हास्पिटल, उम्मेद हास्पिटल, सवाई मानसिंह हास्पिटल, यह जो देखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन गांव के

(श्री पदमाराम)

अन्दर एक गरीब आदमी जो पी एच सी में, उसको देखना बहुत मुश्किल है। वह गरीब, झोंपड़ी के अन्दर रहने वाला, उसको यदि 50 रुपये की दवाई फोकट में मिल जाये तो उसके लिए तो स्वर्ग है। उस गरीब को कोई बड़ी बीमारी नहीं है; वह खुद पिसाई करके, मजदूरी करके खाना खाने वाला है। उसको बड़ी बीमारी नहीं होने वाली है। उसको एसिडिटी नहीं होगी, उसको और कुछ नहीं होगा। उसको या तो बुखार होगा, या उसको जुकाम होगा, उसका इलाज हो जायेगा। उसके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, मातृ जननी सुरक्षा योजना, तिवारी साहब फरमा रहे थे, इनके सामने मुख्य मंत्रीजी को कि इनका नाम नहीं लिखा, नाम लिख देते तो अच्छी बात है। वह गरीब आदमी जिसने 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अन्दर गाड़ी देखी नहीं है, वह यदि एक ए एन एम के पास जायेगा और कहेगा डिलिवरी कराने के लिए हास्पिटल जाना है, गवर्नमेंट घर से हास्पिटल और हास्पिटल से वापस घर, पूरी दवाई, पूरी चैकिंग, पूरी खून की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था और 30 दिन तक उसके बच्चे की दवाई की व्यवस्था करने की योजना माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने लागू की है, वह बहुत सराहनीय है। वह बहुत अच्छी चल रही है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, एयरकंडिशंड में बैठने वाले नहीं हैं। 30 दिन में 20 दिन क्षेत्र के अन्दर रहता हूं, हर दिन गांव के अंदर जाता हूं। हर सम्मेलन के अन्दर, हर जगह पूछता हूं कि इस योजना का लाभ मिल रहा है, अच्छी तरह से चल रही है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, दूसरी बात, एम्बुलेंस 108, हमारे विपक्ष के भाई फरमा रहे थे कि यह वसुन्धरा जी ने चालू की; हां, की, चालू करना कोई बड़ी चीज नहीं है। कितनी दीं? घोषणा कोई भी कर सकता है लेकिन उसको लागू करना, उसको एकत्रित करना और जनता के अन्दर उस योजना को पहुंचाना, यह काम कठिन है। घोषणा तो कोई भी कर दे। भारत सरकार की योजना थी, इन्होंने लागू कर दी। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हर तहसील मुख्यालय पर, सी एच सी, पी एच सी मुख्यालय पर 108 की गाड़ी उपलब्ध करवाकर आम गरीब को जो सुविधा दी है, वह बहुत सराहनीय है।

सभापति महोदय, मेरा चौहटन विधान सभा क्षेत्र है, यहां से 750 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान सीमा के समीप है। शेरवा के अन्दर 108

(श्री पदमाराम)

एम्बुलेंस है, चौहटन के अन्दर है, बीसराड़ के अन्दर है यह सुविधा। एक गरीब आदमी फोन करके कोई एक्सीडेंट के रूप में, कोई डिलिवरी के रूप में हास्पिटल जाकर के अपनी जान बचा सकता है। इससे ज्यादा सराहनीय चीज क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, राजीव गांधी का नाम लेने से आपको जो घृणा हो रही है, वह घृणा मत करो। राजीव गांधी सेवा केन्द्र के अन्दर, हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी का सपना था कि भारत 21वीं सदी में जाये, सच्ची क्रांति आये, कम्प्यूटर का युग आये और घर बैठा आदमी विदेशों के अन्दर क्या हो रहा है, उसको देखे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नरेगा के अन्दर हर तहसील मुख्यालय पर और हर पंचायत मुख्यालय पर एक शानदार 10 लाख की बिल्डिंग बनायी है। उसके अन्दर कम्प्यूटर लगेंगे। गांव के अनपढ़, गरीब आदमी को यह मालूम होगा कि कम्प्यूटर के अन्दर विदेश की चीज हम घर बैठे देख सकते हैं। 5 विभागों का काम एक ही छत के नीचे होगा। यदि किसी को लोन लेना है, बिजली की फाइल भरनी है, अपना राशन कार्ड बनवाना है, खाते की नकल लेनी है, ये सब काम वहां पर होंगे। नरेगा का पेमेंट भी वहां होगा और पेंशन का भुगतान भी वहां होगा।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सामाजिक न्याय को प्रशासन-गांव-के-संग लगाकर यह चयनित किया कि वह आदमी जो बी पी एल है और वह पेंशन से वंचित है या वृद्ध है और पेंशन से वंचित है, उन सबकी पेंशन की फाइलें तैयार कीं और पहले जो 200 रुपये मिल रहे थे उसको 500 रुपये किये और 400 रुपये को 750 रुपये बढ़ाकर आम गरीब को लाभ पहुंचाया। बिड़ला साहब फरमा रहे थे कि 500 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है, हमें तो 500 में कुछ नहीं होने वाला है, हम तो डेली 500 का कुछ और कर सकते हैं, एयरकंडिशंड में रहने वाले हैं हमने गाड़ी से नीचे पैर नहीं दिया है तो हमें क्या मालूम, लेकिन एक गरीब आदमी जिसको मजदूरी करके अपना पेट भरना है, उसके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी चीज है।

सभापति महोदय, पालनहार योजना, जो अनाथ बच्चा है, एक विधवा मां है, वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, अपने घर का भरण-पोषण करना चाहती है। उनको मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा, अपने घर में जो मेहमान आयेंगे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने यह पालनहार योजना लागू की और इसमें एक परिवार को 500 रुपये पेंशन और

(श्री पदमाराम)

675 रुपये छात्रवृत्ति दी है, उनके भरण-पोषण और पढ़ाई के लिए। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नर्मदा नहर हमारे क्षेत्र के अन्दर आई। हमारे पड़ोसी बाबूसिंहजी अभी फरमा रहे थे कि बाडमेर में क्या किया, नर्मदा नहर दी, नर्मदा नहर को सिलू के अन्दर 3 पाइप लगाकर पानी देखा था, पाइप लगाये थे 3, दस किलोमीटर नहर अधूरी पड़ी थी और वहां माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी पधारी थीं, भारी भीड़ थी और फिर उन्होंने नर्मदा नहर के पानी का शिलान्यास किया। परन्तु आपके राज में आपने क्या किया, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हमारे जमाने में शिलान्यास तो कर दिया, नहर तो चला दी परन्तु उत्तर और पश्चिम के पूरे भाग को अनकमांड घोषित कर दिया। किसान चिल्ला रहे हैं, हम तीन साल से लगातार मांग कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी होगी, आपने नहर को पीछे से तीन मीटर नीचे दबा दिया तो आगे वाले क्षेत्र के अंदर पानी पहुंचना बहुत मुश्किल है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त वंचित क्षेत्र के 50 गांवों को इसी सत्र में जोड़ा जाए और गरीब किसानों के फायदे के लिए उचित कार्यवाही की जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरा सीमावर्ती क्षेत्र है, आपके यहां टाडा और माडा योजना ट्राइबल एरिया में लागू है परन्तु मेरा क्षेत्र पाकिस्तान बोर्डर पर है। हमारे गरीब भील भाई जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उनकी हालत आदिवासी लोगों से भी बदतर है। वे मजदूरी करने के लिए गुजरात चले जाते हैं और साल के अन्दर एक बार ही बरसात के समय में आते हैं। मेरा निवेदन है कि उन लोगों को भी माडा योजना में शामिल किया जाए, उन आदिवासी लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, वैसी सुविधाएं उनको भी दिलाई जाएं।

मेरी दूसरी आपके माध्यम से विशेष मांग है कि अनुसूचित जाति के जिन सदस्यों को विशेष कृषि कनेक्शन के लिए सुविधा दी गई है, उसी आधार पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी सुविधा दिलाई जाए। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप गरीबों का यह काम कराएं।

दूसरा मेरा एक निवेदन है कि हमारे बैकवर्ड एरिया में आंधी बहुत चलती है। रेगिस्तानी एरिया है और गर्मी के दिनों में, आंधी के समय में हमारे वहां जो कच्चे झोंपड़े हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो 10 लाख रुपए इन्दिरा गांधी आवास योजना में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): जो योजना लागू की है वह बहुत अच्छी योजना है परन्तु गर्मियों के दिनों में ढाणियों में आग लगने की बहुत शिकायतें होती हैं। वहां आगजनी के कारण उनका पूरा सामान, जिन्दगी भर की उनकी कमाई से संचित किया हुआ, उनके पूरे सामान का सत्यानाश हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, वे हमको सीधा फोन करते हैं, हम वहां जाते हैं लेकिन एम एल ए लेड से हम उनको एक पैसा भी नहीं दे सकते, दूसरा हमारे पास कोई फंड नहीं है। तो मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि आगजनी के अन्दर पांच हजार रुपए दस हजार रुपए देने की आप व्यवस्था कराएं। तो हम गरीब के घर जब जाएं, उसके घर में उसके कपड़े भी नहीं मिलते हैं, बर्तन जल जाते हैं, उसके रहने की जगह नहीं है, इसलिए उसका आशियाना बनाने के लिए पांच हजार रुपए, दस हजार रुपए की व्यवस्था कराई जाए। यह मेरी विशेष मांग है, इस पर आप गौर फरमायें।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं जोरदार स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि तीन साल तक राजस्थान की सरकार ने राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, हर चार महीने एक नई योजना लांच कर रही है...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): वे योजनाएं जनता तक पहुंची हैं, उन सब योजनाओं की पूरे राजस्थान में वाहवाही हो रही है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी 23 तारीख को हमारे चौहटन पधारे थे और उन्होंने...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा। श्री कैलाश चन्द भंसाली।

श्री पदमाराम (चौहटन): ×××

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, 27 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसकी पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह से समालोचना की है, उसका मैं स्वागत करता हूं परन्तु सभी लोगों ने कहा, सत्ता पक्ष के लोगों का, अधिकारियों द्वारा बनाया गया अभिभाषण और टैग के मुताबिक पढ़ा गया है। मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हुआ है। उसका कारण है, जैसा कल

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

माननीय घनश्यामजी ने कहा कि हम बार-बार कहते हैं, राज्यपाल महोदय से मिलना चाहते हैं, जनता की समस्याओं से उन्हें अवगत कराना चाहते हैं परन्तु उनके पास समय नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, एक विकलांग बच्ची, अनुसूया मोदी जिसने एक हाथ से विकलांग होने के बावजूद राष्ट्रीय तैराकी में रजत पदक, स्वर्ण पदक और इस प्रकार से 15 लाख 75 हजार रुपए के पारितोषिक की हकदार थी, उसको अभी तक राज्यपालजी की मेहरबानी से, अभी 25 हजार रुपए का एक और चैक मिला है, 13 लाख 75 हजार रुपए अभी तक उसके बाकी हैं।

ऐसी असंवेदनशील सरकार जो बार-बार यह कहती है कि यह संवेदनशील सरकार है, जवाबदेह सरकार है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने साढ़े आठ हजार पत्र मुख्य मंत्रीजी से लेकर जिला कलक्टर और ए डी एम तक लिखे हैं और सभी अधिकारियों और सभी विभागों को लिखे हैं। मुख्य मंत्रीजी का जवाब जरूर आता है कि आपका पत्र सम्बन्धित सचिव महोदय को भेज दिया गया है या मुख्य सचिव को भेज दिया गया है लेकिन एक भी पत्र का जवाब इन लोगों से मेरे पास नहीं आया है। यह पीड़ा मैं आपके सामने बता रहा हूं।

हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्रजी पारीक भी यहां मौजूद हैं, उनको भी यह सारी डिटेल मालूम है और सारे जोधपुर के अखबारों में और हिन्दुस्तान टाइम्स, जयपुर ने भी यह बात छापी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा अभी सूर्यकान्ताजी ने कहा कि विधायकों के पत्रों की भी कोई कद्र नहीं की जाती है, मैं उस बात को रिपीट करता हूं और यह कहता हूं कि हमें भी हमारे पत्रों के जवाब नहीं मिलते हैं और केवल मात्र एक्नोलेजमेंट उस डिपार्टमेंट वाले देते हैं, आगे क्या कार्यवाही, वह नहीं करते हैं, विशेषकर जे डी ए, नगर निगम के यहां भी इस प्रकार की बात है।

जैसा सूर्यकान्ताजी ने कहा और मैंने भी सुना है और अखबारों में भी छपा है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिले के महामंत्री और अब जे डी ए के अध्यक्ष बने श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने भी कुछ समय पहले, चार महीने पहले यह कहा था कि सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल मात्र घोषणा ही घोषणा हो रही है; शहर सड़ रहा है, गंदगी का चारों और साम्राज्य है; जगह-जगह खड्डे ही खड्डे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं; सारी हालत खराब है।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, दिसम्बर और जनवरी के महीने में भी, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, उस समय सुबह आठ से लेकर ग्यारह बजे तक की कटौती। यह बहुत ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए कि हम बच्चों की पढ़ाई में दखल दे रहे हैं, उनको परीक्षा देने की तैयारी में दखल दे रहे हैं और परीक्षा देने के समय भी हम उनको तकलीफ दे रहे हैं। लोगों के पास कोई आल्टरनेट इन्तजाम नहीं होने से बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है। गर्मी में तो हाल बेहाल हो जाता है, इस बार तो सर्दियों में भी यह पीड़ा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिजली कटौती की जो बात चल रही है, उसको खतम किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे उद्योग मंत्रीजी ने कहा था कि हमने राजस्थान का गौरव बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीयों का 11वें सम्मेलन में जिस शानदार ढंग से राजस्थान में स्वागत किया, सुविधाएं उपलब्ध कराईं उसके कारण से रिकार्ड उपस्थिति हुई है। लेकिन मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, मेरे एक मित्र जो राजस्थान के प्रवासी हैं, बैंगलोर में रहते हैं और अमेरिका में बहुत बड़ा काम करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए यहां बुलाया गया था। वे आए थे, उन्होंने पहले दिन मुझे कहा कि आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा कि हमको आपके साथ डिनर का न्योता है, उसमें आपके साथ चलेंगे; कल हमारे पास आपके साथ जाने का कोई पास नहीं है इसलिए माफ करें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा सम्मेलन में। तो मैंने दूसरे दिन कहा कि पास नहीं है। इसके पहले दिन राजेन्द्रजी पारीक साहब के पी ए को मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप मुख्य मंत्रीजी से बात करें तो मैंने मुख्य मंत्रीजी से बात करने की कोशिश की, तो उनके पी ए ने मुझे थोड़ी देर बाद सूचना दी कि इसका सारा काम सुरेन्द्र कुमारजी देख रहे हैं जो दिल्ली में हमारे अधिकारी हैं। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल बंद था। फिर उनके पी ए से मैंने निवेदन किया कि मेरे ये मित्र आए हैं, मैं विधायक हूं जोधपुर से, राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, उसका मैं विधायक हूं और चाहता हूं कि मेरे मित्र का जो सम्मान हो रहा है, उसमें मैं उनके साथ रहूं। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहता हूं, मुझे कोई परमिशन नहीं दी गई। जब मुझे वहां ले गये तो वहां जाकर और भी ग्लानि हुई। जब उन्होंने कहा कि आप इनको नहीं जाने दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप भी मत आइए। तो हम दोनों बाहर खड़े रहे।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

तो इस तरह से यह गौरवशाली परम्पराओं का इन्होंने अपमान किया है। मैं यह कह रहा हूं, यह इतनी बड़ी रकम खर्च करने से चाहे 8 करोड़ की है, चाहे 10 करोड़ की है, उसका कोई मतलब नहीं है परन्तु सवाल यह है कि जब आदमी को बुलाते हो, पावणे को बुलाते हो तो पावणे का पूरी तरह से सत्कार होना चाहिए, उसको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, कम से कम बैठने की जगह मिलनी चाहिए।

स्वच्छ, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार के बारे में जिस तरह के कशीदे गाये गये, उसमें मेरा यह निवेदन है कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है और वहां की सड़कें, कानून-व्यवस्था, गंदगी, बिजली की कमी और सरकारी अस्पतालों की जो बदहाली है, उसका वर्णन करने में शर्म आती है। कालेज के अन्तर्गत जो तीन हास्पिटल हैं, उसमें मैं मानता हूं, मैंने भी महात्मा गांधी अस्पताल में जो अलग से वार्ड आपातकालीन, उसके स्वागत समारोह, उद्‌घाटन समारोह में मैंने मुख्य मंत्रीजी के सामने कहा था कि मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने जोधपुर में यह बहुत अच्छा वार्ड बनाया है और रोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी परन्तु उसके साथ-साथ मैंने कहा कि इन तीन हास्पिटलों के अलावा, आपने तीनों में जो वादा किया, जो 29 प्रसूताओं की डैथ हुई थी, उसको आपने निभाया, उसके लिए धन्यवाद परन्तु जोधपुर में दूसरे जितने अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आते हैं, उनका तो हाल ही खराब है। महिला बाग़ अस्पताल में एक प्रसव नहीं हो रहा है, जबकि सारी सुविधा है और जिला हास्पिटल उसको घोषित किया जा रहा है। नवचौकिया डिस्पेंसरी का भी यही हाल है। मैंने मेरे कोटे से 10 लाख रुपये वहां लगाये। 10 लाख रुपये वहां लगाये हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं और कलक्टर साहब ने कहा है, आने वाले 2-3 महीनों में ये दोनों अस्पताल अच्छे हो जाएंगे। मैं उनकी इस बात से तारीफ करता हूं।

राजस्थान में 15 विभागों की 123 सेवाएं हैं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान करने का अभी हाल में एलान हुआ है, इसमें जो टाइम लिमिट दी गयी है, वह पूर्व में जो टाइम लिमिट थी उससे ज्यादा दी गयी है, 15 दिन का हर चीज में दे दिया गया है जबकि पहले यह था कि इसका जवाब 3 दिन में, इसका जवाब 7 दिन में आना चाहिए, अब 15 दिन का समय दे दिया गया है। तो अब और अधिक अधिकारी लोगों को राहत मिली है कि नहीं, ठीक है। जिस

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

तरह से प्रश्नों के उत्तर और विशेषकर जो अतारांकित प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, यह संतोषजनक नहीं है। ये पूरी इंफोर्मेशन देते नहीं हैं, इंफोर्मेशन ठीक ढंग से नहीं दी जाती है, बातों को छुपाया जाता है, तथ्यों को झुठलाया जाता है।

मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना जिसमें उन भाईसाहब ने कहा था कि आटा कभी नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया, सूर्यकांता जी ने भी कहा था कि जो आटा देते हैं, वह इतना घटिया देते हैं, दलिया जैसा होता है, रोटी भी नहीं बन सकती है। मैंने कई परिवारों को देखा है और मैं स्वयं कहता हूं आपको कि हमारे यहां तो कुत्तों की रोटियां जो मोहल्ले के लोग बनाते हैं, उसमें वह आटा राशन से लाकर लोगों को देते हैं और उसका पैसा लेकर दान-पुण्य का काम लिया जाता है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में इतने आंकड़े कल राजेन्द्र सिंह जी ने और माननीय तिवाड़ी साहब ने रखे कि राजस्थान का विकास और घरेलू उत्पाद बढ़ा नहीं है, केवल मात्र आंकड़ों में ही बातें हैं, वास्तव में अलग है। जैसा केन्द्र सरकार की प्रगति रिपोर्ट में आया है, सौर ऊर्जा के रूप में जो विकास मथानिया क्षेत्र का, ओसिया, पांचना और फलौदी का हो रहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

सिंगल विंडो की बात कही मंत्रीजी ने परन्तु मेरा निवेदन है कि सिंगल विंडो में कार्य नहीं होता है। केवल मात्र प्रोसेस में ले लिये गये हैं, जवाब यह आएगा, आपका यह काम प्रोसेस में है और कोई टाइम लिमिट नहीं है।

देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए मेरा यह निवेदन है कि सफारी पार्क का एक साल पहले 18 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उद्‌घाटन किया था, अभी तक उसका प्लान नहीं बना है। आर्किटेक्चर बार-बार भेज रहे हैं और सरकार अप्रूव नहीं कर रही है। तो उसमें काम कब होगा? उन्होंने कहा था कि मार्च, 2013 के पहले-पहले यह काम पूरा हो जाएगा, अभी तो वहां केवल कच्ची सड़क आने-जाने के लिए बनाई गई है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): बस, खतम कर रहा हूं। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मैंने आज बहुत कहकर, हमेशा मेरा नाम पीछे ही

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

होता है, राजेन्द्र जी से निवेदन करके पांचवें नम्बर पर इसीलिए नाम लिखवाया था कि मुझे कुछ समय दिया जाए, नहीं तो मैं मेरी बात ही नहीं कह सकता हूं। जैसा सूर्यकांता जी को दिया, वैसे मुझे दो मिनट और दीजिए, कृपा करें। (व्यवधान) यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा क्षेत्र तो है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: साहब, इनको थोड़ा समय दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी अनुशंसा के लिए धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): नहीं, मेरा क्षेत्र तो है जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र जिसमें सरदारपुरा आता है, परन्तु सरदारपुरा के नाम से जो कांस्टीट्यूएंसी है उसमें सरदारपुरा कहीं है ही नहीं। वह मुख्य मंत्रीजी की कांस्टीट्यूएंसी है। उसमें, यह मैं नहीं कह रहा हूं, जोधपुर के अख़बार कह रहे हैं, राजस्थान के अख़बार कह रहे हैं, 80 प्रतिशत खर्चा डवलपमेंट का वहां हो रहा है और हमारे शहर और सूरसागर क्षेत्र में नगण्य खर्चा हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। एक भी कोई नई योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं की गई है। घोषणाओं के अम्बार तो लगा दिये गये हैं, यह कर देंगे, यह कर देंगे, परन्तु अभी तक एक भी पत्थर नहीं लगाया है, केवल मात्र उद्‌घाटन के पत्थर लगे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): एक मिनट, साहब। दो मिनट की बात थी, एक मिनट।

पुलिस कमिश्नरी के बारे में कल सूर्यकांता जी ने कहा और आज काफी कह दिया। मेरा एक ही निवेदन है, जोधपुर में आये दिन डकैती, मर्डर, जेबकटी, चेन-स्नेचिंग, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उनका ग्राफ 96 परसेंट तक चला गया है जो कि पहले बहुत कम था। मेरा एक ही निवेदन है कि उनको संसाधन की कमी है, सारे संसाधन पुलिस कमिश्नर को भी उपलब्ध कराये जाएं ताकि जोधपुर की कानून और व्यवस्था समुचित हो सके।

बस इसी निवेदन के साथ में, मैं राज्यपाल जी के द्वारा टेप-रिकार्डेड भाषण की भर्त्सना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, बजट सत्र का आगाज 27 तारीख सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण से

(श्री केसाराम चौधरी)

हुआ। अभिभाषण राज्य सरकार का आइना होता है, शासन का विजन होता है। अभिभाषण सरकार तैयार करती है और मंत्रीमण्डल उसे पास करता है। इस विधान सभा में पढ़ने का दायित्व राज्यपाल महोदय का होता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार द्वारा कार्यों के जो वादे किये गये, उनमें से कई पूरे ही नहीं हुए और कुछ पर तो काम ही शुरू नहीं हुआ। यह सरकार की विफलता है, अभिभाषण में किये हुए वादे पूरे नहीं किये गये हैं। अभिभाषण तथ्यों का दस्तावेज होना चाहिए जिसमें बताया जाए कि पिछली सरकार ने कितना काम जो घोषणा में किया था, वह पूरा हुआ और कितने काम अधूरे रह गये हैं, उसका पूरा-पूरा अभिभाषण में शो करना चाहिए और आगे क्या करेंगे, वह भी इस अभिभाषण से पूरा-पूरा इस सदन को अवगत कराना चाहिए। मगर यह घोषणा पूरी नहीं होती है तो वह जनता उसका जवाब पूरा उस सरकार को देगी।

अभिभाषण के खण्ड-27 में, दिल्ली-मुम्बई-डस्ट्रियल-कोरिडोर परियोजना का 40 परसेंट हिस्सा राजस्थान में है और उस हिस्से में मारवाड़ जंक्शन उसका सेंट्रल पाइंट है। मारवाड़ जंक्शन में इस कोरिडोर में जो जमीन किसानों की अवाप्त की गई, उस जमीन का मुआवजा जो मिलना चाहिए था, वह किसानों को मुआवजा यह सरकार दिला नहीं पाई। दूसरे स्टेटों में जो मुआवजा मिला, उसकी तुलना में हमारे राजस्थान के सभी काश्तकार लुट गये और कम से कम मुआवजा लेकर उनको संतोष करना पड़ा है। मैं चाहता हूं, यह कल्याणकारी कहलाने वाली सरकार का दायित्व होता है कि राजस्थान के किसानों की जो जमीन अवाप्त की गई, उसका पूरा मुआवजा उनको मिलना चाहिए। साथ ही इस कोरिडोर के अन्दर जो अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनेंगे, उन ब्रिजों की अगर हालत देखी जाए तो आज भी ऐसे अंडरब्रिज बने हैं जिनके अन्दर बरसात में मारूति कार जैसी छोटी-मोटी कार तो घुस नहीं सकती, उसके नीचे इतना पानी भर जाता है। इसलिए अभी से कोरिडोर इतनी चौड़ाई में हो, क्योंकि कोई रेलवे फाटक नाम की चीज नहीं रहेगी इसलिए ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बनेंगे, उनकी अगर व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं बनी तो आने वाले समय में वह रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा और निकलने के लिए लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसा ही पुल मारवाड़ जंक्शन के पास अभी बना है, उस पुल की हालत देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इस तरह का पुल बनाकर, जनता किस तरह से बरसात के अन्दर इसमें से निकलेगी। यह भी व्यवस्था हमको देखनी होगी।

(श्री केसाराम चौधरी)

हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो मगरा विकास बोर्ड बनाया था, उसको आपकी सरकार ने आते ही बंद कर दिया। आपने पुनः इस योजना को चालू किया और 5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। गत वर्ष के 5 करोड़ और इस वर्ष के 5 करोड़, कुल 10 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। मगरा क्षेत्र विकास योजना के अरावली क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए स्पेशली माननीय वसुंधरा राज सिंधिया जी का यह विजन था कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास जमीन कम होती है, उस कम जमीन के अन्दर भी वे अपना जीवनयापन करते हैं। जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उस पिछड़े क्षेत्र के लिए...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाएं?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, वसुंधरा जी ने जो मगरा क्षेत्र के लिए, जो गरीब व्यक्ति मगरा में रहते हैं, उनके लिए 5 करोड़ के बजट की व्यवस्था करके उनके लिए व्यवस्था की थी कि मगरा में रहने वाले पिछड़े लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट देकर उनका विकास किया जाय। यह कल्याणकारी सरकार अपने आपको कहती है मगर इन्होंने आते ही उस योजना पर रोक लगा दी जिससे उस मगरा में रहने वाले लोगों का विकास ठप हो गया है और दो साल आपने घोषणा करने के बाद 10 करोड़ का बजट आपके पास पड़ा है मगर उसमें से फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूं, मगरा विकास बोर्ड का जो पैसा है वह गरीब जनता के बीच में खर्च करना चाहिए।

पैरा 35, 36 में आपने पर्यावरण की नीति बनायी है, प्लास्टिक कैरी बैग्स पर रोक लगायी है, मैं उसकी सराहना करता हूं मगर यह कितनी कामयाब हुई, आज भी कैरी बैग और प्लास्टिक उसी तरह से चल रहा है।

(श्री केसाराम चौधरी)

पर्यावरण की चिन्ता करने वालों को मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे पाली, बालोतरा, बाड़मेर और जोधपुर, यहां पर्यावरण की दृष्टि से केमिकल इंडस्ट्रीज का जो पानी निकलता है, उस पानी की वजह से नदियों में केमिकल जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट लगाये हुए हैं मगर ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से प्योरली एसिड उन नदियों में बह रहा है और किसान आंदोलित हो रहे हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी पाली पधारे तो किसानों ने धरना देकर उनके सामने प्रदर्शन किया और उनको ज्ञापन दिया कि इस तरह से नदियों में बहने वाला जहर हमारे किसानों की जमीन को ऊसर कर रहा है। उस जमीन को सुधारने के लिए अगर कोई काम करना है तो ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से चलें और फैक्टरीज सही ढंग से चलें। इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट में जो पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, उसका सदुपयोग तभी होगा जबकि उसके ऊपर मोनिटरिंग सही ढंग से होगी, नहीं तो आने वाले समय में वहां के किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी। कुओं में पानी बिलकुल साबुन जैसा आता है और हौद के अन्दर ऐसा लगता है जैसे साबुन घोल दिया हो, वह खेती का पानी कुओं से निकल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पर्यावरण की दृष्टि से इन ट्रीटमेंट प्लांट्स का सही ढंग से काम करवाएं ताकि किसानों की खेती बर्बाद न हो।

अभिभाषण के पैरा 41 में पाली, जोधपुर व बाड़मेर में पावरलूम सेक्टर को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित होने वाली नवीन इकाइयों द्वारा क्रय किए जाने वाले यार्न पर देय कर में 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, उसका स्वागत करता हूं किन्तु एक भी पावरलूम इकाई स्थापित नहीं हुई, इसके क्या कारण हैं? क्या आपके प्लान में कहीं न कहीं ऐसी खामी है जिसकी वजह से 80 परसेंट छूट देने के बाद भी एक पावरलूम प्लांट भी कहीं नहीं लगा? मेरा अनुरोध है कि ऐसी योजनाएं लेकर आएं, मगर उनमें आप जब तक इन लोगों को पूरा-पूरा सहयोग नहीं करेंगे और उनको बिजली मिले, इसकी पूरी व्यवस्था नहीं मिलेगी तब तक उद्योग सफल नहीं हो सकते।

बिजली की 8 घण्टे की बात करते हैं, एक गांव में मैं बैठा था और गांव में बैठे-बैठे बात कर रहे थे तो हमारे भाषण को कोई टेप कर रहा था तो टेप करते-करते उसने कहा कि देखें, अशोक जी आ गई, फिर बोले, अशोक जी चली गई, फिर थोड़ी देर बाद बोले, अशोक जी आ गई। मेरे समझ में नहीं आया, क्या आया, क्या गया। ये लोग बैठे हैं, बार-बार कह रहे हैं, मगर उनका कहना था कि बिजली आ रही है और गुल हो रही है, यह बिजली नहीं, अशोक

(श्री केसाराम चौधरी)

जी आ रहे हैं और अशोक जी जा रहे हैं। इस तरह की बातें गांव के चौपाल पर लोग करते हैं। इस तरह की नान-ट्रिपिंग बिजली माननीय वसुंधरा जी ने दी थी और 8 घण्टे हर सूरत में किसानों को बिजली दी और आज की तारीख में ऐसी हालत है कि रात की ठण्ड में किसान ठिठुर रहा है, ऐसी सूरत में उसको रात को बिजली देते हैं। किसान इस बात से परेशान हैं।

अभिभाषण के पैरा 56 में विद्यालयों में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के सभी विद्यालयों में तीन माह तक गेहूं नहीं पहुंचाया गया जिससे एक दिन भी बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिला। इसके लिए कोई धणी-धोरी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को शिकायत करो तो कोई सुनने वाला नहीं। किसी भी विद्यालय में पौष्टिक भोजन देने की बात करते हैं, वह एक दिन भी नहीं पहुंचा, तीन महीने तक बिलकुल बंद रहा। इसके लिए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही भोजन पकाने के लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों में कुक-कम-हेल्पर के रूप में कार्यरत व्यक्तियों में ज्यादातर महिलाएं हैं और सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं मगर उन महिलाओं को आप केवल एक हजार रुपये का मानदेय देते हैं। एक नरेगा के श्रमिक को भी उससे ज्यादा पैसा मिलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि उन कुक-कम-हेल्पर का उस एक हजार रुपये में जीवनयापन नहीं हो सकता। वे पूरे दिन उसमें इंगेज रहती हैं, इसके कारण से उनको एक हजार रुपया कम होता है। उसको बढ़ाया जाय, यह मेरी मांग है।

अभिभाषण के पेज 25 पर पैरा 59 में काश्तकार को अपने खेत में जाने के लिए कानून में संशोधन करके रास्तों का प्रावधान किया गया है, वह अच्छी बात है, किन्तु जिनको अपने खेत में जाने के लिए एक तरफ से रास्ता मिलता है, अगर वह काश्तकार सबल है तो इस कानून का दुरुपयोग करके दूसरे की खातेदारी में और उसको लगता है कि इधर से वह मेरी सड़क नजदीक पड़ती है इसलिए रास्ता मुझे मिलना चाहिए। तो इस कानून में सख्ती लगानी चाहिए। जिस खेत को रास्ता मिला हुआ है, उस खेत के लिए वह दूसरा रास्ता मांगने का हक नहीं रखता। उसको जाने का रास्ता एक तरफ से है, दूसरी तरफ सड़क निकल गई है तो गरीब के खेत में होकर, खातेदारी की जमीन के अन्दर से वह रास्ता मांगने का कोई हक नहीं रखता। इस कानून के अन्दर यह प्रावधान करना चाहिए ताकि लोग इसका दुरुपयोग नहीं कर सकें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी खतम करूंगा।

अभिभाषण के खण्ड-67 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से 2 लाख 20 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है, यह खण्ड-67 में बताया है, मगर मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि जितने भी महिला स्वयं सहायता समूह बने हैं, एक भी सहायता समूह कहीं

(18.00 बजे)

चलता हुआ बता दें तो बात समझ में आती है। यह सरकार के पैसे का दुरुपयोग है और इसके ऊपर मानिटरिंग होनी चाहिए कि जो समूह जिस बात के लिए पैसे उठाता है, उस समूह को वह काम करना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

खण्ड-89 में सड़कों के बारे में कहा है, ऐसी सड़कें जो मरम्मत योग्य नहीं थीं उनके नवीनीकरण के लिए आपने 150 करोड़ रुपये मंजूर किये, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी, वे पैसे कहां गये? सड़कें आप देखिये कि मारवाड़ जंक्शन का फलौदी से भीलवाड़ा स्टेट हाइवे 61 और 62, इन 2 हाइवे के लिए माननीय वसुंधरा जी के राज में टेंडर तक कॉल कर दिये थे मगर आपकी सरकार आते ही उनको बंद कर दिया गया और नरेगा में डाल दिया। तीन साल तक सड़कों को खोदकर डाल दिया। पटरियां ऐसी खोदी हैं कि आज दिन तक तीन साल में वे पटरियां जिनके नवीनीकरण के लिए कर रहे थे, वे आज वैसी की वैसी खुदी पड़ी हुई हैं। आपके एम.पी. बद्रीजी जाखड़ उसमें गिरे, उनकी कार वहीं पड़ी रही और दूसरी कार से जाना पडा। जिला प्रमुख की कार भी उन्हीं खड्डों में गिरी और वे दूसरी गाड़ी लेकर गये। ऐसी सूरत में तीन-तीन साल तक आप सड़कें ठीक नहीं करें जिनके लिए वसुंधरा जी ने पैसा दिया था, उस पैसे को आप कहां ले गये, यह पता नहीं है। मैं मांग करता हूं कि गजनीपुरा गांव के अन्दर जेसीबी से खड्डे किये हुए हैं, मैंने पिछले सत्र में भी इस बात को रखा कि गांव के अन्दर सड़क ऐसी खोदकर डाल दी है, उस सड़क के लिए मैंने एम एल ए कोटे से भी तीन लाख रुपये दे दिये लेकिन फिर भी उस सड़क में बिना बरसात के भी खड्डे भरे हुए हैं, उनमें पानी है और दुर्गन्ध आ रही है। उससे गांव क्रोस नहीं कर सकते, ऐसी गांव की हालत हो रखी है।

माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। एक सड़क ढायलाना से नीपल तक ऐसी है कि उस सड़क पर आदमी

(श्री केसाराम चौधरी)

पैदल नहीं चल सकते। यदि उस सड़क का नवीनीकरण नहीं किया गया तो वह सड़क नाम की चीज नहीं रहेगी। वहां सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, यह समझ में नहीं आता। सड़कों की ऐसी बुरी हालत है।

माननीय सभापति महोदय, आपने पहले ही अभिभाषण में घोषणा की थी कि 16 हजार नये गांवों को 24 घंटे बिजली दी जायेगी किन्तु नयों को छोड़कर पुरानों को ही बिजली नहीं मिल पा रही है। जो डिमांड काश्तकारों ने भरी हैं, उन काश्तकारों को एक साल हो गये, पैसे लेकर बैठ गये और मार्च तक भी उनके कनेक्शन नहीं हुए हैं। 2008 तक की आपने डिमांड निकाली है मगर उनके कनेक्शन नहीं होने से उनको परेशानी हो रही है। अब जब उनकी मोटरें बंद हो जाएंगी तब आप उनको कनेक्शन देंगे ताकि 4 महीने का फालतू का बिल उन काश्तकारों को भरना पड़े। गर्मी में हमारे यहां पर बिलकुल खेती नहीं होती। उस समय आप उनसे पैसे वसूल करेंगे तो बिल्कुल पड़ी मोटर के पैसे लगेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, नर्मदा नहर परियोजना क्षेत्र के 50 हेक्टेयर में फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने की घोषणा की थी परन्तु अभी तक न तो नहर तंत्र का ही काम हो रहा है और न और कुछ काम हो रहा है। सिंचाई शुरू करना तो दूर की बात, वहां पर जो वसुंधरा जी ने पैसे देकर के गुजरात का पानी, नदियों से नदियां जोड़कर सांचोर की धरती पर लाकर दिया, उस पानी का उपयोग भी आप सही ढंग से नहीं कर सकते। माननीय वसुंधरा जी ने पाली को जवाई नहर से पाइपिंग करके पानी लाने की व्यवस्था की और पानी पाइप से जोड़ करके पाली में पहुंचा दिया। उस पानी को फोर्थ फेज में सोजत और मारवाड़ जंक्शन के 116 गांवों को पीने का पानी देना था, उसकी तरफ एक कदम भी यह सरकार आगे बढ़ गई होती तो मुझे अफसोस नहीं होता। यह कल्याणकारी सरकार पीने का पानी नहीं दे सके, मारवाड़ जंक्शन सबसे ज्यादा फ्लोराइड वाला क्षेत्र है और उस क्षेत्र को पीने का पानी देने की मैं, सभापति महोदय, आपके मार्फत मांग करता हूं कि मारवाड़ जंक्शन के 116 गांव जो इस जवाई-पाली परियोजना में सम्मिलित हैं, उस परियोजना से मारवाड़ जंक्शन को शीघ्रताशीघ्र पानी दिलाया जाए ताकि फ्लोराइड से निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री पर आज से तीन साल पहले राजस्थान की जनता ने जो विश्वास जताया था, जिन भावनाओं के साथ इस शासन को सौंपा था, मैं कहना चाहूंगा कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस पर किस प्रकार के आरोप लगे थे, किस प्रकार से जनता परेशान थी, उस सरकार से छीनकर के यह राज आदरणीय गहलोत साहब को इस प्रदेश की जनता ने दिया था। गहलोत साहब ने आम आदमी के पक्ष में जो बात रखी, आम आदमी के लिए जो योजनाएं लांच कीं, वे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। आज वैसे तो जो हमारे माननीय विपक्ष के साथी हैं, वे कोई न कोई खामी इसमें से निकाल रहे हैं पर मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी खामी आप बतायें जो इस सरकार ने आम आदमी के लिए चाही हो और वह काम उसका नहीं हुआ हो।

आज प्रशासन-गांवों-के-संग के जो कैंप गांव-गांव में, हर ग्राम पंचायत में लगे, मुझे खुशी है कि वहां आम आदमी को, गांव के आदमी को गांव में न्याय मिला। उसकी जो समस्याएं थीं, चाहे प्रमाण पत्र की समस्याएं हों, चाहे आपसी बंटवारे की समस्याएं हों या जो विकलांग साथी हैं जिनको विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 100-100 किलोमीटर की दूरी पर जिला हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता था, उनके गांव में वे प्रमाण पत्र बनें। यह आम आदमी के लिए काम था और इसको मैं नहीं सराह रहा, इसे मेरे कई साथी जो विपक्ष में बैठते हैं, वे भी सराह रहे हैं। मैंने तो फिर भी एक-दो कैम्प मिस कर दिये होंगे पर उन लोगों ने वे कैम्प मिस नहीं किये कि सरकार का यह इतना अच्छा काम है और इसमें हम भी भागीदार बनें। पर यह एक मजबूरी है यहां कि उल्टा बोलना ही बोलना है।

आज आम आदमी के लिए अगर हम कोई बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं। इस सरकार ने आम आदमी के लिए रोटी की व्यवस्था की है। हर गरीब को, हर बी पी एल को दो रुपये किलो में गेहूं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। मकान की हम बात करें तो जहां एक आदमी जब से देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक यह सोच रहा था कि मेरा भी कभी पक्का मकान बनेगा, उसको भी आस थी कि मेरे सर पर भी कभी कोई छत मिलेगी। ज्यादातर लोग जो बी पी एल में थे उनकी सिर्फ एक

(श्री टीकाराम जूली)

ही तमन्ना रहती थी कि हम बी पी एल में हैं तो कम से कम मकान तो हमें मिलेगा। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कि जो गरीब आदमी है, उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए चाहे लोन लेना पड़ा हो, 3400 करोड़ रुपये का लोन लेकर के 10 लाख मकान उन बी पी एल के लोगों के लिए उपलब्ध कराये।

आज मैं कहना चाहूंगा कि जो असंगठित मजदूर हैं, उनको अच्छी शिक्षा से जोड़ने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके...(व्यवधान) माननीय सभापति जी, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। पहलवान साहब, यह चुटकुला बाद में सुना देना न। यह इतनी इम्पोर्टेंट बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांति रखें। आप जारी रखें।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): उनके इलाज के लिए आज श्रम विभाग के माध्यम से उनका फ्री इलाज किया जा रहा है। उनके परिवार के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बच्चों की छात्रवृत्ति और महिला की डिलिवरी होने पर उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको 6,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है और जो कार्डधारी श्रमिक हैं, उनकी बेटी के विवाह के लिए सरकार ने कन्यादान के रूप में 50,000 रुपये की व्यवस्था की है।

मैं कहना चाहूंगा कि अभी मेरे से पहले विपक्ष के साथी कह रहे थे कि यह सरकार तो वर्ग संघर्ष की बात करती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस सदन में ऐसे हमारे साथी मौजूद हैं जिन्होंने वर्ग संघर्ष कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या एस सी, एस टी के लोग आपके भाई नहीं हैं जो उनके आरक्षण को खतम करवाने के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन माननीय सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किये हैं और वे चाहते हैं, जो चीज संविधान में हम लोगों को मिली हुई है, उस चीज को भी वे हमसे छीनना चाहते हैं। क्या एस सी, एस टी के लोग आगे नहीं आ सकते? क्या एस सी, एस टी के लोग हमारे साथ नहीं बैठ सकते? यह एक ऐसा वर्ग है जो सदियों से पीड़ित रहा है, शोषित रहा है, पिछड़ता रहा है। आज अगर वह कहीं आगे आने की बात करता है तो हम उसे पीछे धकेलने की बात करते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि बिजली की जहां तक बात है और जो आप लोग वाहवाही लूटते हो कि 24 घंटे बिजली हमने दी, हमने 16,000 गांवों को 24 घंटे बिजली दी। वह देन किसकी थी? वह देन किसकी थी, वह पैसे कहां से आये? केन्द्र सरकार की योजना, राजीव गांधी विद्युत परियोजना के माध्यम से

(श्री टीकाराम जूली)

वह सारा पैसा आया था और जितने भी कनेक्शन दिये गये, जो फीडर सुधार का कार्य हुआ जिसमें बिजली की जो छीजत होती थी, वह छीजत बची और वही लाभ आम आदमी को मिला। आप बता दें, रिकार्ड आपके पास है, अगर एक भी मेगावाट बिजली का आप लोगों ने उत्पादन किया हो तो। पांच साल विपक्ष की सरकार रही लेकिन कभी आपने यह नहीं सोचा कि आने वाले समय में बिजली का भार आम जनता पर बढ़ेगा, वह बिजली कहां से उपलब्ध होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को और ऊर्जा मंत्रीजी को जिन्होंने 3,380 मेगावाट बिजली का उत्पादन पिछले तीन सालों में किया है। आज हर तीन ग्राम पंचायत के ऊपर एक जी.एस.एस. लग रहा है जिससे कि वहां का किसान, जो यह सोचता था कि मेरी मोटर पूरा पानी देगी और खेत में जो फव्वारे हैं, वे फुल स्पीड पर चलेंगे, तो वह चीज भी आज माननीय मुख्य मंत्रीजी के सहयोग से यह काम पूरा हुआ है। आज उसको बिना रुकावट के, बिना फाल्ट के, लगातार पूरे वोल्टेज की बिजली मिल रही है।

मैं कहना चाहूंगा, हमारे खास तौर से अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में कस्टोडियन लैंड है। पिछली जो सरकार थी, उस सरकार ने कितना बड़ा धोखा इन 30,000 किसानों के साथ किया कि जो इनकी डी एल सी की रेट थी, उसका 25 प्रतिशत का पैसा इन्होंने जमा करवाकर उन लोगों को खातेदारी दी थी, जबकि वह पहले से 1200 रुपये चलती हुई आ रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को, क्योंकि एक कार्यक्रम में वे अलवर जिले में आये और वहां किसानों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी और तुरन्त उन्होंने वहीं पर घोषणा की कि इसमें आवश्यक कार्यवाही हम करेंगे और मुझे खुशी है कि आने वाले 15-20 दिनों के बाद ही उन्होंने इन 30,000 किसान परिवारों को इस चीज का लाभ दिया है।

मैं बात करना चाहूंगा स्वास्थ्य के बारे में। आज कहीं भी यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पूरे राजस्थान में नि:शुल्क दवा का वितरण हो रहा है, 462 दवाइयां आज राजस्थान के जो अस्पताल हैं, उनमें मिल रही हैं लेकिन मेरे से पहले कई लोग अभी कह रहे थे कि हमें दवाई वहां नहीं मिलती। मेरे साथी विधायक ने कहा कि हमें तो दवाई नहीं मिलती। मैं पूछना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि वे बतायें कि कब-कब उन्होंने जाकर देखा कि दवाइयां नहीं मिल रही हैं? अगर लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और कहीं बाई-चांस, कोई इक्का-दुक्का, अगर केस

(श्री टीकाराम जूली)

आता है तो उस बात को बड़े ही तरीके से उछालने की कोशिश करते हैं। आप उसका नेगेटिव नहीं देखें, उसका पोजिटिव देखें। अगर 100 व्यक्तियों में से 99 को दवाई मिल रही है, खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जो गरीब आदमी था, उसके लिए एक-एक रुपये की कीमत है, मैंने ऐसे लोग भी मरते देखे हैं जिनके पास पैसा नहीं था, अपना इलाज नहीं करा सकते थे, आज वे लोग दुआएं दे रहे हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को कि इतनी अच्छी स्कीम हमारे लिए आई है।

आज 108 एम्बुलेंस हर पंचायत समिति स्तर पर, हर पंचायत समिति मुख्यालय पर आप लोगों को खड़ी मिलेगी। कहीं भी कोई डिलिवरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, 108 को तुरन्त फोन मिलाओ, आप लोगों के यहां एम्बुलेंस पहुंचेगी। है कोई इस चीज का आप लोगों के पास जवाब है? कोई इस चीज की शिकायत कि 108 नहीं आती? बिना बात का बवण्डर मचाने के लिए आप लोग तैयारी करके आते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि जो अच्छी चीज है, जो आम जन के लिए है, जिससे आम आदमी को फायदा होता है, उस चीज की हम कभी तारीफ तो कर दें। हमारे यहां एक कहावत है, ''बिटेवड़ों मं स तो उपड़े ही निकलते हैं'', तो आप लोग कभी भी सही बात और अच्छी बात का, मुझे लगता है, समर्थन करोगे नहीं।

मां-जननी शिशु सुरक्षा योजना, ग्रामीण क्षेत्र में, खास तौर से रूरल एरिया में, जहां डिलिवरी के वक्त में माताएं-बहिनें अस्पताल नहीं पहुंच पाती थीं, आज एक फोन घुमाने की जरूरत है, उनको 108 लेने आएगी। फिर भी अगर वह गाड़ी की व्यवस्था में देरी हो, उनको लग रहा है कि देरी होगी तो अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ सकते हैं। सरकार ने आने-जाने का किराया, डिलिवरी चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे आपरेशन से हो, वह सारा खर्चा और वहां पर रहने की, खाने की, पीने की, सारी सुविधाएं सरकार करेगी।

आज हम इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। इसमें जो अच्छाइयां हैं, जो आम जन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। यह जरूर है कि अगर कहीं कोई कमी हो तो उनको बताना चाहिए, जिससे वह कमी पूरी की जा सके। यह नहीं है कि कहीं कोई झूठ का पुलिंदा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है।

मैं समझता हूं, आज कुछ दिक्कतें किसानों के सामने हैं और खास तौर से अलवर जिले में हमारे किसानों के सामने एक दिक्कत आ रही है, वह

(श्री टीकाराम जूली)

यह है कि जो लोग पहले से कुए पर जाकर बस गये, उन लोगों को आज सिंगल फेस का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि जितने भी ढाणी, बास, छोटे जो समूह में लोग रह रहे थे, उन सब लोगों को कनेक्शन उपलब्ध करवाये हैं पर अब ये अगर छोटा सा काम माननीय मुख्य मंत्रीजी और कर दें तो निश्चित तौर पर वह किसान जो इस देश का अन्नदाता है, अपनी फसल के लिए उसकी मजबूरी है कि वह अपने खेत पर रहेगा, वह गांव में या शहर में नहीं रह सकता, उसको वहां पर सिंगल फेस का कनेक्शन भी मिलना चाहिए। कोई गैर आबादी का एक क्लाज डालकर उनके वे कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं।

मैं माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजनाएं उन्होंने चलाईं और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री छोटू सिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, परसों यहां अभिभाषण जो आदरणीय राज्यपाल महोदय द्वारा सुनाया गया, उस अभिभाषण को इस मंदिर में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सुना। सत्ता पक्ष द्वारा इसका बहुत ही व्याख्यान किया गया और यहां तक कि इस विधान सभा के अन्दर जो व्याख्यान किया, राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता ने, हरेक ने देखा कि क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं आम जनता को मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने क्या सुविधाएं दी थीं, क्या इस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में मिली हैं। इसको देखते हुए सब लोगों ने अपने-अपने विचार किये, विचार व्यक्त किये और मैं भी मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत कुछ इस अभिभाषण में लिखा गया है, बताया गया है कि आम जन को मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, वह जैसलमेर जिला है, बहुत ही बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है और पूरे प्रदेश की, पूरे राष्ट्र की, बड़ी-बड़ी कंपनियों की हमेशा उस पर निगाह रहती है कि इस क्षेत्र में हम कोई न कोई इंडस्ट्री लगाये, कोई पवन ऊर्जा का संयत्र लगाये, सोलर ऊर्जा लगाये और हम भी स्वागत करते हैं, आइये और आप इस तरह का कारखाना लगायें लेकिन जिस प्रकार वर्तमान

(श्री छोटू सिंह भाटी)

स्थिति में वहां की जनता, अस्सी प्रतिशत लोग पशुपालक हैं और जो यंत्र-संयंत्र वहां लगाये जा रहे हैं, पवन ऊर्जा का हो चाहे सोलर ऊर्जा का हो, चाहे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री के प्लाट लिये जा रहे हों, वे इस जगह लगा रहे हैं जिस जगह एक विश्व प्रसिद्ध सेवण घास लगी हुई है। ये माननीय सदस्य विराजे हैं, सेवण घास शायद कुछ सदस्यों ने नहीं देखी है, सेवण घास एक ऐसा पौष्टिक पशु आहार है जो बहुत ही कम मिलता है और जैसलमेर का सौभाग्य है कि उस क्षेत्र में सेवण घास है और उस क्षेत्र के अन्दर जितना पशुधन है, शायद ही दूसरे जिलों में उतना पशुधन होगा। आज जिस हिसाब से जो पवन चक्कियां लग रही हैं, जो सोलर ऊर्जा के संयंत्र लग रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि यहां की जनता, जो जैसलमेर की जनता है, उसका हक छीना जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह जिला शिक्षा से वंचित था, पशुपालक लोग यहां रहते थे और जमीन की यहां किसी को वेल्यू नहीं थी। खेती अमूमन यहां अकाल पड़ने से बहुत कम होती थी, खेती का लोगों को चस्का नहीं था। यह आई जी एन पी नहर आई, लोगों ने खेती की ओर देखा कि खेती एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसमें अच्छी पैदावार होती है। लोगों की रुचि आई, लोगों ने देखा कि अपने पूर्वजों की भूल से शिक्षा की कमी से हमारे पास तो केवल दो-दो बीघा और तीन-तीन बीघा जमीन रह गई है, हम तो जो खलिहान कर रहे हैं वह राज रकबे में कर रहे हैं। यह आज ही नहीं, सन् 1970 और 71 के बाद आज पैंतालीस साल हो गये हैं, चालीस साल हो गये हैं, किसी भी प्रकार का बारानी अलाटमेंट नहीं हुआ और वहां के कृषक सभी वंचित हैं, भूमिहीन हैं। वहां की जनता सिर्फ इतना ही चाहती है कि पवन ऊर्जा आये, सोलर आये, कारखाने आये, इनका स्वागत है लेकिन ऐसी जगह सोलर ऊर्जा नहीं लगाई जाय, ऐसी जगह पवन ऊर्जा नहीं लगाई जाय जिससे कि पशुपालकों के साथ और गायों के साथ धोखा हो। हम जानते हैं, हमारा जैसलमेर लम्बा-चौड़ा है, हम पवन ऊर्जा को लगाने के लिए जमीन देंगे, हम मिलिटरी रेंज के लिए जगह देंगे, हम सोलर ऊर्जा के लिए भी जगह देंगे, लेकिन ये जो कम्पनियां आई हैं, ये उस हिसाब से नीति कर रही हैं जिस हिसाब से ईस्ट इण्डिया कम्पनी करना चाहती थी, ये देखती हैं कि जैसलमेर के इर्द-गिर्द, आबादी भूमि के इर्द-गिर्द, जहां इजी रास्ते हों वहां हम पवन ऊर्जा संयंत्र लगायें। मेरा इस विधान सभा के द्वारा, आपके माध्यम के द्वारा यही निवेदन है कि जो-जो कंपनियां आई हैं, वे पवन ऊर्जा वहां लगायें जहां कृषि

(श्री छोटू सिंह भाटी)

योग्य जमीन नहीं हो, जो चारा योग्य जमीन नहीं हो? ऐसी जगह की जमीन की जैसलमेर में कोई कमी नहीं।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जैसलमेर में बिजली पैदा होती है, पानी की नहर है लेकिन यहां के किसानों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। हम प्रदेश को बिजली दे रहे हैं, हम दूसरे जिलों को भी पानी दे रहे हैं और हम स्वागत करते हैं कि दूसरे प्रदेश ने हमें भी दिया है, हम इसका भी स्वागत करते हैं लेकिन नदी किनारे पंछी प्यासा, नहर होते हुए भी नागौर पेयजल में जा रहा है, जोधपुर पेयजल में जा रहा है, बाड़मेर पेयजल में जा रहा है; अच्छी बात है, पानी होगा तो वहां जायेगा और जाना भी चाहिए, सबसे बड़ा काम पेयजल है लेकिन जैसलमेर की जनता के साथ धोखा है, वह आज भी फ्लोराइडयुक्त पानी पीती है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई स्कीम नहीं है जिससे कि जैसलमेर को खारे पानी से पीने के लिए मीठे पानी की उपलब्धता हो, यह नहीं किया गया है। अभिभाषण में बहुत सुनाया, पूर्ववर्ती सरकार माननीय वसुंधरा राजेजी द्वारा जो स्कीम बनाई गई थी वह भी ठप पड़ी है, इस प्रकार का इस अभिभाषण में कहा गया है।

माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां बिजली पैदा होती है और हमारे किसानों को तीन घंटे दी जाती है, उसका थोड़ा ख्याल रखा जाये। किसान का बेटा यदि गेहूं पैदा करेगा तो वह भूखा कभी भी नहीं रहेगा, वह भूखा रहना भी नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि जैसलमेर के शहर में, जैसलमेर जिले में पानी और बिजली पैदा होती है तो विशेष पैकेज के द्वारा जैसलमेर की जनता को पहले दी जाय और ज्यादा दी जाय, यह भी एक वरीयता में लिया जाय।

इसके साथ में बहुत कुछ कहा गया है जलदाय विभाग के बारे में। आज जलदाय विभाग के हमारे जितने ट्यूबवेल्स हैं, सब क्षतिग्रस्त बंद पड़े हैं। यह तो शुक्रिया करूं उस इन्द्र देव का जिन्होंने दो साल में बहुत बढ़िया बरसात कर दी और हमारी भी इज्जत रही और सरकार की रह गई। यदि अकाल पड़ जाता तो पुलिंदा खुल जाता कि अपन कितनी सेवा कर रहे हैं इस साढ़े छह करोड़ जनता की। (व्यवधान) इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जैसलमेर की जनता जो फ्लोराइडयुक्त पानी पीती है, उसके लिए नई स्कीम बनवाकर उसको मीठे जल से जोड़ा जाये।

इसके साथ में आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा और बताया है कि अमूमन अनिवार्य शिक्षा में हर बच्चा पढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय,

(श्री छोटू सिंह भाटी)

दूसरे जिलों से हमारे जिले में कुछ भिन्नताएं भी हैं। हमारे जिले में गांव से गांव की दूरियां बहुत ज्यादा हैं; नहीं आता है, एक बार टीचर वहां चला जाता है तो छह महीने तक वहां नहीं पहुंचता है। उसका कारण कि दूरियां ज्यादा हैं, बीच में रास्ते कठिन और गांवों की आबादी बहुत कम है। कम आबादी होने के कारण गांव सड़क से भी नहीं जुड़ते हैं। हमने देखा है, ढाई सौ और पांच सौ की आबादी और वही पी एम जी एस वाई में जुड़ेगा। ढाई सौ की आबादी तो जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था उस टाइम दो सौ की आबादी थी और हमारे कई गांव आज भी दो सौ, तीन सौ पर ही बैठे हैं। उसका कारण कि हम राष्ट्र के लिए भी सोचते हैं, आबादी ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, यह भी हमने सोचा है लेकिन उसका खामियाजा हमने यह भुगता कि हम जो भी राज्य सरकार की लाभकारी योजनाएं थीं उनसे वंचित रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार उनको पैकेज दिया जाय।

माननीय, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने भी मिडल को क्रमोन्नत किया और बालिकाओं को साइकिलें दीं। बढ़िया बात है, स्वागत और धन्यवाद देता हूं पूर्ववर्ती सरकार को और वर्तमान सरकार ने भी वह की वह नकल की और बच्चियों को साइकिलें दीं और दसवीं तक के क्रमोन्नत किये हैं लेकिन किसी भी प्रकार का कोई अध्यापक नहीं लगाया। वह शिक्षा कहां गई, किधर गई, कहां से लायेंगे टीचर? आज वे बच्चियां, आप तो कह रहे हैं, साइकिल से स्कूल जायेंगी, स्कूल पढ़ने जायेंगी, पढ़ने जायेंगी या खेत में जायेंगी? जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें मैं आपको निवेदन करता हूं कि दीपावली के बाद कई स्कूल बंद पड़े हैं, बिलकुल स्टाप, किसी भी प्रकार का किसी बालिका को कोई अध्ययन नहीं। हां, आज चाहे दसवीं या चाहे आठवीं की स्कूल हों, उन स्कूल के अन्दर केवल एक-एक अध्यापक है। शर्म से कहना पड़ता है, दसवीं के दस क्लास होते हैं लेकिन वहां एक विद्यार्थी मित्र और एक दूसरा टीचर। दो टीचर्स से क्या वे क्वालिफाइड बच्चे हो जायेंगे? कभी भी नहीं हो सकते। हो भी नहीं सकते।

तीन साल के पूरे राज में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां यदि इस अभिभाषण में हुई हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने कीं। बहुत-बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया है। शिक्षा, जिस प्रदेश में और जिस राष्ट्र में चिकित्सा और शिक्षा नहीं हो तो उसकी कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, वह कभी उन्नति नहीं करता। सबसे

(श्री छोटू सिंह भाटी)

पहला काम है शिक्षा, जब शिक्षित हिन्दुस्तान हो जायेगा तो बड़ी-बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेगा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के हिसाब से हमारे यहां शिक्षित बच्चे थे और कालेज खुलवा लिये आपने, पालिटेक्निक कालेज और उसके निर्माण के लिए तीन साल लगे और वह आज भी पुराना है, वह विश्वविद्यालय जो कालेज पालीटेक्निक खोला है, वह चूरू में भेज दिया। जैसलमेर जिले के साथ में सबसे बड़ा अन्याय यह हुआ है। आज पालीटेक्निक कालेज जो शिक्षित बच्चों के लिए एक रोजगार का साधन था, वह चूरू गया और जैसलमेर की जनता और जैसलमेर के नौजवान आज उससे वंचित हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इसके साथ में, माननीय सभापति महोदय, कच्ची बस्तियों का एक बहुत ही बड़ा इसमें व्याख्यान किया गया है। कच्ची बस्ती को, सबको बहुत बड़ी सड़क बनाकर के, नाली बनाकर के, आपको हर योजना से जोड़ करके

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पक्के मकान देंगे। माननीय सभापति महोदय, कच्ची बस्तियों के लिए सर्वे भी हुआ और सब चीज सिस्टेमेटिक ढंग से हुई। जो गरीब लोग रह रहे थे, वे 40 बाई 20 में तीन-तीन आदमी रहते थे, क्योंकि उनकी इतनी ही हैसियत थी कि एक झोंपड़ा बनाकर के रहना और अभी जो मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्दर दिया जा रहा है, उसमें से 20 बाई 40 में एक मालिक को तो मकान बनाने के लिए दे दिया और दो को विस्थापित कर बेघर कर दिया। जबकि सर्वे नम्बर उनका हुआ, उनको बेघर कर दिया कि आप जाओ। वे परिवार कहां जाएंगे? कहां रहेंगे? आप उनका पुनर्वास कहां करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन दो परिवारों को पहले तो मकान बनाकर दो ताकि वे जाकर वहां रहें। आपने उनको बेघर कर दिया, झोंपड़ी गिरा दी। दूसरी तरफ एक नम्बर वाले को मकान बना दिया। एक और दो, ए, बी, सी तीन लिस्टों में सर्वे में नाम हैं। एक प्लाट में तीन आदमियों का नाम है, फलानसिंह ए और यही प्लाट संख्या फलानसिंह बी और सी; बहुत बढ़िया। माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इसको अच्छी प्रकार से सर्वे कराकर के जो भी परिवार बेघर हुए हैं और उनका नाम लिस्ट सर्वे में है तो उसको पहले पूर्व में मकान बनवा दिया जाए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें आप।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : बस, एक मिनट, चिकित्सा जरूरी है। जहां माइंस की भरमार है, दुनिया भर की फैक्टरियां लगी हुई हैं, चिकित्सा के बारे में, माननीय सभापति महोदय, ट्रोमा हास्पिटल, जब मैं बोलता था तो ट्रोमा हास्पिटल के लिए आपने बढ़िया हास्पिटल बनाकर के, श्याम पट्ट लगाकर के पूरी कांग्रेस का उसमें नाम लिखवा दिया कि उक्त माननीय सदस्यों द्वारा इसका उद्‌घाटन किया गया लेकिन दो साल से लॉक लगा हुआ है, एक डाक्टर की कमी से ताला लगा हुआ है। जनता का पैसा खर्च हो गया और बंद पड़ा है। उसके साथ एक दूसरे का शिलान्यास किया जिसे कहते हैं पुनर्वास केन्द्र। एक ट्रोमा हास्पिटल बंद और पुनर्वास केन्द्र का हम उद्‌घाटन करके आये हैं, लम्बा नाम लिखा है, वह भी आज बंद है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जैसलमेर जिला एक बहुत बड़ा जिला है भौगोलिक स्थिति का और चार बहुत बड़ी माइंस वहां चलती हैं, फिर भी वहां हड्डी का डाक्टर नहीं है, आर्थोपेडिक डाक्टर नहीं है। यहां बहुत बड़ी कमी है।

आपने बताया जेनेरिक दवाइयां, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सदन को कि आपने दवाइयां दे दीं, 108 गाड़ी लगा दी लेकिन लिखने वाला तो नहीं दिया। लिखेगा कौन? कौनसी दवाई चाहिए? ऐसे तो हम भी लिखते थे, पेट में दर्द हो गया नमक और जीरा लगा दो। ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, आज कई हास्पिटलों में जहां 108 गाड़ी तो उपलब्ध है लेकिन डाक्टर नहीं है। बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डाक्टर नहीं है। यदि डाक्टर नहीं है तो आपकी मुफ्त दवाइयां भी किसी काम की नहीं हैं। आपकी 108 गाड़ी भी क्या काम आएगी? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की धरती के हिसाब से, जैसलमेर के क्षेत्रफल के हिसाब से कि वहां की जो मुख्य चिकित्सा व्यवस्था है उसमें तो कुछ सुधार किया जाए।

इन्हीं के साथ एक पशुधन का मामला है। माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): हम 70-80 परसेंट पशुपालक हैं और हम चाहते हैं, हर जगह आपने मोबाइल टीमों के लिए बहुत कुछ इस पैरा नंबर 38 में कहा है, पशु वहां नहीं आ सकता, उसके लिए 108 गाडी की जरूरत नहीं है, वह कहां से जाएगी लेकिन एक विभाग, आपके पास जो पशु हास्पिटल है, उसमें गाड़ी भी नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार की एक गाड़ी थी, उसको भी कंडम

(श्री छोटू सिंह भाटी)

कर दी, नई गाड़ी नहीं आई। तो कहां से डाक्टर जाएगा? कहां देखेगा? जैसलमेर क्षेत्र ऐसा है कि एक गांव में जाओ, एक दिन पूरा लगता है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की जनता को देखते हुए वहां के पशुओं की संख्या को देखते हुए वहां हर पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करें। तो ही काम होगा अन्यथा नहीं हो सकता है।

इन्हीं के साथ में दुर्घटना का मामला है। यह बहुत बड़ा मामला है क्योंकि वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटना मामला यह है कि यह न तो ठीक होता है, दुर्घटना मामले में हवाई जहाज से मरता है तो लाखों रुपए मिलते हैं, रेल से मरता है लाखों रुपए मिलते हैं पर गरीब परिवार का जो सड़क पर मर जाता है तो केवल बीस हजार रुपए अपन देते हैं। बीस हजार में उसका कमाऊ वापस मिल जाएगा क्या? इस कानून में संशोधन होना चाहिए। एक कमाऊ, मुखिया, यदि किसी औरत का मर जाता है और उसको बीस हजार रुपए देते हैं, बीस हजार से उसका कमाऊ मिल जाएगा क्या? इसमें संशोधन होना चाहिए कि दुर्घटना कोई भी हो, दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में यदि घर का मुखिया चला जाता है तो उसके छोटे बच्चे होते हैं, उनको पूर्ण हेल्प के लिए अच्छी राशि दी जाए।

इसके साथ सड़क निधि के बारे में। माननीय सभापति महोदय, सड़कें हुई, बहुत कुछ हुआ, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत कुछ किया और पी एम जी एस वाई में सड़कें बनवाईं। इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा जी को जिन्होंने बी ए डी पी में हमारी काफी रोडें बनाईं। बनाने के साथ में बी ए डी पी की स्कीम थी, उसमें हर गांव को जोड़ने के लिए किया था बार्डर के हिसाब से, लेकिन आज गाइडलाइन यह बोलती है कि बार्डर से दस या बीस किलोमीटर, आज से तीन साल पहले जो पांच सौ का गांव जुड़ा था, वह नहीं जुड़ा....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): वह अभी वंचित है। केवल दो किलोमीटर सड़क बनाकर के आपने छोड़ दी। इसलिए उसको पहले पूर्ण करें ताकि वह काम हो सके। आपने इस प्रकार नहीं सोचा, खाली पुलिंदे में लिखा है कि हमने लिंक रोडें जोड़ीं। किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

इनके साथ खातेदारी भूमि के मामले में कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए आपने रास्ता दिया लेकिन यह नहीं सोचा, हमारा जैसलमेर आज रकबे में ज्यादा है। एक किसान को दूसरे किसान का रास्ता तो मिल सकता है लेकिन राज के रास्ते में रकबे के लिए क्यों नहीं सोचा? राज के रास्ते में हम किधर से जाएंगे? राज रकबे का रास्ता होना जरूरी है, उसके बगैर तो जा ही नहीं सकते। हवाई जहाज तो है नहीं। कैसे जाएंगे? राज रकबे में किसी भी प्रकार का कोई हलंत नहीं है कि राज रकबे में अन्दर से जाना है, कैसे जाएंगे?

(18.38 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ में है लोक सेवा गारंटी, जो बहुत अच्छा काम बता रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि हर आदमी का दो या तीन दिन में काम हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा लोक सेवा गारंटी को, लेकिन हमारे जैसलमेर की कुछ भिन्न स्थिति है। वहां 17 अधिकारी आज भी कम हैं। चाहे तहसीलों में जाओ वहां ए सी सी नहीं, रसद में जाओ तो रसद अधिकारी नहीं। अब हम सेवा गारंटी ले जाकर के हम बताते हैं कि यह काम हमें चाहिए। तो वे कहते हैं, अधिकारी ही नहीं हैं। यदि आपने सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया है तो पहले अधिकारियों की पूर्ति करें, तब जाकर के काम होगा, नहीं तो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। हम वंचित के वंचित रह रहे हैं। सेवा गारंटी में आपने बताया लेकिन जिस आफिस में हम जाते हैं, देखते हैं कोई भी अधिकारी, साहब, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, नकल देने का वाला नहीं है, खातेदारी देने वाला नहीं है, ए सी सी नहीं है। तो किस हिसाब से होगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून के बारे में। आपने जिस हिसाब से कानून बनाया और हमारी पुलिस की जो सुरक्षा है, आज जैसलमेर में शहरों में तो चोरी होती थी, अमूमन बात थी, ये दो साल हो रही हैं, लोगों की चेनें छिन रही हैं, कोई मोटरसाइकिल जा रही है उसका पता नहीं, बोलेरो गाड़ी जा रही है उसका पता नहीं लेकिन गांवों में चोरियां अब हुई हैं। एक जामड़ा गांव है जिसमें एक ही रात में चार घरों को लूटा गया है और उसका आज तक पता नहीं पड़ा है। गांव वाले आ गए, शिकायतें कर दीं, बहुत कुछ हो गया, जो भी शिकायतें आई हैं, यह पुलिंदा आपने बताया; माननीय हमारे राजस्व मंत्री

(श्री छोटू सिंह भाटी)

हेमाराम जी आए थे, हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हमारे जैसलमेर के अंतिम छोर में किसी भी प्रकार के पानी की कोई कमी नहीं है, यदि कमी नहीं थी तो 24 तारीख को जो जन सुनवाई थी उसमें कितनी शिकायतें आई हैं कि पानी हमें टेल तक नहीं मिलता? उन शिकायतों के पुलिंदे से पता पड़ जाएगा कि सच्चाई क्या है और अच्छाई क्या है।

इससे यह साबित होता है कि जो इस अभिभाषण में कहा गया है वह बिलकुल असत्य है और मैं इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं। इन्हीं आशाओं के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संतोष जी सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको सर्वसम्मति से इस सदन के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अष्टम सत्र में दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपकी आज्ञा से कुछ कहने के लिए मुखातिब हुआ हूं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने बहुत ही जनकल्याणकारी योजनाएं जारी की हैं। इनके क्रियान्वयन में हम सबको हर स्तर से ऊपर उठकर आम जन तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। कहीं कोई ऐसा लगे कि इसमें गलती हो रही है तो सरकार को हम लोगों को अवगत कराना चाहिए।

सभी योजनाओं के बीच में मैं बी.पी.एल. आवास योजना के बारे में थोड़ा सा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। बी.पी.एल. आवास योजना, दस लाख मकान बनाकर आम आदमी को देने की जो बहुत भारी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है, इसके अन्दर समस्या है कि आम आदमी जो कृषि भूमि पर बैठा है, जो पायतन की भूमि पर बैठा है, सरकारी जमीन पर बैठा है, उसके पास पट्टा नहीं है। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह आदमी उससे लाभान्वित हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे राजस्थान में सरसों एक कैश क्रोप के रूप में ली जाती है। सभी साथियों ने इसके बारे में चिन्ता जाहिर की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी केन्द्र में अपनी बात कही। अभी पिछले दिनों फरवरी के महीने में पारा जीरो डिग्री से नीचे चला गया जिससे सरसों की फसल में 80-90 प्रतिशत खराबा करीब-

(श्री संतोष कुमार सहारण)

करीब है। मेरा निवेदन है कि पाला और ठंड को आपदा प्रबंधन में जोड़ा जाकर मुआवजा देने की व्यवस्था या उनको कुछ राहत प्रदान करने की व्यवस्था सरकार करे।

इसी में एक बात और है। फसल बीमा योजना में असल में जो किसान ऋण लेता है, उस फसल का बीमा होता है, उसका प्रीमियम लिया जाता है लेकिन उसके अन्दर खराबे का जो क्षेत्र है वह पंचायत क्षेत्र या एक गिरदावर हलके को माना जाता है। जिस प्रकार इंडिविजुअल का बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का बीमा होता है, उस प्रकार किसान का भी बीमा होना चाहिए। उससे प्रीमियम लिया जाए लेकिन उसके खराबे का उसके व्यक्तिगत नुकसान के अनुसार उसको मुआवजा दिया जाए।

कृषि के अन्दर राजस्थान सरकार ने हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ या सिंचित क्षेत्र में हजारों डिग्गियों का निर्माण किया है। पानी की बहुत बचत हुई है। किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं। ड्रिप सिस्ट्म, स्प्रिंकलर सिस्टम से खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, खेती अच्छी हुई है। किसान के मुंह पर चहलका आया है, किसान कर्जे से मुक्त हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज के दिन भी डिग्गियों में दो लाख रुपये का अनुदान सरकार दे रही है, हम सरकार के आभारी हैं लेकिन मेरा एक सुझाव है कि आज ईंटें जो 2,000-2,100 के आस-पास मिलती थीं, वह 3,200-3,500 का भाव ईंटों का हो गया। सीमेंट बहुत महंगी हो गई। लेबर बहुत महंगी हो गई। इसमें अनुदान अगर सरकार कर सके तो इसमें तीन लाख रुपये का अनुदान करे। यह मेरी भावना है। हमारे यहां ही नहीं, सभी जगह जहां डिग्गियां बनी हुई हैं, वहां मेरा निवेदन है कि ट्यूबवेल्स के कनेक्शन की प्रायोरिटी बिजली विभाग ने तय कर रखी है लेकिन बिजली विभाग सिर्फ ट्यूबवेल्स की प्रायोरिटी पर ही ट्यूबवेल्स को कनेक्शन देता है। हम यह चाहते हैं, मेरा यह सुझाव है कि इस ट्यूबवेल्स की प्रायोरिटी को अगर, हमारी डिग्गी पर पानी लिफ्ट करने के लिए हमें मोटर पम्प से ही सस्ता पड़ सकता है, इंजन से अगर पानी को उठायेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। डीजल पम्प बहुत महंगे पड़ते हैं। तो मेरा सुझाव है, उस प्रायोरिटी को उसमें कन्वर्ट करने की हिदायत गवर्नमेंट बिजली विभाग को दे, यह मेरा निवेदन है।

पशुपालन विभाग में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें भाटी साहब ने भी कहीं, पशुपालन हमारे किसानों की आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन है लेकिन मैं

(श्री संतोष कुमार सहारण)

कुछ बात पोल्ट्री पर करना चाहूंगा। अभी हमारे यहां एक आस्ट्रेलियन बर्ड है एमू, इसकी फार्मिंग का प्रचलन शुरू हुआ है। मेरा सुझाव है कि पशुपालन विभाग से एमू पालन के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाए, इसकी मार्केटिंग की जाए। यह बर्ड ऐसा है कि इसके फेदर से लेकर के इसमें एमू आयल निकलता है, फेदर काम आता है इसका, इसका मटन काम आता है, इसका मीट कोलेस्ट्रोल -फ्री है। तो मेरा निवेदन है, इसकी मार्केटिंग के लिए लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए; इसमें सब्सिडी दी जाए इसमें लोन देने का प्रावधान किया जाए तो किसानों को एक एडिशनल इन्कम होगी और खेती के ऊपर कम भार पड़ेगा। मेरा यह सुझाव है, इसके अन्दर सरकार कुछ गौर करे।

मैं रेवेन्यू विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कस्टोडियन की जमीनों के ऊपर। सरकार ने डी एल सी रेट से पच्चीस प्रतिशत घटाकर के उसमें नोमिनल चार्जेज पर उनको खातेदारी देने का, सनद देने का प्रावधान किया है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। लेकिन अभी एस डी ओज ने अपना काम शुरू नहीं किया है। मैं मेरे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की बात करता हूं। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि कलक्टर्स को ये हिदायत करें कि जो फैसला सरकार ने लिया है, उससे आम लोगों को राहत मिले, लोग अपनी सनद लें और अपनी जमीन के मालिक बनें।

उच्च शिक्षा में सरकार महिला शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रही है, मैं तो सिर्फ एक साधारण मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। लालगढ़ एक बहुत बड़ा गांव है मेरे क्षेत्र का और मेरे ख्याल से गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में इतना बड़ा कोई गांव नहीं है। उसके आस-पास पच्चीस-तीस किलोमीटर तक कोई कालेज नहीं है लड़कियों का। उसमें गर्ल्स कालेज खोलने का मेरा सुझाव है।

ट्रांसपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, गाड़ियों के फिटनेस की व्यवस्था की है, ट्रांसपोर्ट में बसें चलाने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। तो मेरा निवेदन है कि सादुलशहर से, गंगानगर से हनुमानगढ़ की हमारी ट्रेन बंद हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने लिखा भी है, हमारे गंगानगर से सादुलशहर और पूरे इलाके के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए जो मैंने सुझाव दिया है, उस पर गौर करके लोगों को इसमें राहत दिलवायें।

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बातें हैं...

श्री उपाध्यक्ष: सहारण साहब, आपके सुझाव तो बहुत अच्छे हैं लेकिन समय का थोड़ा ध्यान रखें।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): ज्यादा समय नहीं लूंगा, साहब, मैं तो दस-पन्द्रह मिनट का ही समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: सुझाव तो अच्छे हैं। 11 मिनट 30 सेकंड।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): मैं बस इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि सादुलशहर अस्पताल में हमारे डाक्टर्स की कमी है और ढाई सौ-तीन सौ आउटडोर होते हैं। तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, विराज रहे हैं, कि हमारे वहां डाक्टर लगाये जाएं, जो हमारे सब-सेंटर्स हैं उनको क्रमोन्नत करवाया जाए और नये सब-सेंटर्स वहां खुलवाये जाएं। एन आर एच एम के तहत जो बिल्डिंग्स बनी हैं, हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब वहां गये थे, उन्होंने एन आर एच एम को हिदायत भी दी है कि उनकी मरम्मत की जाए, वे सही की जाएं। बहुत घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ था। माननीय मंत्रीजी ने उस पर एक्शन लिया है, मैं चाहूंगा, उस पर और सख्ती से कार्यवाही हो। अभी लीपापोती हो रही है, सही काम नहीं हो रहा है। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा।

गंग नहर के आधुनिकीकरण के लिये 2011 तक 498.76 करोड़ रुपया लग चुका है और गंग नहर फीडर के निर्माण के पैसे स्वीकृत हो चुके हैं। अभी एक अप्रैल से 40 दिन की बंदी जब आयेगी, उसमें नहर का निर्माण होगा। मैं सरकार का इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं। आई जी एन पी फीडर की पंजाब स्थित भाग में मरम्मत हेतु 952 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है और यह भी अभी अप्रैल से 90 दिन की बंदी लेकर के, क्योंकि हमारी राजस्थान नहर 18,000 क्यूसेक की नहर है जिसमें आज 9-10 हजार क्यूसेक पानी चल रहा है, इसकी मरम्मत बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग राजनीति करते हैं कि बंदी न ली जाये लेकिन बंदी लिये बिना काम पंजाब में होगा नहीं। मेरा निवेदन है कि बंदी फाइनल हो गई है, इसका काम पूरा करा दिया जाये।

खालों का निर्माण, हमारा सी ए डी गंग कैनाल में ही आ गया, तीन डिविजन वहां आ गये। मेरा निवेदन है कि भाखड़ा सिस्टम, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी भाखड़ा सिस्टम है, माननीय विनोद जी के भी है, मेरा निवेदन है कि भाखड़ा सिस्टम में भी सी ए डी से खालों का निर्माण कराया जाये।

प्रभारी मंत्रियों के दौरों के दौरान निश्चित तौर पर लोगों ने जागरूकता के साथ अपनी बातें कहीं, अपनी समस्याओं को मंत्रियों के सामने रखा और

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मंत्रियों ने भी कलक्टर्स को निर्देश दिये कि इनके ऊपर जो भी वाजिब निर्णय होने वाले हैं, वे एक हफ्ते के भीतर बताये जायें। यह एक बहुत अच्छा कार्य माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया है, इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का बहुत उज्ज्वल भविष्य है। भगवान की कृपा से प्रचुर मात्रा में हमारे पास सौर ऊर्जा है। कृषि के लिये 3 के.वी. के उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। उपकरण महंगे हैं, सब्सिडी कम है। आम आदमी 80-90 हजार रुपये नहीं लगा सकता। मेरा निवेदन है कि उसको 5 के.वी. तक का कराया जाये और उसमें सब्सिडी 90 प्रतिशत तक की जाये ताकि आम किसान उनको लगा सके।

इसी प्रकार ढाणियों के लिये मेरा एक निवेदन है कि हमारे राजस्थान में सभी इलाकों में ढाणियां लाखों की तादाद में हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो नहीं रहा, हमारा देश आजाद हुए इतने दिन हो गये लेकिन ढाणियां बिना लाइट के हैं। सौर ऊर्जा का एक प्रोजेक्ट एक के.वी. का लगता है, उसमें तीन लाख रुपये लगते हैं और 50 परसेंट की सब्सिडी है। मेरा निवेदन माननीय मुख्य मंत्रीजी से है कि इसमें अगर एक नोमिनल चार्जेज लेकर 90 परसेंट की सब्सिडी दे दें तो पूरे राजस्थान में जो ढाणियां बिना बिजली के हैं, वे सब रोशन होंगी। मैंने पहले भी मांग की थी कि एम एल ए लैड से हमें ढाणियों में कनेक्शन देने की छूट दी जाये लेकिन एम एल ए लैड से तो हमें अभी परमिशन मिली नहीं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पुन: निवेदन करूंगा कि जब तक सौर ऊर्जा की व्यवस्था नहीं होती है, एम एल ए लैड से हमें इसके लिये परमिशन दी जाये।

सड़कों के मामले में मैं माननीय पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी से कहूंगा कि निश्चित रूप से आपने करोड़ों रुपये लगाकर राजस्थान में सड़कों का विकास किया है। हमारे यहां भी सड़कों का निर्माण हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें दो सालों में 16-16 किलोमीटर की सड़कें सभी विधायकों को दी हैं, मरम्मत के लिये भी दी है। खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 सडकें ऐसी हैं जहां 400 किलोमीटर की मिसिंग लिंक्स बाकी पड़ी है। खड़बुंजा सडकें जो हमारी पहले WBM से BT में डामरीकरण की योजना थी, उसको पुन: लागू करके मेरे यहां 50 किलोमीटर खड़बुंजा सड़कें हैं उनको निर्मित कराया जाये और जो सड़कें अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की हैं, उनको भी बनवाया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय को बुलवाकर समय तो बढ़वाओ, काफी माननीय सदस्य बचे हैं। विधान सभा में रात को 11 बजे तक बहस चली है। हमारे पास बोलने के अलावा है क्या? मेरा आपके माध्यम से सत्तारूढ़ दल से निवेदन है कि कृपया समय बढ़ाये।

श्री उपाध्यक्ष: समय तो सदन की इजाजत से ही बढ़ता है, प्रस्ताव लाओ।

श्री करणसिंह (छबड़ा): हमारे दोनों सचेतक नहीं हैं। समय कौन बढ़ायेगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके पास रेजिड्युअरी पावर्स हैं, आपके पास नियम और प्रक्रिया में रेजिड्युअरी पावर है, आप इस्तेमाल करें। आप नियम 203 देख लें, आपके पास रेजिड्युअरी पावर है।

श्री उपाध्यक्ष: सहारण साहब, आप तो बोलिए।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): ...(व्यवधान) गंगानगर शुगर मिल का निर्माण करवाया जाये और अगले सीजन तक इसको चालू कर के गन्ना उत्पादकों को राहत दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवाड़ी जी ने अपने वक्तव्य में एक दोहा कहा था, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। तिवाड़ी जी, आपने अपने राज में चार आसनों का इस्तेमाल दिल खोलकर किया जिसके लिये जनता ने आपको आइना दिखा दिया, वह आसन थे, कुशासन, भ्रष्टासन, दंडासन और भयासन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): समय बढ़वाओ, साहब।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): इस अवसर पर आप लोगों के लिये एक दोहा प्रस्तुत कर अपनी बात समाप्त करूंगा-

‘ आच्छा जुध अणापार, धार खंगा सन्मुख धसै,
भोगै हुय भरतार, रसा जिकै नर राजिया।’

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलाल जी खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य समझूं ...

श्री उपाध्यक्ष: सौभाग्य है आपका, आप बोलिए, 10 मिनट में समाप्त कर दीजिए आप।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): बिलकुल साहब, धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष: सदन की इजाजत हो तो जब तक वे बोलें, समय बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

बाबूलाल जी खराड़ी बोलें, तब तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। जब तक आसन से इजाजत दी जायेगी तब तक वे बोलेंगे।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): उपाध्यक्ष महोदय, आज और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर वादविवाद चल रहा है। दो दिन तक मैंने इसे लगातार सुना है। सत्ता पक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, प्रतिपक्ष का जो धर्म था वह उन्होंने निभाया। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि काफी सदस्यों ने भी और इस अभिभाषण में भी गांव, गरीब और किसान की बात कही गई है लेकिन मुझे लगता नहीं है, आज देश आजाद हुए 64-65 साल हो गये और आज भी हम इस सर्वोच्च सदन में आकर फिर उसी गांव और गरीब की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गांव का आदमी हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं वहीं पला हूं, पोसा हूं और गरीब की क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है, उसको पूरी तरह से मैं समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज गांव और गरीब की बात करने वाली सरकार, आज गांव में क्या होता है, गांव का किसान अपने खेत में चार महीने मेहनत करके खून-पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है और उस अनाज को पैदा करने के बाद में वह खुद भी खाता है और बाजार में भी बेचता है और औरों का पेट भी पालता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब वह अनाज पैदा कर के बाजार में लेकर जाता है तो उसको किस भाव बेचना पड़ता है, 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये और वही गेहूं बाजार से बड़े-बड़े सेठ खरीदकर गोदामों में इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में जब वही गेहूं वापस बाजार में आता है तो उसका भाव उसका जस्ट डबल हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज उस काश्तकार के साथ क्या अन्याय हो रहा है वह किसान उडद पैदा करता है, चना पैदा करता है, उसका दाम कौडियों के भाव और जब वह बाजार में जाकर वापस आता है तो वही दाल 60, 70, 80 और 100 रुपये तक। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, थोड़ा सा तो मुझे कहने दीजिए मैं गांव की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा जल्दी कहिए। आपके अच्छे सुझाव हैं, सदन सुनना चाहता है लेकिन समय की भी पाबंदी है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं फिर इसमें उलझ जाऊंगा तो मेरा सारा विषय ही खत्म हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद, कई सारी योजनाएं राज्यपाल के श्रीमुख से कहलवाईं, मैं तो सत्ता पक्ष से कहना चाहता था कि थोड़ा धन्यवाद तो हमारी पूर्व मुख्य मंत्री, उस लक्ष्मी, वसुंधरा राजे जी को भी देना चाहिये था क्योंकि

(19.00 बजे)

यह कटु सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितनी भी योजना बताईं चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे आपकी पालनहार हो, चाहे आपकी साइकिल वितरण हो, चाहे 108 हो, उस सरकार की शुरू की हुई योजनाएं हैं। एक योजना थी जो बहुत हितकारी होती थी ग्रामीण क्षेत्र में, उसको आपने वहीं ड्राप कर दिया, उसको वहीं रोक दिया, वह है भामाशाह योजना। वह गरीब का भला करने वाली योजना थी। माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी की एक मंशा थी कि गांव का गरीब आदमी जो अपने बाल-बच्चों का पेट नहीं पाल सकता है, तो सरकार का धर्म होता है कि उसके बच्चों का ठीक प्रकार से पालन-पोषण हो जाए यह हमारा धर्म है, यह करके उन्होंने कहा कि जो बी पी एल परिवार की महिलाएं हैं, उनके खाते में मैं राजकीय खजाने से 1,500 रुपये जमा करूंगी और जब भी उनको आवश्यकता पड़े, यह पैसे उसमें से निकालकर आवश्यकता की पूर्ति करें। यह मंशा थी। उस समय जगह-जगह कैम्प लगाकर सबके खाते खुलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, खाते खुल गये और सरकार ने करोड़ों रुपये अपने खाते से बैंक में जमा कराये। लेकिन आपने उस योजना को आगे नहीं बढ़ाया, उसको रोक दिया, यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर आपने बिजली की बात कही है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें बिजली के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। बिजली के लिए सभी वक्ताओं ने यही कहा है कि बिजली ठीक प्रकार से आ रही है लेकिन मैं उस गांव से आता हूं, गांव का किसान अपनी पीड़ा हमको सुनाता है और जब वह समस्या लेकर विभाग के पास जाता है तो वहां सुनने वाला कोई धणी-धोरी नहीं है। आप रात को देते हो, तो वह यह भी चिंता नहीं करता कि रात को ठण्ड है कि नहीं है, वह ठण्ड में भी सिकुड़ता है और लाइट का इंतजार करता है और लाइट आती है और पानी

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

धोरे से जब तक उस खेत में जाता है, वापस लाइट बंद हो जाती है। वह माथा ठोककर रोता है कि वापस कब आएगी। वह घर नहीं जाता है। लाइट वापस आती है, वापस बटन दबाता है, वापस पानी जब तक वहां जाता है, तब तक वापस बंद हो जाती है। यह करते-करते किसान बरबाद हो गया।

आज मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिजली के संबंध में बहुत बातें कही हैं, मैं बिजली के संबंध में धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्री को कि उन्होंने मन में एक ऐसी कल्पना की थी, उन्होंने अनुभव किया था कि गांव का और आदिवासी आदमी अपने कुएं पर मोटर नहीं लगा पाता था, कारण था, वह उस समय फाइल भी भरता था तो उसकी डिमांड 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख तक की आती थी, उस गरीब आदमी की हैसियत नहीं होती थी कि 60 हजार, 1 लाख जमा कराके अपने कुएं पर लाइट का कनेक्शन ले सके। वसुन्धरा जी ने यह अनुभव किया कि यह अन्याय है, उन किसानों को फायदा पहुंचाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अन्याय नहीं चलेगा, उन्होंने यह कहा कि मैं सरकार की ओर से यह कहती हूं कि आप फार्म भरिये, एक हार्स पावर की मोटर पर ढाई हजार रुपये दो और कनेक्शन लो, अगर तीन हार्स पावर की मोटर लगाओगे तो साढ़े दस हजार रुपये में आपके कुएं पर मोटर लग जाएगी। कई आदिवासियों ने, कई किसानों ने अपने कुओं पर मोटरें लगवा दीं जिससे वे लाइट का बटन दबाकर, पानी खेतों में ले जाकर, जमीन का पेट का फाड़ अनाज कमाकर खुद भी खाता व औरों को भी खिलाता है।

आगे मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत सी बातें कही हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपका इशारा भी है। माडल स्कूल के संबंध में कहा कि सभी ब्लाकों में हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। मेरे कोटड़ा में भी पूर्व में इस प्रकार की योजना स्वीकृत हो गई और स्वीकृत होने के बाद में आज भी उसका काम शुरू नहीं हुआ। शुरू इसलिए नहीं हुआ कि उसका टेंडर लेने वाला कोई ठेकेदार नहीं मिलता है। वह करोड़ों की योजना है, तो उसमें मैं सरकार से चाहता हूं कि उसको योजनाबद्ध तरीके से टुकड़ों में करके, टेंडर देकर उस काम को पूरा कराएंगे तो उस गरीब क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा।

आगे मैं शिक्षा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा ध्यान तो इधर-उधर हो गया है, चल नहीं पा रहा हूं, आपका संकेत आ गया है। उच्च शिक्षा के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, उच्च शिक्षा मंत्री हमारे क्षेत्र के ही हैं, झाड़ोल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकारी कालेज नहीं है, 2 प्राइवेट कालेज

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कालेज में क्या होता है, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। वहां पर गांव के गरीब आदमी का शोषण होता है, वह वहां जाकर एडमिशन लेकर पढ़ नहीं पाता है। इसलिए मेरी मांग है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी बजट का भाषण हो, जब भी उत्तर हो तो निश्चित रूप से झाड़ोल में एक सरकारी कालेज खुलवाएं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय भारत। बोलना बहुत कुछ था लेकिन समय का अभाव है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.05 बजे गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणामों में देरी से प्रभावित छात्रों को मुआवजा

25. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाली परीक्षा परिणामों को कितने दिन के अन्दर जारी करने के प्रावधान हैं? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों/नियमों/प्रावधानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई किस-किस परीक्षा का परिणाम वर्ष 2008 से बकाया है? परीक्षा की तिथि, मुख्य परीक्षा/बैक पेपर एवं पुनर्मूल्यांकन के लम्बित परिणामों के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एम.बी.ए. में वर्ष 2008 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के द्वितीय समेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ? कारणों सहित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण छात्रों को समय पर रोजगार मिलने में कठिनाई एवं बाधा उत्पन्न हुई? है? यदि नहीं, तो क्यों एवं हां, तो सरकार द्वारा उसकी भरपाई किस प्रकार की? सरकार की इस संबंध में क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार परीक्षा परिणाम जारी न होने से प्रभावित छात्र-छात्राओं को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थांन तकनीकी विश्व विद्यालय की परीक्षाओं के पश्चात परीक्षा परिणाम जारी किये जाने की अवधि सम्बन्धी प्रावधान नहीं है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के उपरान्त शीघ्र ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जाते हैं।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई किसी परीक्षा के परिणाम वर्ष 2008 के बकाया नहीं है। अकादमिक सत्र 2008 तक की सभी मुख्य परीक्षा, बैक पेपर एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालयों से प्राप्त इलेक्ट्रोनिक डाटा (सीडी में) पूर्ण रूप से सही नामांक एवं विषयों सहित निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी कर दिये हैं।

(3) तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा एम.बी.ए. में वर्ष 2008 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम 06-01-2010 को जारी किया जा चुका है।

(4) नियमित विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम समय पर जारी किये हैं ताकि उनके रोजगार के अवसर अप्रभावित रहें।

(5) नियमित छात्र-छात्राओं का परिणाम जारी करने में विलम्ब नहीं हुआ है।

कृषि उपज गौण मण्डी बस्सी (जयपुर) के कार्मिक के विरुद्ध जांच

26. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी अनाज सूरजपोल, जयपुर की गौण मण्डी बस्सी में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक कल्याण सहाय बिलौनिया के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिस कर्मचारी की जांच चल रही होती है, उसका पदस्थापन कहीं और कर दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी का पदस्थापन क्यों नहीं किया गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कर्मचारी की जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दो शिकायतें क्रमश: दिनांक 5.9.2011 एवं 10.10.2011 को प्राप्त हुई है जिनकी प्रतियां परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न हैं।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(2) सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप शिकायतें प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच कराई जाती है जिसके दौरान कार्मिक का पदस्थापन अन्यत्र नहीं किया जाता है।

(3) शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय उपनिदेशक, जयपुर से शिकायतों की जांच कराई गई । जांच अधिकारी ने दिनांक 17.2.2012 एवं 21.2.2012 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'स' व 'द' पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उदयपुर शहर के नजदीकी कस्बों हेतु उप नगरीय बस सेवा

27. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के आस-पास बड़े कस्बे जैसे- गोगून्दा, देलवाड़ा, मावली, बल्लभनगर जहां से प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में सैकड़ों लोग आते एवं जाते हैं, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर चलने वाली सिटी बसों का प्रावधान है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त कस्बों को सिटी बसों से जोड़ दिया जाएगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर शहर में प्रतिदिन मजदूरी के लिये हजारों की तादाद में आदिवासी आते हैं और काम करके पुनः शाम को अपने घर लौटते हैं, उन्हें कोई यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) गोगुन्दा, देलवाड़ा, मावली, बल्लभनगर कस्बे उदयपुर नगरीय क्षेत्र से बाहर होने से इन हेतु सिटी बसें संचालित नहीं हैं वरन् वर्तमान में गोगुन्दा, देलवाड़ा, मावली, बल्ल्भनगर हेतु उप नगरीय एवं अन्य श्रेणी मार्ग की सेवायें उपलब्ध हैं जिसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित सेवाओं की सूची परिशिष्ट '1' पर एवं प्राईवेट ऑपरेटर्स द्वारा संचालित सेवाओं की सूची परिशिष्ट '2' संलग्न है।

(2) उदयपुर शहर में आने एवं जाने वाले लोगों को, जिनमें मजदूर भी सम्मिलित हैं, हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तथा निजी आपरेटर्स के द्वारा संचालित परिवहन सेवाओं का विवरण क्रमशः परिशिष्ट '3 व 4' पर संलग्न है।

(परिवहन राज्य मंत्री)

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के बजट में की गई घोषणा के अन्तर्गत राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जो परिवहन सेवा से वंचित हैं, को आगामी तीन वर्षों में परिवहन सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, इस बाबत् कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अल्पसंख्यक बेरोजगारों के लम्बित ऋण आवेदन पत्र

28. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बेरोजगार अल्पसंख्यकों को ऋण योजना के तहत कम ऋण दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि बजट के अभाव में अल्पसंख्यक बेरोजगारों के आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो इनके निस्तारण हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वार्षिक साख योजना अनुसार बजट उपलब्ध हैं। किन्तु कुछ जिलों में वार्षिक साख योजना (बजट सीमा) से अधिक आवेदन प्राप्त होने से उनको बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बाड़मेर जिले के माध्यमिक विद्यालय रहित ग्राम पंचायत मुख्यालय

29. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत भूरटिया, शिवकर, उण्डरवा, हाथीतला गरल, मारूड़ी एवं आती के पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 597 ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जिनमें माध्यमिक विद्यालय नहीं है। पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2011-12 में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने से प्रश्नगत विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फर्जी मेडिकल पेन्शन डायरियों की जांच

30. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर द्वारा संचालित औषधियों की दुकानों में पेन्शनर्स की मेडिकल डायरियों के जरिये फर्जीवाड़ा किये जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक जांच रिपोर्ट में 1486 पीपीओ संदिग्ध बताये गये थे । किन्तु किसी अधिकारी/कर्मचारी को नामजद नहीं किया गया है। 1486 में से जांच बाद 433 पीपीओ सही पाये गये बाकी पीपीओ की विस्तृत जांच विचाराधीन है।

संघ द्वारा प्रथम दृष्टया पांच कार्मिकों/अधिकारियों को चार्जशीट जारी की गई है तथा दो कर्मियों को निलंबित एवं दो कर्मियों को ए.पी.ओ. किया गया था। मेडिकल विक्रेताओं एवं गैर सरकारी संगठनों को वसूली नोटिस जारी किये हैं। इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भी दो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले में आबकारी शुल्क का नवजीवन योजना पर व्यय

31. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में वित्तीय वर्ष 2010-11 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में आबकारी की आय में कितनी वृद्धि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आबकारी की आय की कितनी हिस्सा राशि का नवजीवन योजना में व्यय करने का प्रावधान किया गया है?

(3) उक्त जिले में उक्त वित्तीय वर्षो में कितनी-कितनी हिस्सा राशि का नवजीवन योजना में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय कर क्या -क्या कार्य करवाये गये एवं कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष कुछ और जातियों को भी नवजीवन योजना में सम्मिलित किया गया है? क्या इस योजना में बजट प्रावधान भी बढ़ाया गया है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो किन-किन कारणों से?

(5) क्या सरकार आगे नवजीवन योजना में कोई नये प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले में जहां गत वर्ष 2010-11 (माह अप्रैल, 2010 से माह जनवरी, 2011 तक) में कुल आबकारी आय रुपये 22,06,40,646/- की हुई थी, वहीं इस वर्ष 2011-12 (माह अप्रेल, 2011 से माह जनवरी, 2012 तक) में कुल आबकारी आय रुपये 27,43,21,103/- की हुई है, इस प्रकार पाली जिले की आबकारी आय में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 24.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(2) राज्य स्तर पर आबकारी राजस्व का एक प्रतिशत नवजीवन योजना में व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

(3) पाली जिले में नवजीवन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में कुल 43,21,239/- रुपये व्यय कर निम्नांकित कार्य कराये गये:-

(आबकारी मंत्री)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	राशि रुपये
1	प्रशिक्षण	16,75,700
2	आधारभूत सुविधा के अन्तर्गत पेयजल हेतु P.H.E.D. के माध्यम से जीएलआर स्थापित कराई गई	9,61,000
3	चयनित परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर व्यय	16,77,901
4	विज्ञापन पर व्यय	4,013
5	स्टेशनरी	2,625
	कुल व्यय	**43,21,239**

आबकारी जिला पाली में वर्ष 2010-11 में कुल 203 स्त्री/पुरूषों का चयन किया जाकर नवजीवन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2011-12 से इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को स्थानान्तरित किया गया है। विभाग द्वारा नये दिशा-निर्देश दिनांक 19.12.2011 जारी किये गये हैं एवं अभी तक व्यय शून्य है।

(4) जी हां। इस वर्ष (2011-12) भाट, भाण्ड, नट, डोम, ढोली एवं राणा जातियों को नवजीवन योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इस योजनान्तर्गत बजट प्रावधान पूर्व की भांति कुल आबकारी राजस्व का एक प्रतिशत ही है।

(5) जी हां। नवजीवन योजनान्तर्गत मूलभूत सुविधाओं पर खर्च जिलों को कुल आबंटित राशि का 25 प्रतिशत है। जिसे सरकार बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का विचार रखती है।

छात्रवृत्ति वितरण में दर्ज प्रकरणों के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही

32. **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों से छात्रवृत्ति उठाकर धोखाधड़ी किये जाने का मामला आडिट पैरा में पकड़ में आया है? यदि हां, तो किस-किस छात्र ने कितनी

(श्री बंशीधर खण्डेला)

राशि फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त की? वर्षवार एवं छात्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गम्भीर प्रकरण में अब तक किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कब-कब पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त फर्जी तरीके से उठाई गई छात्रवृत्ति की राशि में से कितनी राशि अब तक वापस वसूली जा चुकी है एवं वसूल करने वाले आरोपी छात्रों के विरुद्ध कब पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की विशेष आडिट रिपोर्ट के विभिन्न पैराज में जिला सवाईमाधोपुर व करौली में तथा महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट में जिला अलवर में अनियमितताएं (फर्जी दस्तावेज से छात्रवृत्ति उठाने/बिना मान्यता के संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने, अभिभावकों की आय निर्धारित आय सीमा से अधिक वाले अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने, निर्धारित फीस/अनुरक्षण भत्ते से अधिक भुगतान, दोहरा भुगतान, अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त, आवेदन पत्रों को स्वीकृत करना आदि) उल्लेखित की गई है। उक्त आडिट रिपोर्ट के आधार पर जिन विद्यार्थियों की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के विवरण को अनियमित माना गया है, का वर्षवार छात्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त जिलों में उक्त अवधि के अनियमितता के प्रकरणों में प्राप्त एफ.आई.आर. रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न् है।

(3) उक्त अनियमित उठाई गई उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में अब तक वसूल की गई/वापस राजकोष में जमा करवाई छात्रवृत्ति राशि का विद्यार्थीवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। अनियमित उठाई गई उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामलों में विद्यार्थियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है, बल्कि जिन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उन शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध एवं विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण दर्ज हुए हैं। ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

रहन ऋण (प्लेज लोन) योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषक

33. **श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में प्लेज लोन स्कीम संचालित की जा रही है? यदि हां, तो कब से एवं कौन-कौनसी कृषि मंडियों में उक्त योजना संचालित है?

(2) उक्त योजना अन्तर्गत कृषकों को उक्त ऋण स्वीकृत करने हेतु कौन-कौन से मानदण्ड निर्धारित हैं? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना अन्तर्गत गत पांच वर्षों में कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राज्य की शेष रही कृषि मण्डियों में भी उक्त योजना संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़, अटरू, बालोतरा एवं मालपुरा में वर्ष 1995 से प्रायोगिक रूप से संचालित है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को कृषि उपजों का भण्डारण कर उसकी कीमत का 75 प्रतिशत तक अधिकतम 20 हजार रुपये तक काश्तकारों को ऋण दिये जाने का प्रावधान है। योजना के क्रम में जारी पत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' पर संलग्नं हैं।

(3) गत पांच वर्षों में लाभान्वित कृषकों की संख्या सूची परिशिष्ट 'स' पर है।

(4) जी नहीं। कृषकों का रूझान मण्डी समिति द्वारा संचालित योजना में नहीं होने से इस योजना को अन्य मण्डियों में लागू करने का विचार नहीं है।

(प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-34

(स्थगित)

बाड़मेर जिले के "कम्प्यूटर लर्निंग प्रोग्राम" हेतु चयनित विद्यालय

35. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम (कल्प) योजना के तहत विषय विशेष में कमजोर विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर सुधारने की योजना प्रदेश में संचालित है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में इस योजना के तहत कितने विद्यालयों का चयन किया गया? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर अनुदेशक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरलीकृत संप्रेषण, सुरूचिपूर्ण आनन्ददायी शिक्षण अधिगम, ध्वनियुक्त काल्पनिक चित्रण के माध्यम से बच्चों की सृजनात्मक शक्ति एवं मूलभूत दक्षताओं को प्रोत्साहित करने के लिये कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों को हैण्ड्स् आन कम्प्यूटर अभ्यास द्वारा पाठ्यक्रम का अध्यापन कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम (कल्प) शुरू किया गया हैं। इस योजना के तहत जिला बाड़मेर में 214 विद्यालयों को चयनित किया गया है। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग में कार्यरत अध्यापकों को आवश्यक कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाकर उनके द्वारा ही शिक्षण कार्य करवाया जाता हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गोकुल वाटिका सहकारी समिति, जयपुर की जांच

36. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) व **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित गोकुल वाटिका सहकारी समिति का पंजीयन किस उद्देश्य से किया गया था? क्या समिति ने अपने कार्य क्षेत्र गोकुल बस्ती चैनपुरा (जयपुर) स्थित क्षेत्र से परे जाकर भूखण्ड बेचे हैं? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के आदेश पर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा गोकुल वाटिका सहकारी समिति की जांच अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति से करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) गोकुल वाटिका सहकारी समिति के पंजीयन के समय इसके पदाधिकारी कौन-कौन थे तथा वर्तमान में कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गोकुल वाटिका सहकारी समिति का पंजीयन जिन उद्वेश्यों के लिए किया गया था, वह परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70(6) के अन्तर्गत जारी जांच परिणाम क्रमांक 1301-5 दिनांक 18-3-1997 में समिति द्वारा कार्यक्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को नियम विरूद्ध सदस्य बनाया जाकर भूखण्ड आबंटन किये जाने का तथ्य सामने आया था।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पत्र दिनांक 20-9-11 के साथ प्राप्त हुए एक परिवाद की जॉच अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर खण्ड से करवाई गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दुओं के साथ गोकुल वाटिका सहकारी समिति लि0 का बिन्दु भी सम्मिलित है। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट -2 पर संलग्न है ।

(3) समिति में पंजीयन के समय निम्न पदाधिकारी थे:-

1. श्री जवाहिर लाल जैन- अध्यक्ष

2. श्री बसंतलाल मुकीम- मंत्री

वर्तमान में समिति में निम्न पदाधिकारी हैं:-

1. श्री पुष्पेन्द्र मुनीम- अध्यक्ष

2. श्री अंशुमान ढडडा- उपाध्यक्ष

3. श्री प्रदीप कुमार ठोलिया- मंत्री

4. श्री विमल चन्द जैन- कोषाध्यक्ष

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर जिले में अवैध खनन पर रोक हेतु कार्य योजना

37. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या खान एवं पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में अधिकारियों एवं विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से रवन्ने जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2008 से जनवरी, 2012 तक जारी किये गये रवन्नों की सूची आबंटी एवं रवन्ने जारी करने वाले अधिकारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिये वर्ष 2008 से जनवरी, 2012 तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये? प्रयासों एवं कार्यवाही का मय दिनांक एवं कार्यवाही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त जिले में कितने डम्पर एवं ट्रक अवैध खनन को रोकने के लिये की गई कार्यवाही के दौरान पकडे गये वाहनों में से कितनों को छोडा गया है एवं कितने वाहन अभी भी जब्त हैं? उक्त वाहनों के पंजीयन क्रमांक, स्वामी एवं वाहन के प्रकार सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला अलवर में अवैध खनन के दौरान कार्य करते हुये कितने लोगों की मौतें हुयी हैं और अवैध खनन में उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों से कितनी मौतें किस-किस थानान्तर्गत हुयी हैं? क्या राज्य सरकार अवैध खनन रोकने के लिये कोई कार्य योजना रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) अलवर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित है जिसमें खनिज विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा अवैध खनन व निर्गमन के रोकथाम हेतु निरीक्षण कर कार्यवाही की जाती है एवं इसके लिए 54 होमगार्ड के जवान भी तैनात किये गये है । वर्ष 2008 से जनवरी 2012 तक अलवर जिले में खनि अभियन्ता, अलवर तथा सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली के कार्यक्षेत्र में अवैध खनन एवं अवैध निर्गमन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(खान एवं पैट्रोलियम मंत्री)

(3) उक्त अवधि में अलवर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए की गई कार्यवाही के दौरान कुल 558 वाहन जब्त किये गये जिसमें से 511 वाहनों से कम्पाउण्ड फीस एवं खनिज की कीमत वसूल हो जाने से तथा 18 वाहनों के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने से वाहन मुक्त किये गये, 29 वाहनों के संबंध में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई । उक्त अवधि का वर्तमान में कोई वाहन विभागीय जब्ती में नहीं है । वाहनों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(4) जिला अलवर में उक्त अवधि में अवैध खनन के दौरान कार्य करते हुए 15 लोगों की मृत्यु हुई और अवैध खनन में उपयोग लिये जाने वाले वाहनों से 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिसका थानेवार विवरण निम्न प्रकार है :-

दुर्घटना का प्रकार	थाने का नाम	मौतों की संख्या
खनन कार्य के दौरान	माण्ढन	4
	टपूकड़ा	1
	भिवाड़ी फेज III	10
	कुल	**15**
वाहनों के द्वारा	भिवाडी	5
	टपुकडा	8
	तिजारा	3
	भिवाडी सदर	2
	कुल	**18**

अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर कार्यवाही की जाती है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पालनहार योजना के मानदण्डों में छूट/संशोधन

38. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना अन्तर्गत किन-किन श्रेणी के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? श्रेणीवार बच्चों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत वित्तीय वर्ष में पालनहार योजना में श्रेणीवार कुल कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया? जिलावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पालनहार योजना में विधवा सन्तानों की संख्या को एक से बढ़ाकर सभी सन्तान अथवा कम से कम दो सन्तान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजनान्तर्गत निम्न 7 श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है :-

1. अनाथ बच्चे
2. निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा महिला की संतान
3. एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान
4. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान
5. न्यायालय से मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डित माता-पिता की संतान
6. विधिवत पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान
7. नाता जाने वाली माता की संतान

श्रेणीवार लाभान्वित बच्चों की संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 50160 बच्चों को श्रेणीवार निम्नानुसार लाभान्वित किया गया है :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

	श्रेणी	संख्या
1.	अनाथ बच्चे	8385
2.	निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा महिला की संतान	37088
3.	एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान	3834
4.	कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान	30
5.	न्यायालय से मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डित माता-पिता की संतान	81
6.	विधिवत पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान	709
7.	नाता जाने वाली माता की संतान	33

जिलेवार श्रेणीवार संख्या सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के स्तर पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उदयपुर कृषि उपज मण्डी में औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाइयों को आबंटित भू-खण्ड

39. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी परिसर उदयपुर में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में कितनी औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाइयों को भूखण्ड आबंटित किये गये और आबंटित भूखण्डों का क्षेत्रफल कितना था?

(2) उक्त आबंटित भूखण्डों का जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित बाजार दर पर कितना मूल्य बनता है?

(3) औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाइयों को किस दर पर भूखण्ड आबंटित किये गये और इनसे मण्डी समिति को कुल कितना विक्रय मूल्य मिला?

(4) जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों एवं आबंटन की वास्तविक दरों के अन्तर के कारण मण्डी समिति को आय की कितनी हानि हुई?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(5) क्या छोटे एवं लघु व्यवसायियों को भी बाजार मूल्य में से छूट देने का कोई प्रावधान है?

उत्तर

(1) वर्ष 2011-12 में कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) उदयपुर में अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के तहत औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाइयों को आंवटित भूखण्ड का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) आबंटित भूखण्डों को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. की दर से आवंटन होने पर बनने वाली राशि संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 7 के अनुसार है।

(3) औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाइयों को आबंटित भूखण्ड से प्राप्त (राशि संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 9 के अनुसार है।

(4) जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों एवं आबंटन की वास्तविक दरों में अन्तर से प्राप्त राशि का अन्तर संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 10 के अनुसार है।

(5) जी नहीं ।

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) उदयपुर में औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाइयों को आबंटित भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	नाम आबंटी	क्षेत्रफल व.मी.	क्षेत्रफल व. फीट	मण्डी प्रांगण के निकटस्थ औद्योगिक क्षेत्र मादड़ी की रीको की दर व.मी.	डी.एल. सी. दर प्र.व. फीट	डी.एल.सी. दर अनुसार राशि (रुपयों में)	आबंटन नीति के अनुसार निर्धारित दर का मापदण्ड	राशि (रुपयों में)	अन्तर (रुपयों में)
1.	श्री सिद्धी विनायक कारपोरेशन	1601	17211.25	1000/-	3340/-	5,74,85,575/-	रीको की दर का 2 गुणा 2000/-	32,02,000/-	5,42,83,575/-
2.	मैसर्स पारस ब्रदर्स	927.90	9975	1000/-	3340/-	3,33,16,500/-	25 प्रतिशत सब्सीडी 750/-	6,95,925/-	3,26,20,575/-
3.	मैसर्स पटेल ट्रेडर्स	900	9684	1000/-	3340/-	3,23,44,560/-	रीको की दर का 2 गुणा 2000/-	18,00,000/-	3,05,44,560/-

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर जिले में खनन लीज हेतु प्राप्त आवेदन

26. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में वर्ष 2009 से 2011 तक कौन-कौनसी खान किस-किस को आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समय में किस-किस खान हेतु किस-किस व्यक्ति के कहां-कहां के लिये आवेदन प्राप्त हुये एवं इनमें से किस-किस को खान आबंटित की गई व शेष को आबंटन नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक इन्हें खान का आबंटन कर दिया जावेगा? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के सीकर जिले में वर्ष 2009 से 2011 तक प्रधान खनिजों के 18 तथा अप्रधान खनिजों के 127 खननपटटे आबंटित किए गए हैं। आबंटित किए गये खननपट्टों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) उक्त समय में प्रधान खनिजों के 384 तथा अप्रधान खनिज के 2285 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है । आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पाई गई कमियों की पूर्तियां समय पर नहीं करने, पूर्व के लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं होने, विभिन्न न्यायालयों में स्थगन होने, खातेदारों की सहमति प्रस्तुत नहीं करने, राजस्व रिकार्ड समय पर प्रस्तुत नहीं करने आदि कारणों से आवेदन पत्रों के निस्तारण में समय लगता है। शेष लंबित आवेदन पत्र शीघ्र निस्तारित किए जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद हेतु मानदण्डों में छूट

27. **श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित है? निर्धारित प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभी तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की फसल नहीं खरीदी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद हेतु गुणवत्ता के मानदण्डों में शिथिलता देने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डानुसार किया जाता है। भारत सरकार, राज्य सरकार व राजफैड द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1(अ), 1(ब) एवं 1(स) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। खरीफ 2011 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों वाला 94.65 एमटी बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किया गया।

(3) जी नहीं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवसृजित राशन की दुकानें

28. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में राशन डीलर के रूप में प्राइवेट राशन डीलर, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां एवं महिला स्वयं सहायता समूह डीलर के रूप में कहां-कहां कार्यरत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक जिला सीकर में कितने राशन डीलरों को अनियमितता के आधार पर निलम्बित, बर्खास्त किया गया तथा उनमें से कितनों को वापिस बहाल कर कार्यभार सौंपा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ में कितनी राशन दुकानें नवसृजित की गई तथा कितनी राशन की दुकानें रिक्त हैं?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नवसृजित एवं रिक्त दुकानों पर राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में उचित मूल्य दुकानों के राशन डीलर के रूप में निजी डीलर, ग्राम सेवा सहकारी समिति, क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं महिला सहायता समूहों की तहसीलवाइज सूचना परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक जिला सीकर में अनियमितता के आधार पर 23 राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किए गए, जिनमें से 20 डीलरों को आर्थिक शास्ति से दण्डित किया जाकर पुन: बहाल किया गया एवं 03 डीलरों के प्रकरण में कार्यवाही जैरकार है। 12 डीलरों के प्राधिकार पत्र निरस्त किए गए, जिनमें से 01 डीलर का प्राधिकार पत्र न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के निर्णय से बहाल किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 40 उचित मूल्य की दुकानें नवसृजित की गई तथा 20 दुकानें पूर्व से ही रिक्त हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल 60 दुकानें (नवसृजित सहित) रिक्त चल रही हैं।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नवसृजित एवं रिक्त दुकानों पर राशन डीलर नियुक्त करने के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाकर जांच करवाई जा चुकी है। नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यथाशीघ्र राशन डीलर की नियुक्ति कर दी जावेगी।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजसमन्द जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

29. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमन्द में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के कुल कितने राजकीय विद्यालय संचालित हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के किस-किस श्रेणी के कुल कितने पद सृजित हैं व कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर विद्यार्थी मित्र कार्य कर रहे हैं?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) उक्त जिले के कितने विद्यालयों में एक भी नियमित शिक्षक पदस्थापित नहीं है? जिले में एकल शिक्षक वाले विद्यालय कितने हैं व कितने विद्यालयों में केवल विद्यार्थी मित्र ही कार्य कर रहे हैं एवं कितने विद्यालयों में कोई भी शिक्षक नहीं है?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला राजसमन्द में 1199 राजकीय प्राथमिक तथा 654 उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल 1853 विद्यालय संचालित हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला राजसमन्द में 153 माध्यमिक एवं 79 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के श्रेणीवार सृजित पद, कार्यरत अध्यापक तथा रिक्त पद निम्नानुसार हैं :-

स्वीकृत पद			**कार्यरत**			**रिक्त पद**		
II ग्रेड	**III ग्रेड**	**प्रबोधक**	**II ग्रेड**	**III ग्रेड**	**प्रबोधक**	**II ग्रेड**	**III ग्रेड**	**प्रबोधक**
816	5589	542	730	3299	538	86	2290	04

उक्त विद्यालयों में वर्तमान में 833 विद्यार्थी मित्र कार्य कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का तथा रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत विद्यार्थी मित्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

पदनाम	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**	**कार्यरत विद्यार्थी मित्र**
व्याख्याता	461	147	314	150
व.अध्यापक	1323	832	491	71
अध्यापक-III	232	107	125	27

(शिक्षा मंत्री)

(3) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला राजसमन्द में उक्त संचालित विद्यालयों में से 74 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षक नहीं हैं। इनमें शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षक लगाये गये हैं। इसी प्रकार 417 प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षकीय विद्यालय हैं। जिले में ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जो केवल विद्यार्थी मित्र द्वारा संचालित किया जा रहा हो एवं कोई विद्यालय शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में ऐसा एक भी विद्यालय नहीं है, जहां कि नियमित शिक्षक पदस्थापित नहीं हो, ना ही एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं एवं एक भी विद्यालय ऐसा नहीं हैं, जहां केवल विद्यार्थी मित्र ही कार्यरत हो।

बीकानेर जिले में नवीन परीक्षा केन्द्रों की स्थापना

30. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर के कुल कितने विद्यालयों में नये परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं? विद्यालयों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों को किन-किन मानदण्डों से परीक्षा केन्द्र बनाया गया तथा परीक्षा केन्द्र विद्यालयों की दूरी कितनी तय की गई?

(3) क्या यह सही है कि विद्यालय परीक्षा केन्द्र नजदीक दूरी वाले केन्द्र पर नहीं देकर कहीं अतिरिक्त दूरी वाले केन्द्र में शामिल किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों व ऐसे कितने विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिन विद्यालयों की दूरी ज्यादा है उन विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) गत वर्ष कितने विद्यालय के परीक्षा केन्द्र बंद किये गये? बंद करने के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में कुल 13 विद्यालयों को वर्ष 2012 की परीक्षा हेतु नये परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं जिनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(शिक्षा मंत्री)

(2) विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र् बनाये जाने हेतु अपनाये जाने वाले मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

सामान्यतया माध्यमिक स्तर का परीक्षा केन्द्र न्यूनतम 100 परीक्षार्थी होने पर एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा हेतु 50 परीक्षार्थी न्यूनतम होने पर नया परीक्षा केन्द्र बनाया जाता हैं । परीक्षा केन्द्र बनाते समय परीक्षार्थियों की संख्या, विद्यालय से दूरी एवं भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाता है । परीक्षा केन्द्र के निकटतम दूरी वाले विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जाता है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की सक्षम समिति के द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाता है।

(3) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा के आधार पर तथा इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की सक्षम समिति के द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाता है। सामान्यतया माध्यमिक स्तर का परीक्षा केन्द्र न्यूबनतम 100 परीक्षार्थी होने पर एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा हेतु 50 परीक्षार्थी न्यूनतम होने पर नया परीक्षा केन्द्र बनाया जाता है। परीक्षा केन्द्र बनाते समय परीक्षार्थियों की संख्या, विद्यालय से दूरी एवं भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। परीक्षा केन्द्र के निकटतम दूरी वाले विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जाता हैं ।

(4) जिन विद्यालयों की परीक्षा केन्द्र से दूरी अधिक है उन विद्यालयों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की अनुशंषानुसार ही निकटतम परीक्षा केन्द्र आवण्टित किया जाता है। इस हेतु प्रतिवर्ष अगस्त एवं दिसम्बर माह में बैठक आयोजित होती है, जिसमें विचार किया जायेगा।

(5) इस वर्ष 2012 की परीक्षा से जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषानुसार कुल 09 विद्यालयों के परीक्षा केन्द्र माध्यामिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बन्द किये गये हैं । जिनकी सूची संलग्न हैं । (परिशिष्ट-2)

परिशिष्ट-1

बीकानेर

नवीन केन्द्रों की सूची

जिला	**केन्द्र क्रमांक**	**केन्द्र का नाम**	**क्षमता**
1	2	3	4
बीकानेर	07015	मधी देवी सरस्वती विद्या निकेतन, उ.मा.वि. रामपुराबस्ती, लालगढ़, बीकानेर प्रश्नपत्र-सदर थाना, बीकानेर, तह.-बीकानेर	300
	07025	रा.बा.उ.प्राथ.वि., डागा, गंगाशहर, बीकानेर प्रश्नपत्र-सदर थाना, बीकानेर, तह.-बीकानेर	250
	07026	शास्त्री बाल विद्यालय मंदिर उ.मा.वि., रामपुरा बस्ती, लालगढ़, बीकानेर प्रश्नपत्र-सदर थाना, बीकानेर, तह.-बीकानेर	450
	07040	रा.उ.प्राथ.वि., पाबू पाठशाला, बीकानेर प्रश्नपत्र-सदर थाना, बीकानेर, तह.-बीकानेर	300
	07048	रा.उ.प्रा.वि., कुम्हारों का मोहल्ला, लूणकरणसर प्रश्नपत्र-थाना, लूणकरणसर, बीकानेर, तह.-लूणकरणसर	250
	07052	रा.मा.वि., भामटसर, तह.-नोखा प्रश्नपत्र-थाना नोखा, तह.-नोखा	150
	07065	रा.मा.वि., 17 के.वाई.डी., खाजूवाला प्रश्नपत्र-खाजूवाला थाना, तह.-खाजूवाला	200
	07079	रा.मा.वि., किशनासर, तह.-नोखा प्रश्नपत्र-थाना नोखा, तह.-नोखा	200
	07087	रा.मा.वि., लखासर प्रश्नपत्र-श्रीडूंगरगढ़, तह. श्रीडूंगरगढ़	250
	07105	रा.मा.वि., मोहखमपुरा प्रश्नपत्र-थाना महाजन/लूणकरणसर, तह.-लूणकरणसर	200

1	2	3	4
	07136	रा.मा.वि., महादेववाली प्रश्नपत्र-एकल केन्द्र, तह.-श्रीडूंगरगढ़	300
	07114	रा.मा.वि., रिडी प्रश्नपत्र-श्रीडूंगरगढ़, तह.-श्रीडूंगरगढ़	150
	07116	रा.मा.वि., फूलासरबड़ा प्रश्नपत्र-एकल केन्द्र, तह. कोलायत	150

परिशिष्ट-2

बन्द केन्द्रों की सूची

जिला	**केन्द्र क्रमांक**	**केन्द्र का नाम**
1	2	3
बीकानेर	07015	श्री बी.के. उ.मा.वि., डागा मोहल्ला, बीकानेर
	07021	गिरधर दास मूंदड़ा, बाल भारती मा. वि. गजनेर रोड़, बीकानेर
	07024	मातृ सेवा सदन दयानन्द आदर्श वैदिक बा.मा.वि., परमानन्द बस्ती, रथखाना, बीकानेर
	07025	श्री हनुमन्त उ.मा.वि., डागा, गंगाशहर, बीकानेर
	07026	रा.बा.उ.प्रा.वि., लालगढ़
	07031	रा. नवोदय मा.वि., तेलीवाड़ा, बीकानेर
	07040	फतेहचन्द दम्मामी बा.विद्या मंदिर, उ.मा.वि., नयाशहर
	07079	रा.मा.वि., पांचू (बीकानेर)
	07135	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर

फलौदी विधान सभा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराये गये विकास कार्य

31. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की 43 ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में

(श्री ओम जोशी)

सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 से 31-12-2011 तक किन-किन निर्माण कार्यों, अन्य कार्यों एवं मरम्मत कार्यों में कितनी राशि दी गई? शालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत राशि का सम्पूर्ण उपयोग हो गया तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 से दिनांक 31.12.2011 तक कुल 666 कार्य, रुपये 845.30 लाख अनुमानित लागत के स्वीकृत किये गये। इन कार्यो हेतु कुल रुपये 751.06 लाख राशि जारी की गई हैं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :-

(रु.लाखों में)

स्वीकृत वर्ष	कुल कार्य	कुल स्वी. राशि	कुल जारी राशि	कुल पूर्ण कार्य
2008-09	125	133.10	131.79	125
2009-10	154	140.30	135.78	151
2010-11	232	324.40	302.27	215
2011-12	155	247.50	181.22	92
योग	**666**	**845.30**	**751.06**	**583**

विद्यालयवार एवं कार्यवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) कुल स्वीकृत राशि रुपये 845.30 लाख के विरुद्ध रुपये 751.06 लाख जारी किये गये हैं। कुल स्वीकृत 666 कार्यो के विरुद्ध 423 कार्यो के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं। 83 कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। ये कार्य क्षेत्र में प्रगतिरत हैं, जिन्हें अपेक्षित समायावधि, कुशल/अकुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता एवं अन्य स्थानीय अपरिहार्य कारणों से पूर्ण नहीं किया जा सका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हनुमानगढ़ जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत करवाये गये निर्माण कार्य

32. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक किन-किन विद्यालयों में मरम्मत कार्य, नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य करवाये गये हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी.एल.एम. के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समयावधि में कितने राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय व सामान्य शौचालय का निर्माण करवाया गया? उक्त निर्मित शौचालय में से वर्तमान में कितने शौचालय उपयोग में लिये जा रहे हैं? उक्त जिले का विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक 96 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य एवं 241 विद्यालयों में नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य करवाये गये, विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जिला हनुमानगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी.एल.एम. के तहत वितरित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) हनुमानगढ़ जिले में उक्त समयावधि में 26 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय का निर्माण करवाया गया। उक्त निर्मित सभी शौचालय उपयोग में लिये जा रहे हैं, विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-2 "ग" पर संलग्न हैं। इस अवधि में सामान्य शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रबुद्ध छात्रों हेतु पुरस्कार योजना

33. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) क्या यह सही है कि बालिकाओं को दिये जाने वाले गार्गी पुरस्कार की तर्ज पर ही बालकों को भी पुरस्कर दिये जाते हैं? यदि हां, तो योजनाओं का विवरण आदेशों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना के प्रारंभ से अब तक कितने बालकों को पुरूस्कृत किया गया? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 2011-12 में उक्त योजना के तहत कितने बालकों को लाभान्वित किया गया? बालक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग 1 के अनुसार।

(3) प्रश्न के भाग 1 के अनुसार।

उदयपुर जिले में पदस्थापित अनुदानित शिक्षा कर्मियों का वेतन भुगतान प्रकरण

34. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुदानित शिक्षा कर्मियों में से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत किन-किन शिक्षा कर्मियों का पदस्थापन तहसील क्षेत्र गिर्वा जिला उदयपुर में किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पद स्थापित शिक्षा कर्मियों में से कइयों को पदस्थापन से आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व किन-किन को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शिक्षा कार्मिकों को वेतन समय पर नहीं देने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) अब सरकार कब तक वेतन से वंचित रहे शिक्षा कर्मियों को वेतन दिलाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गिर्वा तहसील में 45 अनुदानित कार्मिकों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया है। इनमें प्राध्यापक-5, वरिष्ठ अध्यापक-5, वरिष्ठ

(शिक्षा मंत्री)

शारीरिक शिक्षक-1, वरिष्ठ लिपिक-5, अध्यापक-7, पुस्तकालयाध्यक्ष-2, शारीरिक शिक्षक-2, कनिष्ठ लिपिक-6, प्रशा सहायक-3, प्रयोगशाला सेवक-1, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-8 हैं। योग:-(45)। पदस्थापित कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) तहसील क्षेत्र गिर्वा में 45 कार्मिकों का पदस्थापन किया गया है, जिनमें से 11 कार्मिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। कार्मिकों का नाम वेतन भुगतान नहीं किये जाने का कारण सहित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। बजट एवं पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है। पदस्थापित कार्मिकों को सेवाकाल में नियुक्ति से वेतन आदि का भुगतान की कार्यवाही शीघ्र कर दी जायेगी।

(3) कार्मिकों द्वारा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तु'त नहीं करने तथा वित्तीय प्रावधान के अभाव में समय पर भुगतान नहीं किया जा सका है।

(4) शीघ्र ही सभी कार्मिकों को वेतन भुगतान कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पद	विषय	पदस्थापन
1	2	3	4	5
1.	रेणुका राकेश	व्याख्याता	चित्रकला	राउमावि नाई
2.	प्रीति भार्गव	व्याख्याता	अंग्रेजी	राबाउमावि बम्बोरा
3	महिपाल जैन	व्याख्याता	वाणिज्य	राउमावि बम्बोरा
4	उषा किरण	व्याख्याता	रा. विज्ञान	राबाउमावि बम्बोरा
5	उषा किरण नलवाया	व्याख्याता		राउमावि टीडी
6	पूनम भटनागर	व.अ.	अंग्रेजी	राउमावि साकरोदा गिर्वा
7.	जेबा खान	व.अ.	विज्ञान	रामावि बुझडा
8.	कल्पना व्यास	व.अ.	गणित	रामावि कुरायड
9.	सुशीला क्षोत्रिय	व.अ.	सामान्य	रामावि काया
10.	चित्रा सांगानेरिया	व.अ.	अंग्रेजी	राबाउमावि बम्बोरा

1	2	3	4	5
11.	भरपतसिंह कृष्णावत	वशाशि		उमावि बम्बोरा
12.	आलोक शर्मा	व.लि.		रामावि बडीउन्दरी
13.	चन्द्रप्रकाश नागौरी	व.लि.		रामावि अलसीगढ़
14.	मोहनलाल पालीवाल	व.लि.		राउमावि जगत
15.	पुरूषोत्तम पाराशर	व.लि.		रामावि शिशवी
16.	नरेन्द्र सिसोदिया	व.लि.		रामावि सरू
17.	श्वेता भट्ट	प्रशासहायक		राउमावि जावरमाईन्स
18.	इन्दुसिंह राव	प्रशासहायक		रामावि साकरोदा गिर्वा
19.	राकेश राजपूत	प्रशासहायक		रामावि साकरोदा गिर्वा
20.	रूपवन्ती सेठ	अध्यापक		रामावि बूझडा
21.	मंजुसिंह नरूखा	अध्यापक		रामावि बीझडी गिर्वा
22.	जेहरा हबीब	अध्यापक		मावि भैसडाखुर्द
23.	रूचिका मुडेत	अध्यापक		रामावि काया गिर्वा
24.	उषा शर्मा	अध्यापक		बामावि देवारी गिर्वा
25.	कल्पना जैन	अध्यापक		मावि सुखर
26.	अनिशा सरूपरिया	अध्यापक		रामावि पडूणा गिर्वा
27.	हेमलता नाहर	पु.अ.		उमावि जगत
28.	इन्दु जैन	पु.अ.		बाउमावि बम्बोरा
29.	संजय कुमार पण्डया	शा.शि.		मावि मंदून
30.	सैयद फारूख अली	शा.शि.		मावि सरू
31.	निर्मल कुमार पालीवाल	क.लि.		मावि पडूणा
32.	प्रवीण गौड़	क.लि.		रामावि बड़ीउन्दरी
33.	सुरेन्द्र कुमार जैन	क.लि.		रामावि जावर

1	2	3	4	5
34.	मोहनलाल खटीक	क.लि.		रामावि अलसीगढ़
35.	कन्हैयालाल मेनारिया	क.लि.		मावि मदुन
36.	यदुनाथ तेलंग	क.लि.		मावि उमरडा
37.	जसवन्तसिंह सिसोदिया	प्रशासेवक		उमावि टीडी
38.	बाबुलाल गमेती	च.श्रे. क.		बामावि देवारी
39.	गीता देवी औचित्य	च.श्रे. क.		मावि बिछडी
40.	राजकुमारी यादव	च.श्रे. क.		रामावि शिशवी गिर्धा
41.	हीरालाल डांगी	च.श्रे. क.		रामावि बड़ीउन्दरी
42.	गंगाराम मेघवाल	च.श्रे. क.		रामावि उमरडा
43.	भगवानलाल गुर्जर	च.श्रे. क.		रामावि जावर
44.	पूनमचन्द पुजारी	च.श्रे. क.		रामावि बुझडा
45.	चन्द्रशेखर चौबीसा	च.श्रे. क.		रामावि बरडा

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	**नाम कार्मिक**	**पद**	**पदस्थापन**	**कारण**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	रेणुका राकेश	प्र. अ. चित्रकला	राउमावि, नाई	निदेशालय बीकानेर से वेतन आहरण के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। वेतन आहरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2.	सुशीला क्षोत्रिय	व.अ. सामान्य	रामावि, कावा	संबंधित कार्मिक द्वारा स्थायीकरण आदेशों की प्रति उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण वेतन आहरण संभव नहीं हुआ था।

1	2	3	4	5
3.	चित्रा सांगोरिया	व.अ.	बाउमावि बम्बोरा	जनगणना में ड्यूटी होने के कारण संबंधित द्वारा आईडी व प्रान नम्बर हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वेतन आहरण संभव नहीं हुआ था।
4.	आलोक शर्मा	व. लिपिक	मावि बड़ी उन्दरी	89 एपीसी का बजट आबंटन नहीं होने के कारण वेतन आहरण संभव नहीं हो पाया था।
5.	इन्दु जैन	पु.अ.	बाउमावि बम्बोरी	जनगणना में ड्यूटी होने के कारण संबंधित द्वारा आईडी व प्रान नम्बर हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वेतन आहरण संभव नहीं हुआ था।
6.	निर्मल कुमार जैन	क.लि.	मावि पडूणा	निदेशालय स्तर से बजट आबंटन किया जा चुका है। वेतन आहरण प्रक्रियाधीन है।
7.	प्रवीण गौड़	क.लि.	मावि बडी उन्दरी	निदेशालय स्तर से बजट आबंटन किया जा चुका है। वेतन आहरण प्रक्रियाधीन है।
8.	सुरेन्द्र कुमार जैन	क.लि.	मावि जावर	निदेशालय स्तर से बजट आबंटन किया जा चुका है। वेतन आहरण प्रक्रियाधीन है।
9.	मोहनलाल खटीक	क.लि.	मावि अलसीगढ़	निदेशालय स्तर से बजट आबंटन किया जा चुका है। वेतन आहरण प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5
10.	कन्हैया लाल मैनानिया	क.लि.	मावि मटून	निदेशालय स्तर से बजट आबंटन किया जा चुका है। वेतन आहरण प्रक्रियाधीन है।
11.	चन्द्रशेखर चौबीसा	क.लि.	मावि बरहा	निदेशालय स्तर से बजट आबंटन किया जा चुका है। वेतन आहरण प्रक्रियाधीन है।

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय विहीन ग्राम

35. **श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की कौन-कौनसी ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्कूल नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की जिन ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्कूल नहीं हैं वहां पर राज्य सरकार द्वारा कब तक प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना है?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत 2 आई डब्ल्यू एम तथा 30 पी एस में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, किन्तु उक्त दोनों स्थानों पर राजकीय उच्च प्राथमिक/राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की कक्षायें संचालित हैं।

(2) राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल मैपिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है। स्कूल मैंपिंग के पश्चात नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यालयों की आवश्यकता का आकलन कर विद्यालय खोले जा सकेंगे।

प्रश्न संख्या-36

(स्थगित)

निजी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु योजना

37. **श्री सुखराम** (बसेड़ी) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में तकनीकी शिक्षा के राजकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कालेज कितने-कितने कहां-कहां, कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुखराम)

(2) राज्य में प्राइवेट इंजिनियरिंग कालेज खोलने के क्या नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3)उक्त प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों की मोनेटरिंग करने की क्या व्यवस्था की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की अनुमति प्रदान करने के कितने मामले कब से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कालेजों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को परिषद के निर्धारित नियम/प्रावधान के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रेषित किया जाता है। नियम/प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों की मोनेटरिंग करने के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्डों की एवं सम्बद्धता नियमों की पालना के सन्दर्भ में प्रति वर्ष कार्यसूची बनाकर निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण करवाया जाता है।

(4) राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कालेज खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

राज्य में इंजीनियरिंग कालेज खोलने हेतु सत्र 2012-13 में 17 प्रस्तावकों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये है। विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(सूची, प्रति व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रतापगढ़ जिले में संप्रेषण एवं किशोर गृह की स्थापना

38. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सही है कि वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रतापगढ जिले में 'संप्रेषण एवं किशोर गृह' की स्थापना करने की घोषणा की थी? क्या घोषणा की पालना कर दी गई है? यदि नहीं, तो घोषणा के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2011-12 के बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा की गई थी। जिसके अन्तर्गत प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर विभाग की अधिसूचना 41323 दिनांक 26.05.2011 द्वारा सम्प्रेक्षण किशोर गृह की स्थापना की जा चुकी है (परिशिष्ट-अ)। वर्तमान में गृह किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है एवं 5 देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक आवासित हैं।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 14(1)()ब.घो./गृह/मुबाअ/ सान्याअवि/11/41323 **जयपुर, दिनांक : 26.5.2011**

<u>आदेश</u>

वित्तीय वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य के प्रतापगढ़ जिले में विभाग के माध्यम से राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह, प्रतापगढ़ (Govt. Observation Cum Children Home, Pratapgarh) (कुल क्षमता 50 आवासी, जिसमें 25 बालक एवं 25 बालिकाऐं होंगी) की स्थापना करने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) व (2) तथा धारा 34 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त नवस्थापित गृह को जिले में क्रमश: विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर/किशोरियों को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच लम्बित रहने/सुनवाई/अंतिम निपटान तक अस्थाई तौर पर रखकर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के अनुसार व्यवस्थार्थ सम्प्रेक्षण गृह (Observation Home) के रूप प्रमाणित किया जाता है तथा देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को बाल कल्याण समिति द्वारा जांच लम्बित रहने/सुनवाई/अंतिम निपटान तक अस्थाई तौर पर रखकर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के अनुसार व्यवस्थार्थ बाल गृह (Children Home) के रूप में प्रमाणित कर धारा 34 की उपधारा (3) में एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

ह./-

निदेशक एवं

विशिष्ट शासन सचिव

शहरी क्षेत्र के स्टेट बी.पी.एल. को प्रदाय सुविधाएं

39. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत गरीबी रेखा के नीचे की सूची में सम्मिलित ऐसे नाम जो नई सूची में नहीं हैं को सरकार द्वारा स्टेट बी.पी.एल. माना गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनको किस मूल्य पर खाद्यान उपलब्ध कराये जा रहे हैं? प्रत्येक खाद्यान की दरों (प्रति कि.ग्रा.) की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में स्थित स्टेट बी.पी.एल. को भी उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 25 किलो गेहूं प्रति माह प्रति स्टेट बी.पी.एल. परिवार 2 रुपये किलो. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के 7 जिलों यथा- बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, करौली, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़ के स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 10 किलो. अतिरिक्त गेहूँ प्रति परिवार 4.75 रुपये प्रति किलो. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। सूची परिशिष्ट-1(अ) एवं 1(ब) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजकीय छात्रावासों में रिक्त पद

40. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने छात्रावास निजी संस्थाओं द्वारा व सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? इन छात्रावासों में कितने छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों के लिये क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है और इसके लिये कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में व्यय की गई? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन योजनाओं में लम्बे-समय से छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री वासुदेव देवनानी)

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में विभाग द्वारा 622 राजकीय छात्रावास एवं 86 अनुदानित छात्रावास स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं जिनमें शैक्षणिक सत्र 2011-12 में 22956 छात्रों एवं 4283 छात्राओं कुल 27239 छात्र/छात्राओं को प्रवेश देकर लाभान्वित किया जा रहा है। छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं की सुविधा हेतु 1250 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से कुल 9 ½ माह के लिए दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें से 1000 रूपये प्रति आवासी प्रतिमाह भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन के लिए स्वीकृत की जाती है। शेष 250 रुपये की राशि प्रतिमाह प्रति आवासी पोशाक, साबुन, वस्त्र धुलाई, बिजली, पानी, पत्र-पत्रिकाओं व अन्य सुविधाओं के लिए स्वीकृत की जाती है। जिलेवार एवं छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) हां। यह सही है कि उक्त योजनाओं में संचालित छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। उक्त पदों के रिक्त होने का कारण अपने पद से त्याग पत्र देना, सेवानिवृत्त होना तथा नवीन भर्ती नहीं होना है।

(4) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-41

(स्थगित)

भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति पाली द्वारा आबंटित भू-खण्ड

42. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली की भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति के लेखों की सरकार द्वारा की गई आडिट में भू-खण्ड संख्या 81 ए एवं 56 ए किसके नाम आबंटित था एवं वर्ष 2008-09 में की गई आडिट रिपोर्ट में उक्त भू-खण्ड किसके नाम पर आबंटित बताये गये? दोनों आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) उक्त भू-खण्ड के आबंटियों के नाम परिवर्तन किस प्रक्रिया के तहत किसके द्वारा, किस-किस कारण से कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मूल आबंटियों के नाम के भू-खण्ड दूसरों को नहीं किया जा सकता था? यदि हां, तो आबंटन के नाम परिवर्तन के लिए समिति के कौन-कौन पदाधिकारी जिम्मेवार हैं एवं सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या सरकार मूल आबंटियों को उनके भू-खण्ड का कब्जा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली की भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति के लेखों की सहकारिता विभाग द्वारा कराई गई आडिट वर्ष 1.7.1987 से 31.8.1989 के अनुसार भू-खण्ड संख्या 81 ए श्री महावीर चन्द/हीरालाल को एवं भू-खण्ड संख्या 56 ए श्री हीरालाल/जसराज को आबंटित था एवं वर्ष 2008-09 में की गई आडिट रिपोर्ट में भूखण्ड संख्या 81 ए श्री अमृत लाल/सुकनराज को एवं भू-खण्ड संख्या 56 ए श्री उत्तमचन्द/सुकनराज को आबंटित बताया गया है। दोनों आडिट रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) आबंटन परिवर्तन के संबंध में समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का कोई विवरण समिति द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(3) समिति द्वारा किये गये आबंटन परिवर्तन संबंधी रिकार्ड के अभाव में समिति द्वारा की गई कार्यवाही के औचित्य का विवेचन किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं। समिति द्वारा की गई किसी कार्यवाही से परिवेदित किसी सदस्य को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 58 के अन्तर्गत विधिक उपचार उपलब्ध है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पाटोदी (बाड़मेर) ग्राम बस स्टैण्ड

43. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बालोतरा के ग्राम पाटोदी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास ही प्राइवेट बसों का ठहराव है?

(2) क्या विभागीय नियमों एवं जनहित में यह उचित है एवं नियमान्तर्गत है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त स्थान से बस स्टैण्ड को अन्यत्र स्थान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गांव पाटोदी में रा.उ.मा.वि. एवं बालिका उ.प्रा.वि. के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास प्राइवेट बसों के ठहराव हेतु स्थल अधिसूचित नहीं है।

(2) गैर अधिसूचित स्थल पर बसों का ठहराव नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं है। पाटोदी ग्राम में बस स्टैण्ड हेतु ग्राम पंचायत व जिला प्रशासन के सहयोग से उपयुक्त स्थल चयन कर प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्थल की उपयुक्तता का परीक्षण करवाये जाने के पश्चात मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 5.58 के तहत बस स्टैंड अधिसूचित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न संख्या-44

(स्थगित)

बस्सी (जयपुर) तहसील में संचालित संस्कृत पाठशालाएं

45. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर में कितनी संस्कृत पाठशालायें संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कितनी नई पाठशालायें खोली गई एवं कितनी पाठशालाओं के भवन जर्जर हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जर्जर भवनों के नये निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर में 12 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई पाठशालाएं नहीं खोली गईं तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 300 नवीन राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गये हैं जिनमें से तहसील बस्सी जिला जयपुर में एक राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, दुबली में खोला गया है। प्रश्न के भाग संख्या 1 में उल्लिखित किसी भी पाठशाला का भवन जर्जर अवस्था में नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	विधान सभा क्षेत्र	लोकसभा क्षेत्र	तहसील	पंचायत	ग्राम पंचायत	शहरी/ ग्रामीण	विशेष विवरण
1.	जयपुर	रा.व.उपा.सं.वि., नारदपुरा, बस्सी, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	धनाऊकलां	ग्रामीण	0
2.	जयपुर	रा.प्रवे.सं.वि., राजपुरा उस्ता, बस्सी, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	कचौलिया	ग्रामीण	0
3.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं.वि., बड़वा, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	बड़वा	ग्रामीण	0
4.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं.वि., अखैपुरा, जयपुर	बस्सी	जयपुर ग्रामीण	बस्सी	बस्सी	मनोहरपुरा	ग्रामीण	0
5.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं.वि., सुखदेव की ढाणी, जयपुर	बस्सी	जयपुर ग्रामीण	बस्सी	बस्सी	फालियावास	ग्रामीण	0
6.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं.वि., पूर्वियों की ढाणी, जयपुर	बस्सी	जयपुर ग्रामीण	बस्सी	बस्सी	जटवाड़ा	ग्रामीण	0
7.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं.वि., रोजवाड़ी, बस्सी, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	बुड़ला	ग्रामीण	0
8.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं.वि., नारदपुरा, बस्सी, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	धनाऊकलां	ग्रामीण	0
9.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं. वि., सांवरक्याकी ढाणी, बस्सी, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	धनाऊकलां	ग्रामीण	0
10.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं.वि., पृथ्वीपुरा, बस्सी, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	पृथ्वीपुरा	ग्रामीण	0
11.	जयपुर	रा.उ.प्रा.सं.वि., राजपुरा उस्ता, बस्सी, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	कचौलिया	ग्रामीण	0
12.	जयपुर	रा.प्रा.सं.वि., दूबली, जयपुर	बस्सी	दौसा	बस्सी	बस्सी	गढ़	ग्रामीण	0

अलवर शहर में किसान भवन का निर्माण कार्य

46. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर शहर में किसान भवन का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि पर एवं कुल कितनी लागत से उक्त भवन का निर्माण कराया गया है? क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति कब जारी की गई? दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किसान भवन का निर्माण कृषि उपज मण्डी परिसर, अलवर में किया गया है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त भवन के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.7(6)कृषि/ग्रुप-2/03 दिनांक 30.06.2008 के द्वारा राशि 150 लाख की जारी की गई। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

किसान भवन अलवर का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		कुल व्यय राशि (लाखों में)	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर किसान भवन बना हुआ है	किसान भवन हेतु विकसित भूमि का क्षेत्रफल मय भवन सड़क, पार्किंग इत्यादि	विशेष विवरण
		क्रमांक/दिनांक	राशि (लाखों में)				
1.	किसान भवन, अलवर	एफ.7(6) कृषि/ग्रुप-2/03 दिनांक 30.06.2008	150.00	144.94	680 वर्ग मीटर	2715 वर्ग मीटर	कार्य पूर्ण कर कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर को दिनांक 08.04.2011 को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग,

क्रमांक : प.7(6) कृषि/ग्रुप-2/03 दिनांक : 30.06.2008

निदेशक,

कृषि विपणन विभाग,

जयपुर।

विषय :- जिला मुख्यालयों पर किसान भवन निर्माण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट में सभी जिला मुख्यालयों पर किसान भवन के निर्माण बाबत की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 आयोजना मद में राशि 350.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

अत: किसान भवनों के निर्माण हेतु उक्त राशि की निम्नानुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	श्रेणी	निर्धारित लागत राशि (करोड़ रु. में)	राजकीय अनुदान	अनुदान राशि (करोड़ रु. में)
1.	विशिष्ठ एवं 'अ' श्रेणी	1.50	33 प्रतिशत	1.50
2.	बी एवं सी श्रेणी	1.125	50 प्रतिशत	1.125
3.	डी श्रेणी	0.75	66 प्रतिशत	0.75
			कुल योग :-	**3.50**

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट मद 2435 अन्य कृषि कार्यक्रम, 01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण 800-अन्य व्यय (03) किसान भवनों के निर्माण हेतु मंडी समितियों को सहायता, 12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना मद) से वहन की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. क्रमांक 1750 दिनांक 11.06.2008 के द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

हस्ताक्षर

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-22 का विवरण)

परिशिष्ट-1

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जोधपुर द्वारा बढ़े हुए फसली ऋण मापदण्ड अनुसार वितरित खरीफ ऋण राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	बढ़े हुए फसली मापदण्ड अनुसार वितरित ऋण राशि का विवरण
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जोधपुर	बिलाड़ा	4207.87
2.		भोपालगढ़	4072.98
3.		औसियां	6661.74
4.		फलौदी	6258.80
5.		लोहावट	5175.71
6.		शेरगढ़	3576.55
7.		लूणी	3446.05
8.		सरदारपुरा	0.00
9.		सूरसागर	0.00
10.		शहर	0.00
		योग	**33399.71**

परिशिष्ट-2

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जोधपुर द्वारा पुराने व नये कृषकों को वितरित अल्पकालीन फसली ऋण का विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष 2011 के ऋणी काश्तकारों की संख्या जिन्हें बढ़े हुए मापदण्ड अनुसार ऋण दिया गया हो	नये काश्तकार जिन्हें बढ़े हुए मापदण्ड अनुसार ऋण दिया गया	
				सदस्य संख्या	राशि लाखों में
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जोधपुर	बिलाड़ा	13083	470	110.35
2.		भोपालगढ़	10053	714	323.88
3.		औसियां	14592	3513	1139.68
4.		फलौदी	15196	999	415.49
5.		लोहावट	10482	3353	1127.5
6.		शेरगढ़	9914	2989	834.47
7.		लूणी	11369	866	180.2
8.		सरदारपुरा	0	0	0
9.		सूरसागर	0	0	0
10.		शहर	0	0	0
		योग	**84689**	**12904**	**4131.57**

परिशिष्ट-3

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,जोधपुर द्वारा बढ़े हुए फसली ऋण मापदण्ड अनुसार वितरित खरीफ ऋण राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष 2011-12 में वितरित खरीफ ऋण सदस्य	बढ़े हुए फसली मापदण्ड अनुसार वितरित ऋण राशि का विवरण	स्वीकृत ऋण साख सीमा में ऋण अग्रिम नहीं किये जाने वाले सदस्यों की संख्या
1.	बिलाड़ा	13553	4207.87	11271
2.	भोपालगढ़	10767	4072.98	7741
3.	औसियां	18105	6661.74	8902
4.	फलौदी	16195	6258.80	13208
5.	लोहावट	13835	5175.71	10201
6.	शेरगढ़	12903	3576.55	10580
7.	लूणी	12235	3446.05	10579
8.	सरदारपुरा	0	0.00	0
9.	सूरसागर	0	0.00	0
10.	शहर	0	0.00	0
	योग	**97593**	**33399.71**	**72482**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-23 का विवरण)

परिशिष्ट-1

BUREAU OF INVESTMENT PROMOTION RAJASTHAN, JAIPUR
STATEMENT OF AMOUNT SPENT ON A/C OF PBD-2012 UPTO 20/02/2012

S. No.	HEAD	AMOUNT (Rs.)
1.	AMOUNT PAID TO MUNICIPAL CORPORATION, JAIPUR (FOR MEETING EXPENSES RELATED TO PBD-2012)	50000000
2.	AMOUNT PAID TO TOURISM DEPTT.	7200000
3.	AMOUNT PAID TO POLICE (FOR ARRANGEMENT OF SYMBOL, FLAGS FOR PILOT VEHICLES, SIM-CARDS FOR GUESTS, ARTICLES FOR SMOOTH TRAFFIC BY DY. COMM. OF POLICE AND HIRING OF VEHICLES BY ADD. D.G. POLICE)	3377200
4.	RS. 5,00,000/- PAID TO RUDA FOR CRAFT BAZAR AND RS. 9,58,000/- PAID TO FED. OF RAJ. HANDI-CRAFT EXPORTERS TOWARDS SHARE FOR CRAFT EXIBITION.	1458000
5.	DESIGNING AND PRINTING CHARGES OF BROCHURE PAID	113425
6.	WEBSITE DEVELOPED FOR PBD-2012	153714
7.	HIRING CHARGES OF TAXI	34135
8.	ADVERTISEMENTS RELATED EXPENSES	1420600
9.	COURIER CHARGES PAID	4880
	TOTAL	**63761954**

परिशिष्ट-2

रीको एवं राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन पर खर्च की गयी राशि का विवरण

रीको द्वारा खर्च की गयी राशि—

1 जनवरी, 2012 में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अवसर पर बिड़ला ऑडीटोरियम में फोरहैक्स द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में राज्य सरकार से अपेक्षित व्यय रुपये 19.16 लाख का 50 प्रतिशत जो कि रुपये 9.58 लाख है का भुगतान रीको द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जाना है। इसमें से रीको द्वारा रुपये 5 लाख की राशि अग्रिम "फोरहैक्स" को भेज दी गई है।

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा

1. राजस्थान फाउण्डेशन के नियमित बजट में से प्रवासी भारतीय दिवस के लिए आदिनांक प्रमोशन एक्टिविटीज मद में 11.76 लाख की राशि व्यय की गई है।